खण्ड-459, अंक-5
बुधवार, 27 वैशाख, शक संवत् 1928
(17 मई, 2006 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(चौदहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2006)

खण्ड 459 में 6 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:

निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)

2006

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21 पैसे |

वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ङ
प्रश्नोत्तर	1
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं	1-2
जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा जमुनिया खास की बाजार का ठेका अनियमित ढंग से कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
विधान सभा क्षेत्र लोलेपुर मऊहरिया से सुल्तानपुर फैजाबाद बाइपास तक 2 कि0मी0 सड़क शीघ्र बनाये जाने तथा विलम्ब के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	2
जनपद बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ-महमूदाबाद मुख्य मार्ग स्थित ग्राम अमरखेड़ा के अत्यन्त क्षतिग्रस्त मार्ग का अविलम्ब निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3
जनपद बुलन्दशहर के गांव कुचेसर में प्रवेश करने वाले गाजियाबाद से आने वाले नाले की खुदाई रुकवा कर उसकी जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	3-4
जनपद चित्रकूट में सिंचाई विभाग (डाल नहर) द्वारा संचालित सिरावल सिरोहा पम्प कैनाल के खराब मोटरों को ठीक कराने तथा नहर की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	4
उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2005 (सदन के पटल पर रखी गयी)	4
उत्तर प्रदेश विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 (दिनांक 21 नवम्बर, 2005 से दिनांक 29 मार्च, 2006 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण (सदन के पटल पर रखा गया) ...	4
उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्ययक खाता वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 तक के पृथक-पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन (सदन के पटल पर रखे गये)	5
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (सदन के पटल पर रखा गया)	5
उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 (विधान परिषद् से वापसी की सूचना)	5
उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 106वां प्रतिवेदन (प्रस्तुत किया गया)	5-6

विषय	पृष्ठ-संख्या
कार्य मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	6-7
वर्ष 2005-2006 के चिकित्सा शिक्षा अनुदानों पर दिनांक 11 मार्च, 2005 के बजट भाषण में संशोधन हेतु शोधन वक्तव्य	7-8
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित)	8
दिनांक 17 फरवरी, 2005 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-90 के उत्तर के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-166 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री द्वारा अध्यक्ष पीठ से दिये गये निदेशों का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	9
पूरनपुर पीलीभीत मे पल्स पोलियो दिवस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भाग न लिये जाने विषयक नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सदन में अधूरा वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	9-10
लखनऊ स्थित टिकैतराय तालाब के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य का कार्यान्वयन न होने पर औचित्य का प्रश्न	10-11
वन विभाग रोराबीट रेंज मऊरानीपुर, जनपद झांसी में थाना लहरचूरा पुलिस की मिलीभगत से सरकारी इमारती शीशम आदि की अवैध कटान रोकने सम्बन्धी नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर शासन का ध्यानाकृष्ट किये जाने का कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	11-12
जनपद मेरठ में कचड़ा से बिजली बनाने की योजना सम्बन्धी प्रश्न का ऊर्जा मंत्री द्वारा सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न ...	12-13
श्री कपिल देव यादव, सदस्य, विधान सभा के ऊपर हुए प्राणघातक हमले से सम्बन्धित अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनकी समुचित सुरक्षा व्यवस्था किये जाने की मांग	13-14
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (जारी)	15-17
प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	17-18
नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	18-37
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	38-45
भाषण में कटाक्ष करने एवं आरोप लगाने पर आपत्ति	45-47

विषय	पृष्ठ-संख्या
इस सदन का सदस्य न होने वाले व्यक्तियों का नाम लेने तथा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	47-51
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	51-58
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	59
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	59-62
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा में बोलने के लिये अगला नाम पुकारे जाने पर श्री घूरा राम द्वारा निरन्तर बोलते रहने पर आपत्ति ..	62-63
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यदाद का प्रस्ताव (जारी) ...	63-65
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पुरःस्थापित)	65
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	65-72
प्रदेश में कब्रिस्तान, ईदगाह तथा मस्जिद की भूमि की हदबन्दी तथा उसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने सम्बन्धी परिपत्र जारी किये जाने की सूचना ...	72-73
कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत)	74
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	74-78
उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित) ...	78-85
उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित) ...	85-87
उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)...	87-90
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 (पारित)	90-91
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (जारी) ...	92-112
मेरठ के विक्टोरिया पार्क में हुए भीषण अग्निकाण्ड में लोगों के मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर चर्चा ...	112-128
उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा	128-136
प्रदेश में भीषण विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' तथा श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा (जारी)	136-147

विषय				पृष्ठ-संख्या
विद्युत कटौती विषयक चर्चा पर समय बढ़ाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	...			147
प्रदेश में भीषण विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' तथा श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा	...	...	...	148-151
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं (जारी)	...	...	...	151-152
दिनांक 18 मई, 2006 को नियम-300, 301, 51 व नियम-56 की सूचनाओं को न लिये जाने के सम्बन्ध में सूचना		...	...	152
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	...	...	...	152-154
नत्थी ...	...	...	...	155-157

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

बुधवार, दिनांक 17 मई, 2006

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-311

अकीलुर्रहमान खां, श्री	मुरादाबाद
अखिलेश कुमार सिंह, श्री	रायबरेली
अजय कपूर, श्री	कानपुर नगर
अजय कुमार, डा0	बागपत
अजीम भाई, श्री	फिरोजाबाद
अताउल रहमान, श्री	बरेली
अनवर महमूद, श्री	बलरामपुर
अनार सिंह दिवाकर, श्री	एटा
अनिल कुमार पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
अनिल कुमार मौर्या, श्री	मिर्जापुर
अनिल कुमार वर्मा श्री	सीतापुर
अनिल कुमार वर्मा, श्री	हरदोई
अनिल कुमार सिंह यादव, श्री	एटा
अनिल सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
अनूप कुमार पाण्डेय, श्री	बस्ती
अन्सार अहमद, श्री	इलाहाबाद
अब्दुल कलाम, श्री	संत कबीर नगर
अब्दुल मन्नान, श्री	हरदोई
अब्बास अली जैदी उर्फ रुश्दी मियां, श्री	बाराबंकी
अमरजीत सिंह जनसेवक, श्री	फतेहपुर
अमर सिंह परमार, श्री	आगरा
अमर सिंह यादव पुत्र श्री सुन्दर सिंह, श्री	हाथरस
अम्बिका चौधरी, श्री	बलिया
अम्बेश कुमारी, श्रीमती	महोबा
अयोध्या प्रसाद पाल, श्री	फतेहपुर
अरविन्द कुमार सिह उर्फ गोप, श्री	बाराबंकी
अरुण कुमार मेहरोत्रा, डा0	जालौन
अरुण कुमारी, श्रीमती	कानपुर देहात
अरुणवीर सिंह, श्री	बहराइच
अरुणा तोमर, श्रीमती	कानपुर नगर
अलका राय, श्रीमती	गाजीपुर
अलगू प्रसाद चौहान, श्री	सन्त कबीर नगर
अवधेश प्रसाद, श्री	फैजाबाद
अशोक कुमार कटियार, श्री	कानपुर देहात
अशोक बाजपेयी, डा0	हरदोई
अशोक सिंह चौहान, श्री	मैनपुरी
आदित्य विक्रम सिंह (बोकू सिंह), श्री	सिद्धार्थनगर
आनन्द प्रकाश लोधी, श्री	फतेहपुर
आर0एस0 कुशवाहा, श्री	खीरी
आर0 के0 चौधरी, श्री	लखनऊ
आलम बदी, श्री	आजमगढ़
आलोक कुमार शाक्य, श्री	मैनपुरी
आशा किशोर, श्रीमती	रायबरेली
आशीष यादव, श्री	बदायूं
आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री	बदायूं
इकबाल महमूद, श्री	मुरादाबाद
इन्द्रजीत सरोज, श्री	कौशाम्बी
इन्द्रदेव सिह, डा0	बिजनौर
उज्जवल रमण सिंह, श्री	इलाहाबाद
उदयराज यादव, श्री	उन्नाव
उमा किरन, श्रीमती	मुजफ्फरनगर
उमा शंकर कुशवाहा, श्री	गाजीपुर
ओमकार सिंह यादव, श्री	बदायूं
ओम प्रकाश, श्री	सीतापुर
ओम प्रकाश(ओ0पी0 सिंह), श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री	सुल्तानपुर
ओम प्रकाश सिंह, श्री	मिर्जापुर
कपिल देव यादव, श्री	मऊ
कमलेश कुमार, श्री	गोरखपुर
कमलेश कुमार पाठक, श्री	कानपुर देहात
कमाल यूसुफ मलिक, श्री	सिद्धार्थनगर

कल्यान सिंह दोहरे, श्री	कन्नौज
कामेश्वर उपाध्याय, श्री	देवरिया
कालीचरन राजभर, श्री	गाजीपुर
काशीराम, श्री	रामपुर
किरण पाल कश्यप, श्री	मुजफ्फरनगर
किरन पाल सिंह, श्री	बुलन्दशहर
किशन लाल बघेल, सेठ	आगरा
कुतुबुद्दीन अंसारी, श्री	बिजनौर
कुलदीप सिंह सेंगर, श्री	उन्नाव
कृष्ण कुमार उर्फ सतीश वर्मा, श्री	हरदोई
केशरी नाथ त्रिपाठी, श्री	इलाहाबाद
कैलाश, श्री	गाजीपुर
कैलाश चौरसिया, श्री	मिर्जापुर
कोविद कुमार, श्री	शाहजहांपुर
कौकब हमीद खां, श्री	बागपत
कौशल किशोर, श्री	लखनऊ
खालिद अजीम उर्फ अशरफ, श्री	इलाहाबाद
गंगा प्रसाद पुष्कर, श्री	आगरा
गंगा बक्श सिंह, डा0	उन्नाव
गीता सिंह, श्रीमती	बलरामपुर
घूरा राम, श्री	बलिया
चन्द्र किशोर, श्री	महराजगंज
चन्द्रदेव राम यादव, श्री	आजमगढ़
चन्द्रभद्र सिंह, श्री	सुल्तानपुर
चन्द्रमणि कान्त सिंह, श्री	श्रावस्ती
छेदीराम, श्री	गाजीपुर
छोटे लाल यादव, श्री	बाराबंकी
छोटे लाल वर्मा, श्री	आगरा
जंग बहादुर, श्री	सुल्तानपुर
जगदम्बिका पाल, श्री	बस्ती
जगदीश नारायण (राय), श्री	जौनपुर
जगदीश सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
जगदीश सोनकर,श्री	जौनपुर
जगराम सिंह, श्री	मुरादाबाद
जटाशंकर सिंह, श्री	बहराइच
जय प्रकाश यादव, श्री	गोरखपुर
जय प्रताप सिंह, श्री	सिद्धार्थनगर
जयराम विमल, श्री	अम्बेडकर नगर
जयवीर सिंह, श्री	मैनपुरी
जयवीर सिंह, ठाकुर	अलीगढ़
जियाउद्दीन रिजवी, श्री	बलिया
तेजपाल सिंह, श्री	मथुरा
ददूदू प्रसाद, श्री	चित्रकूट
दया शंकर वर्मा, श्री	जालौन
दिलीप कुमार वर्मा, श्री	बहराइच
दीनानाथ कुशवाहा, श्री	देवरिया
दीनानाथ भाष्कर, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
दुर्गा प्रसाद मिश्र, श्री	देवरिया
दुर्गा प्रसाद यादव, श्री	आजमगढ़
देवकी नन्दन, श्री	हाथरस
देवेन्द्र नागपाल, श्री	ज्योतिबाफूले नगर
देवेन्द्र प्रताप, श्री	एटा
देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	रायबरेली
द्वारिका प्रसाद, श्री	सन्त कबीर नगर
धर्मपाल सिंह, श्री	बरेली
धर्मराज निषाद, श्री	अम्बेडकरनगर
धर्म सिंह सैनी, डा0	सहारनपुर
धर्मेन्द्र कुमार कश्यप, श्री	बरेली
घू राम लोधी, चौधरी	हमीरपुर
नत्थू सिंह, श्री	उन्नाव
नन्दिता शुक्ला, श्रीमती	गोण्डा
नरेन्द्र कुमार, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नरेन्द्र सिंह वर्मा, श्री	सीतापुर
नरेन्द्र सिंह यादव, श्री	फर्रुखाबाद
नरेन्द्र शिशौदिया, श्री	गाजियाबाद
नवाब सिंह नागर, श्री	गौतमबुद्ध नगर
नारद राय, श्री	बलिया
परमजीत, श्री	मुजफ्फरनगर
परमेश्वर दयाल, श्री	सोनभद्र
पी0 के0 राय, डा0	कुशीनगर
पीटर फैन्थम, श्री	नाम-निर्देशित

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पीतम राम, श्री	पीलीभीत
प्रताप चौधरी, श्री	हाथरस
प्रदीप जैन "आदित्य", श्री	झांसी
प्रदीप माथुर, श्री	मथुरा
प्रभु दयाल, श्री	मेरठ
प्रभु नारायण, श्री	चन्दौली
प्रमोद कुमार, श्री	प्रतापगढ़
प्रागी लाल अहिरवार, श्री	झांसी
प्रेम पाल सिंह यादव, श्री	बदायूं
प्रेम सिंह, श्री	मथुरा
बंशीधर राज, श्री	खीरी
बलराम यादव, श्री	आजमगढ़
बाबू लाल, श्री	गोण्डा
बाबू लाल चौधरी, श्री	आगरा
बिजय सिंह, श्री	फर्रुखाबाद
बीजू पटनायक, श्री	गाजीपुर
बीना भारद्वाज, श्रीमती	रामपुर
बृजेन्द्र कुमार व्यास (डमडम महराज), श्री	झांसी
बृजेन्द्र प्रताप सिंह कुंवर, एडवोकेट	जालौन
बैजनाथ पासवान, श्री	मऊ
बैजनाथ दुबे, श्री	गोण्डा
ब्रह्मा शंकर त्रिपाठी, श्री	देवरिया
भगवत शरण गंगवार, श्री	बरेली
भगेलू राम, श्री	सुल्तानपुर
भरत सिंह, श्री	बलिया
भारतेन्द्र सिंह, कुंवर	बिजनौर
भूपेन्द्र सिंह, श्री	बदायूं
मदन गोपाल वर्मा, श्री	फतेहपुर
मदन चौहान, श्री	गाजियाबाद
मदन भैया, श्री	बागपत
मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री	रायबरेली
मशहूद खां, श्री	बलरामपुर
मस्तराम चौ0, एडवोकेट	उन्नाव
महबूब अली, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू, श्री	सीतापुर
महेन्द्र सिंह राजपूत, श्री	इटावा
महेश नारायण सिंह, श्री	इलाहाबाद
माता प्रसाद पाण्डेय, श्री	सिद्धार्थनगर
मानपाल सिंह, श्री	एटा
माया प्रसाद, श्रीमती	खीरी
मिथिलेश कुमार, श्री	शाहजहांपुर
मुकुल बिहारी वर्मा, श्री	बहराइच
मुकुल उपाध्याय, श्री	अलीगढ़
मुंशीलाल गौतम, श्री	बुलन्दशहर
मूलचन्द्र चौहान, ठाकुर	बिजनौर
मोख्तार अंसारी, श्री	मऊ
मोहन देव शंखवार, श्री	फिरोजाबाद
मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां, श्री	मुरादाबाद
मोहम्मद आजम खां, श्री	रामपुर
मोहम्मद मुजतबा सिद्दीकी, श्री	इलाहाबाद
मोहम्मद रिजवान, श्री	मुरादाबाद
मो0 शफीर, श्री	फतेहपुर
यशपाल चौधरी, श्री	खीरी
यशवन्त सिंह, डा0	मुजफ्फरनगर
याकूब, हाजी	मेरठ
योगेन्द्र कुमार, श्री	बदायूं
योगेश प्रताप सिंह उर्फ योगेश भइया, श्री	गोण्डा
रंगनाथ मिश्र, श्री	संत रविदास नगर, भदोही
रणवीर राणा, श्री	मेरठ
रमापति उर्फ रमाकान्त, श्री	कुशीनगर
रमेश चन्द्र बिन्द, डा0	मिर्जापुर
राकेश कुमार वर्मा, श्री	बाराबंकी
राकेश पाण्डेय, श्री	अम्बेडकर नगर
राकेश सचान, श्री	कानपुर देहात
राज किशोर सिंह, श्री	बस्ती
राजनाथ यादव, श्री	वाराणसी
राजपाल सिंह बालियान, श्री	मुजफ्फरनगर

राजपाल सिंह सैनी, श्री	मुजफ्फरनगर
राजरानी रावत, श्रीमती	बाराबंकी
राजलक्ष्मी वर्मा, श्रीमती	बाराबंकी
राजा राम, श्री	प्रतापगढ़
राजीव कुमार सिंह, श्री	बाराबंकी
राजेन्द्र प्रताप सिंह उर्फ मोती सिंह, श्री	प्रतापगढ़
राजेन्द्र प्रसाद यादव, श्री	लखनऊ
राजेन्द्र सिह चौहान, श्री	एटा
राजेन्द्र सिंह राणा, श्री	सहारनपुर
राजेश कुमार, श्री	खीरी
राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0	गोरखपुर
राधेश्याम जायसवाल, श्री	सीतापुर
राधेश्याम सिंह, श्री	कुशीनगर
राबिया कलाम, श्रीमती	वाराणसी
राम इकबाल सिंह, श्री	बलिया
राम करन आर्य, श्री	बस्ती
राम किशुन, श्री	चन्दौली
राम कृपाल, श्री	इलाहाबाद
राम कृष्ण, श्री	सीतापुर
राम गोविन्द चौधरी, श्री	बलिया
राम चन्द्र यादव, श्री	फैजाबाद
राम नरेश यादव, श्री	आजमगढ़
रामनाथ, श्री	प्रतापगढ़
रामपाल यादव, श्री	सीतापुर
राम प्रकाश त्रिपाठी, श्री	कन्नौज
रामबाबू हरित, डा0	आगरा
राम बिशुन आजाद, श्री	गोण्डा
राम भुआल निषाद, श्री	गोरखपुर
राम मगन, श्री	बाराबंकी
राम लाल अकेला, श्री	रायबरेली
रामवीर उपाध्याय, श्री	हाथरस
राम शंकर पाल, श्री	उन्नाव
राम सेवक, श्री	सुल्तानपुर
राम स्वरूप सिंह, श्री	कानपुर देहात
रामहेत भारती, श्री	सीतापुर
रामेश्वर सिंह यादव, श्री	एटा
रिजवान अहमद खां, श्री	ज्योतिबाफूलेनगर
रियाज अहमद, श्री	पीलीभीत
लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0	मेरठ
लल्लू सिंह, श्री	फैजाबाद
लालजी टण्डन, श्री	लखनऊ
लालजी वर्मा, श्री	अम्बेडकर नगर
लाल बहादुर यादव, श्री	जौनपुर
वकार अहमद शाह, डा0	बहराइच
वसीम अहमद, श्री	आजमगढ़
विजमा यादव, श्रीमती	इलाहाबाद
विजय कुमार मिश्रा, श्री	सन्त रविदास नगर, भदोही
विद्या चौधरी, श्रीमती	आजमगढ़
विद्या सागर गुप्ता,श्री	लखनऊ
विनोद कुमार यादव उर्फ कक्का, श्री	इटावा
विनोद कुमार सिंह, श्री	जौनपुर
विनोद तिवारी, डा0	पीलीभीत
विमला राकेश, श्रीमती	सहारनपुर
विशम्भर प्रसाद निषाद, श्री	बांदा
विश्राम सिंह यादव, श्री	हरदोई
वीरेन्द्र प्रताप सिंह "मुन्ना", श्री	शाहजहांपुर
वीरेन्द्र सिंह गंगवार, श्री	बरेली
वीरेन्द्र सिंह, श्री	वाराणसी
वीरेन्द्र सिंह बुन्देला "भगत राजा" श्री	ललितपुर
वेदराम भाटी, श्री	बुलन्दशहर
शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री	सन्त रविदासनगर भदोही
शब्बीर, श्री	बहराइच
शमीमुल हक, श्री	मुरादाबाद
शरदवीर सिंह, श्री	शाहजहांपुर

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शहजिल इस्लाम, श्री	बरेली
शाकिर अली, श्री	देवरिया
शारदा देवी, श्रीमती	गोरखपुर
शारदा नन्द अंचल, श्री	बलिया
शाहिद मंजूर, श्री	मेरठ
शिव कुमार बेरिया, श्री	कानपुर देहात
शिव चरन प्रजापति, श्री	हमीरपुर
शिव पाल सिंह यादव, श्री	इटावा
शिव प्रताप यादव, डा0	बलरामपुर
शैलेन्द्र यादव "ललई", श्री	जौनपुर
श्याम सिंह अहेरिया, श्री	मथुरा
श्याम देव राय चौधरी, श्री	वाराणसी
श्याम नारायन, श्री	महराजगंज
श्याम प्रकाश, श्री	हरदोई
श्याम लाल रावत, श्री	सीतापुर
श्याम सुन्दर शर्मा, श्री	मथुरा
श्याम सूरत उपाध्याय, श्री	इलाहाबाद
श्रद्धा यादव, श्रीमती	जौनपुर
श्रीराम भारती, श्री	मिर्जापुर
संदीप अग्रवाल, श्री	मुरादाबाद
सतीश महाना, श्री	कानपुर नगर
सत्तो देवी, श्रीमती	सहारनपुर
सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री	मेरठ
सदल प्रसाद, श्री	गोरखपुर
सन्ध्या कटेरिया, कु0	मैनपुरी
समरपाल सिंह, श्री	बागपत
सिद्ध गोपाल साहू, श्री	महोबा
सियाराम सागर, डा0	बरेली
सीताराम निषाद, श्री	फैजाबाद
सुखदेव राजभर, श्री	आजमगढ़
सुखदेवी वर्मा, श्रीमती	इटावा
सुन्दर लाल, श्री	उन्नाव
सुन्दर सिंह, श्री	बुलन्दशहर
सुरेन्द्र कुमार मुन्नी, श्री	गाजियाबाद
सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री	जौनपुर
सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री	वाराणसी
सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर
सुरेश कुमार श्रीवास्तव, श्री	लखनऊ
सुरेश चन्द्र तिवारी, श्री	लखनऊ
सूरज सिंह शाक्य, श्री	एटा
सोमारू राम सरोज, श्री	जौनपुर
सोवरन सिंह, श्री	मैनपुरी
स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री	रायबरेली
हरि ओम यादव, श्री	फिरोजाबाद
हरि प्रताप सिंह, श्री	प्रतापगढ़
हरि शंकर तिवारी, श्री	गोरखपुर
हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी", श्री	वाराणसी
होशियार सिंह, श्री	बुलन्दशहर

नोट :-बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री अजीत कुमार राजू) भी सदन में उपस्थित थे।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश में साक्षरता बढ़ाने के लिये विशेष कार्य योजना बनाये जाने की मांग

**1-डा0 सुशील चौधरी (अनुपस्थित)-

क्या सरकार प्रदेश में साक्षरता का प्रतिशत बढ़ाने के लिये कोई विशेष कार्य योजना बना रही है ? यदि हां, तो वह योजना क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री किरन पाल सिंह)-

जी हां।

प्रदेश में साक्षरता बढ़ाने के लिये सभी के लिये शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत सर्व शिक्षा अभियान एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के अन्तर्गत साक्षरता कार्यक्रमों का क्रियान्वयन कराया जा रहा है।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत समस्त बच्चों की प्राथमिक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिये विभिन्न योजनायें संचालित की जा रही हैं।

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन प्राधिकरण एवं राज्य साक्षरता मिशन प्राधिकरण के द्वारा समस्त जनपदों को साक्षरता कार्यक्रमों से आच्छादित किया जा चुका है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा न्यून साक्षरता के आधार पर प्रदेश के 27 जनपदों क्रमशः बरेली, बदायूं, बांदा, बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, बस्ती, गोण्डा, ज्योतिबाफूलेनगर, कौशाम्बी, कुशीनगर, ललितपुर, मुरादाबाद, महोबा, महराजगंज, मिर्जापुर, पीलीभीत, रामपुर, रायबरेली, शाहजहांपुर, सीतापुर, सुल्तानपुर, श्रावस्ती, सोनभद्र, उन्नाव, सन्त कबीर नगर एवं सिद्धार्थनगर की विशेष साक्षरता कार्ययोजनायें भारत सरकार की परियोजना अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित की जा चुकी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्नकर्ता नहीं है। अब मै नियम-301 की सूचनाएं ले रहा हूं।

नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17 मई, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत सदन के संज्ञान मे लाने हेतु कुल 16 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं। प्राप्त सूचनाओं में से निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गयी हैं :--

(सूचना देने वाले सदस्य डा0 विनोद तिवारी, श्री ओम प्रकाश पाण्डेय, श्री सुन्दर सिंह, श्रीमती राजरानी रावत एवं श्री दद्दू प्रसाद सदन में उपस्थित थे एवं डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा, श्री धर्म सिह सैनी, श्री महेन्द्र कुमार सिंह, श्री काशीराम, श्री राकेश सचान, श्री मदन भैया, श्री राजेश कुमार, श्री भगेलू राम, डा0 रमेश चन्द्र बिन्द अनुपस्थित थे।)

श्री अध्यक्ष-

श्री राम नरेश यादव एवं श्री पूर्णमासी देहाती की सूचनाएं अस्वीकार की गयी हैं।

(उपस्थित माननीय सदस्यों की सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, 301 में थोड़ा सा रिलेक्शेसन कर दें। माननीय सदस्य आ रहे हैं।

जनपद पीलीभीत के पूरनपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम सभा जमुनियाखास की बाजार का ठेका अनियमित ढंग से कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 विनोद तिवारी-

[मान्यवर, अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न की तरफ सदन का ध्यान नियम-301 के अन्तर्गत आकृष्ट कराना चाहता हूं। मैं सरकार का ध्यान अपने निर्वाचन क्षेत्र 44 विधान सभा पूरनपुर के अन्तर्गत ग्रामसभा जमुनिया खास की बाजार के ठेके के सन्दर्भ में आकृष्ट कराते हुए कहना चाहूंगा। जैसा कि ग्रामसभा जमुनिया खास की प्रधान के पति द्वारा मेरे संज्ञान में लाया गया है कि जमुनिया खास की बाजार का ठेका दिनांक 24-04-2006 को गुप्त तरीके से तहसील प्रशासन द्वारा 50,000/-रु0 में तोता राम पुत्र श्री ताराचन्द के नाम कर दिया गया और तहसीलदार पूरनपुर द्वारा 30,000/-रु0 भी ले लिया गया है जमुनिया खास की बाजार के ठेके की नीलामी की सूचना ग्राम सभा को न दिये जाने तथा ठेके से प्राप्त रकम को ग्राम निधि के खाते में जमा न करने से लोगों में आक्रोश व्याप्त है कृपया पुनः खुली बैठक में ठेका कराये जाने तथा ठेके से प्राप्त धन ग्राम निधि में जमा कराये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करने का कष्ट करें।

अतः आपसे अनुरोध है कि उक्त ज्वलन्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करने का कष्ट करें।]

विधान सभा क्षेत्र लोलेपुर मउहरिया से सुल्तानपुर फैजाबाद बाईपास तक 2 कि0मी0 सड़क शीघ्र बनाये जाने तथा विलम्ब के लिये दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने की मांग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश पाण्डेय-

[मान्यवर, आपके संज्ञान मे लाना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में लोलेपुर मडहरिया से सुल्तानपुर-फैजाबाद बाईपास तक 2 कि0मी0 सड़क बनाये जाने हेतु कार्यदायी संस्था इन्जीनियरिंग वेलफेयर एसोसियेशन इकाई, सुल्तानपुर जिसका प्रमुख कार्यालय प्रतापगढ़ को लगभग 28 लाख रुपये पूर्व सांसद निधि द्वारा दिया गया था करीब चार वर्ष व्यतीत हो रहे हैं सड़क का निर्माण पूर्ण नहीं हुआ बड़ी-बड़ी गिट्टियां पड़ी हैं यह भी ज्ञात हुआ है इसका पूरा पैसा कार्यदायी संस्था को दे दिया गया है सड़क का निर्माण न होने के कारण आम जनमानस में अत्यधिक आक्रोश है।

अतः माननीय अध्यक्ष जी से आग्रह है कि अविलम्ब महत्वपूर्ण प्रश्न की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अधूरे कार्य से पूर्ण कराये जाने एवं विलम्ब के लिये दोषी लोगों के प्रति कार्यवाही की मांग करता हूं।]

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बाराबंकी के फतेहपुर क्षेत्रान्तर्गत लखनऊ-महमूदाबाद मुख्य मार्ग स्थित ग्राम अमरखेड़ा के अत्यन्त क्षतिग्रस्त मार्ग का अविलम्ब निर्माण कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती राजरानी रावत-

[माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नियम-301 के अन्तर्गत मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार प्रकट करती हूं। मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर जनपद बाराबंकी में लखनऊ-महमूदाबाद मुख्य मार्ग जो ग्राम अमर खेड़ा के पास लगभग 400 मीटर अत्यन्त क्षतिग्रस्त है जिसमे यह नहीं पता चलता है कि सड़क में गड्ढा है या गड्ढे में सड़क है। जिससे लोगों को आवागमन में काफी कठिनाई उठानी पड़ रही है और कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती हैं उक्त मार्ग के निर्माण न होने से जनमानस में काफी आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए अविलम्ब मार्ग के निर्माण कराये जाने हेतु कार्यवाही की मांग करती हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के गांव कुचेसर में प्रवेश करने वाले गाजियाबाद से आने वाले नाले की खुदाई रुकवा कर उसकी जांच कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुन्दर सिंह-

[ब्लाक बीबीनगर में कटरू झील के पानी की निकासी हेतु जनपद गाजियाबाद से आने वाला नाला तहसील स्याना जनपद बुलन्दशहर के गांव कुचेसर से प्रवेश कर रहा है जिसकी खुदाई का कार्य सिंचाई विभाग बुलन्दशहर द्वारा पिछले माह प्रारम्भ हुआ था। ग्राम लुदपुरा, धुमैड़ा, सालाबाद, नगला उग्रसेन, भौह बहादुर नगर तथा सठला आदि गांवों के नागरिकों के भारी विरोध के चलते खुदाई बन्द करनी पड़ी थीं मौके पर भारी पुलिस बल व पी0 ए0 सी0 के रहते हुए भी उपरोक्त गांवों के किसानों ने खुदाई कार्य नहीं होने दिया, क्योंकि नाले की खुदाई उपरोक्त गांवों के बीचों-बीच से की जा रही थी व नाले की गहराई 20 फिट खोदी जानी थी जिससे स्थानीय गांवों के बच्चे, पशुओं की सुरक्षा को खतरा पैदा हो रहा था। मान्यवर, उपरोक्त नाले की खुदाई कर पानी को बरसाती नीम नदी में डाला जाना है। वर्तमान में जहां से नाला खोदा जा रहा है नीम नदी तक उसकी लम्बाई 10 कि0मी0 है जिसमें किसानों की जमीन भी ली जानी है जिस पर सरकार का 4 करोड़ रुपया खर्च आयेगा। जबकि सरकारी रेवन्यू रिकार्ड में नाले की जगह पहले से ही दर्शायी गयी है। यदि नाला सरकारी स्थान पर दर्शाये रिकार्ड के स्थान पर कटक झील से उत्तर दिशा मे खोदा जाये तो मात्र 5 कि0मी0 पर ही नीम नदी में नाला पड़ जायेगा। प्राकृतिक बहाव उत्तर दिशा में होने के कारण झील का पानी तुरन्त निकल जायेगा। न तो किसानों की जमीन ही लेनी पड़ेगी और खुदाई भी मात्र 5-6 फिट से पानी निकल जायेगा, किसानों को भी किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी सरकारी धन का अपव्यय भी नहीं होगा। 5 कि0मी0 खुदाई में खर्चा भी मात्र एक करोड़ रुपये के करीब ही आयेगा इससे सरकारी धन भी बचेगा। दूसरी देवकी नदी का जल भराव भी सीमित प्रयास से नीम नदी में पहुंचाया जा सकेगा तथा क्षेत्र के नागरिकों को कोई आपत्ति नहीं होगी।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि उपरोक्त नाले की खुदाई रोकवाकर जांच करायें व नाले को सरकारी रिकार्ड में दर्शाये स्थान पर ही खुदवाया जाय।]

जनपद चित्रकूट में सिंचाई विभाग (डाल नहर) द्वारा संचालित सिरावल सितोहा पम्प कैनाल के खराब मोटरों को ठीक कराने तथा नहर की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री दद्दू प्रसाद-

[अवगत कराना है कि जनपद चित्रकूट में सिंचाई विभाग (डालनगर) द्वारा सिरावल-सिलोहा पम्प कैनाल संचालित है। विगत दस वर्षों से पानी कभी भी टेल तक नहीं पहुंचा है। पम्प कैनाल के मोटरें खराब हो गयी हैं। नहर भी ग्राम बराही के आगे टूट गयी है। ध्वस्त पड़ी है। वर्ष 2003 में पक्का पम्प हाउस निर्माण हेतु व नहर की मरम्मत हेतु बु0 वि0 नि0 राज्यांश से धन स्वीकृत किया गया था, परन्तु भेदभाव की नीति से धन वापस कर दिया गया है। बिजली भी पर्याप्त नहीं मिलती है। चूंकि बिजली की लाइन कमजोर है। ट्रिप कर जाती है। किसानों की फसल सूख गयी है। जनता में भुखमरी से हाहाकार मचा है तथा आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराने का कष्ट करें।]

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मद सं0-2 और 3 ले लें।

उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2005†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश पंचायत राज (सोलहवां संशोधन) नियमावली, 2005 को उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम की धारा 23-क(1) की अपेक्षानुसार विलम्ब के कारणों सहित सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विधान सभा के तृतीय सत्र, 2005 (दिनांक 21 नवम्बर, 2005 से दिनांक 29 मार्च, 2006 तक) में नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश विधान सभा के तृतीय सत्र 2005 (दिनांक 21 नवम्बर, 2005 से दिनांक 29 मार्च, 2006 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 301 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या 14 (3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

†छापा नहीं गया।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्ययक खाता वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 तक के पृथक-पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदन ††

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् के आर्थिक चिट्ठा एवं आय-व्ययक खाता वर्ष 1990-91, 1991-92, 1992-93, 1993-94, 1994-95, 1995-96 तथा 1996-97 तक के पृथक-पृथक लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों को विलम्ब के कारणों सहित उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम, 1965 की धारा 63 (5) ए के अधीन सदन के पटल पर रखता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सदन के पटल पर रख दिया गया है लेकिन वहां तो है नहीं।

श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, कहां है ? पिजेन होल में भी नहीं है तो सदन के पटल पर रखा गया है।

श्री अध्यक्ष-

इसको दिखवा लीजिये।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की सहमति के लिये प्राप्त, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, को सदन के पटल पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006

प्रमुख सचिव, विधान सभा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 153 के अन्तर्गत सूचित करता हूं कि उत्तर प्रदेश विनियोग (2006-2007 का अनुपूरक) विधेयक, 2006 जो उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा दिनांक 15 मई, 2006 को पारित किया गया था तथा जो श्री अध्यक्ष द्वारा धन विधेयक प्रमाणित किया गया था और दिनांक 15 मई, 2006 को विधान परिषद् सचिवालय में प्राप्त हुआ था, उत्तर प्रदेश विधान परिषद् से बिना किसी सिफारिश के दिनांक 16 मई, 2006 को वापस प्राप्त हो गया।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-7 में कुछ नहीं है। मद संख्या-8 भी ले लेते हैं इसी समय।

उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 106वां प्रतिवेदन †

सभापति, आश्वासन समिति (श्री जगदीश नारायण राय)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से उत्तर प्रदेश चौदहवीं विधान सभा की सरकारी आश्वासन सम्बन्धी समिति का 106वां प्रतिवेदन जो चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, राजस्व, नगर विकास,

---

†† छापा नहीं गया।

† छापा नहीं गया।

गोपन (गृह), चिकित्सा स्वास्थ्य, सिंचाई, आवास एवं शहरी नियोजन, बेसिक शिक्षा तथा लोक निर्माण विभागों के वर्ष 1983 से वर्ष 2005 तक के आश्वासनों से सम्बन्धित है, प्रस्तुत करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-9 में कुछ नहीं।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 16 मई, 2006 की बैठक में दिनांक 17 से 18 मई, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :--

मई, 2006

17 बुधवार

1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।

2-उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार एवं उसका पारण-आधा घण्टा।

3-"उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के सम्बन्ध में" डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा। (जारी)

4-"मेरठ के विक्टोरिया पार्क में हुए भीषण अग्निकाण्ड से लोगों के मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा।

5-"प्रदेश में भीषण विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" सर्वश्री स्वामी प्रसाद मौर्य, जगदीश नारायण राय, सुखदेव राजभर, रंगनाथ मिश्र, कुलदीप सिंह सेंगर, आर0 एस0 कुशवाहा, दद्दू प्रसाद, ओम प्रकाश (ओ0 पी0 सिंह), राजेश कुमार, उमाशंकर कुशवाहा, रामशंकर पाल, श्रीमती विद्या चौधरी, रामहेत भारती, हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी', बृजेन्द्र व्यास उर्फ डमडम महाराज, राम इकबाल सिंह, धर्मपाल सिंह, अखिलेश सिंह, प्रमोद कुमार, जगदम्बिका पाल तथा श्री रामनरेश यादव, सदस्यगण, विधान सभा द्वारा दी गयी सूचनाओं पर चर्चा-एक घण्टा।

18 गुरुवार

1-श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा-(अन्तिम दिन)।

2-"प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति न मिलने के सम्बन्ध में" श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-एक घण्टा। (जारी)

3-"प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में" डॉ0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना पर चर्चा-आधा घण्टा।

संसदीय कार्य मंत्री एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश जिसकी सूचना आज श्री अध्यक्ष द्वारा सदन में दी गयी है, से सहमत है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो आज संसदीय कार्य मंत्री द्वारा सदन में प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

वर्ष 2005-2006 के चिकित्सा शिक्षा अनुदानों पर दिनांक 11 मार्च, 2005 के बजट भाषण में संशोधन हेतु शोधन वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2005-2006 के चिकित्सा शिक्षा अनुदानों पर दिनांक 11 मार्च, 2005 के बजट भाषण के संशोधन हेतु.....

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

[वर्ष 2005-06 के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुदानों पर दिनांक 11 मार्च, 2005 को हुई चर्चा में मेरे द्वारा सदन में बताया गया कि "मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूँ कि एम0सी0आई0 मानक पूर्ण करने के लिये 6 राजकीय मेडिकल कालेज में 5584 लाख की जरूरत है और 60 लाख का प्राविधान बजट में कर दिया गया है।"

2-उक्त कथन में त्रुटि हो गई थी जिसका पता बाद में चला।

सही कथन इस प्रकार है :--

"मैं आपके माध्यम से यह बताना चाहता हूं कि एम0सी0आई0 मानक पूर्ण करने के लिये 6 राजकीय मेडिकल कालेज में रु0 5584 लाख की जरूरत है और रु0 60 करोड़ का प्राविधान बजट में कर दिया गया है।"

वर्ष 2005-06 के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुदानों पर दिनांक 11 मार्च, 2005 को हुई चर्चा में मेरे द्वारा सदन में बताया गया कि "इन्हें माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने सात करोड़ रुपये का प्राविधान इसके लिये किया है,"

नोट :-- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-उक्त कथन में त्रुटि हो गई थी जिसका पता बाद में चला।

सही कथन इस प्रकार है :--

वर्ष 2005-06 के चिकित्सा शिक्षा विभाग के अनुदानों पर दिनांक 11 मार्च, 2005 को हुई चर्चा में मेरे द्वारा सदन में बताया गया कि "इन्हें माननीय मुलायम सिंह यादव जी को बधाई देना चाहिए कि उन्होंने 60 करोड़ रुपये का प्राविधान इसके लिये किया है,"]

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, कल मैंने नियम 300 में कहा था।

श्री अध्यक्ष-

वह आये हुए हैं, **वाइस चांसलर बैठे हुए हैं।**

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, थोड़ी देर के लिये हाउस स्थगित कर दें।

श्री कपिल देव यादव-

मान्यवर, मेरा औचित्य का प्रश्न है। मेरा व्यक्तिगत प्रकरण है।

श्री अध्यक्ष-

अभी कह लीजियेगा।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 †

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपसे निवेदन है कि सदन के माननीय सदस्य श्री कपिल देव यादव जी का व्यक्तिगत प्रकरण हैं। उन्हें सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

अभी उन्हें बोलने का अवसर देंगे।

---

† छापा नहीं गया।

दिनांक 17 फरवरी, 2005 के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-90 के उत्तर के सम्बन्ध में प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-166 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर राजस्व मंत्री द्वारा अध्यक्ष पीठ से दिये गये निदेशों का पालन न किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अभी नियम 300 की सूचनाएं टाइप होकर नहीं आयी हैं। 5 सूचनाएं हैं। पहली सूचना श्री जगदीश नारायण राय की है।

*श्री जगदीश नारायण राय-

मान्यवर, मुझे नियम 300 में चौथी बार यह सूचना देनी पड़ रही है। मान्यवर, इसमें नियम 166 के अन्तर्गत कार्यवाही होनी थी। इस पर सदन में कई बार निर्देश दिया गया लेकिन आज तक कार्यवाही नहीं हुई है और न आज तक कोई शोधन वक्तव्य मिला हैं इसलिये आज अन्तिम रूप से आपसे अनुरोध कर रहा हूं। आप इस पर अपनी व्यवस्था दे दें। नहीं तो मैं अपने औचित्य पर पूरा बल दूंगा।

श्री अध्यक्ष-

माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इस पर इनके प्रश्न का उत्तर गलत हो गया था। इन्होंने नियम 166 में दिया और इसमें नायब तहसीलदार ने जो रिपोर्ट दी थी उस पर इनका कहना है कि यह रिपोर्ट गलत है और इसमें वास्तविकता कुछ और है। आपके विभाग को तीन बार पत्र लिखा गया कि या तो शोधन वक्तव्य ले आयें या समुचित उत्तर दें। लेकिन तीन बार में भी आपके विभाग से सही उत्तर नहीं आया। आप अपने विभाग के अधिकारियों को बुला लें। मैं अपने चैम्बर में रहूंगा तो आप भी बैठें और आप भी बैठ जायें। अगला डा0 विनोद तिवारी जी का है।

पूरनपुर पीलीभीत में पल्स पोलियो दिवस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भाग न लिये जाने विषयक नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सदन में अधूरा वक्तव्य दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, आपने मुझे औचित्य के प्रश्न पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आभारी हूं। दिनांक 20-11-05 को पल्स पोलियो दिवस था और इसमें केन्द्र सरकार और प्रदेश सरकार का करोड़ों रुपया खर्च हो रहा है। वर्ल्ड बैंक का भी इस पर बहुत पैसा खर्च हो रहा है। मैंने भी देखा है कि पल्स पोलियो के प्रति सरकार बहुत ही तवज्जो दे रही है लेकिन मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दिनांक 20-11-05 को पूरनपुर में पल्स पोलियो दिवस पर डी0एम0, तहसील के सभी सम्बन्धित अधिकारियों के साथ क्रिकेट मैच खेलते रहे। वह किसी भी बूथ पर नहीं गये। मैंने इस पर दिनांक 20-03-06 को नियम 51 में सूचना दी थी और आपने कृपापूर्वक वक्तव्य के लिये स्वीकार किया था। 23/3 को अन्तरिम उत्तर आया कि जिलाधिकारी को निर्देश दे दिया है और तत्काल जांच आख्या आने के बाद दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जायेगा। मान्यवर, बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि तीसरा सत्र चल रहा है और जांच आख्या नहीं प्राप्त हुई है। मैंने जिलाधिकारी से बात की। ए0डी0एम0 का कहना है कि तीन-तीन बार स्पष्टीकरण मांगे गये हैं लेकिन वह जवाब नहीं दे रहे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हैं इसको हल्केपन से ले रहे हैं और अधिकारियों को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। आप हम लोगों के संरक्षक है, विधान सभा की गरिमा को बनाये रखने का अधिकार आपको है आप इसको देखें अधिकारी दबाव डाल रहे हैं। कल इस सत्र का आखिरी दिन है आप सरकार को निर्देशित करें कि यह जांच आख्या आ जाय और दोषी अधिकारियों को दण्डित किया जाय जिससे जो पल्स पोलियो का कार्य नौनिहालों के लिये चल रहा था उसमें फिर बाधा न हो।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, आपने नियम-51में प्रश्न उठाया था उसमें अन्तरिम उत्तर दिया गया था कि जांच करायी जा रही है और जांच आख्या आने के बाद समुचित उत्तर दिया जायेगा। आपका कथन है कि लम्बा समय हो गया है और जांच आख्या अभी तक नहीं आयी है। इसका पूरा उत्तर दिला दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं भी इससे प्रभावित हूं। जहां तक इनकी बात है बस आपके निर्देश की जरूरत है। इसमें हमें आप कल तक का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

लखनऊ स्थित टिकैतराय तालाब के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में दिये गये वक्तव्य का कार्यान्वयन न होने पर औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

अगला प्रश्न श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव जी का है।

*श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे औचित्य के प्रश्न पर सुनने के लिये अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। माननीय अध्यक्ष जी, 11 मार्च, 2006 को नियम-301 के अन्तर्गत मैंने सूचना दी थी कि मेरे क्षेत्र में पूर्व प्रधान मंत्री, श्री अटल बिहारी बाजपेयी जी ने राजा टिकैतराय तालाब का सौन्दर्यीकरण कराया था, वहां पर संगीतमयी फौवार लगवाया गया था, दीवार लगवायी गयी थी। लेकिन कालान्तर में वह दीवार गिर गयी है, बोरिंग फेल हो गयी है, बिजली का बिल एलडीए ने नहीं दिया है जिससे कनेक्शन कट गया है, वह संगीतमयी फौवारे बन्द हो गये है और पेड़ पौधे सूख गये हैं। आपने आदेश दिया था कि माननीय मुख्य मंत्री जी वक्तव्य दें । माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपना लिखित वक्तव्य दिया था। यह 20 मार्च, 2006 को दिया था, मैं इसकी आखिरी की लाइन पढ़ रहा हूं--'कार्य की मरम्मत समय-समय पर करायी जाती है, आगे भी करायी जायेगी। जो वांछित कार्य है वह कराये जायेंगे' लेकिन खेद का विषय है कि दो माह बीत जाने के बाद भी और मेरे द्वारा एलडीए के वीसी श्री वी0वी0 सिंह और मुख्य अभियन्ता से कहने पर भी दोनों की हठधर्मिता के कारण कोई कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है, इसलिये मैंने यह औचित्य का प्रश्न उठाया है। आप अधिकारियों से

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पूछे कि ऐसी क्या बात है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने लिखित बयान दिया है और दो माह के बाद भी कार्य नहीं किया गया है और आप जो मुनासिब समझें उनके खिलाफ कार्यवाही करें।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, हमने इसका संज्ञान ले लिया है।

वन विभाग रोराबीट रेंज मऊरानीपुर, जनपद झांसी में थाना लहरचूरा पुलिस की मिलीभगत से सरकारी इमारती शीशम आदि की अवैध कटान रोकने सम्बन्धी नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर शासन का ध्यानाकृष्ट किये जाने का कार्यान्वयन न होने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

प्रागीलाल अहिरवार जी यह आपका प्रश्न है, इसे आपने पहले नियम-51 में दिया फिर दूसरा मामला इसमें जोड़ दिया। जब आपने इसे नियम-51 में दिया तो कैसे औचित्य का प्रश्न बनता है। वैसे आप संक्षेप में अपनी बात कह लें।

श्री प्रागी लाल अहिरवार-

मान्यवर, विधान सभा में आपकी पीठ से पूर्व में इस सम्बन्ध में निर्देश मिला था लेकिन आज तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई, और जिस सरकारी जंगल के कटान को रोकने के लिये निवेदन किया गया था, मान्यवर, आज भी वह कटान जारी और वन माफिया तथा लहरचूरा पुलिस की मिलीभगत से खुलेआम पेड़ काट रहे हैं, वन कर्मचारियों को मार रहे हैं, श्रीमन्, 11 अप्रैल की रात में वन माफिया जंगल काट रहे थे, और जंगल काटते समय वहां के वन रक्षक विजय बहादुर सिंह ने मौके पर जाकर उन्हें पकड़ा और पकड़ करके उनकी एफ0आई0आर0 नामजद करने के लिये थाना लहरचूरा में तहरीर दी और इसमें जो जंगल माफिया यह मान्यवर, सुरेन्द्र सिंह पुत्र गंदरब सिंह, शिवराज सिंह पुत्र भानु सिंह, अंगद सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह, गवर्नमेण्ट पुत्र उमराव सिंह, अरविन्द पुत्र फेरन सिंह यह निवासी उसी रोरा गांव के हैं जहां पर यह शीशम के जंगल हैं मान्यवर, इन्हें काटते हुए पकड़ा और एफ0आई0आर0 न होने से आज के दिन जंगल माफिया खुलेआम नाजायज असलहा लेकर के सरकारी वन काट रहे हैं इसमें मैंने निवेदन किया था मान्यवर, यह सरकारी सम्पत्ति है, यह पर्यावरण से जुड़ा हुआ मामला है, इस कटान को रोका जाय, नियम-51 के अन्तर्गत आज तक न कोई सूचना आई और न तो इनका कटान रोका गया, मान्यवर, यह कटान जारी है, निवेदन यह है कि इन जंगल माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए और जो सांठ-गांठ करके थाना अध्यक्ष लहरचूरा इन जंगलों को कटवा रहे हैं, उसके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए मैं आपके माध्यम से सरकार से यही मांग करता हूं कि सरकारी सम्पत्ति को नुकसान से रोका जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, इसमें अक्सर ऐसा भी होता है कि पेड़ों की परमीशन चाहते हैं काटने की और थोड़ा चाहने वालों में विवाद हो जाता है, ऐसा कोई मामला अगर न हो तो सरकार तो वैसे भी इसमें बहुत सख्ती बरत रही है, एक तो पेड़ कम से कम काटे जायें, जहां बहुत जरूरी हो, सड़कों का

चौड़ीकरण वगैरह जहां हुआ है, वही पर ही पेड़ कट रहे हैं और उसमें भी यही शर्त लगाई गई है कि पेड़ काटने के बाद कई गुना ज्यादा तकरीबन तीन-चार साल के परवरिशयाफ्ता पेड़ लगाये जाय, इस तरह से उसकी भरपाई की जाय। वैसे मान्यवर, इसे हम देख लेंगे अगर कहीं ऐसा हो रहा होगा तो उस पर कार्यवाही की जायेगी।

श्री प्रागीलाल अहिरवार-

मान्यवर, जो माननीय मंत्री जी ने कहा है उसी के सम्बन्ध में एक निवदेन करना चाहता हूं कि वह सरकारी जंगल है, रिजर्व फारेस्ट है? यह कोई ऐसे नहीं है कि निजी किसानों के पेड़ हैं, वहां रिजर्व फारेस्ट है और जहां के पेड़ कटान के लिये कोई अनुमति नहीं होनी चाहिए मान्यवर, वहां की मैं बात कर रहा हूं, सुरेन्द्र सिंह जंगल माफिया है, उनके रिकार्ड दिखवा लें, हजारों की तादात में पेड़ काटे जाते हैं और बेचे जाते हैं

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इस बात में बल है, जंगल माफिया भी हैं और उनके 19 पलने वाले माफिया हैं, वह भी तो हैं,तो यह दो माफियाओं का टकराव है इसमें सरकार दिखवायेगी।

श्री अध्यक्ष-

बस खत्म हो गई बात। इसमें औचित्य का प्रश्न नहीं है। मैं इसे अग्राह्य करता हूं। माननीय वीरेन्द्र प्रताप सिंह मुन्ना जी हैं (माननीय सदस्य का नाम पुकारे जाने पर वह सदन में उपस्थित नहीं थे)

अब औचित्य के प्रश्न खत्म हो गये।

जनपद मेरठ में कचड़ा से बिजली बनाने की योजना सम्बन्धी प्रश्न का ऊर्जा मंत्री द्वारा सुसंगत उत्तर न दिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने एक औचित्य का प्रश्न दिया था और आपने कहा था कि मुझे संतुष्ट कर लेना, मैं विनम्रतापूर्वक निवेदन कर लूं अगर आप मुझे दो मिनट का समय दे देंगे, निर्णय जो आप दे देंगे उसे मैं स्वीकार कर लूंगा। मान्यवर, मैंने विधान सभा में 10 मार्च, 2006 को मेरठ में कचड़ा से बिजली बनाने की योजना पर एक प्रश्न लगाया था और उस पर सचिवालय से एक कापी माननीय मुख्य मंत्री जी के यहां भेज दी गई थी, उस पर वक्तव्य 11-3-2006 को निर्धारित था। माननीय ऊर्जा मंत्री जी का 11-3-2006 का जो वक्तव्य आया है उसमें उन्होंने कहा है, कचड़ा से बिजली बनाने का कार्य ऊर्जा विभाग के क्षेत्रान्तर्गत नहीं है और इस सम्बन्ध में कोई योजना भी ऊर्जा विभाग में विचाराधीन नहीं है। मान्यवर, मुझे इस सम्बन्ध में केवल इतना कहना है, क्योंकि यह सदन नियमों और परम्पराओं से चलता है, परम्परा इस सम्बन्ध में यह है और नियम भी यह है, यह सचिवालय के नियम संग्रह उसके नियम 246 पर यह लिखा है कि यदि कोई प्रश्न किसी ऐसे विभाग में पहुंच जाता है, जिसका सम्बन्ध उससे नहीं है तो उस विभाग के प्रमुख सचिव उस प्रश्न को सम्बन्धित विभाग को भेजेंगे। मान्यवर, और वह विधान सभा सचिवालय को भी सूचित करेंगे। और अगर किसी वजह से दो विभागों से सम्बन्धित प्रश्न है तो जिस विभाग से सम्बन्धित उसका मेजर पार्ट है वह उसको भेज दिया जायेगा और वह उसका उत्तर देगा। मान्यवर, मेरा अधिकार था प्रश्न के द्वारा सूचना प्राप्त करने का।

अगर नियम 246-247 का पालन कर लिया गया होता तो उत्तर आ जाता। मान्यवर,कृपया इस पर अपनी व्यवस्था दें।

मान्यवर, मेरी सूचना में यह स्पष्ट है कि यह योजना नगर विकास, वैकल्पिक ऊर्जा विभाग और ऊर्जा विभाग के त्रिकोण में फंस गयी है। इसे नगर विकास विभाग को भेजा जाना चाहिए। अगर नगर विकास विभाग को चला गया होता नोडल विभाग द्वारा तो सूचना आ जाती। मैंने अपनी सूचना में कहा था कि तत्कालीन आयुक्त, कानपुर मण्डल की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी जिसमें था कि उनके नामूर्स के बारे में फैसला कर लिया जायेगा, पायलेट प्रोजेक्ट के बारे में। बजाए ऊर्जा विभाग मेरे प्रश्न को समाप्त करता उसको नगर विकास विभाग को जाना चाहिए था। मेरी उस सूचना को औचित्य के प्रश्न के माध्यम से उस दिन उत्तरित न मानते हुए जो मेरी सूचना 10 मार्च, 2006 की थी और 11 मार्च, 2006 को उत्तर आया। भले ही सत्र कल के बाद नहीं है आप आदेश कर दें और मुझे इसका उत्तर दिला दें और उसकी प्रतिलिपि विधान सभा सचिवालय में भी आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

मैं इसको दिखवा लेता हूं जो उसमें उचित कार्यवाही होगी की जायेगी।

श्री कपिल देव यादव, सदस्य, विधान सभा के ऊपर हुए प्राणघातक हमले से सम्बन्धित अपराधियों की गिरफ्तारी तथा उनकी समुचित सुरक्षा व्यवस्था किये जाने की मांग

*श्री कपिल देव यादव-

मान्यवर, मेरी बहू ब्लाक प्रमुख पद का चुनाव लड़ रही थी। मैं दिनांक 20 अप्रैल, 2006 को प्रचार के लिये गया हुआ था। उस समय सायं 4.00 बजे मेरे ऊपर कुछ लोगों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग की गयी जिसमें मेरे सात आदमी घायल हुए थे और उसमें मेरा भतीजा पंकज कुमार यादव जो गम्भीर रूप से घायल हुआ इस समय सिंह रिसर्च इन्सटीट्यूट मलदहीया, वाराणसी में जिन्दगी और मौत से जूझ रहा है।

मान्यवर, मेरी नियम 56 के तहत जो सूचना इसके बाबत दिनांक 12 मई, 2006 को लगी थी उसमें मुझे यह आश्वासन मिला था कि दोषी लोग गिरफ्तार किये जायेंगे लेकिन इसमें नामजद पूर्व ब्लाक प्रमुख और उनके साथियों की न तो अभी तक गिरफ्तारी हुई है और न मुझे सुरक्षा व्यवस्था मुहैय्या करायी गयी है। मान्यवर, आज मेरी जिन्दगी का सवाल है मैं चाहता हूं कि मेरी सुरक्षा व्यवस्था करायी जाए और जो अपराधी हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। मान्यवर, आज भी उनके धमकी भरे शब्द मुझे सुनने को मिल रहे हैं। आज भी उनकी एस0पी0 और सी0ओ0 से बात हो रही हैं मेरी जिन्दगी का सवाल है इस पर जल्द से जल्द कार्यवाही करायी जाए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री **मोहम्मद** आजम खां)-

मान्यवर, जिससे आपकी जान को खतरा है, उस व्यक्ति को आप लोग बहुजन समाज पार्टी का टिकट दे चुके हैं विधान सभा चुनाव के लिये। सरकार इसमें कार्यवाही करेगी। लेकिन आपस में पंचायत करके अगर माहौल थोड़ा अच्छा बना लेते तो बेहतर होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह मामला बहुत गम्भीर है। सदन के अन्दर माननीय सदस्य ने अपनी वेदना नियम 56 के अन्तर्गत आपके माध्यम से दी भी है। आपने अपने कक्ष में मुख्य मंत्री जी से वार्ता भी की थी और सुरक्षा मुहैय्या कराने का आश्वासन भी दिया गया था। लेकिन उसके बावजूद अभी तक कार्यवाही नहीं हुई है और अभी तक अपराधियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। मान्यवर, लगातार जानलेवा हमला करने की धमकी देना यह गम्भीर है इन पर जानलेवा हमला हो चुका है और उसमें सात लोग घायल हुए हैं। इनका भतीजा बनारस में अस्पताल में मौत और जिन्दगी के बीच जूझ रहा है। इस पर आप तत्काल कार्यवाही करने का निर्देश दें। ताकि माननीय सदस्य की सुरक्षा भी बेहतर ढंग से हो सके।

मान्यवर, जिस तरीके से सदन में रखी गयी बातों का नजरन्दाज कर दिया जाता है और गुण्डा माफिया अपराधियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं हो पाती है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

ऐसा मान्यवर, आप न कहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

वह व्यक्ति किसी पार्टी से सम्बन्धित क्यों न हो, कार्यवाही होनी चाहिए और माननीय सदस्य को न्याय मिलना चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, यह आखिरी बात कही मौर्या जी ने, इसी का थोड़ा सा सरकार को कभी-कभी लिहाज रहता है कि बड़े राजनीतिक दल के बड़े नेता हैं। आप ही के यहां से टिकट पाये हुए हैं, आपकी पार्टी में हैं तो थोड़ा सा स्थानीय प्रशासन को इस बात का लिहाज रहता है कि ऐसे लोगों को, ऐसे क्रिमिनल्स को, ऐसे माफियाओं को, ऐसे अपराधियों को थोड़ा सा अखलाकी संरक्षण मिल जाता है कि यह बड़ी पार्टी के नेता हैं। गैंगस्टर लग चुका है इसके बावजूद भी अगर कमी है तो चूंकि बसपा के नेता हैं लिहाजा अगर कहीं इस बात का लिहाज हो रहा है। स्थानीय स्तर पर, उसे भी देखा जायेगा और सख्त कार्यवाही होगी।

श्री अध्यक्ष-

इस सबके बाजवूद माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, अपराधियों को गिरफ्तार करवाया जाना चाहिए और उनकी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, गैंगस्टर लग गया है उसके बावजूद भी कोई कमी है और अगर कहीं इस वजह से प्रशासन लिहाज कर रहा है कि वह बसपा के बड़े नेता हैं, तो यह लिहाज नहीं किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

कोई लिहाज करने की आवश्यकता नहीं है। कानूनी कार्रवाई करायें।

श्री कपिल देव यादव-

मान्यवर, मुझे सुरक्षा की जरूरत है।

श्री अध्यक्ष-

आप अभी मुझसे मिलियेगा, फिर बाद में भी मुझसे मिल लीजियेगा।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 17 मई, 2006 को नियम-311 की एक सूचना को नियम-56 में परिवर्तित कर दिया गया है। इस प्रकार नियम-56 के अन्तर्गत कुल 13 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिनमें से शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनाएं चयनित की गयीं। प्राप्त दो सूचनाओं को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा। शेष सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जा सकता है-पहली सूचना माननीय श्री टण्डन जी की है वह उपस्थित नहीं हैं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यापक का जो उत्पीड़न और उनके परिवार के साथ हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

पाल साहब मुसीबत यह है कि आप लोग कोई सूचना देते हैं दस्तखत कर देते हैं 2-2 सूचनाओं पर दस्तखत हो जाते हैं तो मेरा क्या दोष है। आपने यह भी दिया और यह भी दिया जबकि एक का नियम है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, हमारे दो सूचनाओं पर कोई हस्ताक्षर नहीं हैं नाम केवल टाइप है, मैंने हस्ताक्षर नहीं किये हैं। मेरी एक ही सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये जब समय आयेगा, तो बुलवा देंगे। पहले इसको ले लेने दीजिए।

पहली सूचना श्री लालजी टण्डन और डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों का निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में, दूसरी सूचना श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, श्री भरत सिंह की पूर्वांचल विकास निधि में ढाई गुना वृद्धि होने के बाद भी जिलांश योजना के अन्तर्गत धनराशि में वृद्धि न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, तीसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री जगदीश नारायण राय, श्री रंगनाथ मिश्र, श्री राम अचल राजभर, श्री रिजवान अहमद खां, श्री अनिल कुमार मौर्य, श्री सुखदेव राजभर, श्री रामहेत भारती एवं श्री राकेश कुमार की प्रदेश में भ्रष्टाचार व खाद्यान्न घोटाले से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, चौथी सूचना श्री दद्दू प्रसाद की जनपद चित्रकूट के थाना बरगढ़ में दीपक कुमार द्विवेदी को अभियुक्तों द्वारा बुरी तरह से मारे पीटे जाने एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में, पांचवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार, श्री राम नरेश यादव, श्री प्रदीप जैन आदित्य की मण्डी परिषद् के सैकड़ों सेवा से पृथक किये गये कर्मियों द्वारा भूख हड़ताल किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है।

सुखदेव जी भी दो दस्तखत किये हैं। आपने एक अलग दिया है और एक सामूहिक वाले भी हैं। दोनों सूचनाओं पर आपने दस्तखत किया है। आप बैठिये अभी आपको सूचना दिखा देंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैंने नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष-

अगर आपने नहीं किया है तो आपके किसी ने किया होगा, यह गलत है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, अब हो गया जो भी हो, हमारा बहुत जरूरी है।

श्री मुन्शी लाल गौतम-

मान्यवर, मेरी सूचना है।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, आज मैं सबको बुलवा लूंगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, आज एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर नियम-56 के माध्यम से आपके सामने और आपके माध्यम से सरकार के सामने यह विषय रखने का प्रयास कर रहा हूं कि प्रदेश में लोकतंत्र की नगरीय क्षेत्र में लोकतंत्र की सबसे निचली इकाई है नगरपालिका परिषद्, नगर पंचायतें और नगर निगम। इनका चुनाव कराने के लिए माननीय उच्च न्यायालय ने एक निर्देश दिया था उसके अनुसार 22 जून तक चुनाव हो जाना चाहिए था इसी बीच में कुछ लोगों द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक रिट गयी चेयरमैन के पदों के आरक्षण को लेकर की जो एकल पद है इस पर आरक्षण नहीं होना चाहिए। माननीय उच्च न्यायालय ने इस सम्बन्ध में इतना निर्णय दिया कि वर्तमान में जो आरक्षण लागू है नगरीय स्थानीय निकायों के निर्वाचन के लिए वह आरक्षण लागू है एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से। कोर्ट ने यह कहा कि आप इसको विधिक आदेश के माध्यम से, विधिक प्रक्रिया के माध्यम से इस आरक्षण की व्यवस्था को लागू करें तो अपेक्षा सरकार से थी कि पिछला सत्र जब चला उपवेशन हुए थे तो उस समय सरकार से अपेक्षा की गयी थी। मैंने इस विषय को उठाया था कि सरकार माननीय उच्च न्यायालय की अपेक्षा के अनुसार विधेयक ले आये। अधिनियम बना दें। और अधिनियम के माध्यम से आरक्षण की व्यवस्था लागू कर दें और यदि वर्तमान व्यवस्था का लागू करना चाहती है तो यथावत कर दें। यदि उसमें परिवर्तन करना चाहती है तो परिवर्तन कर दे। लेकिन माननीय उच्च न्यायालय की अपेक्षा के अनुसार सरकार इसका अधिनियम बना देती तो चुनाव नियमानुसार हो जाता। अब चुनाव नहीं हो पा रहा है और मैंने तब भी कहा था कि सरकार उसके विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में एस0एल0पी0 में जा रही है। सरकार एस0एल0पी0 में चली गयी, सर्वोच्च न्यायालय ने उस पर स्थगनादेश नहीं दिया तो इसका मतलब यह है कि माननीय उच्च न्यायालय का ओदश अभी तक है। मान्यवर, सरकार के पास हाइकोर्ट के निर्णय के अनुसार 22 जून तक चुनाव कराने के लिये एक विकल्प मौजूद है, एक तो अधिनियम बनाकर आरक्षण व्यवस्था लागू कर दें या माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को मानकर आरक्षण समाप्त कर दे जो उचित नहीं होगा।

मान्यवर, मैं अपने कार्य स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से, आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाह रहा हूं कि नगरीय स्थानीय निकाय यानि नगरीय क्षेत्र में लोकतंत्र की न्यूनतम इकाई है, संविधान के 74वें संशोधन के अपेक्षा के अनुसार उसके 6 माह में चुनाव हो जायं विभिन्न कारणों से विलम्ब हुआ, इस पर माननीय उच्च न्यायालय ने हस्तक्षेप किया और आदेश दिया कि 22 जून तक चुनाव हो जाना चाहिए। अब सरकार इस पर क्या विचार कर रही है ? सरकार या तो अधिनियम

बना ले, अध्यादेश लाकर अधिनियम बना ले। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने स्टे नहीं दिया इसलिये माननीय उच्च न्यायालय का आदेश अभी भी विद्यमान है। तो मैं कार्य-स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि यह महत्वपूर्ण विषय है और इस पर कृपा करके सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा कराने की कृपा करें, मैं आपसे यही निवेदन कर रहा हूं।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपके द्वारा कोई अगर इसमें बैठक हो जाय, आपके साथ बैठकर आपके साथ में हम और बाजपेयी जी भी बैठ लें। मैं तो यह भी कहूंगा कि बाजपेयी जी, हमारे आपके ऐसे सम्बन्ध है कि छोटी-छोटी बातों को वहीं बैठकर तय कर लिया करें तो अच्छा रहेगा।

प्रदेश के नगरीय स्थानीय निकायों की निर्वाचन प्रक्रिया प्रारम्भ न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति विषयक कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यदि यहां पर इस माननीय सदन में माननीय सदस्य कोई सूचना देते हैं और उसको कृपापूर्वक ग्राह्य करके आप सुनते हैं तो जिस समय आपने माननीय सदस्य को नियम-56 में बोलने की अनुमति दी और कोई बात सदन के समक्ष प्रस्तुत हुई तो उसके बाद वह सदन की सम्पत्ति है। सारे माननीय सदस्य उससे प्रभावित होते हैं। उसके बारे में जानकारी करना चाहते हैं। मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि तीनों लोगों के बीच में बात हो जाय, अब इसका कोई औचित्य नहीं है। माननीय सदस्य ने जिस समय नोटिस दी थी, यदि उसी समय आप बात कर लेते तब तो ठीक था। लेकिन अब बात चूंकि सदन में आ गयी है तो सारे सदस्य इसमें जानकारी करना चाहते हैं। क्योंकि यह सदन में बात आ गयी, सबके सामने आ गयी। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सब लोग इसमें जानकारी करना चाहते हैं, अब यह आप तीन लोगों के बीच की बात नहीं है। इसलिये पूरे सदन में इसकी जानकारी आनी चाहिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

जब बात हो जायेगी जब समाधान हो जायेगा तो वह बात सदन में आ जायेगी।

*श्री जगदम्बिका पाल-

अध्यक्ष जी, मैं एक प्रश्न पर आपकी व्यवस्था चाहूंगा। जैसा महाना जी ने भी कहा कि जब यह विषय ग्राह्यता के लिये आपने स्वीकार कर लिया तो यह सदन की सम्पत्ति हो गयी। यह विषय कोई व्यक्तिगत नहीं है। जिसके सम्बन्ध में माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने सुझाव दिया कि आपके कक्ष में बैठक कर ली जाय। क्योंकि यह विषय है उत्तर प्रदेश के स्थानीय निकाय चुनावों का और यह मामला संविधान के 73-74वें संशोधन से जुड़ा है। संविधान संशोधन के बाद यह मैनडेटरी था कि 5 वर्ष के टेनयोर के पहले चुनाव हो जाना चाहिए लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में पी0आई0एल0 के नाते सरकार चाहकर भी चुनाव नहीं करा पाई। लेकिन सरकार ने 6 महीने का वक्त मांगा था कि 6 महीने में फिर स्थानीय निकाय चुनावों के सम्बन्ध में आरक्षण की बात हो.....

श्री अध्यक्ष-

आप किस नियम में बोल रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न उठा रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

एक व्यवस्था के प्रश्न का निर्णय हुआ नहीं।

श्री जगदम्बिका पाल-

तो दोनों व्यवस्था प्रश्न जोड़कर निर्णय दे दीजियेगा। जब मान्यवर, राज्य सरकार को ही इसका निर्णय करना है, चाहे चेयरमैन के एकल आरक्षण का मामला हो या जो भी मामला हो, वह प्रक्रिया छः महीने में पूरी होनी थी, न्यायालय में बयान दिया था कि सारी कार्यवाही हम पूरी कर लेंगे तो कृपया संसदीय कार्य मंत्री जी बता दें कि कब तक वह चुनाव करा देंगे ?

श्री अध्यक्ष-

आप बैठ जाएं तब तो हम बतायें। महाना जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया कि अब यह अकेले बैठक की बात नहीं है, यह सदन की सम्पत्ति हो गई है लेकिन अगर कोई मामला बातचीत करके हल कर लिया जाए तो अच्छी बात है और जो भी वार्तालाप होगा, जो भी निर्णय होगा, उससे सदन को अवगत करा दिया जायेगा।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा अनुरोध यह है कि यह मामला सभी से सम्बन्धित है इसलिये जब भी बैठक बुलाई जाए तो उसमें सभी दलों के नेताओं को बुला लिया जाए और हर दल का एक प्रतिनिधि उस बैठक में आ जाए।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

नियम-311 की नियम-56 में परिवर्तित एवं चयनित कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं (क्रमागत)

*श्री भरत सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने और माननीय सदस्य सुरेन्द्र प्रताप सिंह जी ने पूर्वांचल विकास निधि के सम्बन्ध में कार्य-स्थगन की नोटिस दिया है। पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना पूर्वांचल के पिछड़ेपन को दूर करने के लिये हुई थी। पिछले साल जब से वर्तमान हुकूमत सत्ता में है पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश में विपक्ष के विधायकों के क्षेत्रों में कोई कार्य नहीं कराया जा रहा है और केवल जिलांश हम लोगों को मिल पाता है। मान्यवर, वर्ष 2002-03 और 2003-04 के अन्दर पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश से जो काम पूरे पूर्वांचल में होना था, उसकी पहली किस्त तो गई थी लेकिन दूसरी किस्त के लिये धन नहीं जारी किया गया है। मान्यवर, यह किसी एक जिले की बात नहीं है, यह पूरे पूर्वांचल की बात है। पूर्वांचल विकास निधि की दूसरी किस्त जल्दी दी जाए और जो काम पहली किस्त से अधूरा रह गया है, उसे पूरा कराया जाए। दूसरी बात यह है कि पूर्वांचल विकास निधि में जो राज्यांश और जिलांश का पैसा है वह दोनों में बराबर-बराबर होना चाहिए, जैसे कि पिछले साल दो सौ करोड़ का था तो उसमें से 50-50 परसेंट होना चाहिए। इस साल दो सौ करोड़ की जगह पर 550 करोड़ पूर्वांचल विकास निधि के बजट में पैसा रखा गया है तो मान्यवर, जिलों में भी तो पैसा

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बराबर-बराबर जाना चाहिए। मान्यवर, पिछले साल हम लोगों को जिलांश में जो पैसा मिला था, इस साल उससे भी कम पैसा मिलने वाला है, ऐसी स्थिति में मेरा अनुरोध है कि आप सरकार को निर्देश दें कि पूर्वांचल विकास निधि में जो बजट है उसमें से 50 परसेंट राज्यांश और 50 परसेंट जिलांश में दें। मान्यवर, एक बात और, विगत दो वर्षों से पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश का काम समय से नहीं हो रहा है, सरकार ने ऐसी व्यवस्था बना दी है लोक निर्माण मंत्री जी यहां पर बैठे हुए हैं, पहले पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश में हम लोग प्रस्ताव देते थे और वह कमिश्नर के यहां से अप्रूव हो करके आ जाता था और काम हो जाता था। वर्ष 2004-05 और 2005-06 के पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश का काम अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, पहले हम लोग डायरेक्ट दे देते थे लेकिन अब बीच में पी0डब्लू0डी0 आ गया है, वह बहुत मीनमेख निकालते हैं। मान्यवर, पूर्वांचल विकास निधि में आप न्याय करायें और राज्यांश और जिलांश में बराबर-बराबर का अनुपात हो और पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश का पहले का जो कार्य अधूरा पड़ा है, उसे भी पूरा कराया जाए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, इसलिये मान्यवर, सदन की सारी कार्यवाही स्थगित करके इस पर चर्चा करा ली जाए।

*श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

अध्यक्ष महोदय, मैं भी इसी बिन्दु पर बल देने के लिये बोल रहा हूं। मान्यवर, वर्ष 2003-04 में पूर्वांचल विकास निधि और बुन्देलखण्ड निधि को मिला करके डेढ़ सौ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था। पिछले वित्तीय वर्ष में 200 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था, इस वर्ष 550 करोड़ रुपया अर्थात दोगुने से ज्यादा धनराशि का प्राविधान किया गया है। अभी हम लोगों को जो सूचना मिली है कि यहां से जो धन अवमुक्त किया गया है, इसमें प्रायः यह होता है और नियम यह है कि जिलांश और राज्यांश की राशि आधी-आधी बांट दी जाती है और जिलांश सभी विधायकों को बिना किसी भेदभाव के अपने जिले में विकास के काम प्रस्तावित करने के लिये बराबर धनराशि दी जाती है। मान्यवर, राज्यांश में भारी भेदभाव पिछले कई वर्षों से की जा रही है। हमारा कहना है कि जो राज्यांश की धनराशि रहती है जिसको लोक निर्माण मंत्री जी आवंटित करते हैं उसमें विपक्षी विधायकों के साथ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के साथ बहुत गम्भीर और ज्यादा भेदभाव किया जाता है। जो जिलांश जाता था उसमें बराबर-बराबर मिल जाता था।

वर्ष 2003-2004 में 150 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया था तब जो राशि मिलती थी, अब 550 करोड़ रुपये का प्राविधान पिछले वर्ष किया गया है फिर भी प्रत्येक विधायक को उतनी ही राशि मिल रही है जो पहले मिल रही थी। मान्यवर, जब 150 करोड़ रुपये का प्राविधान था तब जो धनराशि मिल रही थी अब पिछले वर्ष 550 करोड़ रुपये का प्राविधान किया है उसके मुकाबले कम धनराशि आवंटित की जा रही है। यह एक गम्भीर सवाल है। इससे पूर्वी उत्तर प्रदेश का जो पिछड़ापन है, आंशिक रूप से पूर्वांचल विकास निधि को स्थापित करके एक छोटा सा प्रयास किया गया था, उस पर भी कुठाराघात किया जा रहा है और भारी भेदभाव किया जा रहा है। जहां बजट में कन्नौज, रामपुर, इटावा, एटा और मैनपुरी को भारी धनराशि दी जा रही है वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिये ऊंट के मुंह में जीरा के समान राशि दी जा रही है उसमें भी कटौती की जा रही है और प्रतिपक्ष के

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

विधायकों के साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के विधायकों के साथ और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। मान्यवर, यह अत्यन्त लोकमहत्व का अविलम्बनीय सवाल है और प्रदेश की लगभग 40 प्रतिशत जनसंख्या से जुड़ा हुआ सवाल है। इसलिये माननीय अध्यक्ष जी, मेरा आग्रह है कि विधान सभा की सारी कार्यवाही रोककर अविलम्ब चर्चा करायी जाए और सरकार से जवाब मांगा जाए कि ऐसा भेदभाव क्यों किया जा रहा है ?

*ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, जहां तक पूर्वांचल निधि के राज्यांश का सवाल है हमने निष्पक्ष तरीके से सभी विधायकों को स्वीकार करके दिया है और विधायकों के अलावा दूसरों को बांटा नहीं है। हमने दिसम्बर तक पूर्वांचल निधि की पूरी स्वीकृतियां जारी कर दी थी और काम भी शुरू हो गया था जहां पर भी विधायकों ने कभी-कभी पैसा मांगा है, हमने उनसे कहा पूर्वांचल निधि की राशि खत्म हो गयी है, पैसा नहीं बचा है तो पी0 डब्लू0 डी0 से क्षेत्र का विकास करा देंगे। लेकिन मान्यवर, बहुत से विधायक पी0डब्लू0डी0 की निधि को पसन्द न करके पूर्वांचल निधि से पैसा मांगते हैं इसका क्या कारण है, यह मैं जानना चाहता हूं ?

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, पूर्वांचल विकास निधि में जो प्राविधान किया गया है हम उसकी बात कर रहे हैं।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

माननीय अध्यक्ष जी, बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से बहुत जल्दी जितना भी पूर्वांचल का राज्यांश है उसे जारी कर देंगे और जहां पर बचा है पी0डब्लू0डी0 से विकास कार्य करा देंगे।

श्री भरत सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी ने जो जवाब दिया है पूर्वांचल विकास निधि के बारे में सवाल था कि राज्यांश और जिलांश का बजट में बराबर-बराबर होना चाहिए। इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा। माननीय अध्यक्ष जी मैं आपसे कहना चाहता हूं कि आधी-आधी राशि, जिला अंश और राज्य अंश की जो है वह नहीं बटी है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, राज्यांश और जिला अंश में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

मिश्रा जी, बैठ जायं।

* राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना माननीय मुलायम सिंह जी ने जब अपनी पूर्ववर्ती सरकार में की थी तो उनकी सोच यह थी और आवश्यकता थी कि पूर्वांचल को सचमुच विकास की धारा में स्थापित करना है ताकि इसका पिछड़ापन दूर हो सके। श्रीमन् उस राशि में क्रमशः धीरे-धीरे वृद्धि होती रही। हमारी सरकार की जो सोच है, चूंकि यह योजना ही मुख्य मंत्री की अपनी सोच के चलते प्रारम्भ हुयी और पूर्वांचल का उससे विकास भी हुआ और जो बात माननीय भरत सिंह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जी ने कही है वह बात बहुत मुनासिब है कि इसमें निष्पक्षता होनी चाहिए और भेदभाव नहीं होना चाहिए।

लेकिन श्रीमन् अत्यन्त पीड़ा का विषय है कि इस बात का दावा करने वाले लोग अगर पिछला आंकड़ा अपना देख लेते, मैं फिर इसको जिम्मेदारी के साथ दोहराना चाहता हूं कि एक विधायक जी अगर सत्तारूढ़ पार्टी के हैं तो उनके प्रस्ताव पर पूर्वांचल विकास निधि के राज्यांश में प्रस्ताव की स्वीकृति साढ़े 10 करोड़ और अगर अपोजीशन के लोग हैं तो डेढ़ सौ लोगों की जो मिलकर करके दरख्वास्त है उस पर डेढ़ लाख रुपया भी नहीं। यह हमारी सरकार नहीं कर रही है। अगर आप सूची मांगेंगे तो सूची देने के लिये हम तैयार हैं कि विगत वर्षों में पूर्वांचल विकास निधि में लोगों के प्रस्ताव पर कितनी धनराशि दी गयी है। श्रीमन् जो अधूरे कार्य हैं उन अधूरे कार्यों को पूरा कराने की सरकार की प्राथमिकता है, उनको नहीं रोकना है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहेगा कि तब साढ़े 10 करोड़ आपका हुआ और आज भी साढ़े 10 करोड़ आपका हुआ, यह होने वाला नहीं है और किसी भी हालत में नहीं होना चाहिये। उन क्षेत्रों का भी विकास होना चाहिए जिनको पूर्वांचल विकास निधि में विगत सरकारों ने एक रुपया भी देने का काम नहीं किया है। यह गैर बराबरी तभी दूर होगी जब उन क्षेत्रों में भी विकास का कार्य पूर्वांचल विकास निधि में होगा जिन क्षेत्रों में एक रुपया भी देने का काम पूर्ववर्ती सरकारों ने नहीं किया है। एक बात और है माननीय लोक निर्माण मंत्री जी से, आपकी ओर से और अपनी ओर एक अनुरोध करना चाहूंगा कि पी0डब्लू0डी0 विभाग को नियोजन विभाग से जो स्थानान्तरित कर दिया गया यह ठीक है। उसमें जो हम अपनी योजनायें देते थे चूंकि जिला सांख्यिकीय अधिकारी नियोजन विभाग से सम्बन्धित है और वह योजना भवन में बैठते हैं, इसलिये हम अपने प्रस्ताव उसी अनुरूप दे सकें, ऊपर की प्रोसेसिंग नियोजन विभाग के थ्रू पी0डब्लू0डी0 में हो जाय इस पर आप एक नयी व्यवस्था बना देने का काम करेंगे तो विकास के कार्यों में हम सबको यह स्वीकार है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह सर्वविदित है कि नियोजन में जिस तरह कमीशन से योजना को भेजा जाता था, तो अभी भी पी0डब्लू0डी0 बेहतर है।

श्री अम्बिका चौधरी-

नोडल डिपार्टमेंट पी0डब्लू0डी0 ही चाहिये, दूसरा विभाग नहीं चाहिए, वह ठीक फैसला है। मान्यवर, बाकी जो पीड़ा है वह ऐसी पीड़ा है कि अगर किसी को रसगुल्ला खाने की आदत पड़ गयी है और वह कहे कि साहब बड़ी कठिनाई है, अब हमको रसगुल्ले 6 नहीं मिलते हैं तो मान्यवर, यह ठीक नहीं है, बराबरी होनी चाहिए।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, इस प्रश्न पर माननीय लोक निर्माण मंत्री और राजस्व मंत्री जी का जवाब हमें मिला। पूर्वांचल विकास निधि को इस वर्ष के बजट में 200 करोड़ की जगह 550 करोड़ किया गया। मेरा कहना यह है कि इसमें राज्यांश और जिलांश को बराबर-बराबर करें।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया।

श्री भरत सिंह-

आपने मंत्री जी को तो सुन लिया हमें भी अवसर दें। पूर्वांचल विकास निधि के जिलांश और राज्यांश को बराबर-बराबर कर दिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आपने अपनी बात कह दी शासन ने अपनी बात कह दी। यह कोई प्रश्न नहीं है कि आपकी बात का संतोष जनक उत्तर दिया जाय।

श्री भरत सिंह-

मैं लोक निर्माण मंत्री जी से चाहता हूं कि आप कृपया सदन में घोषणा कर दें कि जैसा हमेशा होता रहा है पूर्वांचल विकास निधि में जिलांश और राज्यांश में बराबर किया जाता रहा है। पचास प्रतिशत राज्यांश और पचास प्रतिशत जिलांश इसको क्लियर कर दें।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

जब से पूर्वांचल विकास निधि बनी है तब से ऐसा होता रहा है।

श्री अध्यक्ष-

इस पर उत्तर आ गया है। मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, नियम-56 के अन्तर्गत हमने सूचना के माध्यम से आज प्रदेश में जो भ्रष्टाचार, खाद्यान्न घोटाला चल रहा है उसकी ओर ध्यान आकृष्ट किया है। प्रदेश और केन्द्र सरकारों द्वारा समय-समय पर जो गरीबों की भलाई और बेहतरी के लिए योजनाएं संचालित की जाती हैं आज यह काला बाजारियों और भ्रष्टाचारियों का शिकार बन रही हैं। गरीब के पेट में पड़ने वाला अन्न आज साहूकारों और बड़े-बड़े माफियाओं की सांठ-गांठ का निवाला बन रहा है। इसका जीता जागता उदाहरण सीतापुर जनपद में देखने को मिला है। जहां पर राष्ट्रीय श्रम विकास योजना के अन्तर्गत काम के बदले अनाज योजना के तहत काम चल रहा था इसमें मैं कुछ दृष्टान्त देना चाहता हूं। बिसवां रेउसा मार्ग पर सड़क के किनारे बादलपुर में बसई का तालाब, सीताराम में खुदाई कागज पर हुई है वहां पर फावड़ा बिल्कुल नहीं चला और भुगतान हुआ वहां पर मान्यवर, 41,450 रुपये का और 150 क्विंटल गेहूं बंटा बिना खुदाई का कार्य हुए। मान्यवर, इस प्रकार फर्जी भुगतान यहां पर हुआ है। इसी तरीके से दूसरी घटना इसी क्षेत्र के मूरतरायपुर स्थित पुलिया के नाम पर कागजों पर कार्यवाही हुई है जबकि वहां पर व्यवहारिक रूप से जब जिला विकास अधिकारी मुआयने पर गये तो वहां पर बाजरा और मक्का बोया हुआ था और उसके नाम पर भी वहां पर फर्जी भुगतान किया गया। इसी तरह से सिकारा खण्ड रईसापुर टिकैतखण्ड रईसा मोहम्मदाबाद रोड पर चिरैया ड्रेन जो सड़क के किनारे केवल 4 किलोमीटर की सड़क है वहां पर 3 लाख 88 हजार रुपये का भुगतान किया गया जबकि वहां पर जिला विकास अधिकारी ने मौके पर मुआयना किया तो पाया कि वहां पर कोई फावड़ा तक नहीं चला बल्कि वहां पर जो नाला दर्शाया गया है वहां लोग झोपड़ी झुग्गी बनाकर रह रहे हैं। इसी तरीके से गंगापुर से देवसाना वाया सिसनीपुर गंगापुर होते हुए महषी तक ड्रेन आकर मिलती है। 6 किमी0 की सड़क है मान्यवर, इस पर 1 लाख 68 हजार रुपये और 640 क्विंटल गेहूं का भुगतान हुआ है। जबकि वहां पर भी फावड़ा तक नहीं चला है। इन सारी शिकायतों के आधार पर जब जिला मुख्यालय पर तैनात जिला विकास अधिकारी इन सारे नालों का निरीक्षण करने गये और निरीक्षण करने

के बाद जब यह जाहिर हुआ कि वहां पर कोई खुदाई नहीं हुई करोड़ों रुपये का गेहूं और नकदी का भुगतान कर दिया गया है।

मान्यवर, इतना ही नहीं जिस समय जिला विकास अधिकारी इन सारी घटनाओं की जानकारी लेने के लिये वहां पर निरीक्षण करने गये तो उस समय डी0आर0डी0ए0 के जे0ई0 भी साथ में थे, ई0टी0वी0 के पत्रकार नीरज श्रीवास्तव और साथ ही साथ हिन्दुस्तान के रिपोर्टर अजय विक्रम सिंह भी थे। मान्यवर, मैं बता देना चाहता हूं कि चोर चोरी करे और सीनाजोरी से भी न जाय। आज मान्यवर, इस प्रकार से उत्तर प्रदेश में हो रहा है। इस प्रकार से कालाबाजारी लोग कर रहे हैं। जो गरीबों को काम के बदले अनाज की व्यवस्था की जाती है उस पर आज किस तरह से माफियाओं का शिकार होता जा रहा है। सीतापुर की इन सारी घटनाओं से जाहिर होता है कि किस प्रकार से वहां पर फर्जी तरीके से काम हुआ है। जिला विकास अधिकारी निरीक्षण करने गया तो वहां पर संबंधित ठेकेदार ने दर्जनों गुण्डों के साथ उन पर हमला किया। पत्रकार से उनके कैमरे भी छीन लिये जिला विकास अधिकारी ने इन सारी घटनाओं को लिखित रूप से जिलाधिकारी को प्रतिवेदन के रूप में दिया है और कहा है कि संबंधित ठेकेदारों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाय और साथ ही साथ सारी धनराशि की वसूली की जाय। मान्यवर, मैं कह देना चाहता हूं कि यह झूठ-झूठ का नारा देने वाले लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। इसी घटना के सम्बन्ध में कल माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने निर्देश दिया है जिलाधिकारी को, प्रमुख सचिव को और साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को। जो आपका अधिकारी है, सरकार का हिस्सा है, जिला विकास अधिकारी है उनके खिलाफ इस प्रकार की कार्यवाही हो रही है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि यह लोक महत्व का प्रश्न है। यह गरीबों का अनाज बड़े-बड़े माफियाओं का निवाला होने जा रहा है। यह लोक महत्व का इसलिये भी है कि सरकार का ही विकास अधिकारी जब निरीक्षण के लिये जाता है तो उसके ऊपर हमला किया जाता है। टी0वी0 वाले और जो समय-समय पर जन आवश्यक चीजों को उजागर करते हैं जिससे कि भ्रष्टाचार पर नियंत्रण हो सके उनके कैमरे छीन लिये जाते हैं। हिन्दुस्तान के पत्रकार अजय विक्रम सिंह के ऊपर हमला किया जाता है। इसीलिये भी उन्होंने लिखित रूप से एस0पी0 को प्रतिवेदन दिया, उसके बाद एस0 पी0 ने घटना की एफ0आई0आर0 कराई और एफ0आई0आर0 के बाद कैमरा भी बरामद हुआ लेकिन एफ0 आई0 आर0 होने के बावजूद भी गिरफ्तारी नहीं हुई है इसलिये पूरे सीतापुर जनपद में बड़ा जनाक्रोश है और मैं कहना चाहता हूं कि झूठ का नारा देने वाले विधायक द्वारा इस घटना की लीपापोती की जा रही है। मान्यवर, यह लोक महत्व का है, अविलम्बनीय है इसलिये सदन की सारी कार्यवाही रोककर इस पर चर्चा कराये जाने की मैं मांग करता हूं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, जैसा मौर्य जी ने कहा है।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी ने सारे तथ्य रख दिये हैं, यदि आप पहले कहे होते।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यह ठीक नहीं है, यह झूठ बोल रहे हैं। यह असंसदीय है।

श्री अध्यक्ष-

'झूठ बोलना' शब्द, असंसदीय नहीं है।

(श्री रंगनाथ मिश्र के पुनः बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय मिश्रा जी, आपके नेता बोल चुके हैं, आपको पहले बोलना चाहिए था।

श्री उदयराज यादव-

अध्यक्ष जी, माननीय मौर्या जी ने विधायक जी का नाम लिया है इसलिये उन्हें भी अपनी बात रखने का अवसर मिलना चाहिए।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर-व्यवधान)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैंने किसी का नाम नहीं लिया है।

श्री छोटे लाल यादव-

[x x x] उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। चोर, चोरी कर चुका है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

अध्यक्ष जी, मैं एफ0आई0आर की कापी आपके पास भेज रहा हूं। जिला विकास अधिकारी ने जो चिट्ठी लिखी है, उसे भी मैं आपके पास भेज रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

मौर्या जी, आप बैठ तो जायें। आपकी बात आ गयी है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, अगर मैं गलत हूं तो माननीय उच्च न्यायालय ने भी कल इस पर व्यवस्था देकर सारे सम्बन्धित लोगों पर कार्यवाही करने का आदेश दिया है। ये ऐसे लोग हैं जो गरीबों का अन्न खाते जा रहे हैं मैं कह देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें तो।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, स्थानीय विधायक से भी, क्योंकि उनका कहना है कि उनका नाम लिया है, आपने नहीं भी लिया है तो भी जो सम्बन्धित स्थानीय विधायक है, उनकी बात भी आ जाये तो सुन लेने में कोई अनुचित बात नहीं होगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आप चर्चा स्वीकार कर लें और सारे लोग अपनी बात कह लें।

श्री अध्यक्ष-

ऐसा नहीं है, आप भी बोलते हैं। उन विधायक के क्षेत्र का मामला है, जिस विधायक के क्षेत्र का मामला रहता है, अगर कुछ कहना चाहता है तो उसे कहने का मौका दिया जाता है।

नोट :-- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

*श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

मान्यवर, यह मेरे क्षेत्र का मामला है, मुझे भी अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए।

(श्री रंगनाथ मिश्र के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मिश्र जी बोल लें, उसके बाद कह लेना।

श्री रंगनाथ मिश्र-

माननीय अध्यक्ष जी, मौर्य जी ने जिस खाद्यान्न घोटाले का जिक्र किया है, काम के बदले अनाज योजना पूरे प्रदेश में चलायी जा रही है। जैसा सीतापुर में हुआ है। वैसा ही भदोही सहित हर जिले में हुआ है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें उनका मुख्य बिन्दु यह है कि जो जांच अधिकारी जांच करने गये उन पर हमला हुआ है इसके बाद एफ0आई0आर0 हुयी लेकिन उसमें कार्यवाही नहीं हुयी। इसको इस तक ही सीमित रखें इसमें भदोही का नाम न लें। खाद्यान्न घोटाले के मामले पर तो कल बहस हो चुकी है और इस पर कल नेता विरोधी दल, नेता बहुजन समाज पार्टी और श्री प्रमोद कुमार जी भी बोल चुके हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, जो बात मौर्या जी ने रखी है यह चिंता की बात है। जो अनाज गरीबों के लिए देना है उसे माफिया बाजार में बेच रहे हैं। मान्यवर, इसमें जांच विकास अधिकारी ने की हैं। इसमें जांच उन्हीं के अधिकारी ने की है। जो एफ0आई0आर0 दर्ज की गयी है उस पर कार्यवाही होनी चाहिए। सिर्फ इतनी सी बात है। मान्यवर, आज तमाम मजदूर भुखमरी के कगार पर हैं उनके लिए यह योजना चलायी गयी है और यह अनाज सीधे मार्केट में माफिया बेच रहे हैं। इसलिए इसकी गम्भीरता को देखते हुए इस पर त्वरित कार्यवाही होनी चाहिए और इस पर सदन की कार्यवाही रोककर चर्चा होनी चाहिए।

श्री महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ झीन बाबू-

मान्यवर, यह मेरे विधान सभा क्षेत्र का मामला है। इस पर जो लोग कह रहे हैं कि इसमें जो मारपीट हुयी वह विधायक के इशारे पर हुयी। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि वहां पर अच्छी तरह से काम हुआ है। खाद्यान्न सामग्री का वितरण सुचारू रूप से किया गया है। शिकायत मिलने पर जिले से जांच कमेटी गयी थी और उसमें अधिकारी ने पाया कि मानक के अनुसार काम हुआ है बल्कि मानक से भी अच्छा काम हुआ है। वहां की जनता ने भी इसको सराहा है। जो यह कह रहे हैं कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुयी। मान्यवर, यह इन्हीं लोगों के गुण्डे थे और उन पर एफ0आई0आर0 दर्ज हुयी है, वह लोग जेल गये है और कुछ लोगों ने इसमें स्थगनादेश लिया है। अगर मेरी बात असत्य हो तो मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर इनकी बात असत्य हो तो यह इस्तीफा दे दें। मान्यवर, आप बसपा नेता श्री मौर्य आपकी अध्यक्षता में समिति बना दें। अगर उसकी रिपोर्ट में यह पाया जाये कि घोटाला नहीं हुआ है तो यह इस्तीफा दें अगर घोटाला हुआ है तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं बस इतनी सी बात कहना चाहता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इस पर समिति न बनायी जाये।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी, आप इस पर जवाब देंगे।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं तो कुछ कहना चाहता था मगर इधर से संसदीय कार्य मंत्री का काम भी जब होने लगता है तो मैं बैठ गया। मान्यवर, मेरा यह भी कहना था कि माननीय सदस्य को सुन लिया जाये। इसके अलावा मौर्या जी ने भी अपना पक्ष इतनी अच्छी तरह से रखा कि मेरे जैसा कम अक्ल आदमी बहुत कम समझ पाया। समझ में नहीं आया कि क्या कहा। अगर एक बार फिर आप अपनी बात रख दें। मैं तो कम से कम नहीं समझ पाया। चूंकि वह सम्बन्धित विधायक थे वह समझ गये लेकिन मैं नहीं समझ पाया और इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब इसकी पुनरावृत्ति नहीं। मैं बताता हूं।

(व्यवधान)

श्री सुखदेव राजभर-

माननीय अध्यक्ष जी, संसदीय कार्य मंत्री जी को देर में समझ में आता है, हम इन्हें आठ दस दिन तक समझाते रहेंगे तब तक इसे रोक दिया जाय।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, यह तो सदन की अवमानना है।

श्री अध्यक्ष-

एक विधायक के कहने पर यदि दूसरा व्यक्ति नहीं समझता तो यह सदन की अवमानना कैसे हो गयी। यह कोई अवमानना का प्रश्न नहीं बनता।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, किसी भी माननीय सदस्य की अवमानना का प्रश्न नहीं उठता। इन्होंने बड़ी भावुकता के साथ अपनी बात रखी और इतनी तेज आवाज में रखी, इतने ज्यादा एक्साइटेड यह थे कि मुझे तो यह लग रहा था कि.....

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी और मौर्या जी को अलग एक कमरे में छोड़ दीजिये, यह लोग आपस में समझ लेंगे।

श्री मोहम्द आजम खां-

इनके पड़ोस में जो सज्जन बैठे हैं राजभर जी, इन्होने बड़े अन्याय किये हैं हमारे साथ। यह समझते भी बहुत अच्छा हैं और समझाते भी बहुत अच्छा हैं। अगर मौर्या जी की समस्या को राजभर जी रख दें तो मेरी समझ में बात आ जायेगी।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने यह बात कही है कि मैं अपनी बात दोबारा रखूं तो मैं अपनी बात दोबारा रख देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मैं बता देता हूं। मैंने इस प्रश्न पर मौर्या जी को सुना, संसदीय कार्य मन्त्री जी को सुना, माननीय विधायक जी ने चुनौती भरी बात रखी इसका उल्लेख करना चाहता हूं, मौर्या जी ने जिस गम्भीरता से रखा और जिस सहजता से उनका उत्तर विधायक जी ने दिया इसमें विसंगति है, इसलिए मैं इसे कार्य-स्थगन के रूप में अग्राह्य करता हूं तथा इसमें वक्तव्य का निर्देश देता हूं। सरकार इस मामले में एक वक्तव्य दे। अब मैं अगली सूचना ले रहा हूं।

*श्री दद्दू प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे कार्य स्थगन प्रस्ताव पर बोलने का मौका दिया इसके लिए आपका आभारी हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनपद चित्रकूट में दिनांक 29 अप्रैल को एक घटना घटी। दिन में घटी घटना की गम्भीरता इसलिए है कि सरे आम बाजार में दिन दहाड़े दस बजे की घटना है और एक बहुत सीधा कार्यकर्ता था दीपक कुमार त्रिवेदी, इसको मारा पीटा गया, बन्दूक की बट से मारा, सात आठ लोग इसमें शामिल थे। इसमें श्री उग्रसेन मिश्र प्रमुख था। इसके ऊपर दर्जनों के लगभग पुराने केस हैं। यह मारपीट इतनी पीड़ादायक थी उसका दायां पैर चकनाचूर हो गया और वह इलाहाबाद में इलाज करा रहा है। पुलिस ने थाना बढ़गढ़ में मुकदमा संख्या-11/2006 धारा 143, 323, 506, 308, 325 आई0पी0सी0 में दर्ज किया गया। जिला पुलिस की तत्परता इससे दिखायी देती है कि वह फरार हो गया, गिरफ्तार नहीं किया जा सका। मान्यवर, मैं इसकी ग्राह्यता बताना चाहता हूं। पहली बार मैंने देखा कि अभियुक्त की प्रार्थना पर विवेचना बदल दी आई0जी0 जी ने अभी तक यह देखा गया, हम भी काफी छोटी उम्र के हैं, पर दस-पंद्रह साल से राजनीति में हैं, हमेशा यह देखा गया कि वादी के निवेदन पर विवेचना बदली जाती है, वादी अपील करता है कि मान्यवर, इस थाने से मुझे न्याय नहीं मिलेगा, विवेचना किसी और थाने से करा दी जाय, पर यहां तो अभियुक्त और वह भी कोई साधारण अभियुक्त नहीं हैं, सिल्कासेण्ड की चोरी में, रेल का लोहा चुराने में, बेच देने में इसका पूरा हाथ है, मान्यवर, दर्जनों मुकदमें इस आदमी के ऊपर कायम है, और आई0जी0 जोन ने अभियुक्त के प्रार्थना-पत्र पर विवेचना बदल दी और जिले के बाहर, इलाहाबाद जिले से, मण्डल भी बदल दिया, जिला भी बदल दिया, तो इसलिए मान्यवर, और अभियुक्त अभी कोई भी गिरफ्तार नहीं किया, सब खुलेआम घूम रहे हैं और गवाहों को धमाका रहे है मैं आपके माध्यम से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं। मान्यवर, यह पक्ष-विपक्ष का मामला नहीं है।

मान्यवर, यह न्याय का मामला है और इतना आतंक कायम है, उस दिन से घटना के दिन से कि लोग हमको रात में फोन करते हैं कि माननीय विधायक जी आप इसमें कुछ कार्यवाही करायें, और जिला पुलिस ने एस0पी0 ने स्वयं मुझसे कहा कि इसमें ऊपर से आप कुछ करा दें तो इसमें हम कार्यवाही कर दें, इसलिये मान्यवर, कहना चाहता हूं कि मामला तात्कालिक है, 29 अप्रैल का है, और

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

यह लोक महत्व का मामला है क्योंकि पूरे क्षेत्र मे दहशत का वातावरण व्याप्त हो गया है, इसलिये मामला लोक महत्व का है, तात्कालिक है, इसलिये मैं आपके माध्यम से चाहता हूं कि सदन की कार्यवाही रोक करके इस पर चर्चा करा लें, और इसमें मैं आपका संरक्षण चाहते हुए दूसरी मांग करता हूं कि मुल्जिम गिरफ्तार हो जायें और विवेचना अगर जिले की पुलिस करे, जिले में किसी भी थाने, दस थाने हैं, कोई भी कर ले, इसमें हम सहमत हैं, इसमें हम आपका संरक्षण चाहते हैं, कृपा करके कुछ कार्यवाही कराने के निर्देश दे दें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसमें क्योंकि आपकी नोटिस में भी जिक्र है कि तीन जगह से पैर टूटा है इसमें मान्यवर, अलग से देखना पड़ेगा, अगर तीन जगह से पैर टूटा है तो इसकी मेडिकल रिपोर्ट होगी, तो इसमें 325, 326 का भी एडीशन होना चाहिए एफ0 आई0 आर0 में, जो कमी है, मान्यवर, इसे पूरा करेंगे वैसे 147, 323, 506, 308 का मुकदमा पहले से कायम है लेकिन इसमें अगर हड्डी टूटने वाली दफा कम है तो उसे भी दर्ज कराना पड़ेगा।

श्री ददूदू प्रसाद-

मान्यवर, 325 है, इसमें नोटिस में दिया हुआ है, थोड़ा आगे लिखा है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

हां है, आगे है, लेकिन क्योंकि 323 के साथ 325 आना चाहिए था, थोड़ा आगे लिख दिया गया है, मैं तो आपकी सूचना पर ही कह रहा हूं मैं तो मान्यवर, इसको यहां तक गम्भीरता से ले रहा हूं कि जिस हड्डी के टूटने का आपने जिक्र किया है अगर वह दफा नहीं है तो वह दफा भी लगना चाहिए, मान्यवर, इसे गम्भीरता से लेंगे और जो भी कमी होगी उसे पूरा करेंगे। आपने एक बात कही है कि इसमें ऊपर से कुछ कहलवा दें, इस पर कार्यवाही हो इसके लिये निर्देश हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मैंने ददूदू प्रसाद जी को सुना, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मैं इसे अग्राह्य करता हूं।

*श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं कार्य-स्थगन का यह प्रस्ताव जो रख रहा हूं यह मान्यवर, पूरी तरह से मानवीय आधार पर है, मैं स्पष्ट कर दूं और इसका एक संवैधानिक पक्ष भी है, मैं पहले मान्यवर, माननीय सार्वजनिक निर्माण विभाग के मंत्री यहां बैठे हैं, उनका ध्यान इस पर आकर्षित करना चाहता हूं, पहले मानवीय अधिकार देख लें फिर संवैधानिक पक्ष रख दूंगा मान्यवर, 10-15 वर्षों से मण्डी परिषद् में सैकड़ों मण्डी कर्मी विभिन्न पदों पर कार्यरत हैं। मान्यवर, इनकी सेवा को दो महीने, तीन महीने नहीं हुए हैं, छः महीने नहीं हुए हैं, 10 से 15 वर्ष यानी कि जो सेवा में 25 वर्ष की आयु से आये होंगे उन्होंने 40 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिये होंगे, जो 20 वर्ष की आयु में आये होंगे तो 35 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिये होंगे, 30 वर्ष की आयु में आये होंगे तो 45 वर्ष की आयु प्राप्त कर लिये

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होंगें। मान्यवर, एक सर्वोच्च न्यायालय का भी निर्णय है, हाईकोर्ट का भी निर्णय है, उसकी व्याख्या दो राज्यों ने की है, एक उत्तरांचल ने और एक उत्तर प्रदेश ने, यह जो नियुक्तियां हुई थी, तब उत्तर प्रदेश एक था, उत्तरांचल का जन्म नहीं हुआ था, उत्तरांचल अलग नहीं हुआ था। मान्यवर वहां के एडवोकेट जनरल ने मान्यवर उसकी व्याख्या करते हुए यह स्पष्ट कहा है कि इन सभी को सरकार के पास अधिकार है, विवेक है, सरकार रख सकती है। मान्यवर, उत्तरांचल में सभी रख लिए गये है। उत्तर प्रदेश में जो कर्मचारी है, उसमें इसकी निर्णय की अलग व्याख्या करते हुए उन्हें नहीं रखा जा रहा है। मान्यवर, जो मानवीय पक्ष है उसे मैं स्पष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, इस विषय में उनको दोष दिया जाता है लेकिन जिन लोगों ने उन्हें एपाइन्ट किया है उनके खिलाफ भी आप कार्यवाही करें। मान्यवर, वह नियमित रूप से कार्यरत हो गये थे उनकी 10-15 साल की सेवायें हो गयी है। उनकी इतनी आयु हो गयी है कि न वे शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और न किसी सेवा में जा सकते हैं। क्योंकि वे लोग ओवर ऐज हो गये है। मान्यवर, आज उनके परिवारों के सामने भुखमरी की स्थिति है, बच्चों की पढ़ाई का प्रश्न है। उनकी इस स्थिति में उनको समायोजित करने का दायित्व आपका है और आप उसमें कोई रास्ता निकाल सकते हैं। जैसे भविष्य में जो नियुक्तियां हों उसमें उनके लिए कुछ स्थान रखते हुए उन्हें उसमें प्राथमिकता दी जा सकती है और उन सबको तब तक कार्य पर रखा जा सकता है। मान्यवर, आप देखें वे लोग 15-15 साल से नौकरी पर कार्यरत रहे हैं अब उनका इतनी लम्बी सेवा के बाद निकाल दिया जाये तो यह समझा जा सकता है कि उनकी और उनके परिवार की क्या स्थिति होगी। वह हजारों की संख्या में हैं और उनके परिवार के भरण-पोषण का क्या होगा। वह कहीं और जा नहीं सकते हैं। उन्होंने 23 तारीख को विधान सभा के सामने आत्मदाह करने और आमरण अनशन चलाने की बात कही है। मान्यवर, उनकी आत्मा और उनका पूरा विश्वास सरकार में है आप देखेंगे कि उन्होंने कोई हिंसात्मक आन्दोलन नहीं किया है और कहीं कोई कार्यवाही नहीं की है। मान्यवर, मेरा सिर्फ मानवता के आधार पर आपसे आग्रह है कि सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है और जो उसको परिभाषित किया गया है और उसकी जो परिभाषा उत्तरांचल ने निकाली है, उसे एक बार फिर न्याय विभाग की राय के लिए भेज दें उनकी फिर से राय ले लें और इस मामले को मानवीय दृष्टिकोण से देख लें। यह हजारों परिवारों का प्रकरण है। अगर इसमें न्याय विभाग राय दे दें कि उन्हें रखा जा सकता है तो उन्हें समायोजित करने के लिए मानवीय दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो मान्यवर, उन सबके परिवार के लोग भुखमरी के कगार पर होंगे। मान्यवर, एक तरफ तो सरकार बेरोजगारी भत्ता दे रहीं है और दूसरी तरफ इस तरह से लोग बेरोजगार हो रहे हैं।

मान्यवर, मानवीय आधार पर और संवैधानिक आधार पर इस मामले में राय के लिए इसे न्याय विभाग भेज दें। मेरे पास सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय है जो इसमें उल्लिखित भी है। उन्होंने इसे सरकार के विवेक पर छोड़ा है कि सरकार चाहे तो रखे। मैं यह मानता हूं कि स्पष्ट निर्देश नहीं दिये कि रखे। लेकिन वह आपके विवेक को चुनौती नहीं देता है।

मान्यवर, मैं माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि एक सीटी आती है जो आवाज को मधुर बनाती है वह आप मौर्या जी को उपलब्ध करा दें तो मधुरता व्याप्त हो जायेगी। वह डांटते उनको हैं और घबड़ा मैं जाता हूं। आप इसमें न्याय विभाग की राय लेकर उनको पुनः सेवा में

लेने के लिए रास्ता निकाले। आगे शिक्षा उनकी हो नहीं पा रही है। परिवार के समक्ष उनके भुखमरी की स्थिति है और वे लोग 23 तारीख को आत्मदाह करने का प्रयास कर रहे हैं। एक व्यक्ति ने एक बार विधान सभा के सामने आत्मदाह किया था भगवान न करे कि उसकी पुनरावृत्ति हो। मैं कोई इसे धमकी का स्वर नहीं दे रहा हूं आपसे एक आग्रह कर रहा हूं।

(श्री राम नरेश यादव के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपने निकाले जाने की बात कही थी और नियम-51 में सूचना दी। इन्होने उसे आत्मदाह की बात कह कर अपनी बात कह दी। आपका नियम-51 में आ चुका है।

*श्री राम नरेश यादव-

मान्यवर, उस समय से आज की स्थिति भिन्न है। ये लोग आत्मदाह की धमकी दे रहे हैं और वहां अनशन पर बैठे हुए हैं। मान्यवर, इससे अविलम्बनीय और कोई विषय नहीं हो सकता है। यह मानवता का सवाल है। मान्यवर, आज रोजगार लोगों को मिल नहीं रहा है और जिन लोगों को 10-15 वर्षों से रोजगार मिला हुआ था उनकी रोजीरोटी छिन गयी है। भले ही अदालत में गये हैं और वहां कुछ स्थिति बनी है। इसके बावजूद भी सरकार का दायित्व बनता है कि आज उनकी स्थिति को देखते हुए उन्हें समायोजित करने की कृपा करें और माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि आपका हृदय बहुत विशाल है, संवेदनशील है सरकार कहती है। इसको ध्यान में रखते हुए कि हजारों परिवारों की जीविका के साधन छिन गया हैं, पुनः उनको समायोजित करके उनकी स्थिति को सुदृढ़ करने का काम करें। यह राष्ट्रीय हित में होगा, प्रदेश के हित में होगा, उनको समायोजित करने की कृपा करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस पर बल देते हुए कि सरकार इस पर निर्णय दें।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य के बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी नोटिस नहीं है, आप बैठे। आप इसमें क्या निवेदन करेंगे, अब सरकार का पक्ष आ जाने दीजिए, बैठिये। ऐसा न करिये, आप सबकी नोटिस पर मत बोलिये।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, यह बहुत महत्वपूर्ण है, मैं निवेदन कर रहा हूं चूंकि यह मानवीय दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है इसलिए इस पर कोई गम्भीर निर्णय आना चाहिए, इस पर आपकी भी कुछ व्यवस्था होनी चाहिए।

*श्री शिव पाल सिंह यादव-

मान्यवर, जो मामला अभी आया है, अभी आदरणीय प्रमोद कुमार जी और माननीय राम नरेश जी ने जो बात रखी है। यह मामला तो गम्भीर है यह नियुक्तियां 96 के बाद और 96 से पहले, बहुत सी नियुक्तियां मंडी परिषद् में कर दी गयी थीं लेकिन मैंने तो किसी को भी नहीं छेड़ा केवल वेतन भी उनका बढ़ा दिया गया था, पहले तो बहुत कम वेतन था लेकिन उसके बावजूद भी यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मामला हाईकोर्ट में चला उसके बाद सुप्रीमकोर्ट में चला। तो सुप्रीमकोर्ट ने जो 96 से पहले जितनी भी नियुक्तियां हुई थी उन नियुक्तियों को बाहर करने को आदेश कर दिया है। मैंने तो सुप्रीमकोर्ट के आदेश का पालन किया है और बहुत से लोग, बहुत से नेता भी हैं सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवहेलना करके इन कर्मचारियों को उकसा भी रहे हैं, कभी धमकी देते हैं आत्महत्या कर लेंगे, कभी कहते हैं कि आत्मदाह कर लेंगे तो यह लगातार सुप्रीमकोर्ट के आदेश की अवहेलना हो रही है और मैं सुप्रीमकोर्ट के आदेश का पालन कर रहा हूं। विधिक राय भी हमने मांगी है, विधिक राय भी जैसे भी आ जायेगी और विधिवत् जैसे भी जो भी नियुक्तियों का कार्यक्रम जैसा भी चलेगा वैसे ही विधिवत् रूप से सबकों शामिल कर लेंगे। जो भी विधिक राय आयेगी।

श्री अध्यक्ष-

मैंने माननीय प्रमोद जी को सुना और माननीय मंत्री जी को सुना इसको अग्राह्य करता हूं।

राजभर जी, जब तक पाल साहब बोल ले, आपसे आग्रह है कि आप दोनो हस्ताक्षर प्रमाणित कर दें कि दोनो में कौन सही है, आइये तो।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इतना एक्सपर्ट ओपिनियन की जरूरत नहीं, निवेदन है।

श्री अध्यक्ष-

आपने कहा है कि मैंने अलग दिया है, मैं उसे मान लेता हूं लेकिन उस सूचना पर हस्ताक्षर किसने किया है यह मैं जांच कराऊंगा, यह गलत बात है।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इसीलिए मैं, उस पर नहीं बोला हूं, नहीं बोलूंगा। सुधार करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

इसकी जांच करायेंगे। पाल साहब को बोल लेने दीजिए।

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आभारी हूं कि एक अत्यन्त महत्वपूर्ण मुद्दे की ग्राह्यता पर आपने मुझे बोलने की अनुमति दी है। माननीय अध्यक्ष जी, यह सम्मानित इस सदन में यह सौभाग्य रहा है कि जब से इस सदन का गठन हुआ है इस सदन में सर्वाधिक संख्या अध्यापकों की, शिक्षकों की, अधिवक्ताओं की आती रही है और आज सौभाग्य से उस सर्वोच्च पीठ पर आप सम्मानित है, सुशोभित हैं। आप भी उसी समुदाय से आते हैं। आप भी उसी समुदाय से आते हैं और आज मान्यवर, जिस तरीके से प्रदेश में शिक्षकों के साथ उत्पीड़न की घटनायें बढ़ रही हैं, रोज सदन इस बात का गवाह है कि हम पुलिस की निरकुंशता की बात करते हैं। उनका दायित्व होता है कि वह निर्दोष लोगों की सुरक्षा करे, बेगुनाह लोगों की सुरक्षा करें और गुनाहगारों के विरूद्ध कठोरतम कार्यवाही करे। लेकिन आज स्थितियां बदल रही हैं। आज जो भयमुक्त समाज की बात हो रही है, उसमें अपराधी तो भयमुक्त हो रहा है लेकिन आम व्यक्ति, आम जनजीवन, आम नागरिक चाहे कर्मचारी हो, शिक्षक हो, आज वह भयभीत है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, यह कितनी गंभीर घटना है। आपके भी संज्ञान में है कि उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षक संघ, जिसके नेता हैं, सम्मनित अध्यक्ष ओम प्रकाश शर्मा और महामंत्री हैं पंचानन राय जी। उस सम्मानित माध्यमिक शिक्षक संघ के सम्मानित पदाधिकारी सम्मानित नेता और बासी के रतन सेन इन्टर कालेज में अध्यापक हैं लेक्चरर हैं और पिछले 25-30 वर्षो से हम सब जानते हैं कि सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में श्री कौशल किशोर शर्मा जी का किस तरह का सम्मान है, प्रतिष्ठा है, उनकी मर्यादा है और अगर आज क्षेत्र में कोई प्रतिष्ठित अध्यापक हो, जिसका जीवन निष्कलंक हो, जिसके ऊपर कभी 107/17 का मुकदमा न चला हो इसलिए केवल अपमान, कि किसी एक पेट्रोल पंप का सेल्समैन जो अपनी मोटरसाइकिल लेकर आ रहा था और श्री कौशल किशोर शर्मा के बेटे भी मोटरसाइकिल लेकर आ रहे थे, उन्होनें ओवरटेक कर दिया, इस पर उस सेल्समैन ने रोककर वाद-विवाद किया और झगड़ा हुआ और उसके बाद उस पेट्रोल पम्प के मालिक ने उस कोतवाल बासी से जिस तरीके से पेशबंदी की कि रात के 10 बजे श्री कौशल किशोर शर्मा, रतन सेन इण्टर कालेज के अध्यापक और माध्यमिक शिक्षक संघ के नेता, उनको कोतवाली में ले जाया गया, कोई एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं थी, मैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से आग्रह करना चाहूंगा कि क्या किसी व्यक्ति को रात को 10 बजे, वह अध्यापक हो, वकील हो, सार्वजनिक जीवन में हो, बिना किसी एफ0आई0आर0 के ले जाया जाय, सारी रात बिठाया जाय, उन्हें प्रताड़ित किया जाय, उन्हें गाली दिया जाय, कहा जाय बाल मुड़वा देंगे, गधे पर बिठाकर मुंह पर कालिख लगाकर घुमाने की बात की जाय और फिर चौराहे पर ले जाकर छोड़ा जाय और मान्यवर, इसके बाद उनके बेटे को पूछा गया और वह बेटा जो अभी इन्टरमीडिएट में पढ़ रहा है, अभिषेक शर्मा, अभी मात्र इण्टरमीडिएट का छात्र है, हाईस्कूल फर्स्ट क्लास पास हुआ है और इन्टरमीडिएट का इक्जाम दिया है, उसे ननिहाल से कोतवाल साहब पकड़कर लाये उसके खिलाफ भी कोई एफ0आई0आर0 नहीं थी। मान्यवर, मैं समझता हूं कि अगर इसकी जांच हो जाय तो दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाय।

मान्यवर, इतनी गम्भीर घटना है, मैं तो संसदीय कार्य मंत्री से कहूंगा कि वहां कोई भी जांच भेज दें लेकिन अगर पुलिस की निरंकुशता अगर इस तरह बढ़ जायेगी कि वह सम्मानित और शरीफ नागरिकों को, अध्यापकों को बिना किसी अपराध के, बिना एफ0आई0आर0 के कोतवाली में लाकर रात को बंद करके रखेगी तो क्या यह अन्लाफुल डिटेंशन नहीं है ? तो क्या उस कोतवाल के खिलाफ मुकदमा नहीं होना चाहिए कि किसी के भी संवैधानिक अधिकार के ऊपर यह कुठाराघात है, हनन है, किसी को भी बिना वारंट के, बिना जुडीशियल कस्टडी के लिये हुए उस व्यक्ति को रात भर थाने में रोके रखा जाय, इससे गम्भीर अपराध कोई हो नहीं सकता। पुलिस यदि इस तरह का अपराध करेगी तो क्या उसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं होगी ? इतना ही नहीं हुआ, अभिषेक शर्मा को कोतवाली में मारा गया और उस पेट्रोल पम्प वाले से जो पैसा लिया गया था, उसको खुश करने के लिये उनके बेटे को अपमानित करने की उसने पराकाष्ठा कर दी। बासी, जहां स्वनामधन्य माधव प्रसाद त्रिपाठी जी की मूर्ति लगी है, उस मूर्ति के सामने उस अध्यापक के बेटे को लाया गया और उसकी पिटाई की गई और उसको थूककर चटवाया गया। मान्यवर, इसके विरोध में वहां पर धरना चल रहा है, पूरे पूर्वांचल के शिक्षकों ने कापियों के जांचने का, मूल्यांकन का बहिष्कार किया, उसके बाद कौन सी परिस्थितियां बनी। एक मई को धरना हुआ, पूरे पूर्वांचल के माध्यमिक शिक्षकों को, राज्य कर्मचारियों का, जिसमें

आदरणीय पंचानन राय जी भी गये, सम्मानित सदस्य, विधान परिषद् वाई0 डी0 सिंह भी गये, यह अकिंचन सेवक भी वहां गया और भारतीय जनता पार्टी के जय प्रताप सिंह भी गये। सभी जिलों के लोग गये तो मान्यवर, 4-4, 5-5 जन प्रतिनिधि न्याय की अपेक्षा करें। इस सम्मानित सदन के दो-दो विधायक और उस सम्मानित सदन के दो-दो सदस्य मान्यवर, हम चार-चार लोग वहां जायें कि कोतवाल ने अकारण किसी अध्यापक को अपमानित किया, उसके घर में घुस करके उन्हें अपमानित किया उनके बेटे को मारा। यह बहुत ही दुःखद घटना है। इस घटना के लिये धरना दिया गया और धरना तब समाप्त हुआ जब डिप्टी एस0पी0 ने कहा कि वह 15 दिन में इस मामले की जांच करा करके कार्यवाही करेंगे। मान्यवर, पहली मई को डिप्टी एस0पी0 ने धरनास्थल पर आश्वासन दिया था और आज 15 दिन हो गये हैं, क्या कोई कप्तान अगर यह कह दे कि हम 15 दिन में जांच करा लेंगे तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या जांच की कोई रिपोर्ट आ गई है ?

श्री अध्यक्ष-

अब आपकी बात आ गयी है, आप कृपया बैठ जाएं

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं बात की पुनरावृत्ति नहीं कर रहा हूं सिर्फ अपनी पीड़ा बता रहा हूं। मान्यवर, यह पूर्वांचल के एक अध्यापक का मामला है और वह भी शरीफ अध्यापक का, इस पर मैं आपका उल्लेख नहीं करना चाहता हूं लेकिन आप भी इस गम्भीर घटना के बारे में जानते हैं कि उस अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार हुआ है। अगर हमारे कस्टोडियन स्पीकर इस बात को जानते हैं कि उसके साथ दुर्व्यवहार हुआ है तो मान्यवर, मैं यही अनुरोध करूंगा कि इस पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, मैं इसे दिखवा लूंगा।

श्री अध्यक्ष-

इसको थोड़ा गम्भीरता से दिखवा लें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने संसदीय कार्य मंत्री जी को गम्भीरता से इस मामले को दिखवाने के लिये निर्देश दिया है लेकिन मान्यवर, क्या कोई जांच रिपोर्ट आयी है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, अभी कोई तथ्य सामने नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी से कह दिया है और मैं भी जब जिले में जाऊंगा तो इसे गम्भीरता से देख लूंगा। कार्य-स्थगन के रूप में इसे अग्राह्य करता हूं।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। यह जनपद आजमगढ़ का प्रकरण है, एक दिलीप कुमार राजभर जो कि इदिलपुर का रहने वाला है 12 तारीख को भोर में

एक बारात में गया था, अतरौलिया थाने और अहिरौला थाने की पुलिस वहां पहुंचती है और उसे बारात से पकड़ते हैं, बारात के लोगों ने पूछा कि कहां ले जा रहे हो तो उन्होंने कहा कि कुछ मुकदमें दर्ज हैं उनके बारे में जांच-पड़ताल करने के लिये ले जा रहे हैं और वह उसे वहां से ले गये, वहां से कुछ दूरी पर ले जाने के बाद उसको गोली मार दी। मान्यवर, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इस मामले में आप पता लगा लें, इसकी जानकारी संसदीय कार्य मंत्री जी के पास हो सकता है कि न हो लेकिन मान्यवर, इसका इतिहास पता लगा लें। सबसे विचित्र बात तो यह घटना घटित हुई कि 12 तारीख को यानि उसका इनकाउन्टर किया गया, उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं था, पहले एक छिनौती का मुकदमा था और उसमें एफ0आई0आर0 लग गयी थी, 13 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया। सुखदेव राजभर इस सम्मानित सदन के एक सदस्य हैं और मेरी इस बात की निश्चित जानकारी है, मैं इसकी पुष्टि कर रहा हूं कि 13 तारीख को मुकदमा दर्ज किया जाता है और दोनों थानों में दर्ज किया जाता है, मान्यवर, 12 तारीख को मारा और 13 तारीख को इसलिए मुकदमा दर्ज किया कि इस पर कोई मुकदमा होना चाहिए। कृपया आप इस बात की पुष्टि करा लें कि 13 तारीख को थाने में मुकदमा दर्ज किया गया या नहीं। मान्यवर, आज पुलिस जज और जल्लाद दोनों का काम कर रही है। मान्यवर, वही न्याय दे रहे हैं और वही फांसी भी दे रहे हैं। वह जज और जल्लाद दोनों पदों का पक्ष निभा रही है, उसे पुरस्कृत करना चाहिए। गरीब का लड़का था, वहां पर कोई नहीं बोला, अतरौलिया थाने का रहने वाला है, उसको पुलिस उठा करके ले गयी, 12 तारीख को उसे गोली मारी और 13 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि एक निर्दोष आदमी को मारा गया है। पुलिस अपराधियों को मारे ठीक है, लेकिन मान्यवर, इस घटना को मैंने स्पेसिफिक लगाया है, एक साधारण परिवार के बेटे को मारा गया है। उसे कुछ दबंग लोग गलत काम करवाना चाहते थे, उसने करने से इनकार कर दिया, इसी बात को ले करके बाजार में कुछ नोंक-झोंक हुई और उन लोगों ने सीधे मुकाबला न करके पुलिस का सहारा ले लिया। बारात के लोग गवाही देंगे कि इस आदमी को 12 तारीख को बारात से उठाया गया, इस बात की मैं गारन्टी दे रहा हूं और 12 तारीख को उसे गोली मारी गयी और 13 तारीख को मुकदमा दर्ज किया गया है, आप केवल इसकी जांच करा लें। मान्यवर, पुलिस ने इनकाउन्टर किया है, इस पर आप जांच करा लें और इसे गम्भीरता से जरूर देख लें। मान्यवर, पुलिस इस तरह की हरकत करती रहे और हम लोग सदन में आकर संज्ञान में लायें और उनके कृत्यों की जांच भी न हो तो इससे निरंकुशता बढ़ जायेगी। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी, मैं बड़े अदब के साथ निवेदन कर रहा हूं कि 12 तारीख को उस लड़के को मारा है और 13 तारीख को जल्दबाजी में मुकदमा दर्ज किया है और इसकी जांच करा लें कि 13 तारीख में मुकदमा दर्ज है या नहीं ? पूरी बारात के लोग गवाही देने के लिए तैयार है। मुठभेड़ आमने-सामने होती है लेकिन उस लड़के को बारात से 12 तारीख को सुबह उठाकर 4 कि0मी0 दूर ले जाकर मार दिया है। आप अपराध नियंत्रण करें उसके लिए बधाई है लेकिन यह जो घटना घटी है उसमें एक निर्दोष को पुलिस ने मारा है। मैं बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं कि आप इसकी उच्चस्तरीय जांच करा लें कि सत्यता क्या है ? हो सके तो सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच करा लें, मान्यवर, उस पर कोई अपराध दर्ज नहीं था, पुलिस ने उसका 12 तारीख में इन्काउन्टर कर दिया और जल्दीबाजी में अपनी गलती को छिपाने के लिए दूसरी गलती की है और 13 तारीख में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। मेरा संसदीय कार्य मंत्री जी से अनुरोध है कि हो सके तो सी0बी0सी0आई0डी0 से इसकी जांच करा लें या उच्च

स्तरीय जांच हो जाये, कमिश्नर या किसी बड़े अधिकारी से जांच करा लें। मैं व्यक्तिगत रूप से अनुरोध कर रहा हूं कि पूरी पुष्टि के बाद यह विषय सदन के सामने सूचना के माध्यम से लाया हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, राजभर जी ने जो मामला रखा है, आमतौर पर आपकी बात का संज्ञान लिया जाता है और गम्भीरता से लिया जाता है। सी0बी0सी0आई0डी0 के लिए अभी आश्वासन नहीं दिया जा सकेगा, लेकिन जो भी कमी रहीं होगी उसको देखा जायेगा और कार्यवाही की जायेगी।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, इसकी जांच करा लें, इनकाउण्टर हो गया और चैप्टर बंद हो गया, कोई प्रकरण लंबित नहीं है। अगर सी0बी0सी0आई0डी0 से संभव नहीं है तो कमिश्नर या डी0आई0जी0 से जांच करा लें कि सत्यता क्या है उसको 12 तारीख को बारात से उठाया गया है, अब कोई मसला लंबित नहीं है आदमी मर गया है। मैं केवल जांच का निवेदन कर रहा हूं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसका परीक्षण कर लेंगें और जो भी संभव होगा देख लेंगें।

श्री अध्यक्ष-

मैं इस सूचना को अग्राह्य करता हूं।

*श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी नियम-56 में एक महत्वपूर्ण सूचना है, दिनांक 12-05-2006 की रात को जनपद गाजियाबाद में 200 गायें काटी गयी हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इस पर सुन लें।

(श्री नवाब सिंह नागर, श्री मुंशीलाल गौतम, श्री राम इकबाल सिंह सहित भा0ज0पा0 के कई माननीय सदस्य अपने आसन पर खड़े होकर अपनी सूचना पर सुने जाने का आग्रह करने लगे।)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शांत रहिये। शिशौदिया जी, आपकी सूचना को मैं नियम-51 में परिवर्तित कर दे रहा हूं इस पर कल सरकार का वक्तव्य आ जायेगा, उस समय आप अपनी बात भी कह लीजिएगा।

नागर साहब आपकी सूचना को भी नियम-51 में परिवर्तित कर दिया है।

श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

मान्यवर, इसको सुन लें, हम गाय को गौमाता कहते हैं और 200 गायें काटी गयी हैं।

नेता विरोधी दल (श्री लालजी टण्डन)-

मान्यवर, प्रदेश में गौ-हत्या निषेध है और आदमी की हत्या के लिए जो कानून है वही गाय के लिए है, इतने बड़े पैमाने पर गौकशी हो रही है उसके बाद आप सुनेंगें भी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इसको नियम-51 में परिवर्तित कर दिया है कल इसका जवाब आ जायेगा, कल पूछ लीजियेगा। आप गवर्नर के अभिभाषण पर भी कह सकते हैं ऐसा नहीं है कि इसका संज्ञान नहीं लिया गया है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री लालजी टन्डन-

मान्यवर, कल यह आ जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

हां, यह कल आ जायेगा।

(शोर)

(श्री नरेन्द्र शिशौदिया एवं मुंशी लाल गौतम सदन के वेल में आ गये)

श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

(सदन के वेल से) आप हमारी बात सुन लीजिये यह बहुत गम्भीर मामला है। आप भी ब्राह्मण परिवार से आये हैं।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

माननीय सदस्य केवल इतना चाहते हैं कि वह अपनी बात सदन में कह लें। उनके क्षेत्र का मुद्दा है, जनता की भावनायें इससे जुड़ी हैं।

श्री अध्यक्ष-

इसको नियम-51 में परिवर्तित कर दिया है। कल वक्तव्य के लिये लगा दिया है यह कल आ जायेगा जितने सवाल पूंछना चाहें पूछ लीजियेगा।

श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

आप प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाना चाहते हैं। तो क्या गायों को कटवा कर बनायेगें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक आप कह लें। मैं नियम-51 कैन्सिल किये देता हूं। जब आप बोलेगें तो नियम-51 समाप्त हो जायेगा।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कल आपने जगदम्बिका पाल जी को सुन लिया था तो आज इनको भी सुन लीजिये।

श्री नरेन्द्र शिशौदिया-

माननीय अध्यक्ष महोदय 12-5-2006 को जनपद गाजियाबाद के थाना भौरहवा के ग्राम-सालेपुर कोटला में मध्य गंगा नहर की पटरी पर जहां दोनों ओर एक सड़क गाजियाबाद से गुलावटी जाती है, हापुड़ से बुलन्दशहर जाती है दोनों के बीच पुलिस ने बैरीकेटिंग करके, रास्ते को बन्द करके राजस्थान से जो गायें चरने के लिये आती हैं, पानी-पीने के लिये आती हैं, गायें सूखे से पीड़ित होकर हमारे क्षेत्र में आती हैं। उन गांव वालों को रखवालों को मारा और ट्रक में 300 गायें लाद कर लायी गयीं और 200 गायों को एक रात में एक स्थान पर काट दिया गया। दोनों ओर पुलिस खड़ी रही। रात में गुलावटी थाने की पुलिस पैट्रोलिग करके उन ट्रकों को ले जाती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इतनी बड़ी घटना जिसमें तीन थानों की पुलिस थाना हाफिजपुर थाना भौरहवा और थाना गुलावटी की पुलिस इसमें संलिप्त है। मैंने स्वयं 13 तारीख को एस0ओ0 भौरहवा से कहा कि जाकर

देखना, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं की गयी। 14 तारीख को रात के साढ़े ग्यारह बजे मैंने स्वयं एस0ओ0 से कहा लेकिन कुछ नहीं किया गया। मैं 15-5 को अपने क्षेत्र के कुछ लोगों के साथ उस स्थान पर गया। मैंने वहां गायों का खून जो पेरे खेत में फैल रहा था, देखा। वहां गांव वाले इक्टठे हुये। एक तहसीलदार आ गया। एस0ओ0 और उसे क्षेत्र का दरोगा भी आया। गांव वाले उनके पीछे भागे और उन्होंने मेरठ बुलन्दशहर मार्ग पर 4 घन्टे का जाम लगाया। 4 घन्टे जाम लगाने के बाद पुलिस ने लाठी चार्ज करने का प्रयास किया लेकिन जनता इतनी अधिक थी और लोगों में आक्रोश था और आज भी आक्रोश है। वहां से टेलीफोन आ रहे हैं कि वहां पर हिन्दू मुस्लिम झगड़ा हो सकता है। मेरा निवेदन है कि इतनी बड़ी घटना हो गयी। तीन-तीन थानों की पुलिस और उत्तर प्रदेश की पुलिस इसमें संलिप्त है। इसमें लाखों रूपये का मामला है इसमें कार्यवाही नहीं होगी तो कैसे शान्ति बनेगी। मेरा आपसे आग्रह है कि इस अति अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर सदन की कार्यवाही रोक कर चर्चा कराने की कृपा करें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, संज्ञान में लाये है। तो संज्ञान लिया जायेगा और लिया जा रहा है। गोकशी पर कानून और संविधान में रोक है। गोकशी नहीं होनी चाहिए अगर कही हुई है तो उसके खिलाफ कार्यवाही होगी। आपने जहां खून बताया है वहां बहुत से लोग इकट्ठे हुए आपने खून पहचाना इसकी भी जांच होगी। दूसरी बात आई कि इससे हिन्दू मुस्लिम टकराव हो जाएगा मेरे ख्याल से यह भावना नहीं रहनी चाहिए इसको न लाते। दूसरे लाखों रुपये का नुकसान हुआ है तो धार्मिक भावनाओं को पैसे से नहीं तौला जा सकता है। पैसा तो ऋणात्मक है धार्मिक भावनाएं धनात्मक हैं। उन भावनाओं को देखते हुए सरकार इसका संज्ञान लेगी, अगर ऐसा है तो इस पर कार्यवाही होगी।

(डा0 विनोद तिवारी, श्री मुंशी लाल गौतम व डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी के एक साथ खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

तिवारी जी आपकी सूचना इतनी महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने उसे पढ़ा है।

डा0 विनोद तिवारी-

उस पर वक्तव्य दिलवा दें।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, अधिकारी भी नहीं सुनते हैं और आप भी नहीं सुन रहे हैं। जिन्होंने मुकदमा लिखवाया उन्हीं पर मुकदमा लगा दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

यहां पर महत्वपूर्ण बातें उठाई जाती हैं। आपको कल मौका दे दिया गया था। अब अभिभाषण पर चर्चा होने दें। आप रोज एक पेज लिखकर ले आते हैं। मैं भी आपकी जगह पर बैठा हूं। यहां पर 400 विधायक हैं हमें सबकी बातें सुननी है। जो बातें ज्यादा महत्वपूर्ण होती हैं उनको लिया जाता है। राम इकबाल जी अब अपना भाषण जारी रखें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव† (क्रमागत)

*श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता प्रतिपक्ष द्वारा किए गए संशोधन पर मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। किसी राज्य और देश के विकास के लिए चार महत्वपूर्ण बिन्दु होते हैं। चार महत्वपूर्ण बिन्दुओं में बिजली, सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य हैं। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में जिन चीजों का जिक्र किया गया है। उनका सत्यता से कोई लेना देना नहीं है। मान्यवर, किसी भी राज्य के विकास के लिये कानून व्यवस्था का मुकम्मल होना बहुत जरूरी है। मान्यवर, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़क जैसे बुनियादी समस्याओं का हल तब ही हासिल कर सकते हैं जब हमारे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति ठीक हो। मान्यवर, आज हमारे राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति इतनी खराब है जितनी इससे पहले आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं थी। मान्यवर, चार-चार विधायक इसी सदन के ए0के0-47 की गोलियों की तड़तड़ाहट में दम तोड़ चुके हैं। मान्यवर, सामूहिक हमले हो रहे हैं। विधायकों के साथ आधा-आधा दर्जन लोग मारे गये हैं। मऊ, अलीगढ़, मेरट और लखनऊ में दंगों में सैकड़ों लोगों की आहूति यह सरकार ले चुकी है और आहूति लेने के बाद भी दोषियों को सर्टिफिकेट जारी कर देती है कि यह लोग निर्दोष हैं। मान्यवर, यह सबसे गम्भीर विषय है। यह राज्य की जिम्मेदारी है कि हर इंसान की सुरक्षा की गारन्टी ले और यह होता भी है मान्यवर। लेकिन श्रीमन् वर्तमान सरकार यह जिम्मेदारी नहीं उठा रही है। आज पूरे राज्य में मान्यवर स्थिति यह है कि कोई भी मां अपने बच्चों को स्कूल भेजकर तब तक सशंकित रहती है जब तक उसका बेटा स्कूल से लौट नहीं आता कि पता नहीं मेरा बेटा वापस आयेगा कि नहीं और मान्यवर रास्ते में ही उसका अपहरण हो जाता है। मान्यवर, अभी आपने देखा प्रदेश में माननीय अध्यक्ष जी से मिलने के लिये बाम्बे का कोई व्यापारी आ रहा था उसको रास्ते में दो बार पुलिस वालों ने लूट लिया। अभी जो घटना का जिक्र मैं करने जा रहा हूं वह मेरे विधान सभा क्षेत्र की है वहां पर 40 हरिजन परिवार रहते हैं मान्यवर, सब वहां पर आतंकित है क्योंकि वहां पर इस तरह की घटनायें हो रही हैं। ग्राम बिसहरा थाना पकरी में 7 वर्ष के बच्चे ने खलिहान से आधा किलो गेहूं चुरा लिया तो उसको भी मारा गया और साथ ही 30-35 महिलाओं को भी मारा। सात वर्ष के बच्चे भीम को बांधकर तपती धूप में लिटा दिया गया। मान्यवर, वहां पर इन अनुसूचित जाति के लोगों में भय और आतंक व्याप्त है। थानाध्यक्ष पकरी आज भी वहां पर लोगों के ऊपर दबाव बना रहे हैं कि समझौता कर लो नहीं तो परिणाम अच्छा नहीं होगा। इस डर से वहां अनुसूचित जाति के लोग बस्ती से बाहर नहीं निकल रहे हैं।

मान्यवर, इसी तरह से कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में दिया गया है कि बिजली की चारों तरफ चकाचौंध मची हुई है। मान्यवर, हम तो सोच नहीं पाये जिस देश को आजाद कराने में इतने बड़े-बड़े लोगों ने हमारे बलिया से आहूति दी है चन्द्र शेखर आजाद, वीर सावरकर जैसे लोगों ने। सरकार असत्य क्यों बोलती है ? आखिर सरकार के ऊपर ऐसा कौन सा दबाव है। मान्यवर, 29 अगस्त, 2003 को जब इस सरकार का गठन हुआ था तो पहले ही दिन

---

† दिनांक 15 मई, 2006 की कार्यवाही से।

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी प्रेस कान्फ्रेंस में कहा था कि 24 घंटे बिजली दी जायेगी। 24 घंटे, 20 घंटे, 14 घंटे किस गांव को बिजली दी जा रहीं है। 24 घंटे इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, रामपुर, लखनऊ, इलाहाबाद और मऊ जिलों को दी जा रही है। मान्यवर, मैं बलिया जिले से आता हूं जहां 2/3 घंटे बिजली जाती है। हमारे यहां टेल पर बिजली जाती है। मान्यवर, जब हिन्दुस्तान को आजाद कराने के लिये आहूति की जरूरत थी तो हमने सबसे पहले कुर्बानी दी। हमने सबसे पहले आजादी हासिल की। भारत की आजादी की लड़ाई में हमारा स्थान अव्वल नम्बर में है और देश में हमारा जिला तीसरे नम्बर पर आता है। हमारे ही यहां बिजली नहीं जाती है। दो-तीन घंटे बिजली जाती है और वह भी दो तीन दिन में मैं कहना चाहता हूं कि इतना बड़ा असत्य बोलने की सरकार के ऊपर कौन सी आफत है ? कह देते कि तीन घंटे तीन दिन में देंगें। इतना बड़ा असत्य बोलते हैं कहते थे कि दो वर्ष में 24 घंटे रिलायंस इनर्जी से बिजली देंगें। मान्यवर, कहां चला गया दादरी के रिलायंस इनर्जी से बिजली देने का वायदा। मान्यवर, तीन वर्षों में तो उसकी पूरी बाउन्ड्री भी नहीं बन सकी है।

(इस समय 1 बजकर 2 मिनट पर अधिष्ठाता श्री बंशीधर राज पीठासीन हुए।)

मान्यवर, हाईटेक उत्तर प्रदेश विकास परिषद् बनाया गया और उद्योगपतियों को आमंत्रित किया गया कि वह उत्तर प्रदेश में निवेश करेंगे, कौन अपने बेटे-बेटियों का अपहरण कराने के लिए इस प्रदेश में आयेगा ? कितने पावर स्टेशन बनाये गये ? यह हमारे किसानों की जमीन को हड़पने की एक साजिश है, मान्यवर, इसीलिए दादरी का प्रोजेक्ट नहीं चल पाया। तीन साल हो गया है, कहा था कि दो वर्ष में बिजली देंगे, जब अगली बार आयेंगें ही नहीं तो कैसे बिजली देंगे। इतनी बड़ी गारण्टी ? आपके ऊपर गांधी जी की तस्वीर लगी है इसलिए ऐसे जिम्मेदार लोगों को ऐसी बात नहीं चाहिए कि हमारी पीढ़ियां कहें कि हमारे देश के नेता झूट बोलते हैं। यदि दो घण्टे बिजली दे सकते हैं तो हिम्मत से कहें कि हम दो घंटे बिजली देंगें। मान्यवर, आज गेहूं का उत्पादन घटा है, टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, ट्यूबवेल नहीं चल रहे हैं और जब गेहूं की बुवाई के समय डी0ए0पी0 खाद की जरूरत थी, वह नहीं मिल रहीं थी और मिलावट की डी0ए0पी0 लेकर किसान ने अपने खेत में बोया था। उस समय भी हम लोगों ने यह बात कही थी। मान्यवर, गेहूं का उत्पादन घट गया और जो हुआ, उसको मल्टी नेशनल कम्पनियां ने खरीद लिया। यह सही है कि किसान को हजार रूपये कुन्तल का रेट मिलना चाहिए लेकिन 700 रूपये प्रति कुन्तल का रेट किसान को दिया जा रहा है, 650 प्लस 50 बोनस। कोई किसान अपना गेहूं देने को तैयान नहीं है। उसके दरवाजे पर ही मल्टी नेशनल कम्पनियां 800-900 रूपये प्रति कुन्तल की दर से उसका गेहूं ले रही हैं। किसान को अच्छा रेट मिलना चाहिए लेकिन उन गरीबों का क्या होगा, जो उत्तर प्रदेश में 40 प्रतिशत बिलो पावरटी लाइन में हैं, जो गरीब आदमी है, उसके खाद्यान्न का क्या होगा ?

मान्यवर, इस सरकार के जमाने में बलिया से 500 करोड़ का खाद्यान्न बंगलादेश और नेपाल गया है। मान्यवर, 750 लोगों पर बलिया में एफ0आई0आर0 कर दी गयी है लेकिन जो दोषी हैं, जो बलिया के जिला अध्यक्ष रहे हैं, ट्रांसपोर्ट का ठेका दे दिया, दो साल तक उन्होंने नेपाल को माल पहुंचाया है, वह ट्रांसपोर्टर का काम करते थे। मान्यवर, रोहित इण्टर प्राइजेज की बलिया के 14 थानों में एफ0आई0आर0 है। पहले सपा के जिलाध्यक्ष थे, किसी कारण नाराज होकर आपके पास आ गये। कूड़ा घर से गये थे, कूड़ा घर में चले गये। ऐसे भ्रष्ट लोग उधर से चले थे, हाथी पर बैठ गये कि मजबूत सवारी है, बचा लेगी, मेरे पास 39 करोड़ का प्रमाण है, कहें तो भिजवा दूं।

(लाल बत्ती होने पर)

श्रीमन्, अभी तो शुरू भी नहीं किया कि आप लाल बत्ती दिखाने लगे। अभी 5 मिनट हो रहा है, 10 मिनट का समय दिया गया है। हम आपकी घड़ी देखकर ही बोल रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, यह कल से बोल रहे हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

श्रीमन् 1.05 बजे शुरू किया था, 1.10 हो रहा है। मैं जानता था कि आप लाल बत्ती दिखायेंगे लेकिन मैं लाल बत्ती से नहीं भाग सकता। अपनी बात कहने का मुझे अवसर दीजिए। मान्यवर, काम के बदले अनाज योजना जो है, बलिया में 500 करोड़ का घोटाला है, हम इसमें सी0बी0आई0 की जांच चाहते है। आप टैंकर लेकर चले जाइये, बाहर तेल मिल जायेगा लेकिन कोटेदार के यहां नहीं मिलेगा, वह कहेगा कि दो महीने से लैप्स है। वहां पर 30-35 रूपये में मिट्टी का तेल मिल रहा है, श्रीमन् जो झोपड़ी में रहता है, डिबरी जलाता है। मान्यवर, प्रदेश के 20 प्रतिशत लोग झोपड़ी में रहते हैं। मान्यवर, उनके लिए राज्यपाल के अभिभाषण में कुछ भी नहीं है। लगभग 7 करोड़ लोग झोपड़ी में रहते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आजादी के 58 वर्ष हो गये, इनको छत कब मिलेगी। कब तक वह और उनके बच्चे गर्मी में लू में मरते रहेंगे जाड़े में ठंडी से ठिठुरते रहेंगे और बरसात में पानी में भीगते रहेंगे ? क्या यह सरकार उनके लिए हाईटेक विलेज बनाने जा रही है, सुब्रत राय जी जो हाईटेक सिटी बनाने जा रहे हैं और उसमें जो स्वीमिंग पूल बनाएंगे तो क्या उसमें इन गरीबों के बच्चे नहाएंगे ? गांव के लिए यह सरकार कुछ नहीं कर रही है। आज प्रदेश में कुछ सड़के अवश्य बन रहीं हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं शिक्षा को समाप्त कर दिया जाये। आज स्कूल में बच्चों को बस खिचड़ी खिलाने के लिए भेजा जाता है और खिचड़ी खाने के बाद बच्चे वापस आ जाते हैं। जिन विद्यालयों में कभी श्री चन्द्र शेखर आजाद, श्री मुलायम सिंह यादव, चौधरी चरण सिंह जैसे विद्वान नेता पढ़ा करते थे आज उन विद्यालयों की क्या हालत है। आप क्यों नहीं 15 अगस्त की परेड में गरीब बच्चों को शामिल करते हैं। उसमें तो आप सी0एम0एस0 के बच्चों को लेते हैं। और गरीब बच्चों को छुपा देते हैं। मान्यवर, इस सरकार में नकल उद्योग का रूप ले चुका है। नौजवान आज पढ़ने के लिए स्कूल में नहीं जाते क्योकि वह जानते हैं कि स्वकेंन्द्र है और परीक्षा में वह नकल से पास हो जाएंगे। मान्यवर, स्कालरशिप में गड़बड़ी हो रहीं है। मैंने कहा था कि स्कालरशिप का पैसा सीधे छात्रों के खाते में भेजा जाना चाहिए। नकल न कराने का डर दिखाकर विद्यालय उनकी विद्यालय स्कालरशिप का पैसा हड़प लेते हैं। मान्यवर, यह करोड़ो रूपयों का घोटाला है। मान्यवर, शिक्षा की गुणवत्ता गिरी है। बलिया में ही अभी तक छात्र वर्ष 1986 तक शिक्षा में प्रथम स्थान पाते थे। और आपने जगह-जगह पाउच की दुकाने खोल दी हैं। अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें झूमता हुआ हिन्दुस्तान नहीं चाहिए। मान्यवर, पाउच की दुकानें खोलकर सारे नियम ताक पर रख दिए गये। अगर यह इतनी ही अच्छी बात है तो माननीय मंत्रीगण क्यों नहीं अपने बच्चों के साथ बैठकर स्वयं भी शराब पीते और पिलाते हैं। क्यों गरीबों के बच्चों को बरबाद करते है।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश कैसे बनेगा ? मान्यवर, प्रदेश में स्वास्थ्य की दशा बहुत खराब है। बलिया में सी0टी0 स्केन मशीन नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय समाप्त हो गया है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि क्रम से बुलवा लें। भाजपा, बसपा और कांग्रेस।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, स्वास्थ्य की जो हालत है वह बहुत खराब है। कहते हैं कि 8 रूपये का पर्चा 1 रूपये में कर दिया। लेकिन डाक्टर नहीं हैं। बलिया में बछईपुर में डाक्टर का स्थानान्तरण मऊ जिले में कर दिया। वह वहीं रहकर प्रैक्टिस करता है कहां स्वास्थ्य दे दिया। सिटी स्कैन मशीन नहीं है। गरीब को किडनी, हार्ट, कैन्सर की प्राब्लम हो जाये तो वह कहां आपरेशन करा सकता है। इसलिए कहना चाहता हूं कि मुफ्त में किडनी, हार्ट, कैन्सर की दवा दी जाय। मान्यवर, आपने कहा कि बेरोजगारी भत्ता दे रहे है। पांच सौ रुपया आप दे रहे हैं लेकिन पांच सौ रुपया तो एक मजदूर की मजदूरी से भी कम है। जो लड़के एम0ए0 और बी0ए0 हैं उनके मोराल को आपने कम किया है, उनके मोराल को आपने गिराया है। जिसकी भुजाओं में दम है, जो सीमाओं में पहरेदारी कर सकता है, जो चीन और पाकिस्तान की सीमा पर रहकर अपना बल दिखा सकता है, उस नौजवान को आप पांच सौ रुपया दे रहे हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि आप उनके हाथों में काम दें। लेकिन आप तो सायनाईड कैप्सूल खरीदने के लिए पैसा दे रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, ग्रामीण लड़कों को वहां पर कोचिंग की सुविधा मिलनी चाहिए। उनको एम0बी0ए0 मेडिकल की कोचिंग की सुविधा दी जाय। नौजवान बेरोजगारों को काम दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री राम इकबाल सिंह-

अगर देना ही है तो पांच हजार रुपया उनको महीना दें। एक चपरासी के बराबर की तनख्वाह तो उन्हें दें। कन्या धन की बात कही गयी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, आपको बहुत समय दे दिया गया है। आप तो नेताओं में गिने जाते हैं पांच मिनट का समय आपको और दे दिया है अब आप समाप्त करें।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, कन्या धन की बात कही गयी। आपने कहा कि सामान्य श्रेणी के लोग हैं, जिनकी उन्नीस हजार चार सौ चौरासी रुपया प्रति व्यक्ति आमदनी से नीचे होगी, तो उन्हें दिया जायेगा। आप इसमें विभेद कर रहे हैं। जैसा आपने अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के लिए किया है बीस हजार, उसी तरह से सामान्य श्रेणी का भी आप कर दीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही है। गम्भीर पहलू सभी सदस्य उठा रहे हैं लेकिन कोई भी अधिकारी नहीं है। यही बात दो दिन पहले भी उठी थी। यह एक गम्भीर मामला है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय माथुर साहब आप देखें कि अधिकारी सब बैठे हैं।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे और बोलने की अनुमति नहीं दी लेकिन जितनी भी अनुमति दी उसके लिए धन्यवाद। मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन के प्रस्ताव पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठें मैंने आपको दस मिनट से ज्यादा पांच मिनट और दिया और उसके बाद एक-एक करके आप बीस मिनट तक बोलें।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमन्, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो संशोधन रखा गया है, बोलने का अवसर दिया। निश्चित तौर से मान्यवर, शायद मैं श्री राज्यपाल के अभिभाषण प्रस्ताव के धन्यवाद प्रस्ताव पर भी बल दे सकता था, चूंकि मेरें जनपद के मेरे सहयोगी विधायक ने धन्यवाद प्रस्ताव रखा था, लेकिन मान्यवर, पूरे गौर से श्री राज्यपाल का अभिभाषण पढ़ा। श्री राज्यपाल का अभिभाषण राज्य सरकार की,

श्री रामकरन आर्य-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है, धन्यवाद प्रस्ताव पर एक बार माननीय पाल साहब बोल चुके हैं, क्या दोबारा फिर वह बोलेंगे ?

*श्री जगदम्बिका पाल-

नहीं मैं इस पर नहीं बोला हूं। अभी कल तो मान्यवर, दल के सभी नेता बोले थे, आज हम लोगों को अवसर मिला है, लेकिन अच्छी बात है मैं तो उनकी तारीफ कर रहा था और वह चाहते हैं कि मैं उनकी तारीफ भी न करूं। अगर मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। अधिष्ठाता महोदय मैंने इस पूरे

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

राज्यपाल के अभिभाषण में जो सरकार की नीतियों और दस्तावेजों और कार्यक्रमों का खुलासा है या इस सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को प्रतिबिम्बत करता है यह पूरे वर्ष की जो योजनायें हैं उनको दिग्दर्शित करता है, श्रीमन् मुझे खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आज पूर्वांचल के साथ जिस तरह से उपेक्षा हो रही है इस बजट में या राज्यपाल के अभिभाषण की नीतियों और कार्यक्रमों में, मान्यवर, निश्चिततौर से एक तरफ यह बात कही गयी कि हम उत्तर प्रदेश में नई चीनी मिलों को लगाने के लिए निजी क्षेत्रों में हम पांच हजार करोड़ रुपये का पूंजीनिवेश कर रहे हैं, मैं निश्चिततौर से बधाई दूंगा क्योंकि आज उत्तर प्रदेश के 80 प्रतिशत किसान केवल उसके पास कैश क्राप अगर कोई है तो वह गन्ने की खेती है, लेकिन आज उस 80 प्रतिशत जिनके पास कैश क्राप केवल गन्ने की खेती का है, गन्ने की आय है, गन्ने की खेती से ही उनके घर के बच्चों की फीस जाती है, उनके बीमार पिता की तीमारदारी के इलाज के लिए पैसा होता है, उसी गन्ने की पर्चियों के भुगतान से बेटियों की शादी होती है, लेकिन आज जो राज्य चीनी निगम की बन्द चीनी मिलें है जो सर्वाधिक पूर्वांचल में स्थित है चाहे वह गोण्डा की नवाबगंज चीनी मिल हो, चाहे वह बस्ती की मुण्डेरवा चीनी मिल हो, चाहे वह देवरिया की हो, चाहे भटनी की चीनी मिल हो या जितनी भी पूर्वांचल की चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं या निजी क्षेत्र की चीनी मिले बन्द पड़ी है, खलीलाबाद हो, फरेंदा हो, आज उन चीनी मिलों को चलाने के सम्बन्ध में कोई प्रयास नहीं हो रहा है। मान्यवर, आखिर उस पूर्वांचल के लोगों ने इस सरकार को बनाने में पूरा सहयोग किया है, बस्ती मण्डल से दस-दस विधायक समाजवादी पार्टी से जीत करके 14वीं विधान सभा में आये हैं और आज एक चीनी मिल का शिलान्यास हुआ उसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ और मेरे जनपद की दो-दो चीनी मिलें बन्द पड़ी हैं, मुण्डेरवा और खलीलाबाद स्वाभाविक है कि इस बात की चिन्ता है, आखिर हम राज्यपाल के इस अभिभाषण में जो सरकार की नीतियों का दस्तावेज है उससे क्या मिला।

मान्यवर, निश्चित तौर से कल लगातार चाहे नरेश अग्रवाल जी ने कहा हो, चाहे और अन्य लोगों ने बोला हो कि यह विपक्ष के लोग केवल आलोचना करते हैं और विपक्ष के लोग इस राज्य सरकार के अच्छे कार्यक्रमों की तारीफ नहीं करते हैं स्वाभाविक है कि जो अच्छे कार्यक्रम हैं उनकी तारीफ भी करेंगे अगर सरकार के द्वारा बेरोजगारों को भत्ता दिया गया तो इनको भी तारीफ करनी चाहिए। जो कल तक मैनीफेस्टों में भारतीय जनता पार्टी कहती थी कि किसी दिन अगर हम सत्ता में आयेंगे तो हर हाथ को काम, हर खेत को पानी देंगे, लेकिन सत्ता में आने के बाद इन्होंने संसाधनों का रोना-रो करके इन्होंने कोई भत्ता नहीं दिया स्वाभाविक है कि अगर बेरोजगारी का भत्ता दिया गया तो एक बड़ा कदम है और प्रदेश के बेरोजगारों के लिए दिया गया अब उसमें यह बात उठायी जाय कि साहब सभी लोगों को दे दिया जाय या कन्या धन है, यह भी एक अच्छा काम है, लेकिन अगर राज्य सरकार इसी पे आह्लादित हो कि हमने बेरोजगारी भत्ता दे दिया या हम कन्या धन दे रहे हैं तो इससे उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा उठाये गये कदम से उत्तम प्रदेश बन जायेगा तो स्वाभाविक नहीं है क्योंकि मान्यवर, इन अच्छाईयों में भी पूरे प्रदेश में जो बिजली का संकट है जो अभूतपूर्व है जिससे गांव-गांव का जन-जन, खेत-खलिहान प्रभावित है, जब बढ़ती हुई कानून-व्यवस्था को चुनौती हो रही है, जिस तरह से हत्यायें हो रही है, जिस तरह से घटनायें हो रही हैं अगर कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारी नहीं गयी, बिजली के संकट को सुधारा नहीं गया तो मान्यवर, जो अच्छे कदम भी राज्य सरकार ने उठाये हैं उनका भी लाभ आगामी चुनाव में सरकार को नहीं मिलेगा, यह मेरा सुझाव है, अगर अब

भी समय रहते हुए राज्य सरकार दृढ़ता से यह कदम उठाये कि हम प्रदेश की कानून व्यवस्था को बनाये रखने के लिए जो भी होगा करेंगे, हम अपराधियों को बख्शेंगे नहीं। मान्यवर, मैं केवल एक-दो बातें कहना चाहता हूं, मान्यवर, जब बिजली की बात आती है तो यह क्या कारण है कि राज्य सरकार केवल केन्द्र सरकार पर आक्षेप कर देती है कि हमको तो केन्द्र बिजली नहीं दे रही है, एन0टी0पी0सी0 बिजली नहीं दे रही है, एन0एच0पी0सी0 बिजली नहीं दे रही है, हम बिजली चाहते हैं हम बिजली का भुगतान करना चाहते हैं, हम बिजली का पैसा देना चाहते हैं, नगद देना चाहते हैं फिर भी केन्द्र सरकार बिजली नहीं देती है। मान्यवर, केवल अपनी कमियों को अपनी असफलताओं को छुपाने के लिए केन्द्र सरकार की आलोचना करना, केन्द्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, वह केन्द्र सरकार है, जिसको इन्होंने स्वतः माना कि वार्षिक योजना चाहे इस साल की हो, पिछले साल की हो, पिछले साल भी 25 प्रतिशत इस बार 27 प्रतिशत वार्षिक योजना का आकार केन्द्रीय योजना आयोग और केन्द्रीय सरकार ने बढ़ाया, तो मान्यवर, अगर केन्द्र सरकार आपकी योजना का जो आकार है उससे भी 27 प्रतिशत अधिक पैसा दे रही है तो आज तो धन्यवाद दीजिए।

मान्यवर, अगर अयोध्या के आतंकवाद की घटना हुई जिसकी आप निश्चिततौर से कहते हैं, या वाराणसी की घटना हुई तो कांग्रेस पार्टी तो नहीं थी, जिसने बन्द की काल दी अगर बन्द की काल भारतीय जनता पार्टी ने दी तो हम आज इसकी आलोचना कर रहे हैं, लेकिन आज जिस समय वाराणसी श्रीमती सोनिया गांधी गई उस समय आपको याद होगा, उन्होंनें कहा कि यह संकट की घड़ी है चाहे अयोध्या में आतंकवाद की घटना हो, चाहे वाराणसी में आतंकवाद की घटना हो, यह राजनीति का इस समय वक्त नहीं है, इस समय उत्तर प्रदेश सरकार को जो भी सहयोग की जरूरत पड़ेगी। केन्द्र सरकार सहयोग करेगी तो मान्यवर, इससे ज्यादा और क्या हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में जब-जब आतंकवाद की घटनायें बढ़ी हैं।

(व्यवधान) (श्री भरत सिंह के कुछ कहने पर)

मान्यवर, माननीय भरत सिंह जी ने मुझे याद दिला दिया जब [x x x] देश के प्रधान मंत्री थे और कारगिल पर जब हमला हुआ था तो उस समय जो हमारे देश के रक्षा मंत्री थे और जब उस समय उन शहीद सैनिकों के लिए ताबूत खरीदे गये थे तो उसमें भी कमीशन खाने की बात आयी थी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय भरत सिंह जी जब आपको मौका मिलेगा तब आप कहियेगा।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, सी0बी0आई0 की जांच में दोष सिद्ध हो गया है। बोफोर्स के मामले में क्वात्रोची को छोड़ दिया गया। ये कांग्रेस के लोग हैं ईराक से पेट्रोल के मामले में दलाली ली गयी।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल साहब को बोलने दीजिए। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, किस प्रकार से बोफोर्स में लाखों रुपये की दलाली ली गयी यह सबको पता है। मान्यवर, आज जो देश में आतंकवादी घटनायें हैं यह सब खुलेआम कांग्रेस की शह पर है।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, परम्परा यह होती है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर,रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर या अन्य किसी प्रस्ताव पर जब बहस होती है तो सभी सम्मानित सदस्यों को उस पर बोलने का अवसर मिलता है। अगर मैं अपनी बात कह रहा हूं तो मुझे सुना जाये।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया पाल साहब को अपनी बात कह लेने दें।

(व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, सोनिया जी की बात मैं नहीं करूंगा तो कौन करेगा। सोनिया जी हमारी पार्टी की सम्मानित नेता है और हमारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दुनिया की महान नेता है। मान्यवर, इनके नेता तो गांव की प्रधानी का भी त्याग नहीं कर सकते हैं और जिस तरीके से इनके लोग कटघरे में खड़े हुए थे, [x x x] हमारी नेता ने तो भारत के प्रधान मंत्री के पद को ठुकराया है। वे लाभ के पद पर भी नहीं थी लेकिन उन्होंने पार्लियामेन्ट से संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, उनको तो राष्ट्रपति जी ने प्रधान मंत्री बनाने से मना कर दिया था।

श्री अधिष्ठाता-

जब आपको मौका मिलेगा तब अपनी बात कहियेगा। मैं आप वरिष्ठ नेताओं से कहूंगा कि आप माननीय भरत सिंह को बैठने के लिए कहें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, बिना आपकी अनुमति के ये बोल रहे हैं।

भाषण में कटाक्ष करने एवं आरोप लगाने पर आपत्ति

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जब कटाक्ष होगा तो जवाब जरूर दिया जायेगा।

श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

जब आप लोगों को बोलने का मौका मिले तो बोल लीजिएगा। अभी बैठिये।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

[x x x]

श्री अधिष्ठाता-

कोई कटाक्ष यहां पर नहीं होगा। पाल साहब आप अपने भाषण में किसी पर कटाक्ष और आक्षेप की बात नहीं करें। आप अपना भाषण शुरू करें।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

किसी भी व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप या कटाक्ष की बात नहीं होनी चाहिए, आप अपना भाषण शुरू करें। (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मान्यवर, यह हिंसापरस्त और साम्प्रदायिक लोग इन्होंने पूरे प्रदेश और देश को बरबाद कर दिया। [X X X]

(अनेक माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने से व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

सदन को शांतिपूर्वक चलने दें कोई ऐसी बात न करें। कटाक्ष या आरोप-प्रत्यारोप की बात नहीं होनी चाहिए। आप लोग शांति से बैठें, उन्हें अपना भाषण करने दें। हम देख लेंगे कहीं कोई आरोप-प्रत्यारोप की बात होगी तो उसे निकाल दिया जायेगा। पाल साहब आप अपना भाषण शुरू करें (व्यवधान होने पर)

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह लोग आपकी अनुमति से बोल रहे हैं ऐसा तो हमने कभी सदन में देखा नहीं। (व्यवधान होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय खन्ना जी, आपने कहा कि आरोप प्रत्यारोप कोई न हो तो मैंने कहा कि कोई आरोप-प्रत्यारोप की बात होगी तो निकाल दिया जायेगा। अब आप शांति से बैठें और उनको अपना भाषण करने दें।

मैंने कहा है कि आरोप प्रत्यारोप कोई होगा तो निकाल दिया जायेगा। (व्यवधान)

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मेरे जैसा अकिंचन सेवक इस सम्मानित सदन में जो हमेशा संजीदगी का परिचय देता हो। मैंने कदाचित कभी किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचाया, मैं व्यक्तिगत आक्षेप तो सोच भी नहीं सकता। मैं कभी किसी दल पर भी आक्षेप नहीं लगाता। अगर यह ऐतिहासिक सच है कि जब उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो 11 चीनी मिलें उन्होंने बन्द करायीं तो यह आरोप कैसे हुआ।

इन्होंने 11 चीनी मिलें बन्द करवा दी, यह कोई आक्षेप नहीं है।

(श्री भरत सिंह, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा एक साथ बोलने पर-व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बार-बार खड़े हो रहे हैं, इस तरह थोड़े चलेगा। आरोप-प्रत्यारोप की बात खन्ना साहब ने उठाई, उस पर मैंने कह दिया कि अगर ऐसी कही बात आती है तो मैं उसे देख लूंगा।

(पुनः श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह के खड़े होने पर)

जब आपका नम्बर आयेगा तब बोलियेगा, अभी शान्ति से बैठिये।

श्री जगदम्बिका पाल-

अधिष्ठाता महोदय, ऐसे साम्प्रदायिक लोगों को श्रीमती सोनिया गांधी का नाम भी नहीं लेना चाहिए।

(पुनः श्री भरत सिंह, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह द्वारा एक साथ बोलने पर-व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

यह अच्छा नहीं लग रहा है। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं और बार-बार व्यवधान पैदा कर रहे हैं।

इस सदन का सदस्य न होने वाले व्यक्तियों का नाम लेने तथा अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

*श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

मान्यवर, माननीय सदस्य ने एक ऐसे व्यक्ति, एक ऐसे नेता का नाम लिया, जो इस सदन का सदस्य नहीं है। सामान्यतः जो इस सदन का सदस्य नहीं होता, उसका नाम नहीं लिया जाता, यह एक संवैधानिक परम्परा है। अगर उनका नाम यहां लिया गया है तो उससे संबंधित सारी बातें अप्रसांगिक हो गयी और यह सारी बातें कार्यवाही से निकालने योग्य है।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

[x x x]

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठें, आपको कोई अनुमति नहीं दी गयी है। आप बार-बार खड़े होकर व्यवधान पैदा कर रहे हैं। प्रमोद जी की बात पूरी हो जाने दीजिये।

(श्री भरत सिंह, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह तथा भारतीय जनता पार्टी के अन्य माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर-व्यवधान)

उस पर मेरी व्यवस्था आ गयी है, आप उनकी बात भी सुन लेने दें। आप लोग कृपया बैठिये। कोई चीज रिकार्ड में नहीं लिखी जायेगी।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मैंने आपकी अनुमति से, आपके आदेश के बाद व्यवस्था का प्रश्न उठाया था।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

भरत सिंह जी आप दूसरे की बात सुनने का साहस रखिये। अभी खन्ना साहब ने एक बात उठाई थी, उनकी बात सुनी गयी। अब आप बैठिये, मैं इस पर व्यवस्था दूंगा।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

आप हम लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

आप इस तरह से बार-बार व्यवधान न करें। आप लोग शान्ति से बैठ जाएं और एक-एक माननीय सदस्य की बात को सुनने दें।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

यह कांग्रेस के लोग पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग बैठ जाएं, प्रमोद जी ने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, मेरा भी व्यवस्था का ही प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

पहले उन्होंने व्यवस्था का प्रश्न उठाया है, इसलिए पहले उन्हें सुन लेने दीजिए, उसके बाद में आपका भी व्यवस्था का प्रश्न सुन लेंगे।

श्री भरत सिंह-

तो आप उन्हें भी बैठाइये, मान्यवर, आप समान भाव से विधान सभा चलाइये।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव "हरीश जी"-

मान्यवर, जो भाषण यहां पर हो रहे है, वह ठीक नहीं हैं। माननीय सदस्यों को अपना विषय उठाना चाहिए, इधर-उधर की बात कहने से उत्तेजना कल भी पैदा हुई थी और आज भी वैसा ही माहौल बन रहा है, इसलिए मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि वह पक्ष-विपक्ष में बोलें जनता की समस्याओं को रखें, किसी पर आक्षेप करना, अनावश्यक नाम ले करके उत्तेजना पैदा करना ठीक नहीं है। अनुरोध करूंगा कि ऐसा करके सदन का समय न नष्ट करें ताकि ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को बोलने का मौका मिल जाए।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, पाल साहब बोल रहे थे, वह बोलें, हमें कोई दिक्कत नहीं है लेकिन प्रमोद जी को अगर आप बीच में बोलने की अनुमति देंगे तो हम लोगों को भी बोलने दीजिए। हम सभी लोग आपकी अध्यक्षता स्वीकार कर रहे हैं, आप प्रमोद जी को बैठा दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

यह कोई बात नहीं हुई, आप शान्ति से बैठे और सदन को चलने दें। प्रमोद जी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं, इसलिए उनको, सुन लेने दीजिए। मैने खन्ना साहब की बात सुनी और अब प्रमोद जी की बात सुन लें, उसके बाद हम व्यवस्था दे दें। खन्ना साहब ने अपनी बात रखी और प्रमोद जी व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं तो आप उन्हें भी सुन लेने दीजिए।

श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आप हम लोगों की बात को सुन ही नहीं रहे हैं, हमने पहले ही कहा था कि हमारा व्यवस्था का प्रश्न है लेकिन आप हमारी सुन ही नहीं रहे हैं।

श्री भरत सिंह-

नहीं, ऐसा नहीं होगा, हमारा भी व्यवस्था का प्रश्न है। पाल जी बोल रहे थे, वह बोलें, आप उन्हीं को बोलने दीजिए।

श्री अधिष्ठाता-

आप संसदीय परम्पराओं के ज्ञाता हैं, अगर कोई व्यवस्था का प्रश्न आएगा तो क्या उसे सुना नहीं जाएगा ? हमें सुन लेने दीजिए, सुनने के बाद हम निर्णय दे देंगे।

आप लोग शांत रहें। मा0 खन्ना जी के प्रश्न को सुन लिया और साथ ही साथ व्यवस्था दे दी, अब प्रमोद जी की बात आ जाने दीजिए।

श्री भरत सिंह-

मान्यवर, भारतेन्द्र सिंह जी, प्रमोद जी के पहले से व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं पहले इनकी बात सुन लें।

श्री अधिष्ठाता-

प्रमोद जी को अनुमति दे चुका हूं पहले प्रमोद जी की बात आ जाए फिर आपकी बात सुन लेंगें।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

नहीं मान्यवर, पहले भारतेन्द्र जी को सुन लीजिए।

श्री भारन्तेद्र सिंह-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि यहां पर श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने के लिए खड़े हैं, किसी नेता का गुणगान करने के लिए नहीं आये हैं। बार-बार एक नेता का, जो इस सदन की सदस्य नहीं हैं, यहां की रहने वाली नहीं हैं बार-बार उल्लेख होगा तो बेकार की प्रतिक्रिया होगी।

श्री अधिष्ठाता-

यह कोई व्यवस्था नहीं हैं।

श्री भारतेन्द्र सिंह- इसमें आपकी व्यवस्था आ जाए। राज्यपाल के अभिभाषण के सरकार की नीतियों के बारे में चर्चा हो रही है इसमें सोनिया गांधी कहां से आ गयी ?

श्री अधिष्ठाता-

अब प्रमोद कुमार जी अपनी बात कहें।

श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं यहां पर एक व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से जो चिर-परिचित और कम से कम 250-300 बार इस पर अध्यक्ष पीठ से व्यवस्था आ चुकी है कि सम्मानित सदस्य जो इस सदन के सदस्य न हों और अपनी बात कह सकने के लिए, उसका प्रत्युत्तर देने के लिए यहां पर उपस्थित न हों और उनके नाम का उल्लेख हो और अवमानना के रूप में हो, आरोप के रूप में हो तो उसको उठाने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए, यह एक बात हुई। इस पर पीठ से कम से कम 400 से 500 बार निर्णय हो चुका है।

(श्री भरत सिंह, डा0 अरूण कुमार महरोत्रा, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह व भारतेन्द्र सिंह के खड़े होकर बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

यही बात खन्ना जी ने कही है, वही बात प्रमोद जी, कह रहे हैं। मैं इस पर व्यवस्था देने जा रहा हूं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरी व्यवस्था आ जाने दें। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह व्यवस्था संविधान के तहत मैं पीठ से मांग रहा हूं किसी सम्मानित सदस्य से यह व्यवस्था नहीं मांग रहा हूं। कृपापूर्वक आप व्यवस्था दें, दूसरे लोग व्यवस्था देने लगेंगें तो सदन की कार्यवाही शांतिपूर्वक नहीं चल सकेगी। मेरा कहना है कि जहां तक दलीय नेताओं की प्रशंसा की बात है, समाजवादी पार्टी के लोग बैठे हैं वह अपने नेता की प्रशंसा करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने नेता की प्रशंसा करते हैं, इसमें किसी का कोई आपत्ति नहीं तो सकती, ब0स0पा0 के लोग बैठे हैं वह अपने नेता की प्रशंसा करेंगें। बात यह आती है कि जहां अवमाननापूर्ण ढंग से कहा जाना प्रारम्भ किया जाता है, मैं यह कह नहीं रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आपकी बात आ गयी।

(श्री भरत सिंह, श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह, कुंवर भारतेन्द्र सिंह, डा0 अरूण कुमार मेहरोत्रा व श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने आसन पर खड़े पर खड़े हो गये।)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, सम्मानित सदस्य बैठ जांए, मैं कोई अवमानना की बात नहीं करने जा रहा हूं। मुझे कोई अवमानना की बात करनी होती कि वह लोग [x x x]

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो आरोप लगाये गये हैं और असंसदीय बातें कही गयीं हैं उनको कार्यवाही से निकाल दिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

देखिये अपने नेताओं की आप सराहना कर सकते हैं लेकिन अगर कोई अनर्गल, आरोप-प्रत्यारोप लगाया गया है तो मैं कार्यवाही को देख लूंगा और ऐसे शब्द जिन पर आरोप-प्रत्यारोप की बात आयी है वह कार्यवाही से निकाल दिये जायेंगे, चाहे माननीय सोनिया गांधी के विरुद्ध हों या माननीय अटल जी के विरुद्ध हों। अगर आरोप-प्रत्यारोप की बात आयी है तो उसको कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

(शोर)

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

[xxx]

श्री अधिष्ठाता-

माननीय खन्ना जी ने एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया। वह व्यवस्था दे दी गयी, अब इसको समाप्त करें आप। अब इस विषय को समाप्त करें, आगे भाषण चलने दीजिये, आरोप-प्रत्यारोप नहीं होगा। अगर आरोप-प्रत्यारोप होगा तो जैसा मैंने कहा वह कार्यवाही से निकाल दिया जायगा।

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, यह नहीं होना चाहिये, आरोप नहीं लगाये जाने चाहिये।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय राम इकबाल जी, माननीय मंत्री जी खड़े हैं। आप बैठ जायं।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, एक अप्रिय प्रसंग सदन में उपस्थित हुआ और अप्रिय प्रसंग के क्रम में इस सदन के वरिष्ठतम सदस्य माननीय हरीश जी ने बहुत सकरात्मक बात इस संदर्भ में कही। हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। उन्होंने कहा कि कोई ऐसी आक्षेपात्मक बात नहीं कही जानी चाहिये, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में जो इस सदन में अपना उत्तर देने के लिये उपस्थित नहीं है। यह इस सदन की परम्परा है और इस सम्बन्ध में अनेकों बार व्यवस्थायें आयी हैं किन्तु ऐसे लोगों का उल्लेख होता रहा है जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, और अध्यक्ष पीठ से हमेशा यह बात आयी है कि ऐसे व्यक्ति जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं उनका उल्लेख हो सकता है इस सदन में, लेकिन उनके प्रति आक्षेपात्मक टिप्पणी नहीं होनी चाहिये। मैं एक अनुरोध आपसे करना चाहता हूं कि आपने अपनी व्यवस्था दे दी है लेकिन श्रीमन् अन्तिम रूप से पीठ ही सदन को व्यवस्थित करने का काम करेगी। मेरा अनुरोध है कि जितनी भी आक्षेपात्मक टिप्पणी की गयीं हैं चाहे वह सीधे-सीधे आक्षेप हों या व्यंग के रूप में आक्षेप हों दोनों तरीके से अगर किसी सम्मानित नेता पर किये गये हैं, तो चाहे किसी सदस्य ने किया हो कोई आक्षेपात्मक टिप्पणी, मेरा आग्रह होगा कि यह माहौल नहीं चलना चाहिए, समय कम है और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा मा0 सदस्य करना चाहते हैं तो उसमें समय जाया न करें, यह जस्टिफाइड नहीं है। मैं समझता हूं कि इसमें न सदन की गरिमा का और न आपकी प्रतिष्ठा का और जिस नेता की तरफदारी के लिये हल्ला हम करना चाहतें हैं, न उसके राजनीतिक विचारों का यह सम्मान है। इससे किसी का भी भला होने वाला नहीं है। इसलिये मैं विनम्रतापूर्वक प्रार्थना करता हूं कि आप इस प्रकरण का पटाक्षेप करते हुये आप इसको स्वयं दिखवा लें और आक्षेपात्मक चीजें निकलवा दें और आगे की कार्यवाही चलाने की कृपा करें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय खन्ना साहब व अन्य सदस्यों ने जो बातें कहीं और जिस पर प्रमोद कुमार जी ने व्यवस्था उठाई है उस पर मैंने पहले ही कहा कि उल्लेख तो किया जा सकता है लेकिन आरोप-प्रत्यारोप किसी पर लगाए गए हैं तो हम कार्यवाही देखकर उनको निकलवा देंगे। पाल साहब आप बोलें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

*श्री जगदम्बिका पाल-

अधिष्ठाता महोदय मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे बोलने के समय कुछ व्यवधान पैदा हुआ अब सामान्य वातावरण है। मैं केवल दो बिन्दु कहना चाहता हूं पहली बात यह है कि राज्य सरकार ने स्वाभाविक रूप से प्रदेश की जनता के हितों के लिए कुछ कल्याणकारी कदम उठाए हैं। उन कल्याणकारी कदमों से निश्चित तौर पर प्रदेश की जनता तभी संतुष्ट होगी जब जनता के जनजीवन

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

की सुरक्षा की गारण्टी होगी। प्रदेश में गांव और शहरों में रहने वाले लोग हैं उनकी बिजली की आवश्यकता की पूर्ति होगी। जब बिजली की बात आती है तो केन्द्र पर आरोप-प्रत्यारोप करने से काम नहीं चलेगा। आज जो केन्द्र सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश को बिजली दी जा रही है वह गाडगिल फार्मूले के आधार पर बिजली दी जा रही है जिसके अनुसार नार्दन रीजन की ग्रिड से 36 प्रतिशत बिजली उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद को दी जाएगी। मैं जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि आज जो गाडगिल फार्मूला है उसके अनुसार केन्द्र द्वारा 36 प्रतिशत बिजली इस राज्य सरकार को मिल रही है, उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् को मिल रही है। यह 36 प्रतिशत एलोकेटेड बिजली है इसके अलावा अनएलोकेटेड बिजली भी 1246 मेगावाट मिल रही है इस तरह से 2800 मेगावाट बिजली राज्य विद्युत परिषद को केन्द्र सरकार द्वारा एन0टी0पी0सी0 द्वारा प्रतिदिन मिल रही है जबकि उत्तर प्रदेश में 2200 से 2600 मेगावाट प्रतिदिन बिजली का उत्पादन हो रहा है। जितनी बिजली यहां पर उत्पादित हो रही है उससे ज्यादा बिजली केन्द्र सरकार द्वारा गाडगिल फार्मूले के तहत व अनएलोकटेड मिलाकर दी जा रही है। जब सरकार सत्ता में आई थी उस समय यह कहा गया था कि दादरी विद्युत परियोजना दो साल में शुरू हो जाएगी और दो साल बाद विद्युत के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो जाएगा लेकिन सरकार को तीन साल हो रहे हैं अभी दो तीन साल और लग जाएंगे। आखिर इसके लिए किसकी जिम्मेदारी है। जब सरकार ने दादरी की घोषणा की थी उस समय हम लोगों ने इसका स्वागत किया था कि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई है तब से 17 साल बाद पहली बार एक विद्युत परियोजना शुरू हुई है। इन 17 सालों में तीन बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार सत्ता में रही, तीन बार बहुजन समाजपार्टी की सरकार सत्ता में रही और तीन बार समाज वादी पार्टी की सरकार सत्ता में रही लेकिन यह ऐतिहासिक तथ्य है कि जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार गई तब से कोई विद्युत परियोजना नहीं शुरू हुई। हमारे समय में अनपरा सी के सभी अनुबन्ध हो गए थे वह अनुबन्ध अन्तिम रूप से हो गए होते तो 400 से 1000 मेगावाट बिजली बढ़ जाती। मैं उसके विस्तार में नहीं जाना चाहता। दादरी परियोजना को दो वर्ष में पूरा होने की बात की जा रही थी तीन वर्ष हो गए अब और दो वर्ष की बात की जा रही है। 6 महीने बाद चुनाव होगा उसके बाद क्या होगा किसी को नहीं पता ?

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, अभी तो मैंने शुरू किया है थोड़ा तो समय दें। आज प्रदेश में 87 हजार करोड़ रुपए के बिजली के बिल हो रहे हैं लेकिन वसूली कितनी हो रही है 68 हजार करोड़ रुपए की वसूली हो रही है। 68सौ करोड़ रुपये की वसूली हो रही है। दो हजार करोड़ रुपये की वसूली राज्य विद्युत परिषद् नहीं कर पा रहा है। कौन जिम्मेदार है इसके लिये ? अगर राज्य विद्युत परिषद् यह दो हजार करोड़ रुपये की वसूली कर ले तो निश्चित रूप से यह बिजली देने सक्षम हो सकेंगे। मेंरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह बिजली के लिये निर्भर नहीं हो पा रहे हैं जिस पावर प्लान्ट की स्थापना अभी तक नहीं हो पाई यह कहते थे कि उससे बिजली देंगें। इस तरह से यह पता चल रहा है कि इस सरकार ने कोई काम नहीं किया है। मान्यवर, मैं आलोचना नहीं कर रहा हूं लेकिन जो सरकार ने वायदे किये उसके बारे में बता रहा हूं।

मान्यवर, इसी तरह से कानून व्यवस्था के बारे में बहुत सी बातें कहीं गई। मैं उन बिन्दुओं को दोहराना नहीं चाहता। तमाम घटनाओं का उल्लेख हमारे सम्मानित सदस्यों ने इस सदन में किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी जिंस समय अपना उत्तर देंगे तो वे यह जरूर कहेंगे कि हमारे कार्य काल में यह आंकड़े हुए हैं हत्या, लूट, बलात्कार और अपहरण के। आंकड़ों में कमी आई है और इस तरह से मामलों में घटोत्तरी हुई है। मान्यवर, कानून व्यवस्था का मूल्यांकन आंकड़ों से नहीं होता है। मान्यवर, यह एक दिन की बात नहीं है रोज इस तरह की घटनाएं होती है। एक वकील की हत्या हो जाती है। एक उद्योगपति की हत्या हो जाती है। जब वह सुबह टहलने के लिये जाते हैं बुटेनिकल गार्डेन के पास। यह बड़ी अच्छी बात है कि सरकार ने आज मार्निंग पुलिस का गठन किया है। हम लोगों को भी लगता है जब हम टहलने जाते हैं बुटेनिकल गार्डेन, लोहिया पार्क, ताज गार्डेन कि हम निश्चित रूप से सुरक्षित हैं। मान्यवर, जहां यह मार्निंग पुलिस का गठन कर दिया गया है आश्चर्य की बात है कि मुम्बई से एक व्यवसायी लखनऊ होते हुए सिद्धार्थनगर जा रहा था मार्निंग पुलिस के लोग राजभवन के पास मिलते हैं उसको रोक लेते हैं, कहते हैं कि चलो हम बन्द कर देंगे। वह मुम्बई से आ रहा था और अपने घर सिद्धार्थनगर जा रहा था। उससे 2 हजार रुपये जबरदस्ती लेकर उनको छोड़ दिया। वे विधान सभा अध्यक्ष के क्षेत्र के रहने वाले हैं वापस जा रहे थे तो अध्यक्ष जी से बात हुई उन्होंने कहा कि हमारे साथ यह सुलूक हुआ उन्होंने कृपा पूर्वक कहा कि वापस आ जाइये। वे फिर वापस आ रहे थे अध्यक्ष जी से मिलने के लिये तो दो सिपाही दूसरे फिर मिलते हैं और उन्होंने भी फिर कोशिश करके उन्हें फिर लूट लिया। मान्यवर, यह हाल है मार्निंग पुलिस का। मान्यवर, आज राजधानी में जिस पुलिस को लोगों की सुरक्षा और सहायता के लिये रखा गया है वही लोगों को लूट रही है। राजधानी में आज कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं रह गया है। सुबह कोई व्यक्ति जा रहा हो और चोर लुटेरे लूट लें तो यह एक बार क्षम्य हो सकता है लेकिन पुलिस का इस तरह का व्यवहार हो तो मान्यवर, फिर क्या कहेंगे ? इसी तरह से मान्यवर, आपने अखबार में पढ़ा होगा अभी तक तो जेल में मोबाइल फोन का इस्तेमाल होता था कि वे किसी तरह से वहां जेल में पहुंचा दिये जाते हैं लेकिन मान्यवर, दिल्ली की कार्ल गर्ल जेल के अन्दर गयी। एस0पी0 ने पकड़ा। मान्यवर, इस तरह से हो रहा है जेल के अधिकारियों और माफियाओं की मिलीभगत से जेल में रात को कॉल गर्ल जा रही है। मान्यवर, मैं 6 महीने की घटनाओं का जिक्र नहीं कर रहा हूं। कल मंगलवार की 2/3 घटनाओं के बारे में बता रहा हूं। इटावा में एस0ओ0जी0 के इन्चार्ज अरविन्द चौहान की सिपाही उदयवीर ने हत्या कर दी। मान्यवर, सिपाही दरोगा की हत्या कर रहा है तो आम आदमी किस तरह से सुरक्षित है। इलाहाबाद में क्या हुआ ? कल जिस तरह से घटना हुई। नोएडा की एक महिला जो केरल की रहने वाली थी कल शाम को खड़ी थी महानगर के बस अड्डे पर। मान्यवर, वह दिल्ली यू0पी0 का रास्ता है। गेट वे ऑफ दिल्ली है। उसी गेट से दिल्ली जाते हैं। बस अड्डे पर कोई सुरक्षित नहीं। वह बस अड्डे पर खड़ी थी और कुछ लोगों ने उसको अपनी कार में खींच लिया और तीन घंटे तक उसके साथ बलात्कार किया गया। मान्यवर, मैं कल की घटना का उल्लेख कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

आपका समय हो गया है, दो मिनट में अपनी बात खत्म करें।

श्रीं जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, अगर गाजियाबाद के मोहन नगर के बस स्टैंड से कोई महिला उठा ली जाए और उसके साथ बलात्कार हो तो कोई गाजियाबाद क्यों आयेगा, वह गुड़गांव जायेगा ? आज जो हम नोयडा और ग्रेटर नोयडा बना रहे हैं, हमें कानून-व्यवस्था की स्थिति को ठीक करना होगा। मैं इन कुछ घटनाओं को जो कल घटित हुई हैं, उनका उल्लेख कर रहा हूं, मैं समझता हूं कि कानून-व्यवस्था की स्थिति में सुधार होना चाहिए। इस तरीके से कि आए दिन, एस0पी0 फर्रुखाबाद को दरोगा और सिपाही उनके दफ्तर में मारें या कोई सिपाही अपने दरोगा की हत्या कर दे या गाजियाबाद में रहने वाली महिला को उठा लिया जाए, तो हमें इस ओर देखना चाहिए। मान्यवर, एक बात विकास की कह दूं, उत्तर प्रदेश में जो विकास की बात होती है तो विकास कौन करेगा, हम चाहे जितना परिव्यय पारित कर दें, जितनी भी योजनाएं हैं, वह विकास ग्रामीण क्षेत्रों में होना है, विकास खण्डों में होना है ? मैं नहीं जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के जनपदों की क्या हालत है, लेकिन मैं बस्ती, सिद्धार्थ नगर और संतकबीर नगर की बात कर रहा हूं ? मेरे निर्वाचन क्षेत्र में 14 विकास खण्ड हैं और मात्र 4 बी0डी0ओ0 नियुक्त हैं, एक-एक बी0डी0ओ0 को 3-3, 4-4 ब्लाक की जिम्मेदारी मिली हुई है। मैं राजस्व मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आप के यहां बी0डी0ओ0 हैं कि नहीं। मैं राम गोविन्द जी से जानना चाहता हूं कि जब 14 ब्लाकों में केवल 4-5 बी0डी0ओ0 रहेंगे और जो ज्वाइंट बी0डी0ओ0 हैं, उन्हें आहरण का अधिकार भी नहीं दिया जा रहा है तो आप कैसे विकास की बात कर रहे हैं। मुख्य मंत्री जी ने परसों समीक्षा की थी और कहा था कि यदि योजनाएं पूरी नहीं होंगी तो अधिकारी जिम्मेदार होंगे। मान्यवर, अब मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, फिरोजाबाद के कांग्रेस सेवा दल के अध्यक्ष रहे हैं, यूथकांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं, हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता थे, आज तक पूरे राजनैतिक जीवन में उनके ऊपर कभी एक भी मुकदमा नहीं दायर हुआ। आज उनकी हत्या हो गयी और हत्यारे खुलेआम घूम रहे हैं। वह मेरी कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस सेवा दल से रहे हैं, हर्ष तिवारी, आज उनकी हत्या हो गयी।

श्री अधिष्ठाता-

पाल जी, एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर दें।

श्री अजीम भाई-

मान्यवर, माननीय पाल जी, हर्ष तिवारी जी की बात कह रहे हैं। उनकी हत्या हो गयी, बहुत अच्छे व्यक्ति थे लेकिन मान्यवर, हत्या करने वाला भी कांग्रेसी नेता है। किसी और ने हत्या नहीं की, मुकेश गुप्ता जो नेम्ड है, उस केस में, वह भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है। आपकी जानकारी के लिए मैंने बताया कि मुकेश गुप्ता कांग्रेस का ही कार्यकर्ता रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

आप बैठिये।

श्री अजीम भाई-

मान्यवर, मैं इस हत्याकाण्ड की सच्चाई बताना चाहता हूं। मैं हर्ष तिवारी जी के बारे में सच्चाई बता रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

जब आप बोलेंगे तब सच्चाई बताना।

श्री अजीम भाई-

माननीय पाल साहब ने हत्या का जिक्र किया है, हर्ष तिवारी जी के बारे में बताना चाहता हूं, बहुत अच्छे आदमी थे, उनकी हत्या हुई लेकिन हत्या करने वाला भी कांग्रेस का कार्यकर्ता है।

श्री अधिष्ठाता-

पाल साहब, अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं अपनी बात समाप्त कर लूं।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है, राम इकबाल सिंह का भाषण 50 मिनट पहले समाप्त हुआ, मुझे भी बोलने का मौका मिलेगा और कितना मौका मिलेगा ?

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, भाजपा के बाद बसपा सबसे बड़ी पार्टी है। कम से कम हमें भी तो एक बार अवसर मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

जो क्रम है उसमें अभी समाजवादी पार्टी की तरफ से भी बोलना है। उसके बाद हम औरों को भी बुलवाएंगे।

श्री किरन पाल कश्यप-

मान्यवर, इधर वालों को भी मौका दें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि श्री हर्ष तिवारी जी एक अच्छे इंसान थे और उनका जो हत्यारा है वह कांग्रेस का है। मैं कहता हूं कि चाहे वह किसी भी दल का हो उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही होनी चाहिए। मान्यवर, आज उनका पूरा परिवार असुरक्षित है। एक गनर दिया गया था आज वह भी वापस ले लिया गया है। मान्यवर, मैं अलीगढ़ की घटना के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां पर एस0पी0 सिटी ने फायरिंग की। 6 अल्पसंख्यक मारे गये। एक एस0पी0 सिटी गुनहगार है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। कश्यप जी, आप शुरू करें।

*श्री किरन पाल कश्यप-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री राम करन आर्य द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। इस अभिभाषण पर

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सभी विधायक अपनी-अपनी बात रखना चाहते हैं और इस पर कल से चर्चा जारी है। आज नेता विरोधी दल नहीं हैं। कल उनके भाषण को हमने बड़ी गम्भीरतापूर्वक सुना और सभी दलों के नेताओं को भी हमने सुना। जब पिछला सत्र चल रहा था तो यह लोक कल्याणकारी सरकार जो इस प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने का सपना संजोए हुए हैं और इस ओर अग्रसर भी है, माननीय श्री मुलायम सिंह यादव ने बजट मार्च में ही पास करा लिया। तब सबने कहा कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण नहीं हुआ। माननीय मुख्य मंत्री जी की मंशा यह थी कि सभी विधायकों के क्षेत्रों में विधायक निधि का पैसा 30 अप्रैल तक पहुंच जाये। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि 30 अप्रैल तक सभी विधायकों की निधि का पैसा जिलों में पहुंच गया है। मान्यवर, उस समय कहा गया था कि महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण नहीं हुआ। और 11 तारीख को महामहिम राज्यपाल अभिभाषण करने आए। मान्यवर, हमारे नेता सदन जी यह कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी, बसपा, और कांग्रेस पार्टी का आपस में गुप्त समझौता है तो वही बात 11 तारीख को महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में सामने आयी। महमूदाबाद में भाजपा का उम्मीदवार लड़ता है तो बसपा अपना उम्मीदवार नहीं लड़ाती है, रायबरेली में कांग्रेस अपना उम्मीदवार लड़ाती है तों बसपा अपना उम्मीदवार नहीं लड़ाती और औराई में बसपा लड़ाती है तो भाजपा अपना उम्मीदवार नहीं लड़ाती है। यह गुप्त समझौता है और यह बात सदन में सामने आयी है। क्या औराई में आपने लड़वाया, जमानत आपकी जब्त हो गयी थी। तो श्रीमन्, सारी बातों को देखने से यह आया, जब महामहिम राज्यपाल जी आये तो नेता विरोधी दल विरोध करें तो, बात समझ में आती है, नेता, बहुजन समाज पार्टी विरोध करें तो बात समझ में आती है लेकिन कांग्रेस पार्टी विरोध करे तो यह बात समझ में नही आती है। यह गुप्त समझौता है। आपने सभी लोगों के विचारों को रखने का मौका दिया लेकिन एक आदमी व्यंगात्मक टिप्पणी करता है तो उधर से खड़ा हो जाता है, और उधर से कोई व्यंगात्मक टिप्पणी करता है तो इधर से खड़ा हो जाता है। केवल इसलिये कि इनकी बात आ जाय। इनकी सोच है कि सरकार की बात न आ पाये। सदन के अन्दर जितना मौका विपक्ष को मिलता है उतना ही मौका हमको भी मिलना चाहिये। सुबह से यही लोग बोल रहे हैं, नूरा कुश्ती चल रही है, गुप्त समझौता है। यहां पर कुछ कहते हैं और बाहर कुछ कहते हैं।

सरकार ने जितने काम ढाई साल में किये, नेता सदन ने सबके सामने गिनाये हैं, तो अब इनके पास कोई मुद्दा रह नहीं गया है। खाद्यान्न घोटाले का मामला लाये, आज भी उठा सदन के अन्दर। खाद्यान्न घोटाले, भू-माफिया और सदन के माफिया भी है। कुछ लोग खड़े हो जाते हैं कभी भी और बोलने लगते हैं। टण्डन जी ने खाद्यान्न घोटाले की बात कही, चेयरमैनों की फौज लगा दी, हम भी एक निगम के चेयरमैन हैं, हम दावे के साथ कहते हैं कि जब 92 में इनकी सरकार थी, आदरणीय कल्याण सिंह जी मुख्य मंत्री थे, तब से लेकर आज तक आवश्यक वस्तु की बैलेन्स शीट नहीं थी। हमने ढाई साल में पूरा लेखा-जोखा करके और आज दावे के साथ कह सकते हैं कि हमारा निगम चौबीस करोड़ रुपये मुनाफे में हैं। आज यह सदन के अन्दर कह रहे हैं। आप किसी भी गोदाम में पर्ची लेकर देखें खाद्यान्न सुव्यवस्थित मिलेगा, योजनावार मिलेगा। योजना की पर्ची लगी मिलेगी कि इस योजना का इतना खाद्यान्न गोदाम में है। आप लोगों ने कभी कोशिश की ? आज खाद्यान्न की बात करते हैं। मान्यवर, 2002-03 में जब इनकी सरकार थी तो लखीमपुर में एक चपरासी तक पर कार्यवाही नही कर सके, लेकिन जब हमारी सरकार बनी तो माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर हमने इक्यासी लोगों के खिलाफ कार्यवाही की है, वह जेल गये और सस्पेंड हुये। जिसमें सप्लाई इंस्पेक्टर,

एस0डी0एम0, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, ए0डी0एम0, जिला मजिस्ट्रेट हैं। गौतम जी आप हमारे मित्र हैं इधर आ जायें। पहले यह घोटाला करते थे।

श्री मुंशी लाल गौतम-

आपके दल वालों ने आपको बहका कर रखा है। उन्होंने आपको न तो पिछड़ों में रखा है, न अनुसूचित जाति में रखा है। किसी में भी आपको अधिकार नहीं मिल रहा है। आप मुझे बुला कर बहकाना चाहते हो। मैं तो यही ठीक हूं।

श्री किरन पाल कश्यप-

मान्यवर, एक फिल्म आयी थी "राम तेरी गंगा मैली हो गयी," उसमें एक गाना था कि "राम तेरी गंगा मैली हो गयी, पापियों के पाप धोते-धोते।" तो "हमारी सरकार के हाथ काले हो गये इनके पाप को धोते-धोते।" यह सच्चाई है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, यह भी गोरे से काले हो गये हैं।

श्री किरन पाल कश्यप-

यह असली रंग है, आज हम कह रहे हैं, यही असली रंग है, यह भारतीय का मूल रंग है इसका उदाहरण मैं दे कर कहता हूं कि जो देशी होता है वह कमजोर होता है, सरल होता है, जैसे कन्वर्टेड कलमी आम होता है, फल ज्यादा देता है, मोटा भी होता है, मीठा भी देता है। कन्वर्टेड खच्चर जो होता है वह बोझा ज्यादा ढोता है और जो कन्वर्टेड रंग होता है वह ज्यादा बुद्धिमान भी होता है ज्यादा गोरा-चिट्टा भी होता है इस पर ज्यादा चर्चा न करें तो ही अच्छा रहेगा। इस पर मैं जाना भी नहीं चाहता हूं कि मेरा रंग क्या है ? मेरा जो रंग है वह बहुत अच्छा है। जिस भगवान श्री राम के नाम पर झूठ बोल करके साढ़े आठ साल सरकार चलाई, उस भगवान का रंग भी मेरे जैसा था, भगवान शिव जी का रंग भी सांवला था, भगवान श्री कृष्ण का रंग भी सांवला था हम तो असली हैं लेकिन तुम क्या हो ? जरा बताओ, हम यही जानना चाहते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप अपने मूल विषय पर वापस आयें।

श्री किरन पाल कश्यप-

मान्यवर, मैं कभी ज्यादा बोलता ही नहीं हूं, बस दो मिनट और बोलूंगा, मैं अपने क्षेत्र की दो समस्याओं को आपके समक्ष रखता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इनका सम्पूर्ण समय इनके मित्रों में चला गया, इसलिये वह समय इनका न माना जाय और इनके समय में और समय जोड़ दिया जाय।

श्री किरन पाल कश्यप-

मान्यवर, अभी हमारे बहुत ही सम्मानित पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय माननीय राम नरेश यादव जी बैठे हैं, अब यह समस्या है हमारे क्षेत्र में 35 साल से ऐसे बिजली के तार हैं, जो कभी भी टूट जाते हैं और हत्यायें, जानवरों की हत्यायें हो रही हैं। हमने अभी एक पैकेज बनवा कर भेजा है, भारत

सरकार से हमने अनुरोध किया था, हमारे अधिकारियों ने भी किया था और हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी किया, उन्होंने साढ़े 41 करोड़ रुपये का अनुदान देने की बात कही थी जिसमें दस प्रतिशत उत्तर प्रदेश सरकार लगायेगी बाकी का पैसा भारत सरकार अनुदान देगी, वह पूरा पैकेज बनकर भारत सरकार को चला गया है, तो आपकी पीठ के माध्यम से और आपसे भी अनुरोध करेंगे कि अगर वह स्वीकृत होकर आ जाय तो हमारे जिले का मुजफ्फरनगर जिले का जो 35 साल से जर्जर हालत तारों की हालत है वह सुधर जायेगी। नम्बर दो, हमारे क्षेत्र में कृष्णा नदी है, जलालाबाद और हसनपुर लोहारी के बीच में उस पर पुल, एक पुल थाना भवन और मुल्लापुर के बीच, दो पुल की मेरी मांग है अगर वह बन जायें तो मेरा पूरा क्षेत्र कस्बे से जुड़ जायेगा क्योंकि शुगर मिल बन गयी है। हालांकि प्रदेश में जितने पुल मेरी सरकार में बने हैं उतने और किसी सरकार में नहीं बने हैं, लेकिन इनकी भी आवश्यकता है, अगर यह दोनों पुल बन जायेंगे तो जनता को काफी लाभ हो जायेगा। थाना भवन क्षेत्र में, अभी इन्होंने एक बात कही गौतम जी ने राजभर जी बैठे हैं, हमने तो सदन में कहा था कि वास्तव में तीन-तीन बार आपत्ति लगकर के आई, आपको जानकारी नहीं है अब गया है तिबारा भारत सरकार को, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो वास्तव में गरीब हैं, पिछड़े हैं और जो इस लायक हैं कि जिनको अनुसूचित जाति की सुविधा दी जाय, इसी सदन में 20 फरवरी, 2004 को घोषणा की थी और 10 मार्च, को प्रस्ताव भारत सरकार को चला गया था और तीन-तीन बार भारत सरकार ने वापस उत्तर प्रदेश सरकार को बिना किसी कारण के आपत्ति लगाकर भेज दिया और तीसरी बार अब भारत सरकार को गया है, कहा है कि छुआ-छूत और इसके दायरे में नहीं आना चाहिये, हम यह जानना चाहते हैं सदन के माध्यम से सभी सम्मानित सदस्य बैठे हैं, वरिष्ट लोग बैठे हैं कि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जबसे देश आजाद हुआ है तो छुआ-छूत के खिलाफ बड़ा जेहाद हुआ, छुआ-छूत का अगर कहीं किसी ने आक्षेप भी किया नाम लेकर उच्चारण भी किया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही होती है। अब छुआछूत की बात तो खत्म हो गयी है सबको बराबर का समान अधिकार है। अब आधार होना चाहिये शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। जिन लोगों ने वास्तव में देखा है, आर्थिक व्यवस्था बहुत ज्यादा खराब है हमारे समाज की। राजभर, प्रजापति समाज की। जिनको आरक्षण का लाभ 50 साल पहले मिल गया था उनकी स्थिति आपसे बेहतर है। हमारे समाज का एक भी व्यक्ति पूरे प्रदेश में आई0 ए0 एस0 नहीं है, आई0 पी0 एस0 नहीं है। जबकि करोड़ों लोगों की तादाद में हम लोग पूरे प्रदेश में रहते हैं। आज वह इन्तजाम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने हमारे समाज के लिये किया है। ये लोग उससे डर रहे हैं। राजभर जी डर रहे हैं। मान्यवर, जो चुनाव हुआ था तो उसमें सबसे ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी ने जीती तब राजभर जी को कुछ लगा और वह एक संकल्प विधान सभा में लेकर आये थे। जो यहां से स्वीकृत होकर भारत सरकार में गया। मान्यवर, मेरा कहना है कि माननीय मुख्य मंत्री जी के प्रयासों से हमारे लोगों की नौकरियों में स्थिति मजबूत होगी। हम लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो मुझे बोलने का अवसर दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

श्री अधिष्ठाता-

अब मुझे एक कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों की सूचना सदन को देना है।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिशें विषयक प्रस्ताव

श्री अधिष्ठाता-

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने आज दिनांक 17 मई, 2006 को हुई बैठक में दिनांक 17 से 18 मई, 2006 तक के उपवेशनों का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिशें की हैं :-

1-दिनांक 18 मई, 2006 को प्रश्नकाल न हो।

2-दिनांक 18 मई, 2006 को नियम-51, 56, 300, 301 तथा 311 के अन्तर्गत सूचनायें न ली जायं।

मई, 2006

17 बुधवार

1-उत्तर प्रदेश विधानसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुये निम्नलिखित विधेयकों की मदें ले ली जायं :-

(क) उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006, जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार एवं पारण-आधा घण्टा।

(ख) उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006, पर विचार एवं पारण-आधा घण्टा।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक आज माननीय अधिष्ठाता महोदय द्वारा जो प्रस्ताव सदन में रखा गया है उससे यह सदन सहमत है।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत किया गया है, से यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ।)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री घूरा राम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, निश्चित रूप से मेरे साथियों ने जो कहा कि मैं प्योर बी0 एस0 पी0 हूं तो वास्तव में मैं बी0 एस0 पी0 का सदस्य हूं। मान्यवर, अभी एक माननीय सदस्य ने बी0 एस0 पी0 के बारे में कहा कि एक सड़ीगली पार्टी में एक दूसरा आ गया है। इसको कार्यवाही से निकलवा दिया जाये। निश्चित रूप से अगर वे सदस्य अपनी गिरेबान में झांककर देखेंगे तो देख लेंगे कि उनका क्या बिसात है।

श्री अधिष्ठाता-

आप धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, मैं जो नेता प्रतिपक्ष ने इस पर संशोधन रखा है उस पर बोल रहा हूं। मैं अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहता हूं और महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह बात आयी हुई है और इन्होंने घोषणा कर रखी है कि पूरी सड़कें गड्ढा मुक्त होगी। मान्यवर, मेरे जनपद में लखनऊ बलिया मार्ग पड़ता है।

मान्यवर, लखनऊ बलिया मार्ग पर एक बात मैं कहना चाहता हूं। सरकार के पी0डब्लू0डी0 मिनिस्टर महोदय भी उस सड़क पर गये हुए थे और इस सदन में बैठे हुए राजस्व मंत्री जी मऊ से उतरते हैं तो उसी सड़क से जाते हैं, माननीय अन्य मंत्रीगण भी उस सड़क से जाते हैं। लोक निर्माण मंत्री जी उस सदन में हैं। ये जब बलिया में मऊ से गये होंगे तो रसड़ा लखनऊ बलिया मार्ग में बलिया की तरफ चले होंगे मऊ से तो रसड़ा की विधान सभा जब शुरू होती है तो रसड़ा में सड़क का यह हाल है कि आज भी इतना ऊंची खाली है कि करीब 3 फिट नीचे तो कहीं 3 फिट ऊपर। सीधे उस सड़क पर जाने के बाद मैं जरूर कहना चाहता हूं इस सदन में कि निश्चित रूप से लोक निर्माण मंत्री जी को एहसास हो गया होगा उनके शरीर में काफी दर्द हो ही गया होगा और भाषण में भी उनको काफी कठिनाई आई होगी मान्यवर, वह सड़क इतनी खराब है इतनी खराब है कि कहीं पर पानी बरस जाय, अभी दो तीन दिन पहले पानी बरसा है तो उस सड़क पर कोई पैदल भी नहीं जाता है, गाड़ी की बात छोड़ दीजिए। यह हालत उस सड़क की है। वह राजधानी मार्ग है तो जिस तरह से सरकार की घोषणा है गड्ढायुक्त सड़क बनाने की तो वह लखनऊ बलिया राजमार्ग है वहां इतने बड़े गहरे ऊंचे नीचे गड्ढे हैं कि उस पर मरीज अगर कोई ले जाता है तो अगर किसी को हार्ट की बीमारी हो तो उस 70 कि0मी0 की दूरी में वह जाते-जाते हार्ट का मरीज बच नहीं सकता है यह हालत है उस सड़क की। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से यह जरूर अनुरोध करना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इसको भी जोड़ देना चाहिए।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की एक और बात आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 6 परियोजनाएं जो सड़क के रूप में पुल के रूप में है और एक गाढ़ा ताल है उसमें हजारों हजार किसानों की जब बरसात आ जाती है बाढ़ हो जाती है तो उसमें हजारों किसानों की हजारों एकड़ भूमि डूब जाती है। और एक बांध है उस बांध से ऊपर जब पानी होता है तो नीचे और ऊपर के लिए कई बार गोलियां चली हैं बहुत सारे लोग मरे हैं। वह पूर्ववर्ती सरकार में वह स्वीकृत हो गया था वनटाइम स्कीम के तहत यह स्वीकृत हो गया था लेकिन इस सरकार में वह काम चालू नहीं हुआ है। इससे बहुजन समाज पार्टी ही नहीं सारी पार्टी के लोग चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कांग्रेस हो, लोकदल हो किसी पार्टी के लोग हों हर पार्टी के विचार रखने वाले लोग उस क्षेत्र में रहते हैं उन लोगों की पूरी फसल डूब जाती है।

(लाल बत्ती जलने पर)

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं एक व्यवस्था का सवाल उठाना चाहता हूं। [× × ×] एक सदस्य एक घंटा बोले हैं अभी हमें दो मिनट भी नहीं हुए हैं, आपने लाल बत्ती जला दी।

नोट :-- [× × ×] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्यों के लिए 5 मिनट और नेताओं के लिए 10 मिनट रखा है, ताकि सब लोग बोल लें।

श्री घूरा राम-

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात कहना चाहता हूं अभी तमाम सदस्यों ने इधर-उधर की बात करी है, और सदन का समय नुकसान करा है। मैं कहना चाहता हूं कि रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में एक सरकारी चीनी मिल है आज टूट गयी है जिसमें 2500 अधिकारी कर्मचारी काम करते थे, आज वह सड़कों पर घूम रहे हैं और भूखमरी के शिकार हैं और यहां तक अपनी पत्नी के गहने बेचने पर मजबूर हो गये हैं। उन्हें रोजीरोटी नहीं मिल पा रही है और मिल टूटने से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। मैं कहना चाहता हूं कि मिल को चलाने के लिए धन देकर महामहिम के अभिभाषण में यह जोड़ देना चाहिए ताकि जनहित हो सके।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की उन बातों को कहना चाहता हूं जो सरकार की नीति है, जिसे सरकार ने लागू किया है। कन्या धन देने के लिये हमारे रसड़ा विधान सभा क्षेत्र में केवल 2 छात्राओं को कन्या धन मिला है लेकिन हमारे पूरे बलिया जनपद में अन्य विधान सभाओं में चार-पांच सौ छात्राओं को कन्या धन मिला है। इसका कारण यह है कि सरकार की तरफ से दबाव है, बहुजन समाज पार्टी का विधायक होने के नाते, अनुसूचित जाति का विधायक होने के नाते, अनुसूचित क्षेत्र होने के नाते हमारे क्षेत्र में उन तमाम हर जाति चाहे वह किसी जाति के छात्र-छात्राओं को कन्या धन मिल गया होता, तब तो बात थी। माननीय अधिष्ठाता महोदय, निश्चित रूप से उस क्षेत्र के उन गरीब किसानों के, मजदूर किसानों के उनके बेटे बेटियों के साथ अन्याय किया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, पीठ से भी अनुरोध करना चाहता हूं कि सरकार की नीति में जोड़कर जिन छात्राओं को छोड़ दिया गया है, हमारे क्षेत्र में, विशेष तौर से हमारे यहां की छात्राओं को भी कन्या धन दिलाया जाय। हमारे यहां भी तमाम छात्रायें हाईस्कूल, इन्टरमीडिएट फर्स्ट क्लास और विशेष योग्यता पाई हुयी हैं और उनकी संख्या तीन-चार सौ है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। 'हरीश जी', आप बोलें।

श्री घूरा राम-

यह गरीब लोग हैं, इसलिए मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं दुख के साथ कहना चाहता हूं। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में अनुसूचित जाति के लोगों को चाहे माननीय सदस्यों की सुरक्षा की बात कही गयी है, मेरे ऊपर कातिलाना हमला करने के लिये एक अपराधी 11 लाख रुपया लिया था, संयोग से वह मारा गया लेकिन आज भी मुझे खतरा है, गनर की अवधि बढ़ाने के लिये अनुरोध किया हूं। लेकिन वह गनर की अवधि नहीं बढ़ाने की गरेज से कलेक्टर से आख्या मांगी गयी है और यह भेदभाव की बात है। अधिष्ठाता महोदय, मैं यह भी कहना चाहता हूं कि किसी भी माननीय सदस्य को क्योंकि हम सारे माननीय सदस्य चुनकर आते हैं। निश्चित रूप से अपराधी अपने दुख से दुखी नहीं होता, लेकिन हम लोगों के सुख से जरूर दुखी होता है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। मैंने हरीश जी का नाम पुकार लिया है।

श्री घूरा राम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, बलिया जनपद में खाद्यान्न घोटाला हुआ, यह घोटाला उनका हुआ, जो गरीब लोग हमारी क्लास के होते हैं, जो मजदूरी करते हैं, मैं गरीब मां-बाप का बेटा हूं, मैं मजदूर मां-बाप का बेटा हूं वह खाद्यान्न सीधे लूट लिया गया है निश्चित रूप से मैं भी अनुरोध करना चाहता हूं कि इस मामले की जांच सी0बी0आई0 से होनी चाहिए। माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपके माध्यम से अपनी बात कहना चाहता हूं। बलिया जनपद में हमारे विधान सभा क्षेत्र में, मैं पूरी विधान सभाओं की बात कह रहा हूं। अनुसूचित जाति छात्र-छात्राओं को जो हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट और ग्रेजुएट, पोस्टग्रेजुएट हैं, उनकी छात्रवृत्ति नहीं मिली है। मैं तो छात्रवृत्ति से पढ़ा हूं। इसलिये मैं आपकी पीठ के माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि उन गरीब छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति दी जाय। खासतौर से मैं यह भी कहना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। मैं दूसरे माननीय सदस्य का नाम पुकार चुका हूं। आप समाप्त करें।

श्री घूराराम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं पेयजल संकट की बात कहना चाहता हूं, आज हमारे यहां भारी पेयजल संकट है और टोंस नदी के किनारे-किनारे वहां पर जो घर है, उसमें आर्सीनिया हो गया है और पीला-पीला पानी आ रहा है और पानी के लिये किसान तड़फड़ा रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 200 हैण्डपाइप की घोषणा किया है, लेकिन उतने से हमारे क्षेत्र में पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा में बोलने के लिये अगला नाम पुकारे जाने पर श्री घूराराम द्वारा निरन्तर बोलते रहने पर आपत्ति

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजमं खां)-

मान्यवर, व्यवस्था यह है माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि जब आप अगला नाम बुला लेंगे तो माइक बंद हो जायेगा और उस सदस्य का माइक आन हो जायेगा जिन सदस्य का आपने नाम पुकारा है। इसका गम्भीर संज्ञान लिया जाना चाहिये। कि जो लोग माइक आपरेट करते हैं आपके बार-बार दूसरा नाम पुकारे जाने के बावजूद भी उन सदस्य का माइक नहीं बंद किया जा रहा है। यह कोई अच्छी बात नहीं है, आपके द्वारा बार-बार कहे जाने पर, दूसरा नाम इंगित किये जाने पर, दूसरा नाम कहे जाने पर सदस्य का माइक आफ नहीं हो रहा है और दूसरे सदस्य का माइक आन नहीं हो रहा है, इस पर आप गम्भीर संज्ञान लेंगे।

(श्री घूरा राम द्वारा पुनः खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। माननीय 'हरीश जी' को मैंने पुकार लिया है। अब आपका कुछ लिखा नहीं जायेगा कार्यवाही में। जब मैं बार-बार कह रहा हूं, माननीय घूरा राम जी, अब कार्यवाही में लिखा नहीं जायेगा। अब आप बैठिये। अब बंद करें।

(माइक बंद होने पर भी श्री घूराराम बोलते रहे।) (लिखा नहीं गया।)

अब आप बन्द कीजिए और अगले माननीय सदस्य को बोलने का मौका दीजिए, आपको कितनी बार कहा गया है कि आप बैठ जाएं लेकिन आप मान ही नहीं रहे है। माननीय सदस्य हरीश जी आप अपनी बात कहें।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं, मान्यवर, स्वास्थ्य ठीक नहीं है इसलिए मैं स्वयं बहुत देर तक नहीं बोलना चाहूंगा। मुझे देख करके संतोष हुआ कि हम जो कुछ कहना चाह रहे हैं, उसको सुनने और समाधान करने के लिए माननीय लोक निर्माण मंत्री जी यहां पर उपस्थित हैं, इसलिए मैं सिर्फ एक ही विषय पर बोल करके अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र वाराणसी (कैन्ट) है, मान्यवर, उसका दो-तिहाई से ज्यादा हिस्सा, अंग्रेजी में लो-लैण्ड के नाम से प्रसिद्ध है, हिन्दी में कहें तो वह हिस्सा निचली आबादी का है। हमारे कई वर्षों के लगातार प्रयत्न के कारण वहां नाला बन गया, सड़कें बन गईं, जल-निकासी की व्यवस्था हो गई लेकिन मान्यवर, उसका एक-चौथाई हिस्सा अभी भी दुर्दशाग्रस्त हैं। जिस समय मैं यह बात कह रहा था, उस समय माननीय लोक निर्माण मंत्री जी, जिनके माध्यम से इसका समाधान हो सकता है, वह शायद किसी से बात कर रहे थे, इसलिए इसे दोहराने की आवश्यकता है। मान्यवर, वह क्षेत्र मडुआडीह है, यह क्षेत्र तीन समस्याओं से ग्रस्त है और तीनों समस्याओं का समाधान एक ही विभाग के द्वारा हो सकता है। (इस समय 2 बजकर 42 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।) राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव आया है, उसके समर्थन में अपने क्षेत्र की महत्वपूर्ण बात को सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं।

मान्यवर, मडुआडीह इलाका वर्षा में चार महीनों तक जल से घिरा रहता है, परिणामतः डेढ़ लाख की जनता इस त्रासदी को झेल रही है और वहां पर हर वर्ष जितनी भी सड़कें बनती हैं, वह ध्वस्त हो जाती हैं, जनता संकट में रहती है, मकान गिर जाते हैं। सरकार फिर लगती है, पहले चार महीने तक वहां पम्प लगते हैं पानी को उलचने के लिए और उसके बाद सड़क की मरम्मत होने लगती है, उसके बाद जिनके मकान गिर जाते हैं, उनको मकान बनाने के लिए अनुदान मिलने लगता है। इस समस्या को दूर करने के लिए एक योजना बनवाई गई थी और सरकार ने उसे बनाया था, नाला बनना था और एक करोड़ 68 लाख रुपए नाले का आगणन था। पिछली सरकार ने पहली किस्त दे दी थी, लेकिन उसके बाद से उसका कार्य अधूरा पड़ा है। मान्यवर, मैंने सारे विषय को छोड़ करके एक विषय को लिया है और जो समय आपने मुझे दिया है, मैं उससे एक-दो मिनट कम समय में ही अपनी बात को समाप्त करने का प्रयास करूंगा। मडुवाडीह नाले की पहली किश्त मिली लेकिन दूसरी किश्त नहीं मिली जिससे नाला अभी अधूरा पड़ा है। जो त्रासदी जल-जमाव होने की,सड़कों के ध्वस्त

हो जाने और घरों के गिर जाने की थी वह बाकायदा कायम है। पहली किश्त का रुपया मिलने के बाद दूसरी किश्त नहीं मिल रही है और नाला आधा-अधूरा बना है जिससे सड़कें नहीं बन पा रही हैं इसलिए त्रासदी और संकट पूर्ववत् बरकरार है। दूसरी किश्त को मांगने के लिए कोई स्थान, कोई व्यक्तित्व और कोई सक्षम व्यक्ति को नहीं छोड़ा। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मिला, मा0 लोक निर्माण मंत्री जी से मिला इनके आदेश और फोन में कोई कमी नहीं लगी और मुझे लगा कि दूसरी किश्त पहुंच जायेगी लेकिन कमाल है, हमारे आयुक्त, वाराणसी को तीसरी बार फाइल फिर देखनी और दस्तखत करनी पड़ी है, बार-बार कोई न कोई कमी निकालकर लोक निर्माण विभाग से फाइल जाती है। मुख्य मंत्री जी हैं नहीं, उनकी अनुपस्थिति में मैं सदन के बीच में रख रहा हूं उन्होंने कहा कि 'यह काम जनहित में नितान्त आवश्यक है, तत्काल पैसा दिया जाना चाहिए जिससे जल-निकासी का काम पूरा हो बाद में सड़के बनवा दी जाए।' लेकिन अभी तक नहीं हुआ। मैंने अभी सुना है कि कोई और नुक्ता निकाला गया है। ऐसे अच्छे-अच्छे ब्रेन जहां बैठे हैं वहां क्या करेंगे हरीश, क्या करेंगे मुख्यमंत्री जी और शिवपाल सिंह जी। जो बेस्ट ब्रेन हैं, कोई न कोई नुक्ता निकाल देते हैं। यह पता चला है कि आयुक्त श्री दुबे के पास फिर फाइल पहुंची है कोई और नुक्ता निकला होगा जिससे पैसा देने से बचा जा सके।

मेरा इतना ही निवेदन है कि यह जनहित का बहुत बड़ा प्रश्न है अगर दूसरी किश्त चली जाती तो नाला पूर्ण हो जाता और समस्या का समाधान हो जाता। मैंने एक बार इसी सदन में एक बात कही थी कि बनारस में कुछ बनना होता है तो सबको घाट दिखाई देता है, विश्वविद्यालय और सड़कें दिखाई देती है, शहर के अन्दर दिखाई देता है। यह कोई बुरी बात नहीं है ? हम भी एक इलाके के रहने वाले हैं जहां गरीबों की मलिन बस्तियां हैं, वहां पर 63 मलिन बस्तियां हैं, वह क्या नहीं दिखायी देती है ? मैं मा0 शिवपाल सिंह जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि लिखकर दे दीजिए। मैंने लिखकर भी दे दिया लहरतारा से लेकर संत कबीर साहब की जन्मस्थली व संस्थान, डीजल लोकों कारखाना होते हुए बी0एच0यू0 को सड़क जाती है। शिवपाल जी ने कहा कि उसकी मरम्मत के लिए पैसा जा रहा है। मरम्मत कैसे करेंगे, नाला बनने के बाद ही मरम्मत हो सकती है ? डीजल कारखाने के लोग बी0एच0यू0 के लोग जो हवाई अड्डे से सड़क जाती है आगे इसी सड़क से जाते हैं उस सड़क को कृपा करके बनवा देंगे तो गरीब पिछड़े बस्ती के लोग भी कहेंगे कि वाह मुझे भी चिकनी चौड़ी सड़क पर चलने के लिए मिल गया। इसी प्रकार उस इलाके के लोग जो 3 समस्या से जूझ रहे हैं और ढाई लाख जनता समस्याग्रस्त हैं, राहत का अनुभव करेंगे मैंने दो बात कह दी है एक और कहकर अपनी बात पूरी कर दूंगा। एक और सवाल है, मडुवाडीह रेलवे स्टेशन जहां से होकर ट्रेनें जाती हैं। पहले यहां छोटी लाइन थी तब 4 गाड़ियां जाती थीं, मा0 नीतीश कुमार जी और लालू प्रसाद यादव जी दोनों रेल मंत्रियों ने अच्छा किया, अब इस रेल लाइन से 16 गाड़ियां आती-जाती हैं, गाड़ियां भी बढ़ गयी हैं लेकिन व्यवस्था पूर्ववत रह गयी है। समस्या यह है कि एक फाटक है, 16 गाड़ियां आती-जाती हैं और 24 घण्टे में 10 घण्टे गेट बंद होता है, इससे वहां के लोगों को काफी परेशानी होती है कारण घर इस पार है, कारखाना उस पार है और काम इधर करते हैं, घर उधर है.... 10 घण्टे तक जो गेट बन्द रहता हो उससे वहां की क्या स्थिति होगी और लोग कितने परेशान होते होंगे इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं ? नीतीश जी से मैंने कहा था कि यहां पर एक

ओवर ब्रिज बन जाये तो अच्छा रहेगा। लेकिन राज्य सरकार से मुझे जो उत्तर मिला है वह गलत है और कहा गया है कि इसकी स्वीकृति नहीं थी। मेरे पास 7 पेपर ऐसे हैं जिनसे प्रमाणित हो जायेगा कि राज्य सरकार द्वारा सारी स्वीकृतियां दी जा चुकी हैं। इस ब्रिज की स्वीकृति के लिये 10 करोड़ रुपये का आगणन बना था जिसमें रेलवे बोर्ड ने 5 करोड़ की व्यवस्था करके राज्य सरकार को सूचित कर दिया है लेकिन प्रदेश सरकार का 5 करोड़ रुपये का अंशदान है जो सरकार नहीं दे पा रही है और ओवर ब्रिज नहीं बन पा रहा है। चूंकि मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी है इस लिये मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। चूंकि आप इस ऊंचे मंच पर आसीन हैं और माननीय लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी बैठे हैं और माननीय आज़म साहब भी उपस्थित हैं। मैं इन बातों को आपके सामने रखता हूं कि मडुआडीह का ओवर ब्रिज बनवाया जाय और मडुवाडीह से जल निकासी की व्यवस्था करायी जाय। इसके अलावा मडुवाडीह जाने वाली सड़क का निर्माण कराया जाय। इसका पैसा तत्काल पहुंचाया जाय और कागजी कमियां जो हों उनको दूर किया जाय। मैं 20 साल तक मंत्री रहा हूं मैंने बहुत सी फाइलें और कागज देखे हैं। इस शब्दों के साथ नेता प्रतिपक्ष द्वारा प्रस्तुत संशोधन के प्रस्ताव का मैं समर्थन करता हूं और यह अपेक्षा करता हूं कि जो बातें मैंने यहां रक्खी हैं सदन ने उनको सुना है और इन पर सक्षम लोग सकारात्मक कदम उठायेंगे। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 †

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी आप मद सं0-15 को प्रस्तुत करें।

कृषि शिक्षा, कृषि अनुसंधान एवं राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री योगेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 को पुरःस्थापित करता हूं।

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आपने मुझे जो राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

---

† दिनांक 30-5-2006 के असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छपा है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मद संख्या-17-क का पेपर आ गया है, उसको ले लें।

श्री अध्यक्ष-

अभी यह आ जायेगा।

इसको कार्यमंत्रणा में ले लें उसके बाद सदन में लिया जाएगा। अभी थोड़ी देर में कार्यमंत्रणा समिति की बैठक है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मा0 राज्यपाल के अभिभाषण जो संशोधन हमारे साथियों द्वारा और हमारे द्वारा रखे गए हैं मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार उनका समावेश कर लेगी। जहां तक इस सरकार के कार्यकलापों का प्रश्न है तो मैं कुछ मुद्दों पर सरकार की तारीफ करूंगा मथुरा वृन्दावन जो कि एक अन्तर्राष्ट्रीय धार्मिक पर्यटक स्थल है हमारे मुख्य मंत्री जी और लोक निर्माण मंत्री जी श्री शिवपाल जी की वहां के लिए विशेष कृपा है। मुझे याद है कि पूर्व भाजपा-बसपा सरकार ने गड्ढा मुक्त का नारा दिया था, लेकिन मथुरा, वृन्दावन के लिए कोई कार्य नहीं किया मैंने उनसे बार-बार मिन्नतें कीं जबकि उनके एजेण्डे में काशी, मथुरा और अयोध्या रहता था यह केवल आतंक फैलाने का काम करते हैं। उन लोगों ने सड़कों की ओर कोई ध्यान नहीं दिया मथुरा, वृन्दावन की सड़कों में दो-दो फीट के गड्ढे हो गए थे वहां पर चलने में लोगों के हाथ पैर तक टूट जाते थे लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां के बारे में ध्यान नहीं दिया जिसका परिणाम यह है कि आज यह लोग सिसक रहे हैं लेकिन भगवान राम और कृष्ण ने इनका साथ नहीं दिया और उनको सत्ता से बाहर कर दिया अब यह सत्ता के बाहर या सदन के बाहर ही रहेंगे। मैं लोक निर्माण मंत्री जी के साथ-साथ प्रमुख सचिव लोक निर्माण मंत्री श्री सतीश चन्द्र अग्रवाल का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने जिस गर्म जोशी के साथ मथुरा की सड़कों को बनवाया उसके लिए मैं उनका व्यक्तिगत रूप से ऋणी हूं लोक निर्माण मंत्री जी ने गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, वृन्दावन परिक्रमा मार्ग, मथुरा परिक्रमा मार्ग निर्माण कराया इसके लिए उनको कोटिशः धन्यवाद। जहां तक कन्या विद्या धन योजना, बेरोजगारी भत्ता देने की बात है इसको सरकार ने अपने एजेण्डे में शामिल किया यह स्वागत योग्य कदम है। (इस समय 2 बजकर 57 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी पीठासीन हुए।) बेरोजगारी भत्ते से बेरोजगारों को राहत मिलेगी। जहां तक पर्यटन का प्रश्न है मैं अपने पर्यटन मंत्री कौकब साहब को धन्यवाद दूंगा मैं मक्खन नहीं लगा रहा हूं।

भारतीय जनता पार्टी के लोग यह कार्य करते तो मैं उनको धन्यवाद देता। कौकब साहब मुसलमान होते हुए भी गोवर्धन व वृन्दावन खुद गए और गोवर्धन परिक्रमा मार्ग, वृन्दावन परिक्रमा मार्ग, की सड़क को ठीक कराया इसके लिए हमने कौकब साहब को रसखान उपाधि से सम्मानित किया। जब भी मथुरा, वृन्दावन के बारे में हमें कोई कार्य कराना होता है कौकब साहब हमेशा सहायक होते हैं। हमारे बड़े भाई हमारी यूनिवर्सिटी के सीनियर आज़म साहब का भी मैं आभार व्यक्त करूंगा कि उन्होंने रियाल्विंग फंड से हमारे क्षेत्र के विकास के लिए धन दिया। भारतीय जनता पार्टी मथुरा के एक चेयरमैन साहब हुआ करते थे उनको टंडन साहब ने कितना धन दिया लेकिन उन्होंने कोई भी कार्य नहीं कराया।

मथुरा के लिये करें वृन्दावन के लिये करें। उन्होंने खुलकर पैसा दिया है। आज मथुरा की स्थिति यह है कि हमको गर्व होता है कि यह अन्तर्राष्ट्रीय धर्म परायण शहर है और दुनिया के तमाम जगहों से लोग यहां पर आते हैं और कहते हैं कि क्या चमत्कार हो गया है। मैं इसीलिये आभारी हूं इस सरकार का। इसके साथ-साथ अभी मैं आभार व्यक्त करूंगा अपनी नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी का और अपने प्रधान मंत्री मनमोहन सिंह जी का जिन्होंने उत्तर प्रदेश के 7 शहरों को जवाहर लाल नेहरू नेशनल अर्बन रिनुअल मिशन के अन्तर्गत लिया उसमें लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, आगरा, मेरठ और मथुरा को इसमें शामिल किया है। मान्यवर, मैं प्रदेश सरकार से भी गुजारिश करूंगा कि इस योजना को गम्भीर रूप से लें। इसमें माननीय मुख्यमंत्री, शासन और प्रशासन को गम्भीरता से चिन्तन करने की आवश्यकता है। यह ऐसी योजनाएं हैं जिसमें कि पूरे प्रदेश का विकास होगा इसके लिये 63 शहरों के लिये 1 लाख करोड़ रुपये केन्द्र सरकार द्वारा आवंटित किये गये हैं और उत्तर प्रदेश में शहरों का जो सिटी डेवलेपमेंट प्लान बनेगा उसमें विकास हेतु जितने पैसों की आवश्यकता होगी उससे उन शहरों का कायाकल्प हो जायेगा। मैं सरकार से, सरकार के अधिकारियों से और मुख्य सचिव से भी अनुरोध करूंगा कि इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है क्योंकि यह इतनी अच्छी योजना है कि आप इसकी परिकल्पना भी नहीं कर सकते हैं। हमारे प्रदेश के 6-7 शहर किसी भी योरोपियन शहरों की टक्कर में आ जायेंगे। मेरी अपने उन स्थानीय विधायकों से जो इन शहरों के हैं से करबद्ध प्रार्थना है कि आप सिटी डेवलपमेंट प्लान बनाने में पुरजोर सहयोग व कोशिश करें और पार्टी लीक से अलग हटकर अपना सहयोग प्रदान करें, कंधे से कंधा मिलाकर, सहयोग करें तो अपने क्षेत्रों का कायाकल्प करवा पायेंगे। पैसे की कोई कमी नहीं है। केन्द्र सरकार पैसा दे रही है तो उसके लिये मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा।

केन्द्र सरकार ने पैसे के लिये अपने दरवाजे खोल रखे हैं। यह केन्द्र सरकार की योजना है प्रदेश सरकार के माध्यम से। (व्यवधान) अब सही बात कहने दीजिये। जो सही बात है वह तो कहूंगा ही। मान्यवर, गन्ना किसानों को भुगतान हो रहा है, इसके लिये हमको सन्तुष्टि है। गन्ना किसान भुगतान के लिये त्राहि-त्राहि किया करते थे लेकिन आज लाइन में खड़े होकर पेमेन्ट ले रहे हैं। इसके लिये मैं आभार व्यक्त करता हूं माननीय मुख्यमंत्री जी का। मान्यवर, इसी के साथ-साथ मैं कुछ कड़वी बातों का भी जिक्र करना चाहता हूं क्योंकि वह भी जरूरी है। मान्यवर, प्रदेश में गिरती हुई कानून व्यवस्था के बारे में कहना चाहता हूं। मथुरा में लाठी चार्ज के बारे में मैं परसों ही वैल में आया था। उसके बाद कल हमारे यहां बहुत बड़े उद्योगपति हैं, हमारे यहां गोवर्धन चौराहा जो कि बहुत व्यस्ततम चौराहा है वहां पर उनकी गाड़ी बदमाशों द्वारा छीन ली गई और उनको उठाकर बाहर कर दिया गया। एक दिन की बात नहीं है मान्यवर, रोजाना इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। स्थानीय स्तर पर जो एस0एस0पी0 हैं। वहां के जो सी0ओ0 सदर संसार सिंह हैं उनके ऊपर 302 का मुकदमा कोर्ट की अदालत के माध्यम दर्ज है, मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि उनको क्यों नहीं हटाया जा रहा है ? उसको दो साल पूरे होने को आ रहे हैं उसका तबादला क्यों नहीं किया जाता है ? जनता त्राहि-त्राहि कर रही है, व्यापारी त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मथुरा एक टूरिस्ट प्लेस है वहां पर टूरिस्ट आने में भयभीत हो रहे हैं। टूरिस्टों के आने में भी कमी हुई है। मान्यवर, मथुरा की कानून व्यवस्था चरमरा गई है लोगों में भय पैदा हो गया है जिस कारण वहां का विकास भी प्रभावित हो रहा है। अभी मान्यवर, जैसा कि बताया था हमारे पूर्व विधायक बलजीत सिंह थे, उनके फर्नीचर के गोदाम में कुछ

गुण्डा तत्वों द्वारा आग लगा दी गई उन्होंने उसकी एफ0आई0आर0 भी लिखवाई लेकिन एस0एस0पी0 ने उस पर एफ0आर0 लगा दी। मान्यवर, एक एक्स-एम0एल0ए0 का यह हाल है तो आम जनता का क्या हाल होगा ? मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रशासन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। आतंकवाद एक अन्तर्राष्ट्रीय समस्या है, इसके लिये हमारी सरकार व्यवस्था कर रही है। मथुरा जनपद में इम्पार्टेंट मंदिर है। वहां पर वृन्दावन बांके बिहारी का टेम्पुल है, इस्कान टेम्पुल है, द्वारिकाधीश का टेम्पुल है, विश्राम घाट, बरसाने, नन्दगांव का टेम्पुल है, गोवर्धन परिक्रमा मार्ग है। उनकी सुरक्षा के लिये पिकेड और सुरक्षा बल को लगाने की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके अलावा मैं यह कहना चाहता हूं कि वहां पर इन्डस्ट्रीज के मामले में माहौल बन रहा है परन्तु मथुरा में यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के पार्कों को बेच रहे हैं। मैं कितनी बार लिख चुका हूं यू0पी0एस0आई0डी0सी0 के एम0डी0 को प्रिंसिपल सेक्रेटरी इण्डस्ट्रीज को कि वहां उन पार्कों को बेचने से रोकें। उन पार्कों का कन्वर्जशन हाउसिंग प्रोजेक्ट में हो रहा है।

मान्यवर, नहरों में पानी के बारे में कहना चाहता हूं। कल कौकब साहब कह रहे थे कि ऊपर टिहरी में जो डेम बन रहा है उसमें पानी भरा जा रहा है। मान्यवर, नहरों में पानी नहीं है, किसान क्या करें, अकाल की स्थिति आ गई है, इस पर सरकार को सोचना चाहिये। मथुरा क्षेत्र में टेल तक पानी बिल्कुल नहीं आ रहा है, पेयजल की गम्भीर समस्या है। माननीय आजम खां साहब ने हैण्डपम्पों को लगाने के लिये पेसा दिया है लेकिन मथुरा वृन्दावन नगर पालिका के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, अभी तक रिवाल्विंग फण्ड से वहां पैसा नहीं पहुंचा है। मान्यवर, मथुरा वृन्दावन में घाट बनवाने का रु0 126 करोड़ का प्रस्ताव दिलवाया है, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से, शिवपाल जी से और सिंचाई मंत्री जी से अनुरोध करूंगा कि उसके लिये कुछ अनुदान स्वीकृत करें क्योंकि उत्तरांचल बन जाने के बाद मथुरा, उत्तर प्रदेश की नाक है और पर्यटन की दृष्टि से उसे बढ़ावा देने की आवश्यकता है। मान्यवर, यमुना मैया को धार्मिक दृष्टि से देखा जाता है, दीपावली के समय यम द्वितीया को गुजरात और अन्य स्थानों से लोग आते हैं और यहां बहन अपने भाई की लम्बी आयु की कामना करती हैं। वहां का पानी पीने योग्य नहीं रह गया है, कीड़े हो गये हैं प्रदूषण मुक्त करने के लिये कार्यवाही होनी चाहिये। हमने गोकुल बैराज की, जब नारायण दत्त तिवारी जी यहां थे, उनके माध्यम से यह योजना बनवाई थी, 170 करोड़ रुपये की यह योजना अधूरी पड़ी है। जब गठबन्धन था, मायावती जी की और भारतीय जनता पार्टी का, टण्डन जी उद्घाटन कर रहे थे, उन्हें डर था कि कहीं इसका नाम 'साहू जी' बैराज न रख दिया जाये। मैं माननीय आजम खां से कहूंगा कि वह पैसा रिलीज करें, एक प्रेटीजियस प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट को पूरा करायें। एक बहुत गम्भीर प्रश्न है, हाई टेक टाउन सरकार बनवा रही है, लेकिन जो उसके लिये किसानों की जमीनें ली जा रही हैं, उन जमीनों को सर्किल रेट पर लेना पाप होगा। मथुरा में जमीनें 40-50 लाख रुपये एकड़ हैं लेकिन किसानों को दिया जा रहा है, 4 लाख रुपये एकड़। किसानों को उनकी भूमि का उचित मुआवजा मिले जिससे उनको दर्द न हो, हाईटेक टाउन किसान के दर्द की कीमत पर बनाना ठीक नहीं है। इस पर सरकार गम्भीर चिन्तन करे, गहन चिन्तन करे और किसानों की सुरक्षा करें।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं एक चीज और कहना चाहूंगा, जहां तक बिजली का प्रश्न है, हमने A.P.D.R.P. स्कीम में 25 करोड़ रुपये की योजना स्वीकार कराई लेकिन वहां के इतने भ्रष्ट अधिकारी हैं, वहां जो डी0जी0एम0, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर, जे0 ई0 और ए0 ई0 हैं, वह ट्रांसफार्मर पैसा लेकर बदलवा रहे हैं। तारों में घोटाला चल रहा है, कई बार हम प्रिंसिपल सेकेट्री,एनर्जी और चेयरमैन को लिखकर दे चुके हैं कि उन अधिकारियों का मुंह काला कराइये क्योंकि जब सरकार पैसा दे रही है तो क्यों नहीं अच्छे अधिकारी लगाये जाते हैं और काम को कराया जाता है। मान्यवर, माननीय नरेश अग्रवाल साहब से कई बार कह चुका हूं, बस स्टैण्ड शहर के बीच में आ चुका है, वह नेशनल हाईवे पर शिफ्ट किया जाये, लेकिन वह शिफ्ट नहीं हो पा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

आप समाप्त करें। अब योगेश प्रताप सिंह।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, सरकार को टेंडरों के बारे में पालिसी बनानी चाहिये, जो 30 प्रतिशत बिलों टेण्डरिंग हो रही है, उसे रोकना पड़ेगा।

श्री अधिष्ठाता-

श्री प्रदीप माथुर जी आपका लिखा नहीं जाएगा।

श्री प्रदीप माथुर-

[x x x]

कृषि शिक्षा कृषि अनुसंधान एवं प्राविधिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री योगेश प्रताप सिंह)-

अधिष्ठाता जी, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, यह अभिभाषण हमारी सरकार के क्रियाकलापों का स्पष्ट दस्तावेज है और माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उनकी सरकार के आने के बाद प्रदेश में वित्तीय अनुशासन स्थापित हुआ है और सामान्य वार्षिक बजट वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व लाकर पिछले तीन वर्षों से मा0 सदन द्वारा पारित किया जा रहा है और समय से वित्तीय स्वीकृतियां जारी की जा रही है ताकि विभागों में समय से पैसा पहुंच जाये और विकास कार्य हो सकें। यह हमारी सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि रही है और इसके लिये मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं। राजस्व घाटे को समाप्त करके 23 प्रतिशत की राजस्व की वृद्धि की गयी है और 1123.27 करोड़ के राजस्व की बचत की गयी है। यह परिदृश्य है सरकार के क्रियाकलापों का। प्रदेश की जर्जर अर्थव्यवस्था को मजबूत करने का काम हमारी सरकार ने किया है। वर्ष 2002-03 में प्रदेश की विकास दर 0.1 प्रतिशत थी जो बढ़कर अब 6 प्रतिशत हो गयी है। इस राजस्व की वसूली में हमारे व्यापारी भाईयों ने भी सहयोग किया है और उनके सहयोग के रहते हमारी सरकार ने प्रदेश का विकास किया है। बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव के बावजूद वैट को इस प्रदेश में हमारी सरकार ने नहीं लागू होने दिया और वैट न लागू होने के कारण व्यापारियों का हमें पूरा समर्थन मिल रहा है और व्यापार कर की वसूली में स्थापित किया कीर्तिमान है। प्रदेश के

नोट :-[x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

औद्योगिक विकास के लिये हमारी सरकार ने उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की स्थापना की और आज प्रदेश में औद्योगिक विकास का जो वातावरण बना है उस वातावरण के सृजन के पश्चात् प्रदेश में 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश का वचन दिया जाना ऐतिहासिक कृत्य है। इसके साथ ही साथ चूंकि मैं गन्ना किसान हूं इसलिये कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों के संदर्भ में सरकार ने जो निर्णय लिये हैं वह ऐतिहासिक और क्रांतिकारी हैं। एक तरफ हमारे सामने वह परिस्थितियां थीं जब यह कहकर झुठलाया जा रहा था कि उत्तर प्रदेश सरकार को गन्ना मूल्य तय करने का अधिकार नहीं है, आज सरकार को बधाई देना चाहिए कि सरकार ने ऐतिहासिक गन्ना मूल्य दिया है। गन्ने की, समय से बिक्री, समय से गन्ने मूल्य का भुगतान, यह कहते हुये मुझे आज हर्ष हो रहा है कि हमने निन्यानबे प्रतिशत गन्ने का भुगतान कर दिया है। ऐसे भी दिन थे जब तीन-तीन, चार-चार सालों तक गन्ने मूल्य का भुगतान नहीं किया जाता था। आज हमारी सरकार ने साढ़े छः हजार करोड़ रुपया गन्ना मूल्य भुगतान देने का काम किया है, इसके लिये मैं सरकार को बधाई देना चाहूंगा।

मान्यवर, उत्तर प्रदेश में विकास को बाधित करने के लिये एक षडयंत्र रचा जा रहा था, कानून व्यवस्था के नाम पर मैं सदन का ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि प्रदेश में जहां आतंकवादी गतिविधियां हो रही थीं और अयोध्या में हमले किये गये, हमारे सुरक्षा बलों एवं अधिकारियों द्वारा, आधे घंटे में उनका सफाया किया गया। वाराणसी के पवित्र मंदिर संकट मोचन मंदिर में घटना हुई, प्रदेश के सौहार्द को बिगाड़ने के लिये गहरा षडयंत्र था उसे नाकाम करने का काम वहां के सुरक्षा बलों ने किया। मैं काशी के सभी वर्गों का भी धन्यवाद करना चाहूंगा, वहां के हिन्दू और मुस्लिम भाइयों ने हाथ में हाथ डालकर कहीं शान्ति व्यवस्था बाधित न हों, इसका सफल प्रयास किया उसके लिये मै उन सभी नागरिकों के प्रति सम्मान प्रकट करता हूं। हमने पंचायतों का चुनाव भी समय से पूरा कराया है। दस्यु गिरोह को मारने का काम भी हमने किया है। प्रदेश में भय मुक्त वातावरण बनाने का काम किया। बालिका शिक्षा को भी बढ़ावा देने का काम हमारी सरकार ने किया है।

मान्यवर, जिस तरह से लिंगीय अनुपात बिगड़ रहा है, जिस तरह से लड़कियों का प्रतिशत घटता जा रहा था,तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिये कन्या विद्या धन योजना में छः सौ करोड़ रुपये देने का काम हमने किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में ही नहीं बल्कि सम्पूर्ण भारत के इतिहास में बेरोजगारी भत्ता देने का काम हमारी सरकार ने किया है और इसके लिये अनुपूरक बजट में व्यवस्था की है और पांच सौ रुपये प्रति माह देने का काम किया है। अभी हमारे साथी प्रतिक्रिया व्यक्त कर रहे थे कि सरकार ने नौजवानों के मनोबल को गिराने का काम किया है, इसी भावना ने आज तक बेरोजगारों को मदद देने का काम नहीं किया गया था। आज उन्हीं बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता देकर उन्हें खरीद नही लिया है बल्कि हम उनकी आर्थिक सहायता करने जा रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री ने जिस तरह से सड़कों और पुलों के लिये पांच हजार करोड़ रुपये दिये इसके लिये वे बधाई के पात्र हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश एवं बुन्देलखण्ड क्षेत्र के पिछड़े हुए इलाकों के लिये पांच सौ बाईस करोड़ रुपये की व्यवस्था हमारी सरकार ने की है। इस तरह से उन्होंने उन पिछड़े हुये इलाको का विकास करने का काम किया है। जो हमने नारा दिया था 'दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, रोजी रोटी सस्ती हो' तो इसे हमने मुफ्त दवाओं का समुचित प्रबन्ध किया है। टिक्कू कमीशन की रिपोर्ट को लागू करके मेडिकल कालेजों की व्यवस्था को सुधारने का काम किया गया है। मान्यवर, आपने लाल बत्ती जला दी है, मैं आपका पूरा सम्मान करते हुये आखिर में यह कहना चाहता हूं कि जो मा0 राम करन आर्य जी द्वारा धन्यवाद का प्रस्ताव रखा गया है उस पर बल देता हूं और अपनी बात समाप्त करता हूं।

* श्री राम प्रकाश त्रिपाठी--

माननीय अधिष्ठाता जी, आपने महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की चर्चा में हमें बोलने की अनुमति दी इसके लिए मैं आपका आभारी हूं, मान्यवर, नेता विरोधी दल ने जो संशोधन रखा है मैं उसके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी हमारे कई माननीय सदस्यों ने विकास के नाम पर बहुत कुछ कहा, मेरा यह मानना है माननीय अधिष्ठाता जी, कि किसी भी राज्य को नापने का जो पैरामीटर होता है, जो मानक होता है वह सबसे पहला मानक होता है सुरक्षा का और सुरक्षा के नाम पर, जिन लोगों ने विकास का गुणगान भी किया उन्होंने भी सुरक्षा के नाम पर सरकार को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया। मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय नेता से यह अनुरोध है कि अभी जो पुलिस के नये महानिदेशक बने हैं उनका वक्तव्य आया और वक्तव्य पढ़कर मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, उन्होंने जब बड़ी-बड़ी बातें कही कि यहां पर केवल भाषण पिलाये जाते हैं अब मैं स्वयं जाकर समीक्षा करूंगा और जोनल स्तर पर गये भी, समीक्षा भी हुई, लेकिन समीक्षा में या तो गलत तथ्य सामने आये क्योंकि माननीय अधिष्ठाता जी आज से एक साल पहले मैंने नियम-51 में यह दिया था कि नीरज मिश्रा हत्याकाण्ड में क्या हो रहा है, एक वक्तव्य आया था, वक्तव्य में कहा गया था कि इस नीरज मिश्रा काण्ड के अभियुक्त के खिलाफ अभियोग पत्र न्यायालय में दाखिल कर दिया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दी गयी है, माननीय अधिष्ठाता जी आपको जानकर आश्चर्य होगा कि पुलिस की टीमें गठित करना तो दूर, उनके यहां दबिश देना तो दूर वह बायदा कोई बी0डी0सी0 चुन गये हैं, कोई प्रधान चुन गये हैं आज भी वह निर्भय होकर घूम रहे है ? मैं तो एक ही सवाल रखना चाहता हूं कि कन्नौज जिले में कम से कम यह पता लगा लिया जाय कि ऐसे अभियुक्त जिनके खिलाफ चार्ज शीट तक दाखिल की जा चुकी है, वह अब भी निर्भय होकर घूम रहे हैं, तो यह कानून व्यवस्था किस तरह से सुधरेगी, किस तरह से बनेगी , अभी-अभी हाल की घटनायें हैं जो मैंने कल नियम-56 में भी दिया था, लेकिन चूंकि अध्यक्ष जी का आदेश हुआ कि अभिभाषण के साथ ही सम्मिलित कर लिया जाय, कन्नौज में जिस तरह दलितों पर, दलित अधिकारियों पर जिस तरह से अत्याचार हो रहा है, वह चिन्ता का विषय है। अभी वहां जिला विद्यालय निरीक्षक कुंवर जी लाल जाटव, बोर्ड की परीक्षायें चल रही थीं, 23 मार्च, को जिलाधिकारी ने सबेरे फोन किया कि निगवा के केन्द्र पर बड़ी भारी नकल हो रही है आप स्वयं दबिश दें, जिलाविद्यालय निरीक्षक वहां पर गये और जैसे ही पहुंचे, प्रबन्धक जी और प्रधानाचार्य दोनों सामने आये और कहा कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस केन्द्र पर आने की और उनको आफिस में बन्द कर लिया और उनको इतना पीटा-इतना पीटा कि तीन जगह से फ्रैक्चर है, अब भी वह हाईलेट अस्पताल में भर्ती हैं, जिला विद्यालय निरीक्षक और उनका स्टेनों दोनों और उन्हें पीटने वाले लोग सीना तान कर निर्भयतापूर्वक घूम रहे हैं और अभी परसों अखबार में मैंने पढ़ा कि जिला प्रशासन, उत्तर प्रदेश सरकार को सी0बी0सी0आई0डी0 से जांच कराने का अनुरोध कर रहा है, दिन दहाड़े का केस, नामजद रिपोर्ट उसके बाद जिला प्रशासन स्वयं कार्यवाही न करके सी0बी0सी0आई0डी0 को दे रहा है, कोई गुप्त केस नहीं है इस तरह का कि जिसमें ज्यादा विवेचना की आवश्यकता पड़े, तो कन्नौज में जो अराजकता का माहौल है और जिला विद्यालय निरीक्षक की इस पीड़ा को उठाया, एक दयाराम जाटव, हमारे वहां के मण्डल के उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने उठाया अखबारों के माध्यम से नतीजा क्या हुआ कि जिस दिन अखबार

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

में निकला उसके दूसरे दिन गांव में जाकर, मेला लगा था, मेले में दया राम जाटव को बुलाया और बुरी तरह लाठियों से मार-मार कर उसको वहीं पर गिरा दिया, उसके बाद जाकर थाने में 216 की बदमाशों को पनाह देते हैं, 48 साल की अवस्था उस व्यक्ति की कोई आज तक एन0सी0आर0 नहीं उसके खिलाफ 216 में उसको जेल भेज दिया तो यह इस तरीके से प्रशासन चलेगा, इस तरीके से शान्ति व्यवस्था के नाम पर तो केवल विकास से सम्भव नहीं हो सकता।

शिक्षा के साथ और सुरक्षा के साथ यह खिलवाड़ विशेष रूप से हो रहा है, शिक्षा की जो दुर्दशा है अधिष्ठाता जी आपने स्वयं कभी परीक्षायें देखी होंगी, परीक्षायें होने नहीं पाती, अभी एक लड़का हमसे मिलने आया और कहा कि हम फला सर्विस के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हमने कहा कि अभी रिजल्ट तो आया नहीं तो वह बोला साहब हमारी फर्स्ट डिवीजन तो निश्चित है यानी परीक्षा फल आया नहीं और परीक्षार्थी जान जाता है कि हमारी फर्स्ट डिवीजन निश्चित है, क्योंकि बाकायदा प्रचार करके कि इतना आपको बोल करके इतना आपको फला करके मिल जायेगा, डिवीजनवाइज बिक्री हो रही है, यह बिल्कुल आज व्यापार बन गई है, यह शिक्षा के साथ खिलवाड़ हो रहा है। उत्तर प्रदेश में भविष्य में क्या विद्वान पैदा होंगे ? अच्छे इंजीनियर पैदा होंगे ? मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोग राजनेता हैं, मान्यवर, ठीक है हम लोग चुनाव देखते हैं लेकिन हम लोग चुनाव के साथ-साथ भावी पीढ़ियों पर भी नजर रखे। सड़क पुल गलत बन गया तो ठीक कर दिया जायेगा लेकिन अगर मनुष्य का इस तरह का निर्माण हुआ तो यह प्रदेश कहां जायेगा ? भावी पीढ़ियां कहां जायेंगी ? इसलिए शिक्षा के साथ-साथ स्वकेन्द्र प्रणाली को जो आपने लागू किया है यह स्वकेन्द्र एक बड़ी आपत्ति है। यह इनके लिए स्रोत मिल गये हैं जिससे यह जो शिक्षा व्यवस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है यह बंद होना चाहिए। आज यहां पुलिस के अधिकारी बैठे हुए हैं वे रिकार्ड मंगा लें कि कन्नौज जनपद में कितने अपराधी ऐसे बाहर घूम रहे हैं जिनके विरुद्ध न्यायालय में बकायदा आरोप-पत्र दाखिल किये जा चुके हैं और वह सीना तान कर घूम रहे है।

(इस समय 3 बजकर 26 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

मान्यवर, राज्य में विकास हो कुछ हो भी रहा है इसे मैं स्वीकार करता हूं लेकिन अगर आप आज व्यक्तियों को सुरक्षा नहीं प्रदान कर पा रहे हैं तो फिर क्या फायदा उसका हो रहा है। अच्छा कमरा हो बढ़िया बेड हो ए0सी0 लगा हो लेकिन अगर मन में किसी प्रकार का भय है तो उस व्यक्ति को फिर नींद कहां से आयेगी यह बातें आज इस प्रदेश में आम हो रही है। मान्यवर, आज लोगों की सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर, प्रदेश में शांति व्यवस्था के नाम पर यह सरकार पूरी तरह से फेल है।

मैं माननीय नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

प्रदेश में कब्रिस्तान, ईदगाह तथा मस्जिद की भूमि की हदबन्दी तथा उसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज कराये जाने सम्बन्धी परिपत्र जारी किये जाने की सूचना

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मुझे आपकी आज्ञा से कुछ सूचित करना है। श्रीमन् पूरे प्रदेश में अनेक स्थानों से बार-बार यह शिकायतें मिल रही थीं कि जिन जगहों पर कब्रिस्तान स्थापित है वह जमीन कब्रिस्तान के नाम से दर्ज न होने के कारण वहां इन्क्रोचमेंट हो रहा है और उस जमीन पर विवाद की स्थिति पैदा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हो रही है। मौके पर तो वह कब्रिस्तान है लेकिन चूंकि वह अभिलेखों में दर्ज नहीं है तो उस वजह से लोग उसका ठीक से क्लेम नहीं कर पाते थे। कई जगह बिजनौर आदि में इसकी बाबत गम्भीर स्थितियां पैदा हो रही थीं। इस बारे में शासन ने निर्णय लिया है उसके संबंध में यह सरकुलर सभी जिलाधिकारियों को प्रेषित किया जा रहा है और इसकी कापी सभी माननीय सदस्यों को हम आज उपलब्ध करवा देंगे। मान्यवर, कब्रिस्तान, ईदगाह और मस्जिद इन तीन के मामले में निर्देश दिये गये हैं इसमें। वक्फ प्रापर्टी के मामले में अलग से हम करेंगे उसमें माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से बात नहीं कर सके हैं एक दो दिन में उसमें निर्णय ले लिया जायेगा। कब्रिस्तान, ईदगाह और मस्जिद-यह अगर स्थित हैं और अगर वह इन्द्राज नहीं है तो उसकी हदबन्दी करा दी जायेगी और वह प्रापरली रिकार्ड में दर्ज भी कर लिया जायेगा यह निर्देश इसमें दे दिये गये हैं।

श्री धर्मपाल सिंह (बरेली)-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। मान्यवर, कुछ भूमि के बारे में आपने शासनादेश किया है यह अच्छा है लेकिन प्रदेश में गौशालाओं की बहुत भूमि है उसमें लोग अनधिकृत रूप से अतिक्रमण कर रहे हैं। एक ऐसा जी0 ओ0 कर दें ताकि वह भूमि भी सुरक्षित हो सके।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, मंदिर की जमीनों पर अवैध कब्जे हैं उससे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। इसलिए इसमें मंदिर भी शामिल कर लें।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर माननीय राजस्व मंत्री जी ने पूरी बात रखी है आप उस बात को ठीक ढंग से ले नहीं पाये हैं। जमीन कोई नयी नहीं दी जा रही है। यह आपसी विवादों को खत्म करने के लिए किया गया है यह आम तौर पर मुसलमानों में ही होता हैं कोई हिन्दू मुस्लिम की बात नहीं है। यह आपसी विवाद जो होता है यह सब हदबन्दी को लेकर था। इसमें कुछ कहीं दूसरे वर्ग से भी कोई बात होती है तो उसमें फिर माहौल खराब होता है। ऐसी तमाम जगहें जो पहले से इंगित हैं उनमें अगर कहीं कमी है कहीं इन्द्राज में कमी है तो उसको करने की बात है। जैसा आपका सुझाव है धार्मिक स्थानों के बारे में उसके लिए अलग से लाया जा सकता है। मान्यवर, दो जगह के वक्फ है वक्फ अलल खैर और वक्फ अलल औलाद। एक में जिसमें आमदनी होती है और मस्जिद से आमदनी नहीं होती है। ऐसे स्थानों से जिनसे कोई आमदनी नहीं होती है आपकी मंशा उनसे है। दूसरे से नहीं है।

मैं इस निर्णय के लिए अपने हिसाब से सरकार का शुक्रिया अदा करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री नवाब सिंह नागर-

बहुत से मंदिर हैं, ट्रस्ट हैं, वह भी दर्ज नहीं हैं उनके कारण बहुत विवाद हो रहे हैं। तो उनके बारे में भी अलग से विचार कर लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप ऐसे सुझाव जो हों दे दीजिए, हम कार्यवाही करेंगे।

कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा सदन के कार्यक्रम निर्धारण की सिफारिश विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

एक सदन को सूचना देना है।

उत्तर प्रदेश विधान सभा की कार्य-मंत्रणा समिति ने अपनी बैठक दिनांक 17 मई, 2006 के क्रम में यह सिफारिश की है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के संगत प्राविधानों को शिथिल करते हुए उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 की मद विचार एवं पारण के लिए आज ही ले ली जाय।

संसदीय कार्य, नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करता हूं कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश से, जिसकी सूचना आज माननीय अध्यक्ष द्वारा सदन को दी गयी है, यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि कार्य-मंत्रणा समिति की सिफारिश विषयक प्रस्ताव जो माननीय संसदीय कार्य-मंत्री ने प्रस्तुत किया है, से यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

अब चर्चा शुरू करते हैं।

*श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है उस पर बल देने के लिए अपनी बात रख रहा हूं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय ने जो अभिभाषण यहां पढ़ा है उससे लगता है कि वह पूरी तरह से असत्य और माननीय संसदीय कार्यमंत्री जी के दबाव में वह पढ़ा गया यह अभिभाषण लगता है। क्योंकि इसमें एक बात कही गयी कि पंचायत के चुनाव निष्पक्षतापूर्वक करा दिये गये। माननीय राज्यपाल महोदय ने ही आई0पी0एस0 वीक में यह बात कही थी कि आई0पी0एस0 अधिकारी जो पुलिस अधिकारी जिला पंचायत के चुनाव में थे वह निश्चित रूप से निष्पक्षतापूर्वक काम नहीं किये। मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि वास्तव में राज्यपाल महोदय ने दबाव में ही यह अभिभाषण यहां पढ़ा होगा। मान्यवर, मान्यवर, इसमें यदि शब्दों में कोई अच्छी बात है, दो तीन शब्द बहुत अच्छे आयें हैं जिसमें सरकार ने अपने को भगवान जैसा माना है कि चमत्कारिक कार्य कर दिया है, ईश्वरीय कार्य कर दिया है। चमत्कारिक कार्य में उन्होंने दिखाया है कि 6 प्रतिशत विकास दर की तरफ प्रदेश को ले गये हैं और ईश्वरीय कार्य में उन्होंने दिखाया है कि किसानों के हित में इतिहास में इस सरकार ने ईश्वरीय कार्य किया है। मान्यवर, चमत्कारिक कार्य किस प्रकार से किया है यह तो यही जान सकते हैं ? मान्यवर, परिवहन मंत्री ने और दो एक मंत्री महोदय

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

ने कहा कि विपक्ष के लोगों को प्रशंसा करनी चाहिए सिर्फ विरोध करने के लिए विपक्ष नहीं होता निश्चित रूप से आपकी बात सही है प्रशंसा भी करनी चाहिए और विरोध भी करना चाहिए। प्रशंसा करने की यदि बात होती तो जरूर प्रशंसा होती आपने एक दो काम अच्छे किये हैं। कन्याधन दे करके लड़कियों के लिए प्रोत्साहन का काम किया है और बेरोजगारों को भत्ता देकर अच्छा काम किया है। इसकी प्रशंसा होनी चाहिये लेकिन और सारे जो काम हैं किस आधार पर आपकी प्रशंसा किया जाय। यदि देखा जाय तो कानून व्यवस्था सबसे बड़ी चीज है, अगर कानून व्यवस्था सही नही है तो प्रदेश का कोई भी काम अच्छा नहीं कहा जा सकता।

मान्यवर, कानून व्यवस्था का जो हाल है उस आधार पर, क्या निरपराध राजेश पाण्डे की हत्या डी0 एम0 के गनर ने कर दिया और पुलिस ने एफ0 आई0 आर0 तक दर्ज नहीं की, क्या इसके लिये आपकी प्रशंसा की जाय। क्या इसके लिये आपकी प्रशंसा की जाय कि प्रियंका यादव का बलात्कार थाने में पुलिस करती है यह कानून व्यवस्था आपकी है, इसके लिये आपकी प्रशंसा की जाय या इसके लिये प्रशंसा की जाय कि दीनानाथ भाष्कर जो सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, प्रेस वार्ता करके कहते हैं कि एस0 पी0 से मुझे जान का खतरा है, इसके लिये आपकी प्रशंसा की जाय या इसके लिये प्रशंसा की जाय कि हजरतगंज चौराहे पर माननीय अध्यक्ष जी के क्षेत्र के व्यक्तियों से जबरदस्ती डन्डा मारकर पुलिस पैसे वसूलती है, इसके लिये आपकी प्रशंसा की जाय। या इसके लिये प्रशंसा किया जाय कि भदोही जनपद में इण्डियन आयल गवर्नमेंट का जो सबसे बड़ा प्रतिष्ठान है, उसका माफियाओं द्वारा हाईजैक कर लिया जाना, उस पर नं0 2 का डीजल, पेट्रोल लाकर बेचा जाना, इण्डियन आयल जैसी संस्था, महाधिवक्ता यह कहते हैं जबरदस्ती यह किया जा रहा है, तेल बेचे जा रहे हैं, डीजल बेचे जा रहे हैं और कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, इसके लिये प्रशंसा की जाय। या इसके लिये प्रशंसा की जाय कि बीहड़ों में चलते थे ए0 के0-47 अभी कौकब हमीद साहब ने कहा कि सफारी का निर्माण हो गया, डकैतों का बीहड़ में सफाया कर दिया गया। हो सकता है कि बीहड़ में अब ए0 के0-47 राइफलें न चलती हों। मान्यवर, मैं उधर का नहीं हूं। लेकिन मैं मैदानी इलाके का रहने वाला हूं, जिस तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश में सड़कों पर शहरों में ए0 के0-47 रायफलें चल रही हैं, दिन-दहाड़े विधायक की हत्या ए0 के0-47 से की जा रही हैं, सड़कों पर चलते हुये साधु-संतों की हत्या ए0 के0-47 से की जा रही है, क्या इसके लिये आपकी प्रशंसा की जाय। आपकी बहादुरी तो यही है कि बीहड़ से उतरकर डकैत और बदमाश, माफिया महानगरों में आ गये, शहरों में आ गये, इसके लिये आपकी प्रशंसा की जाय। मान्यवर, मैं समझता हूं कि डकैती और चोरी की तो कोई एफ0 आई0 आर0 ही नही लिखी जा रही है, कोई भी आदमी चला जाय और कह दे कि हमारे यहां डकैती हो गयी, अगर एफ0 आई0 आर0 लिख ली जाय तो जो भी आप कहें, मैं शर्त हारने को तैयार हूं। कहीं भी डकैती और चोरी की एफ0 आई0 आर0 लिखी नहीं जा रही है। इतना ही नहीं, रात को 11 बजे के बाद जी0 टी0 रोड पर यदि आप चले जाये तो एक थाना नहीं, सारे थानों के सिपाही सड़कों पर उतर जाते हैं और रात को कोई गश्त करने सिपाही नहीं जा रहा है। सारे सिपाही खड़े होकर पैसा वसूलते हैं और जी0 टी0 रोड पर बैरियर लगाकर जबरदस्ती पैसा वसूला जा रहा है। यह किसी से छिपा नहीं है, क्या इसके लिये आपकी प्रशंसा की जाय।

मान्यवर, मैं समझता हूं कि कानून व्यवस्था बहुत ही बदतर है। लालबत्ती उतार कर साधारण आदमी बनकर कहीं आप चले जायें तो आपको पता चल जायेगा कि कानून व्यवस्था की किस तरह धज्जियां उड़ाई गई हैं, उत्तर प्रदेश में। यदि कानून व्यवस्था बिल्कुल खराब है तो विकास का अच्छा प्रतिशत आप नहीं ले जा सकते। यह सिर्फ कपोल-कल्पित बात है, जनता को धोखा देने की बात है। मान्यवर, चमत्कारी कार्य आप और क्या कर रहे हैं, अभी सीजन बीता है, आप कह रहे हैं कि किसानों के लिये आप बहुत ईश्वरी कार्य कर रहे हैं। किसानों को डाई नही मिली, यूरिया नही मिली, बिजली की दशा आपके सामने है। देहात में आप 4 घन्टे से ज्यादा बिजली नहीं दे पा रहे हैं। क्या यही ईश्वरी कार्य है। गेहूं खरीदने के लिये आपके पास कोई आदमी नही है, कोई जा नहीं रहा है, गेहूं बेचने के लिये। किसानों को आप इतना कम दाम दे रहे हैं, क्या यही ईश्वरी काम किये हैं। इसी प्रकार मान्यवर, टेल तक पानी की बात आप छोड़ दें। अम्बिका चौधरी जी हमारे मित्र हैं, यह हंस रहे हैं। हंसिये मत, अपने गिरेबान में झांककर देखिये, कहीं भी टेल तक पानी नहीं पहुंचा। हमारे यहां ज्ञानपुर पम्प नहर है, अभी चुनाव में शिवपाल जी सहित सारे मिनिस्टर वहां गये थे, औराई विधान सभा क्षेत्र में, शायद ही कोई मंत्री बाकी हो, जो वहां न गया हो मैं समझता हूं कि आपके सामने सबसे बड़ी समस्या दिखायी पड़ी होगी कि किसानों की गेहूं की फसल सूख रही है कोई पुरसाहाल नहीं है यह सबसे बड़ी चुनौती थी। ज्ञानपुर नहर तीन साल से नहीं चल रही है, किसान भुखमरी के कगार पर पहुंच गया है। दूसरी सबसे बड़ी बात आपने कहा है पंचायत चुनाव के सम्बन्ध में, तो मान्यवर, पंचायत चुनावों के बारे में भी किसी से छिपा नहीं है, किस प्रकार से आपने चुनाव कराया, किस प्रकार से सदस्यों का अपहरण कराया, किस प्रकार गुण्डई के बल पर उनके वोट लिये गये, यह सारी चीजें सभी को मालूम है। आपने समय पर चुनाव कराये इसके लिये तो शाबासी दी जा सकती है लेकिन आपने निष्पक्ष चुनाव नहीं कराये [x x x] मथुरा के विधायक बड़ी प्रशंसा कर रहे थे, लेकिन मैं पूछता हूं कि कभी अपकी निगाह पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ भी गई है, जहां करोड़ों रुपये विदेशी मुद्रा के रूप में आता है।

श्री अध्यक्ष-

भाषण में जो असंसदीय शब्द आ गये हैं, उन्हें निकाल दिया जाय।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मैं कहता हूं कि कोई भी सड़क ऐसी नहीं है, जिस पर आप आराम से चल सकें। अगर आप मोटर गाड़ी से भी जाएंगे तो आपकी गाड़ी पंचर हो जाएगी क्योंकि सड़को की हालत बहुत खराब है। एक भी पैसा नहीं दिया गया वहां के लिये और अगर दिया भी गया है तो ठेकेदार और अधिकारी खा गये होंगे, अगर आप एक भी सड़क वहां बनवा देंगे, तो मैं आपका स्वागत करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, ज्ञानपुर, भदोही की सड़कों की हालत बहुत खराब है, अगर आप वहां कुछ करवा देंगे तो बड़ी कृपा होगी। जो आप कह रहे हैं कि चमत्कारिक और ईश्वरीय कार्य आपने किये हैं, मैं

नोट :- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

कहना चाहता हूं कि आपने पूर्वांचल के लिये कुछ नहीं किया है, इटावा, मथुरा, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर के लिये चाहे जितना किया हो लेकिन पूर्वांचल के साथ आपकी नीति भेदभाव की ही रही है। एक भी इण्डस्ट्री नहीं लगवाई आपने, सिर्फ आजमगढ़ में एक अस्पताल बनवाया है, इसके अलावा आपने कुछ नहीं दिया है। पूर्वांचल बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश की आधी आबादी पूर्वी उत्तर प्रदेश में रहती है। बिजली भी पूर्वांचल में ही पैदा की जाती है, लेकिन वहां पर आपने एक भी इन्डस्ट्री नहीं लगवाई है। उद्योग के नाम पर एक सेज (स्पेशल इकोनॉमिक जोन) स्थापित हुआ था, भूमि अधिगृहीत की गई थी, करोड़ों रुपए किसानों का फंसा है और इन्फ्रास्ट्रक्चर भी नहीं खड़ा हुआ। वहां पर व्यापारी गये भी, एप्लीकेशन भी दिया, लेकिन आपकी सुस्ती के कारण आज वह लोग भी अपना पैसा वापस लेना चाहते हैं। पूर्वी उत्तर प्रदेश में एक इकोनॉमिक जोन बनना था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में तीन-तीन इकोनामिक जोन बन गये लेकिन पूर्वांचल में एक भी ईट नहीं रखी गई। पूर्वी उत्तर प्रदेश में, जहां करोड़ों रुपए विदेशी मुद्रा अर्जित होती है, जहां ट्रान्सपोर्ट के अच्छे साधन हैं, पावर हाउसेज हैं, वहां के लिए आपने कुछ नहीं दिया है, वहां पर भी बहुत कुछ हो सकता है, अगर आप प्रयास करें। मान्यवर, वहां पर औराई चीनी मिल है, यह मिल सिर्फ इसलिए बन्द हो गई, क्योंकि उनके पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं था, वहां के लोग उसी में चोरी कर रहे हैं, उसमें एक फीट की सेंध लगा करके करोड़ों रुपए का पीतल, तांबा चोरी दिखा दिया गया है। लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई, मिल बंद होने की कगार पर है, उसकी करोड़ों रुपये की प्रापट्री है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का किसान तबाह हो रहा है, औराई चीनी मिल चालू करा दें और उसके किसानों को सब्सिडी देकर गन्ना विकसित करा दें तो इससे बड़े किसानों के हित की बात और नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये, ग्यारह मिनट हो गये हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, समाप्त कर रहा हूं। औराई चीनी मिल की जो दुर्दशा है, उसको पैसा देकर फिर चालू कराने की व्यवस्था करें जिससे पूर्वी उत्तर प्रदेश में कुछ विकास का काम हो सके।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, भदोही में जिला अस्पताल नहीं बना है, उसका शिलान्यास हो गया और पैसा चला गया लेकिन बिल्डिंग नहीं बनी। पालीटेक्निक के लिए भी पैसा दिया गया और 50 लाख रुपया निर्माण निगम के पास वर्ष 2001 से पड़ा है जिसमें उन्होंने खर्च भी दिखा दिया है और मात्र 4 फुट ऊंची बाउण्ड्री बनायी है। कितने अच्छे ट्रेड थे, कम्प्यूटर, इलेक्ट्रानिक्स व आई0टी0 था, बहुत अच्छे ट्रेड थे अगर पालीटेक्निक का निर्माण हो गया होता तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के तमाम नौजवान पालीटेक्निक की शिक्षा ग्रहण करके देश के विकास में योगदान कर रहे होते। लड़कियों के डिग्री कालेज खुल गया लेकिन उसे पोस्ट-ग्रेजुएट नहीं बनाया गया, आज वहां की लड़कियां चाहे औराई गवर्नमेंट कन्या डिग्री कालेज हो, दीन दयाल उपाध्याय कन्या डिग्री कालेज शिवापुरी हो, वहां पर बी0ए0 तक की शिक्षा दी जाती है और पोस्ट-ग्रेजुएट करने के लिए लड़कियों को बाहर जाना पड़ता है उसे अगर पोस्ट-ग्रेजुएट कर दिया

जाए तो उस क्षेत्र की लड़कियां अपने भविष्य को संवार सकती हैं। तीसरी सबसे बड़ी समस्या बिजली संकट की है। भदोही जनपद एक कालीन क्षेत्र है, जहां विदेशी भी आते हैं, वहां पर बिजली 4-5 घण्टे से ज्यादा नहीं आ रही है। ऐसी स्थिति में जहां पर करोड़ों रुपये की कालीन देखने के लिये, हस्तकला को देखने के लिये विदेशी आते हैं, बिजली न होने के कारण असुविधा होती है और वह नाक-भौं सिकोड़कर वापस जयपुर, आगरा या दूसरी जगहों पर चले जाते हैं और दूसरे स्थानों से कालीन खरीदने की कोशिश करते हैं और यहां से वह विदेशी चला जाता है बिजली न होने के कारण भदोही के कालीन व्यवसायियों के साथ मजदूरों का भी अहित हो रहा है। यदि भदोही में सरकार 18 से 20 घण्टे बिजली देगी तो मजदूरों का भी कल्याण होगा और विदेशी मुद्रा अर्जित करने में हम सफल होंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये, 13 मिनट हो गये हैं।

श्री रंगनाथ मिश्र-

पेयजल के लिये ट्यूबवेल लगे हुये हैं, बोरिंग हो गयी है, मोटर लग गया है, लाइन जुड़ गयी है। महराजगंज, चौरी, मुकुन्दीपुरी में तमाम ट्यूबवेल बंद पड़े हैं, कुछ पैसा दे दें तो पेयजल की समस्या से निजात मिल सकती है। इसके अलावा हमारे क्षेत्र में एक 132 के0 वी0 ए0 का पावर हाउस कम से कम एक करोड़ रुपया लगाकर अधूरा पड़ा है तो उस पर पैसा दे दें तो वहां की बिजली की समस्या दूर हो सकती है। इन्हीं शब्दों के साथ नेता प्रतिपक्ष ने श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो अपना संशोधन प्रस्ताव पेश किया है उस पर बल देते हुये अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा जारी रहेगी, अब अगली मदें ले लेते हैं।

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

* राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

बोलना चाहते हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

हां। मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि मुझको संशोधन देने का अधिकार था। कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करके अगर मेरे इस अधिकार को लिया जायेगा

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो फिर मेरा आग्रह है कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिशों को सर्वसम्मति से स्वीकार करने का प्रस्ताव का हमने निर्वहन किया है, लेकिन सत्तापक्ष यह नहीं चाहता है, मेरा यह निवेदन है कि इस विधेयक को आप कल के लिये स्थगित कीजिये और आप हमारा संशोधन लीजिये और कल चर्चा के बाद तब पारित करें।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी कार्य मंत्रणा समिति में नहीं थे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मंत्री जी नहीं थे लेकिन उनको सदन की परम्पराओं का ज्ञान है।

श्री अध्यक्ष-

इसमें एक बार संगत नियमों को शिथिल करते हुये प्रस्ताव भी लाया गया है और आपने "हां" "नहीं" कहा है। अब आप व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं।

बाल विकास एवं पुष्टाहार मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

हमें भी संसदीय परम्पराओं का ज्ञान है। अगर आपके दल में कोई हो तो फ्री-लांसिंग हो जाय।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी विषय को आगे ले जाने दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह दो विद्वानों का मामला है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी, यह बात अच्छी नहीं है, वहां से वार्तालाप न करें।

श्री अम्बिका चौधरी

श्रीमन्, प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 जो प्रस्तुत किया गया है यह एक औपचारिक संशोधन है। इसमें विधेयक में कोई ऐसा मौलिक परिवर्तन नहीं किया जा रहा है। इसमें सिर्फ एक इनेबलिंग क्लाज जोड़ रहे हैं। चूंकि यह विधेयक माननीय सदन ने पारित किया था इसलिये अगर हमें इसमें कोई तब्दीली करनी है तो सदन में उसे लाना पड़ेगा। इसलिये इस इनेबलिंग क्लाज को जोड़ने का काम किया है। उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत जो विश्वविद्यालय है उस विश्वविद्यालय को यह अधिकार दे रहे हैं कि जो महाविद्यालय या घटक महाविद्यालय हैं, अगर उनको स्वायत्तशासी घोषित करना चाहें, आटोनामस घोषित करना चाहें तो विश्वविद्यालय को इस संशोधन के माध्यम से यह अधिकार दे रहे हैं। जो हमारा प्राविधिक विश्वविद्यालय है यह बहुत बढ़िया ढंग से काम कर रहा है। हम इसका क्रेडिट आपको देना चाहते हैं क्योंकि आपके कार्यकाल में इस विश्वविद्यालय की स्थापना हुयी थी जिससे बहुत सारी चीजें ठीक हुयीं। लेकिन आप अपनी प्रशंसा सुनने के लिये तैयार नहीं हैं। श्रीमन्, इस एक्ट में हमने धारा 26(क) की उपधारा 1 में

व्यवस्था की है कि कार्य परिषद् को ऐसी रीति विहित करने का अधिकार दे दिया है जिसमें वह उनके साथ चले आ रहे महाविद्यालय जो हैं उनको स्वायत्तशासी घोषित कर सकें। केवल यही करने के लिये यह संशोधन लायें हैं इसलिये में पूरे सदन से प्रार्थना करूंगा कि सर्वसम्मति से इसे पारित करने की कृपा करें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक पर विचार करते समय यह बात कही कि मात्र एक संशोधन इसमें लाया गया है कि यदि कार्य परिषद् चाहे तो किसी महाविद्यालय को स्वायत्तशासी घोषित कर सकती है लेकिन माननीय मंत्री जी भूल गये हैं इसमें एक नयी धारा 36(क) बढ़ायी गयी है। इस विधेयक में है कि धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाये अर्थात् 36 (क) राज्य सरकार समय-समय पर इस विश्वविद्यालय को नीति विषयक मामलों में ऐसे निर्देश जारी कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे और जो इस अधिनियम के उपबन्धों के असंगत न हों और उन निर्देशों का अनुपालन इस विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। तीन बातें हैं पहली तो यह कि इस प्रकार के संशोधन करने की प्रार्थना क्या विश्वविद्यालय ने सरकार से की थी ? यदि हां, तो संशोधन ठीक है यदि नहीं, तो सरकार को इसकी आवश्यकता क्या समझ में आई। दूसरा जब विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी हैं। विश्वविद्यालय का एक आटोनमस चरित्र है तब सरकार एक तरफ तो विश्वविद्यालय की कार्य परिषद् को इस अधिनियम के संशोधन के माध्यम से अधिकार दे रही है। जब चाहे जिसे चाहे विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी बना दें जिसे चाहे सहयुक्त विश्वविद्यालय बना दिया जाय। किसी को अपने विश्वविद्यालय के अन्तर्गत आटोनमस सो काल्ड यूनीवर्सिटी के रूप में इस्तेमाल का अधिकार दे रहे हैं दूसरी तरफ अधिकार अपने हाथ में ले रहे हैं राज्य सरकार समय समय पर विश्वविद्यालय को नीति निर्देशक मामलों में निर्देश जारी कर सकती है जिन निर्देशों का पालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जायेगा। एक तरफ विश्वविद्यालय को अधिकार दे रहे हैं दूसरी तरफ अधिकार ले रहे हैं तो मेरा केवल इतना निवेदन है कि क्या इस प्रकार के संशोधन के लिये विश्वविद्यालय द्वारा अनुरोध किया गया यदि नहीं तो फिर अचानक इस संशोधन को लाने के पीछे सरकार की मंशा क्या है ?

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह मूल विधेयक है जो मेरे पास है। यह उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 है यह सरकारी गजट के रूप में है। इसकी धारा 29 मैं इसलिये पढ़ रहा हूं क्योंकि यह परिवर्तन 29 में होना चाहिये था लेकिन आपने 36 में परिवर्तन किया यह जानबूझकर किया गया धारा 29 कहती है पूर्ववर्ती उपधाराओं में दी गई किसी बात के होते हुये भी राज्य सरकार अध्ययन, अध्यापन या अनुसंधान के हित में विश्वविद्यालय, अनुदान आयोग या अखिल भारतीय प्रौद्योगिकी शिक्षा परिषद् के किसी सुझाव या सिफारिश या राज्य या राष्ट्रीय शिक्षा नीति के आधार पर अपने द्वारा किये गये किसी विनिश्चय को क्रियान्वित करने के लिये कार्यपरिषद् से विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर नये या अतिरिक्त विनियम बनाने या उपधारा (1) में या उपधारा (2) में निर्दिष्ट विनियमों को संशोधित करने

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

या निरसित करने की अपेक्षा कर सकेगी और यदि कार्य परिषद् ऐसी अपेक्षाओं का अनुपालन करने में विफल रहे तो राज्य सरकार नये या अतिरिक्त विनियम बना सकेगी या उपधारा (1) या उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट विनियमों का संशोधन या निरसन कर सकेगी। मेरा प्रश्न बहुत साफ है। जब यह प्राविधान पहले से दिया हुआ था धारा 29 में दिया गया था तब जानबूझकर एक नया प्राविधान धारा 36 के अन्तर्गत क्यों जोड़ा जा रहा है। धारा 36 क्या कहती है। रिक्तियों आदि के कारण कार्यवाहियों का अविधिमान्य न होना। यह जो नयी उपधारा जोड़ी जा रही है 36 क वह राज्य के किसी प्रकार के प्राविधिक विश्वविद्यालय में हस्तक्षेप करेगी धारा 36 में है विश्वविद्यालय के किसी प्राधिकारी या निकाय या समिति का कोई कार्य या कार्यवाही केवल इस कारण अविधिमान्य न होगी कि (1) उसमें कोई रिक्ति या उसके गठन में कोई त्रुटि थी। (2) कार्यवाही में किसी ऐसे व्यक्ति ने भाग लिया है जो ऐसा करने के लिये हकदार नहीं था। (3) उसके सदस्य के रूप में कार्य करने वाले किसी व्यक्ति के निर्वाचन, नाम-निर्देशन या नियुक्ति में कोई त्रुटि थी।

श्री अम्बिका चौधरी-

मैं बीच में इन्टरवीन कर रहा हूं।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

पहले मुझे अपनी बात पूरी करने दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

बीच में तो इण्टरवीन कर सकता हूं। यह अधिकार है। आपने 36 में संशोधन की बात की यह 26 में संशोधन है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मुझे इस बात का दुख है कि मंत्री जी यहां पर जो अधिनियम प्रस्तुत कर रहे हैं उन्होंने स्वयं उस अधिनियम को नहीं पढ़ा और वह वहां पर मंत्री के रूप में उस पर बहस कर रहे हैं। यह कितना दुखद है। वह जानते भी नहीं हैं कि क्या बहस कर रहे हैं। मैं 36 क की ही बात कर रहा हूं 26 की बात नहीं कर रहा। मंत्री जी से अचानक कह दिया गया और वह यहां बहस कर रहे हैं। मैं यह कह रहा हूं कि जब 29 में यह व्यवस्था की गई कि विश्वविद्यालय राज्य शिक्षा आयोग ग्रान्ट कमीशन और काउन्सिल आफ टैक्नीकल एजूकेशन इनके विनिश्चित नियमों के अनुरूप हस्तक्षेप करेगी तो क्यों एक ऐसा नियम पीछे से जोड़ा जा रहा है कि उसमें उच्च शिक्षा आयोग को टैक्नीकल यूनीवर्सिटी सब को हटाकर के राज्य सरकार को अधिकार दिया जा रहा है। इस प्रकार से अगर देखा जाय तो जैसे जमाने में लकड़ी के घोड़े में सिपाही बैठाकर भेजे जाते थे वैसे ही मान्यता के बहाने विश्वविद्यालय में सरकार अपना नियंत्रण कर सके यह खेल खेला जा रहा है। मैं इस आधार पर इसका विरोध करता हूं और कहता हूं कि इसको एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। और कम से कम इस अवस्था में तो जब सरकार अपना पक्ष रखना चाहती है वह जानती ही नहीं है कि अधिनियम क्या है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अग्रवाल साहब ने जो बातें कही हैं मैं उन शब्दो को नहीं दोहराना चाहता, लेकिन उन्होंने जो शब्द कहे हैं उनको थोड़ा ठीक कर लेते तो ज्यादा अच्छा होता उन्होंने कहा कि जानबूझकर यह विधेयक लाया जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि जानबूझकर नहीं सोच समझकर लाया गया । इसलिये तब्दीली ले आयें अपनी मानसिकता में। जानबूझकर के नहीं आई है सोच समझकरके ले आई है और सोच समझकर जिस संशोधन की आवश्यकता थी वह आवश्यकता ले आई। मान्यवर, जो धारा-29 के जिन प्राविधानों का उल्लेख उन्होंने किया और धारा-36 का जिक्र किया उनमें इसके ऑटोनामस डिक्लेयर किये जाने के प्राविधान नहीं हैं हम अब नये सिरे से इस प्राविधिक विश्वविद्यालय को अपने सम्बद्ध महाविद्यालय या घटक महाविद्यालयों को स्वायत्तशासी किये जाने का अधिकार उनको प्रदान कर रहे हैं और यह संशोधन है। संशोधन है दूसरा और इस एक्ट में जिसको आप बढ़िया समझते हैं 29 और 36 को वह यथावत् हैं और उसमें आपको कोई आशंका नहीं चाहिए। हम इसमें कोई संशोधन नहीं कर रहे हैं जहां अपेक्षित है वहीं संशोधन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, जब डाक्टर साहब ने उस पर अपना प्रस्ताव रखा है तो पहले उनका प्रस्ताव तो निरस्त करवाइये।

श्री अध्यक्ष-

उनकी मौखिक सूचना है कोई लिखित तो है नहीं।

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम

1-यह अधिनियम उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 23 सन् 2000 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (क) के **स्थान पर निम्नलिखित खण्ड** रख दिया जाएगा, अर्थात् :-

"(क) 'विद्यालय' का तात्पर्य विश्वविद्यालय **से सम्बद्ध किसी महाविद्यालय** या किसी संस्था से है और उसके अन्तर्गत धारा 26-क, 26-ख और 26-ग के अधीन निर्दिष्ट क्रमशः स्वायत्त महाविद्यालय, घटक महाविद्यालय और सहयुक्त महाविद्यालय भी होंगे :

नई धारा 26-क, 26-ख और 26 ग का बढ़ाया जाना

3-मूल अधिनियम की धारा 26 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

स्वायत्त महाविद्यालय

"26-क (1) विश्वविद्यालय किसी सम्बद्ध महाविद्यालय को, जो इस निमित्त विहित शर्तों को पूरा करे, स्वायत्त महाविद्यालय के विशेषाधिकार,ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय, प्रदान कर सकेगा। ऐसा महाविद्यालय उसमें शिक्षण प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए विश्वविद्यालय द्वारा विहित पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर सकेगा और इस प्रकार परिवर्तित पाठ्यक्रमों में परीक्षा ले सकेगा।

(2) पाठ्यक्रमों में परिवर्तन कर सकने की सीमा तथा ऐसे महाविद्यालय द्वारा संचालित परीक्षाएं लेने की रीति प्रत्येक मामले में विश्वविद्यालय द्वारा अवधारित की जायेगी।

(3) ऐसा महाविद्यालय ऐसी रीति से जैसी विहित की जाय स्वायत्त महाविद्यालय घोषित किया जायेगा।

घटक महाविद्यालय

26-ख (1) घटक महाविद्यालय ऐसे होंगे जैसा विश्वविद्यालय द्वारा अभिहित किया जाय।

(2) किसी घटक महाविद्यालय का प्रधानाचार्य महाविद्यालय में अभ्यावेशित छात्रों के अनुशासन के लिये उत्तरदायी होगा और घटक महाविद्यालय को आवंटित किये गये लिपिक वर्गीय एवं अवर कर्मचारिवृन्द पर सामान्य नियंत्रण रखेगा। वह ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग करेगा जैसी विनियमों द्वारा विहित की जाय और जो प्रधानाचार्य के लिए विनिर्दिष्ट हों।

सहयुक्त महाविद्यालय

26-ग (1) सहयुक्त महाविद्यालय या तो राजकीय महाविद्यालय होगा या राजकीय समिति महाविद्यालय होगा। ऐसे महाविद्यालय को विश्वविद्यालय द्वारा सहयुक्त महाविद्यालय के रूप में अभिहित किया जा सकेगा।

2-किसी सहयुक्त महाविद्यालय के लिए यह विधिसम्मत होगा कि वह किसी अन्य सहयुक्त महाविद्यालय या विश्वविद्यालय के साथ शिक्षण के क्षेत्र में सहयोग के लिए व्यवस्था करें।"

नई धारा 36-क का बढ़ाया जाना

4-मूल अधिनियम की धारा 36 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :-

निदेश जारी करने की राज्य सरकार की शक्ति

"36-क-राज्य सरकार समय-समय पर विश्वविद्यालय को नीति विषयक मामलों पर ऐसे निदेश जारी कर सकेगी जिन्हें वह आवश्यक समझे और जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हो। ऐसे निदेशों का अनुपालन विश्वविद्यालय द्वारा किया जाएगा।"

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

क्या सरकार धोखा करेगी। सरकार बहुमत के बल पर स्वेच्छाचारिता से मान्यवर, जबरदस्ती पारित करा रहे हैं इसलिए हम सदन का बहिष्कार करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी, आप क्यों जा रहे हैं ?

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

सरकार को यह नहीं मालूम कि हम किस पर बोल रहे हैं।

(डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने विरोध स्वरूप अपने दल के सदस्यों सहित सदन का त्याग किया किन्तु श्री सुरेश कुमार खन्ना अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे।)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

आप क्यों नहीं जो पार्टी के लिये। मद संख्या-17 (क) ले रहा हूं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जिस उद्देश्य से हम इस सदन में आये हैं अगर एक संशोधन के ऊपर विपक्ष की सबसे बड़ा दल जो है वह अपनी बात कहना चाहता है तो आप कोई मौका नहीं देंगे।

(श्री सुरेश कुमार खन्ना के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात सुनी गई, सारी बातें तो कह दी हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह तो विरोध स्वरूप हम लोगों ने बहिर्गमन इसलिये किया.....

श्री अध्यक्ष-

आप जाते क्यों नहीं, जब आप बहिर्गमन कर रहे हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं यहां पर इसलिये रुका हूं कि मैं अपनी बात कह सकूं, जब कोई एकेडमिक डिस्कशन हो रहा हो और उससे सम्बन्धित कोई विधेयक पारित हो रहा हो तो उसमें अपनी बात रखने का पूरा अवसर दिया जाना चाहिए। हमें पूरा अवसर नहीं दिया गया, यह हमारी आपत्ति है।

श्री अध्यक्ष-

पूरा अवसर दिया गया है। डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी ने इस पर भाषण दिया, डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल ने इस पर अपने विचार रखे। आप खड़े ही नहीं हुए। जब विचार रख दिया गया तो आप खड़े हो रहे हैं। आपने उस अवसर का लाभ ही नहीं उठाया।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, खन्ना साहब खड़े हैं, आपने अभी एक निर्देश दिया है कि 'आप जाते क्यों नहीं,' आपने कहा है कि 'आप जाते क्यों नहीं', इस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

उन्होंने कहा कि मैं बहिर्गमन कर रहा हूं, तब मैंने कहा कि जाइये। मैंने सदन छोड़ने के लिये नहीं कहा है। अगर वह नहीं जाना चाहते हैं तो बैठें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, उस उद्देश्य की पूर्ति होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

बाजपेयी जी ने पूरा भाषण किया, तब तो आप बोले नहीं, प्रश्न रख दिया तब खड़े हो रहे हैं। अब आप बैठ जायें।

अब मद संख्या-17(क) लेते हैं।

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

किसी को बोलना है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, सदन को अवगत कराना है कि इसमें मात्र एक शब्द का संशोधन है और वह शब्द बेहद औपचारिक है। आयोग के सदस्यों का जो कार्यकाल है, जब अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का गठन किया गया और जब उसका विधेयक पिछली बार पारित हुआ, तब उसमें 5 वर्ष रखा गया था, क्योंकि अन्य आयोगों में समान कार्य के लिये जो दूसरे आयोग हैं, जैसे लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उसके सदस्यों की पदावधि 6 वर्ष है इसलिये अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की पदावधि 5 वर्ष के बजाय 6 वर्ष रखे जाने का यह संशोधन है।

वक्ता ने भाषण का पुनरीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना साहब बोलेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा जैसा उद्देश्य है, आपने मुझे पुकारा, मैं इसका स्वागत करता हूं और आपके संरक्षण पूर्ण दायित्व की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं लेकिन मान्यवर, जिस बात पर मेरी आपत्ति थी, उस पर मुझे पूरा अवसर नहीं दिया गया। पीठ से जिस प्रकार से जल्दबाजी की गयी।

श्री अध्यक्ष-

आपको बोलना चाहिए था। अब आप बैठ जायें

अब मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 का संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

(2) यह 23 फरवरी, 2006 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1 सन् 2006 की धारा 9 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अधिनियम, 2006 की धारा 9 में, उपधारा (1) में तथा उसके परन्तुक में शब्द "पांच वर्ष" के स्थान पर शब्द "छः वर्ष" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

श्रीमन्, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग (संशोधन) विधेयक, 2006 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

*श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा प्रश्न यह है कि अभी इसके पहले जो प्रस्ताव आया था तो आपने सही सवाल पूछा खन्ना जी से कि आप उस समय खड़े नहीं थे। उस समय बोलने के लिये खड़े नहीं थे। यह खड़े होते तो आप बतलाते। खन्ना जी ने समय से कोई काम नहीं किया है। जब शादी की उम्र थी तो देखते रहे कि किससे करें, इससे करें कि उससे करें। और यह कुंवारे रह गये। अभी यह विचार कर रहे हैं जैसे उस समय उसमें विलम्ब हुआ। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि आप उन्हें खड़ा मान लिया करें, क्यों आप उन्हें बैठा मानते हैं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी इतनी सहानुभूति है खन्ना जी से तो आप इस उम्र में उनकी व्यवस्था कराइये।

(हंसी)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आपने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है तो अगर मेरा इस पर कोई सजेशन होगा तो वह उसे बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। अगर यह व्यवस्था आप कर दें या संसदीय कार्य मंत्री जी कर दें तो शायद यह मान जायें।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, एक महत्वपूर्ण मामला है। मान्यवर, उन्होंने अपना निवेदन बता दिया, प्रमोद कुमार जी ने अपना सुझाव दे दिया। मैं इसमें संशोधन रखना चाहता हूं कि प्रमोद कुमार जी लिस्ट दे दें और आप उसमें रूलिंग दे दें तो खन्ना जी उसे मान जायेंगे।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह ऐसे तय नहीं होगा। मेरा सुझाव है कि इस पर आप सर्वदलीय समिति बना दें।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन उसका अध्यक्ष आपको ही रखेंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह सही भी है क्योंकि मान्यवर, आप ऐसी समिति की अध्यक्षता के लायक हैं भी नहीं।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, बाजपेयी जी को या तो दिखाई कम पड़ता है या सुनाई कम पड़ता है। कल ऐसी ही बात आई थी तो मैंने उनसे कहा था कि आ जाओ तो बता दूं तो आप भी कह दीजिये कि आ जाओ तो बता दूं।

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, इसमें भी सिर्फ एक छोटा सा संशोधन है, बेहद औपचारिक है। अब तक किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय विधेयक यहां पारित किया था उसमें निजी मेडिकल कालेज की सम्बद्धता के लिये प्राविधान था। लेकिन प्रदेश में एक कठिनाई यह है कि जहां प्रदेश सरकार ने इसका प्रबन्ध किया है और चिकित्सा क्षेत्र में इतनी उल्लेखनीय उपलब्धियां हुई हैं, ऐसी-ऐसी मशीनें सरकारी अस्पतालों में लायी गयी हैं वैसी प्रतिष्ठित मेडिकल कालेजों में उपलब्ध नहीं हैं। पैरा मेडिकल स्टाफ का अभाव है इसलिये पेरा मेडिकल कालेज को भी खोले जाने की व्यवस्था जरूरी है। यह ठीक ढंग से चल सके उसको रेग्यूलेट कर सकें इसलिये पैरा मेडिकल कालेजों की सम्बद्धता किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय से की जाय मात्र इतना प्रस्ताव है। यह जो शब्द निजी चिकित्सा महाविद्यालय के स्थान पर निजी चिकित्सा महाविद्यालय या किसी ऐसी संस्था जो पैरा चिकित्सीय उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान कर रही हो, उसमें निजी चिकित्सा महाविद्यालय के साथ-साथ पैरा मेडिकल की ट्रेनिंग के लिये और इसकी शिक्षा के लिये अन्य विद्यालयों से सम्बद्ध कर दिया जाय, यही संशोधन है। मैं आशा करता हूं कि आप इसका स्वागत करेंगे।

*डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, आपने मुझे इस महत्वपूर्ण विधेयक पर अपने विचार रखने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह मूल अधिनियम है मेरे पास किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, 2002। यह पुस्तकालय से मुझे प्राप्त हुआ है, यह करेक्शन करके दिया गया है। धारा-11 में उप धारा(18) का जिक्र नहीं है, यह मैं सूचना के लिये दे रहा हूं। लेकिन चूंकि अधिनियम में उप धारा-(18) लिखा है तो यह रहा होगा, इसमें उप धारा जोड़ी नहीं गयी है इसलिए मैं इसे मानकर चलता हूं। मुल बात यह कहनी है कि पैरा मेडिकल संस्थानों को प्रदेश स्तर पर मान्यता देनी चाहिए। लेकिन किसी एक इंस्टीट्यूट के नाम पर देना चाहते हैं, यह अच्छा विषय हो सकता है। इसमें इंजन आगे होना चाहिए और डिब्बे पीछे होने चाहिए। लेकिन इसमें उल्टा हो रहा है डिब्बे आगे हैं और इंजन पीछे। मान्यवर, पूरे प्रदेश में मान्यता देनी है, कार्यक्रम में, शिक्षा में समानता लानी है, पूरे प्रदेश में एक समान पाठ्यक्रम होना है, एक प्रकार की शिक्षा और परीक्षा होनी है तो यह काम सबसे पहले, तो मुख्य एमबीबीएस की पढ़ाई होती है, उससे शुरू किया जाना चाहिए। मेडिकल में एक रूपता न लायें, व्यवहारिक धरातल पर सात आठ मेडिकल कालेज हैं हम उन्हें अलग-अलग काम करने दें। अपनी-अपनी यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड करके काम करने दें और पैरा मेडिकल कोर्सेस को किंग जार्ज मेडिकल कालेज से जोड़ करके प्रारम्भ करें। लेकिन यह कुछ उल्टा हो रहा है। मेरा सुझाव है कि जैसी अभी हमने टैक्निकल यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, सारी टेक्निकल यूनिवर्सिटीज अपनी-अपनी यूनिवर्सिटी से एफिलियेटेड करती तो स्वाभाविक रूप से शिक्षा का वह स्तर नहीं मिलता था जो हम यूनिवर्सिटी के माध्यम से पूरे प्रदेश में देने की स्थिति में पहुंचे हैं। शायद इसी सरकार के दौरान यह आया हैं हम यह मानते हैं कि आज पूरे प्रदेश में तकनीकी शिक्षा की दृष्टि से स्तर का थोड़ा उर्च्चीकरण हुआ है। परीक्षा प्रणाली पूरी रेग्यूलेट हुई है, बच्चों के अटेण्डेन्स कैसी होगी ? शिक्षा के करकुलन क्या होंगे, परीक्षा कैसे लिये जायेंगे, पूरे प्रदेश में इसके एक मानक बने हुए हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा था, आठ मई को हम लोगों ने माननीय मुख्य मंत्री जी का एक बयान पढ़ा था, सात तारीख को वह के0जी0एम0सी0 लखनऊ गये थे और वहां पर उन्होंने एक घोषणा की थी, घोषणा यह

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कहती थी, प्रदेश के सभी सरकारी और निजी मेडिकल कालेज को चिकित्सा विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया जायेगा, यह एक ऐसी मांग थी जिसको हम लोग बहुत दिनों से कह रहे थे, जितने भी डी0आर0डी0 मेडिकल कालेज से लेकर स्टेट मेडिकल कालेज की समस्या है, अगर एक बार यह काम कर दिया जाय और सबको यूनिवर्सिटी से जोड़ दिया जाय तो जो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास आ रही है यूनिवर्सिटीज में टीचर्स एप्वाइण्ट करने की, हम डी0आर0डी0 मेडिकल कालेज में टीचर इसलिये नहीं एप्वाइण्ट कर पाते क्योंकि इस राज्य की मेडिकल कालेज के लिये टीचर हमको लोक सेवा आयोग से लेने पड़ते हैं, अगर इसी डी0आर0डी0 मेडिकल कालेज को हम लोगों ने किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कर दिया होता तो यह जो अधिनियम कहता है कि एप्वाइण्टिंग एथार्टी यूनिवर्सिटी को एक्जीक्यूटिव कौंसिल होगी तब यह तो समय बरबाद होता है हमारा उसको एडवर्टाइज करने मे नियुक्ति कराने में दो साल का समय लगा इस बीच में कोई डाक्टर अपनी प्रैक्टिस स्टैबिलिस कर लेता है और नौकरी ज्वाइन करने नहीं आता है, इसलिये मेरा सरकार से यह आग्रह होगा यदि वह अधिनियम लाना चाहते हैं तो लायें किसी विशेष विद्यालय की मदद करना भी कोई बुरी बात नहीं है, वह भी लायें लेकिन उसके साथ-साथ पूरे प्रदेश की चिकित्सा शिक्षाका स्तरीकरण हो सके सारे टीचरों का एप्वाइंटमेण्ट त्वरित गति से हो सके और लखनऊ विश्वविद्यालय की एक्जीक्यूटिव कौंसिल के माध्यम से हो सके, यह अधिनियम लाने के लिये भी इस विश्वविद्यालय अधिनियम में आवश्यक परिवर्तन किये जायें और इस सदन के माध्यम से इसको पारित करा करके विभिन्न स्टेट कालेजों में जो शिक्षकों की कमी है उसको दूर किया जाय।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इन्होंने बहुत उपयोगी सुझाव दिया है और माननीय मुख्य मंत्री जी स्वयं सदन में उपस्थित थे उनकी उपस्थिति में भी माननीय अग्रवाल साहब ने यह सुझाव दिया था, उनका यह सुझाव महत्वपूर्ण है और कदाचित माननीय मुख्य मंत्री जी ने इसका संज्ञान भी लिया है और इसी के साथ आपने इसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं और इसका समर्थन किया इसके लिये धन्यवाद। अब आप सभी लोग इसको सर्वसम्मति से पारित करें।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा। संक्षिप्त नाम

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 2002 की धारा 11 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय अधिनियम, 2002 की धारा 11 में, खण्ड (अट्ठारह) में,--

(क) शब्द "निजी चिकित्सा महाविद्यालय" के स्थान पर शब्द "निजी चिकित्सा महाविद्यालय या किसी ऐसी संस्था, जो पैरा-चिकित्सीय उपाधि पाठ्यक्रमों में शिक्षा प्रदान कर रही हो," रख दिये जायेंगे।

(ख) शब्द "ऐसे महाविद्यालय" के स्थान पर शब्द "ऐसे महाविद्यालय या संस्था" रख दिये जायेंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

आप बोलेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

जी श्रीमन्, अवगत करा दें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, नियमों का शिथिलीकरण कापी न देने के सम्बन्ध में तो नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष-

कापी कहां है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, कापी गई है, अभी थोड़ी देर में मिल जायेगी।

श्री अध्यक्ष-

आप जा कर देखो और निकाल कर लाकर इन्हें दिखा दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत उत्तर प्रदेश में कुल तीन मान्यवर, कृषि और प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय हैं, नरेन्द्र देव कृषि विश्वविद्यालय, चन्द्र शेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय और सरदार बल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय यह तीन हैं और इन तीनों में प्रवेश के लिये छात्रों को अलग-अलग प्रवेश परीक्षा देनी पड़ती है और अलग-अलग फीस जमा करनी पड़ती है और एक और कठिनाई होती है मान्यवर कि कोई एक छात्र अगर दोनों या तीनों में मान्यवर, उत्तीर्ण हो जाता है, मेरिट जैसी बनती है तो फिर उसके बाद एक को छोड़कर दूसरे में जाता है फिर दूसरी लिस्ट नीचे से टेकअप होती है, इसलिये उसमें कोई बड़ा संशोधन नहीं है सिर्फ एक बात की गई है। मान्यवर, इसमें है कि इन तीनों विश्वविद्यालयों की एक ही प्रवेश परीक्षा हो और चक्रीय क्रम में इन तीनों को पहले एक को फिर दूसरे को फिर तीसरे को प्रवेश परीक्षा संचालन करने का मौका मिले इससे एक मेरिट लिस्ट बनेगी और उसके आधार पर सबका चयन होगा। मान्यवर, इससे बार-बार फीस जमा करने और बार-बार परीक्षा देने आदि बातों से छात्र बच जायेंगे। यह एक उपयोगी विधेयक है।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2, खण्ड-1 प्रस्तावना व शीर्षक

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के सत्तावनवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :--

संक्षिप्त नाम

1--यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2006 कहा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 45 सन् 1958 की धारा 14 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय अधिनियम, 1958 की धारा 14 में उपधारा (3) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाएगी, अर्थात् :--

(3-क) रजिस्ट्रार राज्य के तीनों कृषि विश्वविद्यालयों के समस्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु चक्रीय क्रम से, संयुक्त प्रवेश परीक्षा आयोजित कराने के लिये उत्तरदायी होंगे।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2, खण्ड-1, प्रस्तावना व शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से यह प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2006 पारित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा कल जारी रहेगी

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, हमें मौका दे दें हम बोल नहीं पाये हैं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, आपकी जैसी आज्ञा हो यह जो चर्चा लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी के नाम से लगी है उसके अलावा और भी चर्चाएं लगी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण है यह एक-एक विषय पर है। माननीय सदस्य राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर रखे गये प्रस्ताव की चर्चा मे अपने क्षेत्र के बारे में कुछ कहना चाहते हैं तो आप सदस्यों को संरक्षण देना चाहें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है। मद संख्या-18 बाद में ले लेंगे।

*कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, राज्यपाल जी का अभिभाषण सरकार की नीतियों का विवरण होता है और उसके आधार पर सरकार अपना बजट लाती है। किन्तु सरकार का बजट पिछले सत्र में पारित हो चुका है इस कारण इस अभिभाषण का अब कोई बहुत अधिक महत्व और औचित्य नहीं है लेकिन आपने तब भी बोलने का मौका दिया है इसके लिये आभारी हूं। मान्यवर, मैं माननीय नेता प्रतिपक्ष के द्वारा इस पर रखे गये इस संशोधन के प्रस्ताव के समर्थन में बोल रहा हूं।

मान्यवर, सरकार की निजी क्षेत्र से एक लाख करोड़ रुपये की आवासीय व्यवस्था में निवेश की वचनबद्धता है। मान्यवर, 3 वर्ष पूर्व ऐसा ही आश्वासन बिजली के सम्बन्ध में भी दिया गया था परन्तु आज तक निर्माण कार्य प्रारम्भ भी नहीं हुआ है। सरकार कुछ निजी क्षेत्र के उद्योगपतियों को प्रदेश की मूल्यवान भूमि पर कब्जा करवा रही है। गरीबों के पास सिर छुपाने को छत नहीं है। निजी कम्पनियां हाई एण्ड लक्जरी कालोनी काट कर धन उगा रही हैं। इन्दिरा आवास योजना का पैसा जिलों में नहीं पहुंच रहा है और जो पहुंच रहा है वह बहुत कम मात्रा में पहुंच रहा है। आवासहीन दलितों की बेवसी बढ़ती जा रही है। निजी कम्पनियां लाभ से प्रेरित होकर कार्य करती है। ऐसी गरीब जनता जिसके पास न होने के कारण खरीदने की शक्ति न हो, में उनकी कोई रुचि नहीं रहती है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मान्यवर, गन्ने की कीमत चीनी के अनुपात से नहीं बढ़ी। बिजनौर की चीनी मिलों को 'पश्चिम क्षेत्र' में सम्मिलित कर किसानों को 13 रुपये प्रति कुन्टल अधिक राशि दिलवाने का माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी का जो आश्वासन सदन में था, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। गन्ना विभाग बिजनौर को 'पश्चिम' का अंग नहीं मानता। मेरी इस सदन में बिजनौर की सरकारी मिल जो लाभ की स्थिति में है को पश्चिम की मिलों में सम्मिलित कर 13 रुपये प्रति कुन्टल अधिक मूल्य देने की सूचना थी। मान्यवर, 'नो केन' के कारण सरकारी मिलों का समय से पूर्व बन्द होना किसान के लिये घातक षडयन्त्र सिद्ध होगा। मान्यवर, सरकार यदि गन्ने की खरीददार नहीं रही तो समर्थन मूल्य की घोषणा निरर्थक हो जायेगी। मान्यवर, गेहूं की सरकारी खरीद की वास्तविकता और दुर्दशा का हम सबको पता है। यही स्थिति सरकारी मिलों के न चलने से गन्ने की हो जायेगी। सरकारी लाभदायी मिलों का कुशल प्रबन्धन में चलना ही समर्थन मूल्य को सार्थक बनाता है। मान्यवर, राज्यपाल "सिंचाई परियोजनाओं को महत्वपूर्ण मानकर निर्धारित समय से पूर्ण करने के फैसले" पर मैं सरकार को पूर्वी गंगा नहर परियोजना के बारे में अवगत करवाना चाहूंगा। 30 वर्ष पुरानी यह परियोजना केवल 40 प्रतिशत ही बन पाई है। सिल्ट सफाई का कार्य अधिकतर नहरों में कभी भी नहीं हुआ है। इस वर्ष नहरों में आज तक एक बूंद पानी नहीं आया। मुरादाबाद मण्डल में यह सिंचाई का एक मात्र साधन है। किसान बिजली और सूखी नहरों से बहुत त्रस्त है। सरकार के सहयोगी दल के सांसद को भूख हड़ताल और आमरण अनशन पर बैठना पड़ा और आज भी स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आया। मेरा सरकार से निवेदन है कि कृपया मुरादाबाद मण्डल के किसानों को सिंचाई उपलब्ध करायें।

मान्यवर, अब कानून व्यवस्था पर अपनी बात रखना चाहता हूं। मान्यवर, सरकार ने राज्यपाल के अभिभाषण में संकट मोचन मंदिर में हुए धमाके का भंडाफोड़ अपनी उपलब्धियों में गिनवाया किन्तु प्रदेश की एजेन्सियों द्वारा यह प्रकाशित किया गया है कि यह सारा षडयन्त्र दार-उल-उलूम, देवबन्द में रचा गया था। मुख्य अभियुक्त वली उल्लाह ने यह जानकारी दी है कि यह षडयन्त्र दार-उल-उलुम देवबंद के परिसर में बंगलादेश और पाकिस्तानी आतंकवादियों के साथ बनाया गया। आतंकवाद को रोकने के लिये सरकार तथा ऐसे संस्थान जो इन गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे हैं सरकार ने किसी भी नीति का उल्लेख नहीं किया।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल द्वारा घोषित "नर नारी में समानता लाने के लिये सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाये हैं"। मेरठ में गुड़िया प्रकरण इस वक्तव्य के यथार्थ को व्यक्त करने के लिए पर्याप्त है। पिछले वर्ष होली से पहले सभी समाचार-पत्रों और टी0वी0 चैनलों पर गुड़िया ने यह बार-बार दोहराया कि यदि उसे उसके बच्चों के बाप से अलग किया तो वह मर जायेगी। यह बयान उसने बार-बार दिया। बार-बार अपने जीवन के लिये गुहार लगाई और इस वर्ष होली से पहले बेचारी गुड़िया मर गयी। हम सबने अपने टी0वी0 स्क्रीन पर गुड़िया को उसकी मर्जी के खिलाफ भेजे जाने पर विनती करते देखा। उसने अपनी मौत के बारे में भी कहा और एक वर्ष से कम में ही वह मर गयी।

श्री अम्बिका चौधरी-

आप एक जानकारी दे दीजिये। क्या गुड़िया का मायका आपके क्षेत्र में था ?

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, बिल्कुल बगल में है। मान्यवर, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर अपनी बात कह रहा हूं। मान्यवर, यह हार केवल गुड़िया के तीन छोटे-छोटे अनाथ बच्चों की नहीं हुई, केवल उसके

परिजनों की नहीं हुई यह इस देश के कानून और संविधान की हार है। मुझे शुक्रवार को अध्यक्ष जी के साथ एक बैठक में भाग लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिसमें एक एन0जी0ओ0 द्वारा यह बताया गया कि उत्तर प्रदेश में प्रतिवर्ष 40,000 मातायें प्रसव के दौरान प्राण त्याग देती हैं। अध्यक्ष जी ने अपने भाषण में नारी का आर्थिक सशक्तीकरण और उसे अपने अधिकारों के प्रति जागृत होने का मूल्यवान सुझाव दिया। इस प्रदेश की सबसे बड़ी समस्या ही गरीबी, अशिक्षा और जनसंख्या है। किन्तु अरबी और फारसी पढ़ने पर अनुदानित करने से नारी का आर्थिक सशक्तीकरण कैसे सम्भव है ? क्या अरब की भाषा पढ़कर हिन्दुस्तान में आर्थिक सम्पन्नता आ सकती है ? क्या इस साहित्य को पढ़कर हमारे प्रदेश की महिलायें अपने अधिकारों के प्रति जागृत हो जायेंगी ? मदरसों के फौलानियां पाठ्य-पुस्तक निःशुल्क दिये जाने से क्या आर्थिक सम्पन्नता का आधार बन सकता है, यह अनुदान केवल वोटों के तुष्टीकरण की नीति को दर्शाता है।

आज के समाज में यह आम धारणा है कि जो लोग अपने बच्चों की सुरक्षा नहीं कर सकते, वो दूसरों के भविष्य को क्या दिशा देंगे ? देवकीनन्दन कोरी जी हमारे साथी हैं, इनके पुत्र की हत्या और उसके शव का अपमान असहनीय है। इस दुखद घटना के बाद भी यदि यह सदन मुख्य आरोपी बन्ने खान और सम्बन्धित उच्च अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं करवा पाता तो यह हार देवकीनन्दन जी की ही नहीं, हम सबकी है। यदि हम अपने साथी के इस दुख में सम्मिलित नहीं हो पाते तो यह संवेदनहीनता की पराकाष्ठा है। इस सदन के सदस्यों को इतने बड़े दुख के बाद भी यदि गुटबाजी में तोड़ा जा सकता है तो इससे बड़ा दुर्भाग्य इस प्रदेश के लिये और कुछ और नहीं हो सकता और इससे यह सिद्ध होता है कि इस प्रदेश का संचालन मेरे सामने स्थित इस छोटी सी गैलरी से होता है। उनका संरक्षण इस सदन को गुटों में तोड़ सकता है और बहस को इतना दिशाहीन बना सकता है कि हम अपने बच्चे की मृत्यु और शव के अपमान पर भी एक नहीं हो पाते।

श्री अध्यक्ष-

यह क्या लिखा हुआ आप पढ़ रहे हैं। अपने क्षेत्र के बारे में बताइये।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

दलीय राजनीति से ऊपर उठकर जब तक हमारी संवेदना एक पिता के दुख से एकात्म नहीं होती, तब तक सरकारी नीतियां केवल तुष्टीकरण को बढ़ावा देने वाले अधिकारियों को संरक्षण प्रदान कर रही हैं। मैं अपने विषय को इस दुख के साथ समाप्त करता हूं और नेता प्रतिपक्ष के द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव लाया गया है, उसका समर्थन करता हूं।

(कई माननीय सदस्यों द्वारा बुलवाने का अनुरोध करने पर)

श्री अध्यक्ष-

5.00 बजे तक चलेगी यह चर्चा। माननीय सदस्य बोलें केवल 5 मिनट।

*श्री जंग बहादुर सिंह-

बहुत-बहुत धन्यवाद, अध्यक्ष जी, मैं नया सदस्य हूं, ज्यादा बोल नहीं पाता हूं। मैं माननीय राम करन आर्य जी द्वारा महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, बड़ी खुशी की बात है कि आज एक नये सदस्य को बोलने

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

का मौका मिला। कल माननीय नेता प्रतिपक्ष ने अपने भाषण में बड़ी चर्चा की, गेहूं खरीद पर। मान्यवर, मैं जब से समझता हूं, किसान प्रदेश की रीढ़ है और उसके पहले तमाम सरकारों द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक मूल्य किसान को नहीं मिला। लेकिन अबकी बार इस सरकार में, माननीय मुलायम सिंह यादव की नीतियों के आधार पर उसको यह मूल्य मिला है। अन्यथा हमेशा किसान मारामारी करता था, गेहूं बेचने के लिये और उसका गेहूं बाजार मूल्य से नीचे खरीदा जाता था और जैसे ही किसान के घर में गेहूं खत्म हो जाता था, तुरन्त गेहूं महंगा हो जाता था। यह धन्यवाद की बात है कि इस बार किसान को उचित मूल्य मिला। मान्यवर, इसी तरह से बिजली पर बड़ी चर्चा हुई। अभी कहा गया कि दो साल में विद्युत के लिये क्या किया ? मैं जानना चाहता हूं कि पिछले 15 सालों में जो सरकारें रहीं, उन्होंने उत्पादन तो किया नहीं, लेकिन विद्युत उपभोग बढ़ता गया और आज जो बिजली का संकट है, वह इस सरकार की देन नहीं है। जो पिछली सरकारों ने उत्पादन के नाम पर अपनी शून्यता दिखाई, उसके कारण आज बिजली का संकट है। यह पूछने का कोई औचित्य ही नहीं है कि दो साल में हमने क्या किया। कुछ समय बीत जाय फिर आने वाले समय में बिजली का संकट एकदम नहीं होगा। मान्यवर, इसी के साथ मैं अपने क्षेत्र की दो-एक बातें रखना चाहता हूं। इस सरकार को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि रिकार्ड पुलों का निर्माण हुआ है लेकिन उसके साथ-साथ हमारे क्षेत्र में गोमती नदी बहती है, इस नदी पर गाजनपुर से पारा तक बीच में पुल से जोड़ दिया जाय तो हमारे क्षेत्र को काफी लाभ मिल जायेगा। मान्यवर, इसी तरह से हमारे क्षेत्र में बिजली की लाइनें बहुत जर्जर हो गयी हैं। केवल एक करोड़ की लागत का तार और ट्रांसफारमर वहां दे दिया जाय तो हमारा पूरा क्षेत्र सरसब्ज हो जायेगा।

डा0 विनोद तिवारी-

माननीय अध्यक्ष महोदय, महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है, उस पर आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही गई थी और मैं बहुत देर से इस पर पक्ष और विपक्ष की बातों को सुन रहा था लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि अगर उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने की बात कही जा रही है तो आज किसानों को बिजली क्यों नहीं मिल रही है, बिजली की मारा-मारी क्यों है ? नहरों में टेल तक पानी नहीं पहुंच रहा है, यही नहीं स्कूल तो खुलते जा रहे हैं सर्व शिक्षा अभियान के तहत, लेकिन स्कूल में पढ़ाने के लिये शिक्षक नहीं हैं, अस्पताल तो खुल रहे हैं लेकिन अस्पताल में डाक्टर और पैरा मेडिकल स्टाफ नहीं हैं, यही नहीं जो गोडाउन में बफर स्टाक खाद्यान्न का था, मैं कहना चाहता हूं कि आज गोडाउन खाली पड़े हैं, आज खाद्यान्न हमारे पास नहीं है। यही नहीं देखा जाए तो किसी भी आफिस में आप चले जायें तो वहां आफीसर समय से ड्यूटी नहीं करते हैं, ऐसे उत्तर प्रदेश की कल्पना की जा रही है, जिसकी व्याख्या महामहिम राज्यपाल जी ने अपने अभिभाषण में की है। मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहूंगा कि 10-10 गांव हर विधायक के क्षेत्र से समग्र विकास योजना के तहत दिये गये थे, सर्वत्र इसकी प्रशंसा की गई लेकिन मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि समग्र विकास योजना के तहत गांवों को चयनित करने का अधिकार विधायकों को दिया गया है और आज वहां के लोग, वहां के प्रधान कहते हैं कि गांवों में कुछ काम नहीं हो रहा है। 2003-2004, 2004-2005 में कोई विकास नहीं हुआ है और मान्यवर, विपक्ष ही नहीं सत्तापक्ष के लोग भी इस बात

को मानने के लिये तैयार होंगे कि समग्र विकास में चयनित गांवों में जिस तेजी के साथ विकास होना चाहिए था, नहीं हो रहा है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि समग्र विकास में चयनित ग्रामों के उत्थान के लिये निश्चित रूप से कोई बजट का प्राविधान किया जाए। इसी तरह से विद्युतीकरण के लिये पांच-पांच गांव दो वर्ष पहले दिये गये थे, मुझे कहते हुए खेद हो रहा है कि पांच गांवों का विद्युतीकरण तो हो गया है लेकिन एक भी गांव में ट्रांसफार्मर रखकर उसे ऊर्जीकृत नहीं किया गया है, यह स्थिति बहुत ही शर्मनाक है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि जो पांच गांव दो साल पहले विद्युतीकरण के लिये चयनित किये गये थे, उनका विद्युतीकरण निश्चित रूप से किया जाए। शिक्षा के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि बेसिक शिक्षा की हालत तो पहले से ही खराब थी, आज माध्यमिक शिक्षा की भी हालत किसी से छिपी नहीं है। विद्यालय तो खुल रहे हैं लेकिन शिक्षकों की नियुक्ति नहीं हो रही है। बच्चे जाते हैं और दलिया खा करके वापस आ जाते हैं। मान्यवर, अगर बेसिक शिक्षा का उत्थान करना है तो पर्याप्त मात्रा में शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। माध्यमिक शिक्षा में मान्यवर, जो यह स्वपरीक्षा केन्द्र बनाये गये हैं, इससे मान्यवर, प्राथमिक शिक्षा का स्तर तो पहले से ही गिरा हुआ है लेकिन अब माध्यमिक शिक्षा का भी स्तर गिर जाएगा। आज जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वह भी नहीं पढ़ते, वह कहते हैं कि पढ़ने की क्या जरूरत है, अब तो आसानी से नकल करके पास किया जा सकता है। मान्यवर, अगर आने वाली पीढ़ी को संभालना है और उसे आगे ले जाना है तो स्वपरीक्षा केन्द्रों की व्यवस्था को समाप्त किया जाए और पूरी सख्ती से हाईस्कूल और इन्टरमीडिएट की परीक्षाओं को सम्पन्न कराया जाए, जिससे बच्चों में पढ़ने का माहौल बने। अभी हमारे माननीय सदस्य गेहूं के सम्बन्ध में कह रहे थे, मैं कहना चाहता हूं कि जो समर्थन मूल्य था, उससे अच्छे रेट में इस बार गेहूं बिका। लेकिन मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि सरकार को सचेत रहना पड़ेगा कि 800 से 850 रुपये प्रति क्विंटल में गेहूं बिका तो है लेकिन देखना होगा कि जो उपभोक्ता 1000, 1200 और 1500 रुपये में गेहूं खरीदता है तो इसके अच्छे परिणाम नहीं होंगे। चीनी मिल के बारे में कहना चाहूंगा कि जो सहकारी चीनी मिलें चल रही हैं उनको निश्चित रूप से टप्प करने की योजना बना रहे हैं बजाज ग्रुप के द्वारा, क्योंकि काफी संख्या में लाइसेन्स दिये गये हैं, इससे सहकारी चीनी मिलों को नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही साथ अपने क्षेत्र की दो-एक समस्यायें कहकर अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये, आपका समय समाप्त हुआ, क्षेत्र की समस्या आपको पहले रखनी चाहिए थी। अब आप बैठिये।

डा0 विनोद तिवारी-

मान्यवर, कानून-व्यवस्था के बारे में मैंने नियम-56 में लगाया था, आपने उस समय कहा था कि राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के समय बोल लीजियेगा। मान्यवर, बलजीत सिंह मान, जिला पंचायत सदस्य घर के लिये जा रहे थे, सुखदेव सिंह सुक्खा हजारा थाने के दो सिपाहियों के साथ शराब पी रहा था, जिला पंचायत सदस्य वहां से गुजर रहे थे उनको रोका गया, शराबी ने गालियां देनी शुरू कर दी और दोनों सिपाहियों ने उनकी पिटाई कर दी। पुलिस अधीक्षक से हमने उन दोनों सिपाहियों को दण्डित करने को कहा लेकिन उन्होंने उनको दण्डित करने के बजाय लाइन हाजिर कर दिया। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जिला पंचायत सदस्य पिटे हैं इसलिये दोनों सिपाहियों को

निलम्बित करना चाहिए। मनोज कुमार, एस0आई0 ड्यूटी पर थे वह अगर हस्तक्षेप करते तो यह घटना टल सकती थी, उनके खिलाफ भी कार्यवाही होनी चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करिये।

डा0 विनोद तिवारी-

इसके साथ ही साथ मैं कहना चाहता हूं कि पीलीभीत में कानून-व्यवस्था की स्थिति इतनी बदतर है कि एक थाने के दरोगा के कनपटी पर कुछ अराजक तत्वों द्वारा थाने के अन्दर रिवाल्वर रख दिया जाता है लेकिन कोई कार्यवाही नहीं होती है। एक दरोगा को तीन दिन पहले लूट लिया गया। यह स्थिति जनपद-पीलीभीत में पुलिस की है, कानून-व्यवस्था की है। दो दिन पहले अपहरण के बारे में कहा था कि हमारे जनपद में रोज अपहरण की घटनायें घट रही हैं। इसके साथ ही नेता प्रतिपक्ष ने श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है उसका समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

डा0 पी0 के0 राय-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर श्री राम करन आर्य द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद के प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मैं पक्ष-विपक्ष दोनो की बातों को पिछले दिनों से सुन रहा हूं। अध्यक्ष जी, आज समाज में सबसे बड़ा संकट विश्वसनीयता का संकट है और जिसके लिये जिम्मेदार भी नेता हैं और शिकार भी नेता हैं। लेकिन पूरे सदन को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव, जिन्होंने विगत 3 वर्षों में केवल घोषणायें करके नहीं अपने कर्मों के आधार पर उस विश्वसनीयता के संकट से निजात दिलाने का प्रयास किया है और हम नेताओं का सम्मान बढ़ाया है। विपक्ष के लोग आलोचना करते हैं, आलोचना करना उनका कर्तव्य है लेकिन कहीं पर कोई चीज अच्छी है तो उसको कहना भी राजधर्म बनता है। वहीं सरकार पिछली बार थी हम लोग उधर बैठा करते थे, एक मीटर सड़क के लिये तरस जाया करते थे, इस सरकार ने 5 कि0मी0, 7 कि0मी0 सड़क सारे विधायकों को दिया लेकिन हमारे प्रतिपक्ष के सम्मानित सदस्यों ने उसका जिक्र नहीं किया और धन्यवाद भी नहीं दिया। मैं भी उस इलाके से आता हूं जो गन्ना, गण्डक, गरीबी का पर्याय है। (श्री अम्बिका चौधरी ने अपने आसन पर बैठे हुए कहा कि अगर धन्यवाद नहीं दिया है तो अब आगे सड़क नहीं देंगे, डा0 वकार अहमद शाह ने कहा कि अभी भी समय है, धन्यवाद दे दो।)

हमारा क्षेत्र नदी से विभाजित इलाका है, मूलभूत सुविधाओं से वंचित है, वहीं पर खड़ा हो करके मैं चिल्लाता रह गया एक मात्र 65 लाख रुपये से बनने वाले पुल के लिये, पूर्वांचल के राज्यांश से सारी औपचारिकतायें पूर्ण करने के बावजूद पैसा इसलिये नहीं दिया गया क्योंकि मैं समाजवादी पार्टी का विधायक था। हमारी सरकार ने उसी इलाके में 3-3 पुल, तीन-तीन करोड़ के दिये हैं और आज की तारीख में वे बन रहे हैं इसके लिये मा0 शिवपाल जी को धन्यवाद देता हूं। मान्यवर, तीन पुल हमारे यहां बन रहे हैं और एक पुल बनकर तैयार हो गया है इससे जिनके लिये आवागमन का साधन नहीं था उनको आवागमन का साधन उपलब्ध होगा। मान्यवर, कानून व्यवस्था की बात कही जा रही है, कानून व्यवस्था की दुहाई बार-बार दी जा रही है। विगत सरकार ने केवल घाटे की दुहाई दे करके विकास के कार्यों को रोक रक्खा था। सरकारी कर्मचारी महीनों अपने वेतन के लिये तरसा करते थे

और सरकारी कर्मचारियों की छटनी का इन्तजाम हो रहा था। आज वर्तमान समय में इस बात को स्वीकार करने से न जाने क्यों गुरेज कर रहे हैं कि 1 प्रतिशत जो विकास दर 2002-03 में थी वह आज बढ़कर 6% हो गयी है। 23% राजस्व घाटे की पूर्ति करने के बाद 23% अधिक राजस्व की वसूली हुई है। मैं बाढ़ प्रभावित इलाके का हूं। आजादी के बाद पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि बाढ़ आने के पूर्व, मानसून के पूर्व बाढ़ से बचाव का इन्तजाम किया जाता। जनता के मन में यह विश्वास था बाढ़ बचाव का कार्य उस समय किया जाता है जब बाढ़ आती है जिससे कि पैसे की लूट नेता, ठेकेदार और अधिकारी तीनों मिलकर कर सकें। इससे निजात दिलाने का कार्य इस सरकार ने किया हे।

शिक्षा के क्षेत्र में कल्याणकारी सरकार का दायित्व होता है, जनस्वास्थ्य की रक्षा करना और शिक्षा का इन्तजाम करना, सड़क का इन्तजाम करना, नहरों में पानी पहुंचाना, खाद, बिजली, पानी का इन्तजाम करना और इस सरकार ने इन सारे कार्यों को किया है। शिक्षा के क्षेत्र में जो काम हुए है वह सबके सामने विदित है। चिकित्सा के क्षेत्र में इस उत्तर प्रदेश में जो इस प्रदेश का हृदय है, उस प्रदेश में चिकित्सा व्यवस्था कभी भी प्राथमिकता के आधार पर पिछली सरकारों में नहीं रही है। यह प्रदेश चिकित्सा व्यवस्था के क्षेत्र में 17वें स्थान पर पहुंच गया है देश में। चिकित्सा सुविधाओं को हमारी सरकार ने प्राथमिकता पर लिया है और अभूतपूर्व वृद्धि बजट में की गयी है। तीन नये मेडिकल कालेज खोले गये जिससे कि सुदूर अंचल के लोगों को उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधायें मिल सकें। लेकिन इसी के साथ मैं सुझाव देना चाहता हूं, आप स्वयं भी चिकित्सा स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, इसी सदन में उधर की तरफ बैठी थीं नेता सदन, नेता सदन यहां मौजूद थीं। हम लोग तो तरस गये कि कभी हम लोगों को भी आज की तरह बोलने का अवसर मिला होता। पहले बोलने का अवसर नहीं मिलता था। यहां पर जब नियम-49 में चर्चा हुई कि मेडिकल कालेजों की मान्यता समाप्त होने की स्थिति हो गयी है, एम0सी0आई0 की तलवार लटक रही है तो मैंने यहीं पर इस बात को कहा था कि इसका केवल एकमात्र समाधान है कि टिक्कू समिति की संस्तुतियों को लागू किया जाय। नेता सदन ने उस समय खड़े होकर कहा था कि मैं उसको लागू करूंगी, लेकिन वह कार्य नहीं हो पाया। उस समय उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई हम लोग निरन्तर प्रयास करते रहे। मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुलायम सिंह यादव को कि उन्होंने टिक्कू समिति की संस्तुतियों को लागू किया और जो एक स्टेगनेशन प्रोन्नत में ठहराव था, जो शिक्षकों की कमी थी, उस कमी को पूरा करने का कार्य किया। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कुछ विसंगतियां रह गयी हैं। समीक्षा बैठक में भी मैंने इस बात को उठाया था। विसंगति उसमें यह है कि समिति के अधीन जब व्यवस्था लागू हुई तो उसमें लोगों की प्रोन्नतियां हुईं उन प्रोन्नतियों के लिये जो शासनादेश हुए उन शासनादेशों में विसंगतियां हैं जिसके नाते आज पद नहीं भरे जा रहे हैं। अगर इन विसंगतियों को समाप्त कर दिया जाय, उन अनुभवों को जोड़ लिया जाय तो उक्त पद भर जायेंगे और जो जगहें खाली होंगी उन पर आपको पात्र चिकित्सा शिक्षक आसानी से मिल जायेंगे। लेकिन सरकार ने संविदा के आधार पर आचार्यों के पद भरने का जो फैसला किया है उसमें उस योग्यता के शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं इसलिये स्टेट मेडिकल कालेजेज के लिये इस व्यवस्था को लागू किया जाना चाहिए। इसी के साथ मैंने अखबारों मे पढ़ा था किंग जार्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के साथ सम्बद्ध करने की बात, अगर स्टेट मेडिकल कालेजेज को भी इसके साथ सम्बद्ध कर दिया जाय और उन्हीं की तरह से उनकी सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष कर दी जाय तो जो चिकित्सकों की सबसे कमी है।

मेडिकल काउंसिल आफ इंडिया ने सबसे ज्यादा कमी चिकित्सकों की दर्शाई है। वह समाप्त हो सकती है। इन शब्दों के साथ एक बार पुनः धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

*श्री भगेलू राम-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं। इस अभिभाषण के माध्यम से मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्याएं रखना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र मंझन नदी पर हमजा घाट पर पुल नहीं है इसके 50 कि0मी0 दूर तक कोई पुल न होने के कारण जनता को परेशानी होती है। हमारे दक्षिण में गोमती नदी है वहां पर इमलिया घाट है वहां पर भी काफी दूर तक पुल नहीं है मैं मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि इन दोनों नदियों पर पुल का निर्माण कराया जाय। अकबरपुर पट्टी मार्ग में दोस्तपुर से कादीपुर का मार्ग जो कि 20 से 25 कि0मी0 है यह इतना खराब है कि एक बार लोक निर्माण मंत्री जी चुनाव में आये थे तो उनकी कार के लिये मिट्टी डालकर रोलर चला दिया गया था जो कि बाद में खराब हो गया उस मार्ग की मरम्मत कराई जाय। इसमें कुछ मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है लेकिन उसमें बिना भुनी गिट्टी डाली जा रही है केवल लीपापोती कराई जा रही है इसकी जांच कराई जाय। अकबरपुर पट्टी रोड का हमारे क्षेत्र में चौड़ीकरण का कार्य नहीं हुआ है इसका चौड़ीकरण कराया जाय। हलियापुर बेलबाइरा रोड का भी चौड़ीकरण कार्य कराया जाय। ड्रेनों की सफाई के बारे में कहना चाहता हूं सिंचाई विभाग द्वारा यह कहा जा रहा है कि माइनरों और नहरों में टेल तक पानी पहुंचाया जा रहा है लेकिन मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में कनकपुर में टेल तक सफाई नहीं कराई गई है। इसी तरह से बलुआ माइनर और अरगूपुर माइनर की भी टेल तक सफाई नहीं कराई गई जिससे कभी भी टेल तक पानी नहीं पहुंचा है। अकरम, फरीदपुर, करमइनीता आदि तीन चार ड्रेनें हैं जिनकी सफाई आज तक नहीं हुई है। वहां पर हजारों एकड़ जमीन जलमग्न हो जाती है और किसान परेशान हो जाते हैं। बिजली के बारे में कहना चाहता हूं कि हमारे यहां कभी भी 14 घंटे बिजली नहीं आती है रात को 10 बजे के बाद बिजली आती है जब लोग सो जाते हैं। हमारा क्षेत्र अम्बेडकर नगर, आजमगढ़ जौनुपर के बार्डर पर है। बगल के जिलों में बिजली नहीं आती है लेकिन हमारे यहां 10 बजे के बाद बिजली आती है। इससे समस्या पैदा होती है। जिस तरह से बगल के जिलों में बिजली आती है उसी तरह से हमारे यहां भी बिजली आनी चाहिए। चिकित्सा के बारे में मैं कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री भगेलू राम-

हमारे यहां दोस्तपुर सी0एच0सी0 पर जो अधीक्षक तैनात हैं वह कभी भी वहां पर हाल्ट नहीं करते हैं रात को वह फैजाबाद चले जाते हैं उनको तीन साल हो गये लेकिन कभी उन्होंने रात को हाल्ट नहीं किया। जब कभी इमरजेंसी केस आता है तो डाक्टर उपलब्ध न होने के कारण परेशानी होती है। मैं चाहता हूं कि इसमें भी सुधार हो। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अध्यक्ष-

पांच बज गये हैं। आठ बजे रात तक सदन चलेगा क्योंकि आगे तीन चर्चाएं लगी हुई हैं। इसलिये अगर सदन सहमत है तो राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा अब यहीं समाप्त कर दी जाय। (कई माननीय सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान) एक सेकेण्ड आप मेरी बात सुन लें। अपने क्षेत्र की समस्या को लिखकर दे दें उसको कार्यवाही का अंग मान लिया जायेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अभी तो कल भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होनी है।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, आप कल के लिये आश्वासन दे दें।

श्री अध्यक्ष-

देखिये आप लोग दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें तो 15 मिनट का समय दिया जा सकता है। आगे बहुत महत्वपूर्ण चर्चाएं लगी हुई हैं बिजली के बारे में पूरे प्रदेश के बारे में चर्चा होगी। बाजपेयी जी का मेरठ का है , यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर विधान सभा उठ जायेगी और मेरठ की चर्चा नहीं होगी तो भी तो अच्छी बात नहीं है। इसलिये अगर आप लोग लिखकर दे दें तो मैं उसको कार्यवाही का अंग मान लूंगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, कल चौथा दिन है अगर 11.00 बजे उत्तर हो जायेगा तो उस दिन की गिनती गिनना बेकार है।

*श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्यों को यद्यपि चर्चा में काफी समय भी मिला और चर्चा बहुत सार्थक और विस्तार से हुई है लेकिन फिर भी माननीय सदस्यों के क्षेत्र की समस्याएं हैं और वो उनका उल्लेख करना चाहते हैं तो इस प्रतिबद्धता के साथ कि 5.30 बजे अनिवार्य रूप से इस चर्चा को आगे नहीं बढ़ायेंगे आप समय तय कर दें कि माननीय सद्दस्य एक-एक मिनट में अपनी समस्या कह दें लेकिन अगर आलोचना करनी है वही बातें दोहरानी हैं तो उसके लिये समय देने से कोई फायदा नहीं है। आप माननीय सदस्यों से कह दें जैसा कि आपने निर्देशित भी किया कि वे यदि चाहें तो लिखित रूप से आपको दे दें तो वह कार्यवाही का अंग भी बन जायेगा और तदनुसार उस पर सरकार की तरफ से कार्यवाही भी हो सकेगी।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, पाच-पांच मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

आप लोग दो-दो मिनट में अपनी बात कह दें पन्द्रह मिनट में समाप्त हो जायेगा।

(श्री संदीप अग्रवाल और नवाब सिंह नागर के एक साथ बोलने के लिये खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

चलिये संदीप जी, आप ही बोलिये।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री संदीप अग्रवाल-

मान्यवर, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने कल अपने भाषण में मुरादाबाद के एक्सपोर्ट के बारे में कहा था कि वहां का एक्सपोर्ट चौपट हो गया है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि पिछले दो वर्षों से जब से समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आई है मुरादाबाद के एक्सपोर्ट में अतिविशिष्ट वृद्धि हुई है। विदेशी मुद्रा अर्जित की है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि मुरादाबाद में पीतल कारीगरों को 18 से 20 घंटे लगातार बिजली मिल रही है। मान्यवर, मुरादाबाद में एयरपोर्ट के लिये हवाई पट्टी के लिये पिछले 50 सालों से किसी भी सरकार ने नहीं सोचा था। माननीय मुख्य मंत्री मुलायम सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुरादाबाद में हवाई पट्टी का निर्माण प्रारम्भ हो गया है। रेलवे के ओवर ब्रिज के लिये धन्यवाद देता हूं कि जो काशीपुर तिराहे पर जाम की समस्या होती थी इस ओवर ब्रिज के बनने से वह समाप्त हो जायेगी। आदरणीय महोदय आपके संज्ञान में यह भी लाना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में ही नहीं वरन् पूरे जनपद में इण्डिया मार्क हैण्ड पम्प लग चुके हैं। इस बात के लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, नगर विकास मंत्री को कि उन्होंने 200 नल मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिये आवंटित और वह स्थापित हो चुके हैं। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी जब मुरादाबाद के रामलीला ग्राउण्ड पर आये थे, राम लीला कमेटी का मैं पिछले 20 वर्ष से अध्यक्ष हूं, उसकी करोड़ों की सम्पत्ति है और उस सम्पत्ति के ऊपर लोग अवैध कब्जा कर रहे थे पूर्व में जो भी नगर विकास मंत्री रहे, उनसे मैंने निवदेन किया कि इसकी बाउण्ड्री वाल होनी चाहिए लेकिन उन्होंने नहीं सुना। लेकिन हमारे मुख्य मंत्री जी ने इसके लिये जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण के लिये 50 लाख रुपये दिये। मान्यवर, मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं, विधान परिषद् में जो नेता विरोधी दल हैं, जब मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का स्वागत किया, राम लीला ग्राउण्ड पर, तो दूसरे दिन नेता विरोधी दल, विधान परिषद् ने मेरे ऊपर आरोप लगाया कि यह हिन्दू विधायक नहीं रहे, अब यह मुसालमान विधायक हो गये हैं यह अखबारों में भी छपा था।

(इस समय 5 बजकर 7 मिनट पर अधिष्ठाता डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी पुनः पीठासीन हुए)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य, विधान परिषद् की बात यहां न करें।

श्री संदीप अग्रवाल-

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की समस्या और साथ ही जो मेरे ऊपर आरोप नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद् ने लगाया है और मेरे खिलाफ कचहरी के अन्दर एक बहुत बड़ा धरना दिया और बैनर पर लिखाया गया था कि संदीप अग्रवाल की गुंडागर्दी नहीं चलेगी। मैं आपकी पीठ से संरक्षण चाहता हूं, आप जनपद के किसी भी थाने में या उत्तर प्रदेश के किसी भी थाने में जांच करा लें, कहीं भी मेरे खिलाफ एक भी एफ0आई0आर0 तक दर्ज नहीं है। जिसने यह आरोप मेरे ऊपर लगाया है, उससे मेरे जानमाल का भी खतरा है, इसलिये आप मेरी सुरक्षा की व्यवस्था करायें। मान्यवर, मैं माननीय नगर विकास मंत्री जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं, उन्होंने रिवाल्विंग फण्ड से मुरादाबाद की सड़कों के

लिये जो पैसा दिया है, धन आवंटित किया है, मैं उनको साधुवाद देता हूं और महानगरों में जो पी0डब्लू0डी0 की सड़कें हैं, आजादी के बाद किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया लेकिन वर्तमान लोक निर्माण मंत्री जी ने शहरी क्षेत्रों में भी लो0 नि0 वि0 की सड़कों के निर्माण पर ध्यान दिया है और 6 किमी0 सड़क मेरे क्षेत्र में बन चुकी है। इसके लिये मैं लोक निर्माण मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री संदीप अग्रवाल-

अधिष्ठाता महोदय, मैं 4 लाइनें आदरणीय लोक निर्माण मंत्री जी के लिये कहना चाहता हूं।

'हिला दे सारे सागर को, उसे तूफान कहते हैं,

तोड़ दे तट-बन्धों को, उसे उफान कहते हैं', और नेता प्रतिपक्ष उससे भी आगे सोच लें जरा 'तूफानों से जो टकराये, उसे शिवपाल यादव कहते हैं।'

श्री अधिष्ठाता-

आप समाप्त करें। अब श्री नवाब सिंह नागर।

श्री संदीप अग्रवाल-

आदरणीय अधिष्ठाता जी, मैं आपका संरक्षण चाहता हूं कि किस आधार पर मेरे खिलाफ नेता प्रतिपक्ष, विधान परिषद् ने गुण्डागर्दी का आरोप लगाया है। मैं आपका संरक्षण चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं और आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री नवाब सिंह नागर-

माननीय अधिष्ठाता जी, महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर नेता प्रतिपक्ष टण्डन जी के संशोधन प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का मुझे अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में औद्योगिक विकास का वातावरण सृजित सरकार ने किया है। इस बात का बड़ा भारी उल्लेख किया गया है। मान्यवर, यह उसमें कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि इस वातावरण को सृजित करने से कितने युवकों को यहां पर रोजगार मिला है। इसमें एक भी शब्द इस बारे में अभिभाषण में वर्णित नहीं किया गया है। मान्यवर, यह कहा गया है कि 30 हजार करोड़ रुपये का विद्युत संयंत्र के क्षेत्र में निवेश किया गया है। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि उसी निवेश को औद्योगिक क्षेत्र में और विद्युत क्षेत्र दोनों में मान लिया गया है। रिलायंस का जो 30 हजार करोड़ रुपये का निवेश दिखाकर सरकार वाहवाही लूट रही है उसके अलावा कोई भी उद्योग या औद्योगिक घराना उत्तर प्रदेश में नहीं आया है। उत्तर प्रदेश विकास परिषद् की स्थापना केवल 3-4 पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाने के लिये गठित की गयी है। इसका औद्योगिक विकास से कोई मतलब नहीं है। इसका मतलब सिर्फ अम्बानी, अमिताभ बच्चन और सहारा से है। कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में तमाम औद्योगिक संगठन हैं लेकिन उनसे उनकी समस्यायें नहीं पूछी गयीं। नोएडा, गेटर नोएडा में बिजली बहुत महंगी दर से दी जा रही है। वहां पर 3.68 रुपये प्रति यूनिट के हिसाब से

बिजली दी जा रही है और वहीं आजमगढ़ में 65 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से बिजली दी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश से तो केवल राजस्व वसूली के लिये है। रिलायंस की बात करते हैं। वहां पर रिलायंस ने एक इंच भी काम नहीं किया है। जबकि सरकार ने उनके लिये सड़कें बनायी हैं, उनके लिये स्टाम्प शुल्क माफ किया है। रिलायंस ने किसानों की 10 हजार बीघे जमीन 150 रुपये प्रति गज में खरीदी है। नोएडा नो पावर कट जोन रहा है लेकिन वहां पर मात्र 12-14 घंटे बिजली दी जा रही है। उद्योग उत्तरांचल और अन्य प्रदेशों में पलायन कर रहे हैं। यदि वहां पर विद्युत की स्थिति ठीक नहीं होगी तो जो घोषणा है कि वहां पर आई0टी0 पार्क बनेगा तो वह बन नहीं पायेगा। वहां पर एक्सप्रेस सिटी के नाम से 340 एकड़ जमीन बिल्डर्स को लाभ पहुंचाने के लिये 57 सौ रुपये प्रति गज के हिसाब से दी जा रही है जबकि उसकी कीमत 1 लाख रुपये प्रति गज है। हाईटेक सिटी के नाम से किसानों से 300 रुपये प्रति गज में लेकर 10000 रुपये प्रति गज के हिसाब दिया जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री नवाब सिंह नागर-

मान्यवर, गौतमबुद्ध यूनिवर्सिटी का काम 3 साल से रुका हुआ है। वह शुरू करने की आवश्यकता है। किसानों के मकान तोड़े जा रहे हैं। वहां पर भूमिहीनों को कोई जमीन नहीं मिल रही है। पहले व्यवस्था थी कि लीजरेंट का 11 वर्ष का अगर एक बार जमा कर दिया तो हमेशा के लिये समाप्त हो जाता था। वह व्यवस्था भी प्राधिकरण ने समाप्त कर दी। वह व्यवस्था भी नोयडा प्राधिकरण ने समाप्त कर दी है। वहां के लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। गिरफ्तारियां हो रही हैं मगर यह सरकार सुनने को तैयार नहीं है। कानून व्यवस्था की स्थिति भी अत्यन्त खराब है। वहां पर एक लड़की का अपहरण हुआ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। मैंने बृजेन्द्र कुमार व्यास जी को बुला लिया है। जो बचा हुआ है, उसे लिखकर दे दीजियेगा।

श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास उर्फ डमडम महाराज-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आभारी हूं। माननीय अधिष्ठाता जी, गुरसरांय हमार गृह नगर है। हमारे यहां ऐरा चुंगी से लेकर नहर कोठी तक रोड खराब है और यह लोक निर्माण विभाग द्वारा संचालित रोड है, मैं चाहूंगा कि लोक निर्माण मंत्री इसे प्राथमिकता के आधार पर बनवायें। मान्यवर, हमारे यहां पानी की बहुत समस्या है। पेयजल की समस्या लगातार बनी है, हैण्ड पम्प कमजोर होते जा रहे हैं, जल स्तर नीचे गिरता जा रहा है और खेतों में पानी नहीं पहुंच रहा है। सिंचाई की व्यवस्था नहीं है। मैं चाहूंगा कि खेतों पर पानी पहुंचाने के लिए विशेष प्रयास करें। मान्यवर, झांसी में मेडिकल कालेज में न्यूरोलोजी विभाग है, वहां पर सर्जन और फिजीशियन नहीं है जिसके कारण लोगों को ग्वालियर जाना पड़ता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इनकी नियुक्ति की जाय। मान्यवर, झांसी मेडिकल कालेज में कैंसर इंस्टीट्यूट में दो करोड़ के भवन का

निर्माण हुआ है, दो करोड़ के उपकरण आ चुके हैं वहां पर रेडियो थरेपिस्ट और आरकोलोजिस्ट की नियुक्ति नहीं है, इससे लोगों को मुम्बई और दिल्ली जाना पड़ता है मेरा आपसे अनुरोध है कि इनकी स्थाई नियुक्ति की जाय। झांसी मेडिकल कालेज में 1996 के बाद से स्थाई प्राचार्य की नियुक्ति नहीं हुई है, केवल एक दिन के लिए स्थाई नियुक्ति की गयी थी तो इनकी स्थाई नियुक्ति की जाय। मान्यवर, झांसी मेडिकल कालेज में बीस लाख का जनरेटर जो 2004-2005 में खरीदा गया था, लेकिन उनका उपयोग नहीं हो रहा है। जो कलर डापलर मशीन मंगायी गयी है 35 लाख की, उसका उपयोग नहीं किया गया है, वह डब्बे में बन्द हैं, प्राइवेट एजेन्सियों को लाभ पहुंचाने के लिए इस तरह का कार्य किया जा रहा है। मान्यवर, हमारे यहां मरीजों को पहुंचाने के लिए जो एम्बुलेन्स है उसका व्यक्तिगत उपयोग हो रहा है। गरीब जनता के लिए प्रसूति महिलाओं के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा रहा है तो इसको देखा जाय। मान्यवर, झांसी मेडिकल कालेज में पिछली बार छः लाख पचास हजार की आक्सीजन खरीदी गयी थी इस बार सोलह लाख पचास हजार की आक्सीजन खरीदी गयी है, यह संवेदनशील मामला है तो इसे दिखवा लें। इसी तरह से जो मेडिकल कालेज, झांसी में नियुक्ति चल रही है उसमें भी गड़बड़ी हो रही है तो इसकी भी छानबीन की जाय। लॉ एण्ड आर्डर की स्थिति हमारे यहां खराब है। जनप्रतिनिधि वहां पर सुरक्षित नहीं रह गया है। अहिरवार जी के ऊपर दबंग चक्र चला रखा है। एक मुकदमा पहले दिन कायम किया जाता है, फिर दूसरे दिन दूसरा मुकदमा कायम किया जाता है, तीसरे दिन तीसरा मुकदमा कायम किया जाता है। जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं रहेगा तो जनता कहां सुरक्षित रहेगी। इन्हीं शब्दों के साथ जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं।

श्री मदन चौहान-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आभार व्यक्त करता हूं कि आपने मुझे महामहिम श्री राज्यपाल जी के अभिभाषण प्रस्ताव पर श्री राम करन आर्य जी द्वारा रखे गये धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया। मान्यवर, मैंने कल से आज तक काफी चर्चा सुनी उससे ऐसा लगता है कि विपक्ष ने मात्र औपचारिकता पूरी की है कोई ठोस नीति नहीं है। उसके परिप्रेक्ष्य में पूर्व वक्ताओं ने कहा कि हमारे यहां काफी समय से रोजगार नहीं मिल रहा है, उद्योग नहीं आये हैं। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि जो हमारा गन्ना किसान है उनके क्षेत्र में शुगर मिल आयी है और उन्हें रोजगार मिला है। अभी नोयडा में मेट्रो रेल के आने की योजना बनी है, दादरी पुल की योजना है। किसानों का मुआवजा बढ़ा है। विप्रो जैसे बड़े-बड़े कम्प्यूटर के उद्योगपति हमारे नोयडा में आये हैं। जहां तक किसी भूखण्ड को बेच दिया, पूर्व सरकार में जब शायद भाजपा और बसपा की सरकार थी उस समय एक्सप्रेस हाईवे को एक उद्योगपति के नाम तमाम जमीनें बेच दी थी, वह लोग तब भी मौजूद थे, इसी प्रकार से मैं कहना चाहूंगा हमारे क्षेत्र गढ़मुक्तेश्वर में कुछ समस्यायें हैं, उसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, एक गंगा स्नान का मेला जो नवम्बर में प्रति वर्ष लगता है और वह हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा एक मात्र मेला है इसमें लाखों श्रृद्धालु प्रति वर्ष आते हैं, चूंकि उसकी व्यवस्था अभी जिला पंचायत के द्वारा की जाती है जोकि परिपूर्ण उचित नहीं है मेरी मांग है कि इस मेले का नाम प्रान्तीय गजट में दर्ज कर के उसकी व्यवस्था प्रदेश स्तर से की जानी चाहिए। शुगर मिलों

के द्वारा जो प्रतियोगिता का वातावरण बढ़ रहा है, जो प्रतियोगिता पैदा हुई है उससे गन्ना किसानों को मूल्य सही मिल रहा है, लेकिन उसमें इस बात का ध्यान रखा जाय कि कही निजी चीनी मिलें सरकारी चीनी मिलों के अधिकारों का अतिक्रमण न करें, उसके क्षेत्र का गन्ना न खरीदें या मन-मानी न करें, इसकी तरफ भी ध्यान देने की आवश्यकता है, तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि एक नाला फुलडहरा मेरे क्षेत्र में जो गंगा में जाकर गिरता है उसमें शुगर मिल का गंदा पानी, रासायनिक पानी और एक गोपाल डेयरी के नाम से सियाना से दोनों का गन्दा पानी इसमें जाता है जो गंगा में पड़ता है और इस बीच में जो बहुत सारे गांव आते हैं उन गांवों में नलों का पानी इस तरह का हो गया है कि उसको पीने के बाद लोगों की हालत खराब है और पशु-पक्षी भी पीते हैं उनकी भी हालत खराब है, हालांकि इस तरफ माननीय पर्यावरण मंत्री जी हैं, उन्होंने भी ध्यान दिया है, मैं चाहूंगा कि इसकी तरफ समुचित ध्यान देने की आवश्यकता है। हमारा प्रदेश चूंकि दुग्ध उत्पादक प्रदेश है उसमें भी दुग्ध उत्पादक योजना को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, जहां गरीब दूध बेचकर अपना पेट पालते हैं वहीं पर अगर उनका पशु मर जाता है तो उनकी उचित मुआवजा दिलाने की कोई रूपरेखा नहीं है, उसमें अच्छा मुआवजा मिले ताकि वह उस दुग्ध योजना को आगे बढ़ा सके और अपने जीवन स्तर को ऊंचा कर सके।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री मदन चौहान-

मान्यवर, इसी तरह से सिंचाई में, वैसे जिम्मेदारी उत्तरांचल सरकार की हैं वहां से पानी नहीं आता है लेकिन फिर भी सिंचाई के लिये पानी की आवश्यकता है। विद्युत उत्पादन मे यह बात सही है कि विद्युत उत्पादन अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन उसको आगे जैसी सरकार की योजना है वह बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसमें मैं कहना चाहूंगा कि जो कर्मचारी आज भी मौजूद हैं उनको भी इस तरफ ठीक प्रकार से ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि वह गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखें। मान्यवर, इसी के साथ आपने मेरी बात सुनी इसके लिये माननीय अधिष्ठाता जी मैं आपके प्रति आभार प्रकट करता हूं और इस बात पर बल देता हूं कि आज सरकार का जो उत्तम प्रदेश बनाने का इरादा है, सरकार उसकी तरफ कदम बढ़ा रही है, धन्यवाद।

श्री मुंशीलाल गौतम-

मान्यवर, मुझे बोलने का मौका दे दें।

श्री अधिठाता-

दो मिनट में समाप्त करियेगा। केवल अपने क्षेत्र की समस्या बोल दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, इसमें आपका विवेक है, लेकिन वह सदस्य जो सदन में रोज भाग लेते हैं और बोलते हैं उनके लिये यह ग्रेस मार्क समय नहीं है यह ग्रेस मार्क समय उनके लिये है जिनको अपनी बात कहने का मौका समयाभाव के कारण कम मिल पाता है।

श्री मुंशीलाल गौतम-

अगर आपकी इच्छा हो तो मैं चला जाऊं। मान्यवर, सवेरे से आकर बैठ जाता हूं और दिन भर बैठा रहता हूं और भूखा-प्यासा रहता हूं, इसी जुगाड़ में रहता हूं कि आप ऐसा कह कर क्यों मेरा मजाक उड़ा रहे हैं।

श्री अधिष्ठाता-

आप दो मिनट में अपनी बता कह लें।

* श्री मुंशीलाल गौतम-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे नेता प्रतिपक्ष के द्वारा महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर जो संशोधन प्रस्ताव रखा गया है, उसके समर्थन में बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं, श्री राम करन आर्य जी के द्वारा जो धन्यवाद प्रस्ताव रखा गया है और श्री शिव कुमार बेरिया जी ने इसका समर्थन किया है, अगर उन्होंने यह देख लिया होता, या पढ़ लिया होता तो वह इस कार्य को करने के लिये तैयार नहीं होते। इसमें अनुसूचित जाति के बारे में कोई शब्द इतने पेजों में नहीं कहा गया है। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण 1 से लेकर 27 पेज तक हैं मैंने बड़ी बारीकी से अनेकों बार इसको पढ़ा और अध्ययन किया। इसमें अनुसूचित जाति व जनजाति तथा पिछड़ी जाति के उत्थान के बारे में कहीं भी जिक्र नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 46 जो अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य दुर्बल वर्ग के शिक्षा और अर्थ सम्बन्धी हितों की अभिवृद्धि के सम्बन्ध में है, उसकी अवमानना की गयी है। मेरे विधान सभा क्षेत्र शिकारपुर, बुलन्दशहर में एक सहकारी सूत मिल है जो वर्षों से बन्द पड़ी है उसका पी0आर0 एस0 बट चुका है नयी मशीनें हैं जो सड़ गल रही हैं जिन पर पानी गिर रहा है उसकी सुरक्षा व्यवस्था करायी जाय और मिल को पुनः चलवाया जाय। मेरे क्षेत्र में मान्यवर, विद्युत लाइनों के तार काफी जर्जर हालत में हैं तो पचासों वर्ष पूर्व के है। उन्हें बदलवाया जाय तथा ट्रांसफार्मरों की वृद्धि क्षमता बढ़वायी जाय।

मान्यवर, शिकारपुर से जहांगीराबाद मार्ग, मेरठ, बदायूं रोड से शिवाली मार्ग, बुलन्दशहर अनूपशहर रोड से जमुनाठेर मार्ग, स्याना बुलन्दशहर मार्ग से मानकपुर मार्ग, मांगलौर से खलसिया मार्ग की मरम्मत करायी जाय। शिकारपुर नगरपालिका गांव महमूदपुर करैना होता हुआ बरसाती नाले को बरसात से पहले सफाई करायी जाय जिससे बरसाती पानी निकल सके। मान्यवर, समग्र विकास योजना के अन्तर्गत ग्राम शिवनगर दुसरी विकास खण्ड शिकारपुर पिछले वर्ष स्वीकृत हुआ था लेकिन आज तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण नहीं हुआ है उसे कराया जाय। मान्यवर, कन्या विद्या धन योजना में अनुसूचित जाति, जनजाति की बालिकाओं को 21 प्रतिशत लाभ देने का प्राविधान, जो संविधान में है, उस आधार पर किया जाय। मान्यवर, मध्य गंगा नहर जो राजवाहे माइनर मेरी विधान सभा क्षेत्र से होकर निकलते हैं जिनसे किसान अपने खेतों की आबपाशी करता है उनकी सफाई धन अवमुक्त कराकर, बरसात से पहले करा दी जाय जिससे उसमें पानी छूटने से दिक्कत पैदा न हो।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप बैठें।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, आज एक सूचना नियम 56 में दी थी कि अनुसूचित जाति के लोगों की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और जब वह रिपोर्ट लिखाने के लिये प्रदर्शन करते हैं तो उल्टा उनके खिलाफ सेवन क्रिमिनल लॉ जैसे अपराधिक मुकदमों में दर्ज किया जाता है। बहन बेटियों की बारात आज भी नहीं चढ़ रही है। जो समता अधिकार के अनुच्छेद 15 की अवहेलना हो रही है। जिसका जिक्र मैंने नियम 56 की सूचना में किया है। निर्दोषों पर लगाये गये मुकदमें वापस किये जायें। मुझे दो मिनट बोलने दिया जाय। जिससे कल भी मुझे समय मिलेगा नहीं और मेरी बात भी समाप्त हो जायेगी (व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका भाषण कार्यवाही में नहीं लिखा जायेगा।

श्री मुंशी लाल गौतम-

मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि मैं लिखकर के दे दूं तो उसे कार्यवाही का अंग मान लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप आसन ग्रहण करें।

श्री मुंशी लाल गौतम-

[× × ×]

(बोलने का अवसर न मिलने के कारण श्री मुंशी लाल गौतम सदन का बहिष्कार कर चले गये)

श्री प्रागीलाल अहिरवार-

मान्यवर, मेरे दल द्वारा सरकार की आलोचना बहुत की जा चुकी है। मैं केवल अपने क्षेत्र के कुछ विकास कार्यों की बात यहां पर रखना चाहता हूं।

मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र मऊरानीपुर झांसी में बिजली की बहुत बड़ी समस्या है। चोरों द्वारा लाइन काटी जाती हैऔर उसको ठीक करने के लिये विधायक निधि से पैसा भी दिया जाता है लेकिन उसमें आज तक सुधार नहीं हुआ है। जैसे कि ग्राम ध्वाकर व ग्राम बगरौनी व ग्राम बुखारा व ग्राम पंचमपुरा और ग्राम कोटरा व रमपुरा आदि के लिये विधायक निधि से विद्युत प्रणाली सुधार हेतु 15-20 लाख रु0 दिये हैं लेकिन सालों बीत गये हैं कोई सुधार कार्य नहीं हुआ है। मऊरानीपुर नगर में सड़े गले तार लगे हुए हैं जो आये दिन टूटते रहते हैं जिससे कई घटनाएं होते-होते बची हैं अतः उनको ठीक कराये जाने की आवश्यकता है। बिजली की समस्या वहां हल न होने से लोग परेशान हैं उद्योग धंधे बंद हैं किसान परेशान है सिंचाई के लिये और उद्योग बन्द होने से मजदूरों को मजदूरी भी नहीं मिल पाती हे बुनकर भी इससे परेशान हैं। क्षेत्र व गांवों में अंधकार फैला हुआ है। मान्यवर, जनपद झांसी में एक नई तहसील पिछले वर्षों में टहरौली खुली है उसमें बंगरा टहरौली से लोगों का

नोट :-- [. . .] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

आना जाना है यह सड़क ग्राम उलदन से बिजना तक अत्यन्त खराब खुदी पड़ी हुई है। और इस कारण से लोगों को आने जाने में दिक्कत है और बरसात के दिनों में लोग फंस जाते हैं और 12-13 कि0मी0 पैदल चलना पड़ता है। इस मार्ग को बनवाया जाय। मान्यवर, यह बताना है कि पतराई बांध का निर्माण हुआ था तभी से यह रोड खराब है और बांध से रोड दिया गया था जो जीण-शीर्ण अवस्था में है। पतराई बांध का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है किसानों को जमीन का मुआवजा मिल गया है और जो डूब क्षेत्र में गांव पड़ते हैं उनको भी मुआवजा मिल गया है। मुआवजा मिलने के बावजूद भी इनको नहीं हटाया गया जिससे बांध में पानी नहीं भर पाता है बरसाती पानी बह जाता है और यह बांध भरने से किसानों को लाभ होगा और सिंचाई होगी। इसलिये इस वर्ष इसका पानी रोककर पतराई बांध से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराई जाय। इसी प्रकार ग्राम रोरा मऊरानीपुर सुखनई नदी पर एक पुल निर्माण कराया जाय जिससे गरौठा मार्ग छतरपुर के लिये सीधा पड़ेगा और उससे पचास गावों के लोगों को लाभ मिलेगा। इसी प्रकार ग्राम चिमन्दवारा टपइयन मुहल्ला में ब्लाक द्वारा मिट्टी का कार्य करवाया गया है इसे पक्का करवाया जाय। इसी प्रकार ग्राम खरका माप से धायपुरा लिंक मार्ग पर मिट्टी व पुलिया का कार्य ब्लाक द्वारा करवाया गया है उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा पक्का करवाया जाय। ग्राम भटपुरा टंकी से गरौठा तक मिट्टी पुलिया का कार्य हो गया हैं इसी प्रकार बमौरी से चकारा लिंक मार्ग लोक निर्माण विभाग से पक्का करवाया जाय। मान्यवर, इसी प्रकार से वहां के हरे भरे पेड़ों की कटान हो रही है। मऊरानीपुर रेंज के रोरा जंगल नया गांव बीट में हरे पेड़ काटे जा रहे हैं। जंगल माफिया पेड़ काट रहे हैं वन रक्षक को असलहा दिखाकर गालीगलौज कर रहे हैं और थाना लहचुरा में उनकी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है। जैसे कि दिनांक 11/12 अप्रैल की रात में शीशम के पेड़ वन माफिया सुरेन्द्र सिंह पुत्र गन्दर्भ सिंह, शिवराज सिंह पुत्र भान सिंह व अंगद सिंह पुत्र धर्मपाल सिंह व गवर्नमेंट सिंह पुत्र उमराव सिंह, अरविन्द सिंह पुत्र फेरन सिंह निवासी ग्राम रोरा थाना जहचुरा जिला झांसी को वन रक्षक विजय बहादुर सिंह नया गांव बीट प्रभारी व रामवेन्द्र शरण शर्मा, वन दरोगा मऊरानीपुर आदि ने मौके पर जंगल में पेड़ काटते पकड़ा जिसकी नामजद एफआईआर थाना लहचुरा में दिनांक 12-4-06 को लिखित दी लेकिन मुकदमा नहीं लिखा गया। इसके पूर्व रेंज अधिकारी द्वारा 7-3 -06 को भी एक सूचना वन विभाग की ओर से वन माफियाओं के खिलाफ दी गयी लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई। इससे स्पष्ट है कि थाना लहचुरा की पुलिस की मदद से जंगल काटा जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। आप लिखकर दे दीजियेगा, 10 मिनट का लिखकर दे दीजियेगा।

श्री प्रागीलाल अहिरवार-

मान्यवर, मऊरानीपुर नगर में अपराधियों का बोलबाला है। बृजेश पाठक बहुत बड़ा अपराधी है उसका क्षेत्र में आतंक है लेकिन पुलिस कोई कार्यवाही नहीं कर रही है जबकि अच्छे लोग व विधायक प्रदीप जैन व रतन लाल के खिलाफ मुकदमा लिखा जा रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें। अब आपका नहीं लिखा जायेगा।

श्री प्रागीलाल अहिरवार-

[× × ×]

श्री अधिष्ठाता-

अब आपका नहीं लिखा जायेगा।

श्री प्रागीलाल अहिरवार-

[× × ×]

श्री सुरेन्द्र कुमार मुन्नी-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय रामकरन आर्य द्वारा रखे गये धन्यवाद के प्रस्ताव पर बल देने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, 2-3 बातें कहना चाहता हूं माननीय श्रम मंत्री जी मेरे यहां पर गये थे और श्रम बस्ती का दौरा किया था वहां 456 मकान हैं उनमें न उनको किरायेदार का अधिकार है और न मकान मालिक का अधिकार है। मेरा अनुरोध है कि कम से कम उनको चाहे मकान मालिक का चाहे किरायेदार का जो भी हो, उनको अधिकार दिया जाय और जहां-जहां सड़क का कार्य होना है, वहां अतिशीघ्र करा दिया जाय। मान्यवर, मेरे क्षेत्र में खोड़ा कालोनी है वहां एक लाख दस हजार मतदाता हैं, चार-साढ़े चार लाख की आबादी है और उसकी स्थिति यह है कि पानी नहीं है, नाली नहीं है सड़क आदि नहीं है स्थिति बहुत गम्भीर है। मैंने नियम 51 में भी इसको उठाया था और निवेदन किया था कि जहां एक लाख दस हजार मतदाता रहते हों, ग्राम प्रधान एक हो, जिला पंचायत सदस्य दो हों, चूंकि यह मेरे विधान सभा क्षेत्र में आता है इसलिये इस पर ध्यान दिया जाय। मान्यवर, वैसे तो सरकार की बहुत उपलब्धियां है (इस समय 5 बजकर 34 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए) पिछले 30 सालों के अन्दर किसी भी सरकार ने इतनी उपलब्धियां नहीं हासिल की हैं और आज आम जनता बहुत खुश है। मान्यवर, मैं गाजियाबाद क्षेत्र से आता हूं बाजपेयी जी मेरठ से आते हैं मैं कहना चाहता हूं कि दो चीजों पर केवल चूड़ी कसवा दें एक तो बिजली और दूसरी पुलिस, इन पर थोड़ी चूड़ी टाइट हो जाय जो जितनी सरकार की उपलब्धियां हैं वह बहुत बढ़ जायेंगी और जो लोग उधर बैठे हैं वह भी सरकार का समर्थन करेंगे। मान्यवर, खोड़ा कालोनी व श्रम बस्ती को अपने अधिकार शीघ्र ही दिलाये जायें। आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री धर्मपाल सिंह (बरेली)-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे नेता प्रतिपक्ष माननीय टण्डन जी द्वारा जो महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर विरोध में उन्होंने बोला था, उसके पक्ष में बोलने का अवसर प्रदान किया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि विकास की बातें बहुत हो गयी। यदि सरकार सच में विकास करना चाहती है तो इस प्रदेश की जनता को सुरक्षा दे दें, सड़क पर चलने वाला व्यक्ति जब अपने को सुरक्षित अनुभव करेगा, व्यापार करने वाला जब अपने को सुरक्षित अनुभव करेगा, दुकान पर काम करने वाला व्यक्ति जब

नोट :-- [× × ×] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

अपने को सुरक्षित अनुभव करेगा, खेत पर काम करने वाला व्यक्ति जब अपने को सुरक्षित अनुभव करेगा तो मान्यवर, वह अपने आप विकास कर लेगा। मान्यवर, आज उत्तम प्रदेश की बात कही गयी। इसी सदन में आप संरक्षण देते हैं आपके माध्यम से विधायकों ने विषय उठाये हैं। विधायक अपनी सुरक्षा के लिये घिघयाते हैं सदन में, सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगता। विधायकों की हत्यायें होती चली जा रही है विधायकों के पुत्रों के अपहरण हो रहे है, लेकिन सरकार चेत नहीं रही है। मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं कि आप सरकार को निर्देशित करें। मान्यवर, मुझे एक अपराधी ने जेल में बंद रहकर धमकी दी है और सुपारी दे दी है कि हम इनकी हत्या करा देंगे आपने हम पर कृपापूर्वक कृपा की, लेकिन आपके आदेश के बाद भी अतिरिक्त गनर आज तक नहीं मिला। यह उत्तम प्रदेश है। मान्यवर, यह सुरक्षा और व्यवस्था की बात है। इसी तरह से बेरोजगारी की बात कही गयी, भत्ता दिया है, ठीक है। भत्ते में इन्होंने समय सीमा तय कर दी कि 35 वर्ष की आयु होगी, उसे भत्ता देंगे। जिनके फरवरी तक रजिस्ट्रेशन हैं, उनको भत्ता देंगे। मान्यवर, ग्रामीण क्षेत्रों में हाईस्कूल, इंटर पास के बहुत लोग हुआ करते हैं। यह उच्च शिक्षा प्राप्त लोगों को भत्ते दे देंगे। मेरा अनुरोध है कि आज तक जिस तारीख में सरकार ने भत्ता को बजट में आवंटित किया है, उसी तारीख तक सेवायोजन कार्यालय में जिनके रजिस्ट्रेशन हैं, उनको भत्ता दें और 35 वर्ष की आयु को बढ़ाकर 40 वर्ष कर दें। मान्यवर, पंचायत चुनाव निष्पक्ष होने की बात कही गयी है। सच यह है कि प्रदेश में सपा चुनाव लड़ी ही नहीं। मान्यवर, यह आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं। मान्यवर, पर्यटन की उत्तर प्रदेश में संभावनायें तलाशने की आवश्यकता है। उत्तरांचल के अलग हो जाने के बाद पर्यटन उत्तरांचल में चला गया। उत्तर प्रदेश मे अब पर्यटन नहीं रह गया। मेरा आंवला विधान सभा क्षेत्र है जहां महाभारत कालीन स्थान है, द्रोपदी का स्वयंवर हुआ, वेद-उपनिषद की रचना हुई, पांडवों ने अज्ञातवास के बाद पदवी ली, वहां झील है, गौरीशंकर मन्दिर है, मुगल शासनकाल में जैसे आगरा का ताजमहल है, उसी तरीके का वहां मकबरा है। तो मान्यवर, मेरे आवंला विधान सभा क्षेत्र को पर्यटन के मानचित्र पर लिया जाय, मैं आपके माध्यम से यह भी अनुरोध करना चाहता हूं।

मान्यवर, महामहिम के भाषण में कहा गया कि उत्तर प्रदेश में किसी भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि मेरी विधान सभा में एक गरीब किसान ने पति-पत्नी के साथ आत्महत्या कर ली। वह अपनी बेटी की शादी नहीं कर पा रहा था, बच्चों का भरण-पोषण नहीं कर पा रहा था, पत्नी की साड़ी से गले में बांधकर दोनों दम्पत्ति ने आत्महत्या कर ली। मान्यवर, मैंने सरकार को लिखा उसके परिवार में बेटी की शादी हो जाय, उसके परिवार का भरण-पोषण हो जाय लेकिन आज तक उसके परिवार को आर्थिक सहायता नहीं दी गयी है। मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि उसके परिवार को आर्थिक सहायता दिलाई जाय। हमारे विधान सभा में एक सड़क है अलीगंज-सिरौली मार्ग, जो बहुत महत्वपूर्ण सड़क है, पर्यटन के लिहाज से भी इसका महत्व है। हम चाहते हैं कि इस सड़क का चौड़ीकरण तथा नवीनीकरण किया जाय। हमारे विधान सभा में विद्यालय तो हैं, लेकिन अध्यापक नहीं हैं। अध्यापकों की व्यवस्था कराई जाय। मान्यवर, पंचायत चुनाव के बारे में एक बात कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा। मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह विषय आया कि पंचायत चुनाव निष्पक्ष हुए और कोई हिंसा नहीं हुई और चुनाव समय से कराये गये। मैं बताना

चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव समाजवादी पार्टी ने नहीं लड़े बल्कि सच तो यह है कि उत्तर प्रदेश ' ब्लाक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पुलिस और प्रशासन ने मिलकर लड़े। हारने वाले जिता दिये गये और जो जीत रहे थे, वह हरा दिये गये और जो किसी तरह जीत गये, उनको गोली से मरवा दिया गया, आज भी ब्लाक प्रमुखों की हत्यायें की जा रही हैं, मान्यवर, यह विषय गम्भीर है महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में कहा गया है कि प्रदेश में एक भी किसान ने आत्महत्या नहीं की। यह बात सत्य नहीं है। मेरी विधान सभा आंवला के ग्राम सेंधा में एक किसान दम्पत्ति ने आत्महत्या गरीबी के कारण कर ली। इन्होंने एक ही साड़ी का फंदा बनाकर साथ-साथ हत्या कर ली। इनके परिवार में 3 बच्चे हैं। बेटी शादी को है बच्चों के पालन पोषण को मेरे द्वारा लिखा गया कि इनके परिवार को आर्थिक मदद की जाय। परन्तु सरकार के कान पर जूं नहीं रेंगी। मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि उस गरीब परिवार को 2 लाख रुपये आर्थिक मदद की जाय। और मान्यवर, इस देश के आजाद होने के बाद सभी को एक मौलिक अधिकार वोट डालने का मिला था, आज हमारे वोट ऑफ राइट को भी छीना जा रहा है। समाजवादी पार्टी के लोगों द्वारा बूथ-कैप्चरिंग की जा रही हैं मैं चाहता हूं कि सरकार ऐसा कोई कानून लाये कि यदि कोई बूथ-कैप्चरिंग में पकड़ा जाए जो उसे आजीवन कारावास की सजा मिले, इस तरह का कानून बनाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, आपने मुझे संक्षेप में बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। मान्यवर, हमारे क्षेत्र की समस्याएं रह गई हैं, अगर अनुमति हो तो वह हम लिख करके दे दें।

श्री अध्यक्ष-

दे दीजिएगा।

* श्री अमरजीत सिंह जनसेवक-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं केवल एक मिनट में अपनी बात को समाप्त करूंगा, मैं राष्ट्रकवि पं0 सोहनलाल द्विवेदी की नगरी से आता हूं, बिन्दकी मेरा विधान सभा क्षेत्र है। वहां पर दो-दो बार उनका जन्म-शताब्दी समारोह मनाया जा चुका है, आप भी वहां समारोह में दो-दो बार जा चुके हैं। आज वहां की जनता वहां से पलायन कर रही है, वहां के स्कूलों और कालेजों की संख्या कम होती जा रही है क्योंकि वहां के छात्र कानपुर और इलाहाबाद में एडमीशन के लिए जा रहे हैं, इसका कारण यह है कि यहां पर बिजली बिल्कुल नहीं आती है। मान्यवर, हमारे यहां पर एक मलवां फीडर और एक चौडगरा फीडर है, मैं चाहता हूं कि मलवां फीडर के प्लक को वहां से हटाकर चौडगरा फीडर से जोड़ दिया जाए तो वहां पर 18 घण्टे बिजली मिलने लगेगी। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि जहां जन्म शताब्दी समारोह पं0 सोहन लाल द्विवेदी का मनाया जा रहा है, उस स्थान के लोग पलायन न करें इसलिए मलवां फीडर के प्लक को वहां से हटाकर चौडगरा फीडर से जोड़ दिया जाए। हमारे देश और प्रदेश में विकलांगों की बहुत बड़ी संख्या है और विकलांगों की पेंशन में जो सरकार ने वृद्धि की है, उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं लेकिन मैं आपके माध्यम से सरकार से यह मांग करता हूं कि विकलांगों के जो विवाह/शादी होती हैं, पहले विकलांगों के पौरुष को लोग नहीं जानते थे, इसलिए उनकी शादियां कम होती थीं। मेरी शादी तो हाथ

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

कटने से पहले ही हो गई थी वरना कोई मां/बाप ऐसे लड़के को अपनी लड़की का हाथ नहीं देने को तैयार होता जो अपने हाथों से लड़की का हाथ भी न थाम सके। इसलिए मान्यवर, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि जो अनुदान विकलांगों को शादी के लिए मिलता है, उस अनुदान की धनराशि को बढ़ा दिया जाए। ताकि यदि कोई किसी विकलांग से शादी करे तो उसे अच्छा अनुदान मिल सके। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

वहां जब हम लोग जाते हैं, तो यह प्रश्न लोग कहते हैं, इतने दिनों से आपसे कहा जा रहा था, आपने आज यह बात यहां पर उठा दी इसके लिए आपको धन्यवाद। लेकिन जनसेवक जी मंच पर मोबाइल फोन लाना निषिद्ध है और आप मोबाइल लटकाये हुए आ रहे हैं, इसमें विकलांग का कोई कोटा नहीं है, भविष्य में इसका ध्यान रखें।

अब इस मामले पर बहुत बहस हो चुकी है, इसके बाद अगर किसी की कोई समस्या हो तो वह लिख करके दे दे।

मेरठ के विक्टोरिया पार्क में हुये भीषण अग्निकाण्ड से लोगों के मरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचनाओं पर चर्चा

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, अनुरोध है कि पहले मद सं0-19 को ले लिया जाये।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, पहले मद सं0-19 ले लीजिए।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

अध्यक्ष महोदय, 10 अप्रैल, 2006 का दिन मेरठ के अध्याय में एक दुःखद और काला दिन था। विक्टोरिया पार्क में ब्रांड इंडिया कंज्यूमर शो नामक एक मेले का आयोजन हुआ, मेले के आयोजनकर्ता, जो कि तीन लोग थे, उन्होंने परमीशन के लिए 29 तारीख को आवेदन किया। मान्यवर, इतने बड़े मेले का आयोजन होना था और 29 तारीख को आवेदन आता है और आयोजनकर्ता अपने प्रार्थना-पत्र में लिखते हैं कि हम निजी सिक्योरिटी एजेन्सी से सुरक्षा की व्यवस्था करेंगे, इसलिए अनुमति दे दी जाए। 29 तारीख को उनकी चिट्ठी पर ए0 डी0 एम0 सिटी लिखते हैं एस0 पी0 सिटी को, एस0 पी0 सिटी लिखते हैं, सी0 ओ0 को और सी0 ओ0 लिखते हैं थाने को। उसके बाद मान्यवर, 30 तारीख को थानाध्यक्ष रिपोर्ट देते हैं कि फलाँ-फलाँ का प्रार्थना-पत्र फलाँ व्यक्ति के माध्यम से प्राप्त हुआ और प्राप्त प्रार्थना-पत्र में आयोजकों ने यह कहा कि सुरक्षा-व्यवस्था निजी करेंगे तो आयोजन की अनुमति देने में कोई आपत्ति नहीं है, यह 30 तारीख को रिपोर्ट देते हैं उसी दिन सी0 ओ0 सिटी और एस0 पी0 सिटी भी लिख देते हैं और उसके बाद 31 तारीख को अतिरिक्त जिलाधिकारी नगर परमीशन जारी कर देते हैं और परमीशन जारी करते समय केवल इतना प्रतिबन्ध लगाया जाता हैं कि धारा-144 के प्रतिबन्धों का पालन करना होगा। धारा-144 के प्रतिबन्ध क्या-क्या

हैं, ऐसा कोई निर्देश परमीशन में नहीं था। पुलिस ने यह रिपोर्ट दे दी कि सुरक्षा व्यवस्था निजी करेंगे इसलिए कोई पुलिस वाला मौके पर नहीं था। किसी ने पंडाल नहीं देखा कि जो पंडाल लगा है वह नियमों के अनुसार है या नहीं ? इतने बड़े मेले के आयोजन के लिए अनापत्ति देने से पहले क्षेत्रीय पुलिस द्वारा उसका न नक्शा बनाया गया न और कोई व्यवस्थाओं की सूचना दी गयी। फायर की एन0ओ0सी0 नहीं ली गयी। मान्यवर, फायर में अस्थायी संरचना और पंडालों के निर्माण में अग्निशमन के लिए एहतियाती उपायों के लिए एक सिफारिश है बी0आई0एस0, ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड 8758, 1993। उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे रिकन्फर्म किया वर्ष 2002 में। अब इसमें दो व्यवस्था दे रखी है, कोई भी पंडाल जो टेम्पोरेरी स्ट्रक्चर लगेगा उसमें केमिकल सैल्यूशन दे रखा है अमोनियम सल्फेट 4 भाग, अमोनियम कार्बोनेट-2 भाग, बोरिक-1 भाग, बोरिक एसिड-1 भाग, एलम-2 भाग और पानी-35 भाग। इस सैल्यूशन को बनाकर पंडाल और उसकी रस्सियां को डूबोकर तब पंडाल बनाया जायेगा और तब उस पंडाल में ज्वलनशील होने की परिस्थिति है उसमें कमी आ जाती है। ब्यूरो ऑफ इण्डियन स्टैण्डर्ड 8358 में एक फार्मेट दिया हुआ है कि आयोजकों से सेल्फ अप्रूवल लिया जायेगा अर्थात क्या-क्या व्यवस्थायें उन्हें करनी हैं, उस व्यवस्था पर 'यस' या 'नो' पूरी डिटेल बतायेंगे और उनके हस्ताक्षर से मिलेगा। उसके बाद फायर सर्विस वाले जाकर मौके का मुआयना करेंगे, मुआयना करने के बाद अपनी रिपोर्ट देंगे लेकिन इसमें किसी पद्धति का पूरा पालन नहीं हुआ और फायर की कोई अनापत्ति नहीं ली गयी। 1500 किलोवाट का लोड उस जगह पर चल रहा था, 41 बड़े-बड़े ए0सी0 वहां पर काम कर रहे थे, ठंडक बाहर न जाए, सारा पंडाल ज्वलनशील चीजों से बनाया गया था। पंडाल का एक ही निकास द्वार और एक ही प्रवेश द्वार था ऐसी स्थिति में न तो पुलिस ने, न फायर सर्विस के लोगों ने निरीक्षण किया और बगैर निरीक्षण किये अनुमति दे दी, पंडाल बन गया और मेला चालू हो गया। 1500 किलोवाट का लोड चलाया जा रहा था, भले ही जैसा कि अब बयान में कहा जा रहा है कि जनरेटर से चलाया जा रहा था, जनरेटर से भी चलाया जा रहा हो तो उसके लिए जो विद्युत लाइनें बिछायी जाती हैं उसकी चीफ इलेक्ट्रिकल इंस्पेक्टर्स से इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की एन0ओ0सी0 ली जानी चाहिए थी। 1500 किलोवाट का लोड सच तो यह है कि बिजली विभाग के सहयोग से चलाया जा रहा था, वहां जनरेटर दिखावे के लिए खड़े थे, अगर जनरेटर था तो जिस वक्त घटना घट गयी उसके बाद अंधेरा होने लगा तो रोशनी के लिए सरकारी जनरेटर मंगाया गया। एक प्राईवेट जनरेटर लेकर मैं वहां आया हूं, 30 हैलोजन लाइटें लेकर आया अगर 1500 किलोवाट का लोड 14 जनरेटर उठा रहे थे तो जो 6 तारीख से मेला चल रहा था, 10 तारीख की शाम को 5.22 मिनट पर दुर्घटना होने के बाद जनरेटर कहां चले गये, उस जनरेटर को उठाकर कौन ले गया ? इसका मतलब वहां बिजली चोरी से जलायी जा रही थी और यह सब बिजली विभाग के सहयोग से चल रहा था। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी की एन0ओ0सी0 नहीं ली गयी, इतने बड़े आयोजन पर कोई बीमा नहीं कराया गया, आयोजकों के द्वारा किसी प्रकार की फायर की सेफ्टी का अरेन्जमेंट नहीं किया गया न उनके द्वारा और न प्रशासन के द्वारा। कुल मिलाकर पंडाल की आज की परिभाषा में कहूं तो महाभारत में जैसे लाक्षागृह था वैसे वह आधुनिक लाक्षागृह था और उसका दुष्परिणाम मेरठ की हजारों जनता ने अपनी आंखों से देखा। मान्यवर, यह पंडाल, मैं यह कहूं कि आधुनिक ओवन बन गया और लोग उसमें भुन गये तो गलत नहीं होगा। जो लोग मर गये हैं या घायल हुये हैं उनकी जो गति है उसको आपने अखबार में देखा है और वह इस घटना के साक्षी हैं।

मान्यवर, यह लापरवाहियाँ कब हुयीं जब इस प्रदेश में पूर्व में अनेक ऐसी घटनायें हुयी हैं लेकिन उनसे सबक नहीं लिया गया है। मान्यवर, मथुरा में पैटी डीजल दुकान में अग्निकाण्ड हुआ था जिसमें 42 आदमी मरे थे। जूता फैक्ट्री आगरा में 24 मई, 2002 को अग्नि काण्ड में 60 से अधिक लोग मरे थे। अग्रसेन सेवा समिति आगरा के पंडाल में जब आग लगी तो वहां पर जन-धन की हानि हुयी। कानपुर में ट्रान्सफारमर दगा, होजरी के कारखाने में, 5 लोग मरे। इसके साथ ही मैं बाहर के अग्नि काण्ड की घटनाओं को संज्ञान में लाना चाहता हूं। डबवाली काण्ड हरियाणा में हुआ था उसमें बहुत से लोग मरे थे। इसी तरह से कुम्भ कोड़म में 16-7-2004 को जो अग्निकाण्ड हुआ था उसमें 100 बच्चे मरे थे। तो आखिर कौन सी परिस्थिति थी, कौन सा दबाव था जो सब नियमों को ताक पर रखकर मेले की अनुमति दी गयी और नियमों को ताक पर रखने के बाद, अनुमति देने के बाद भी वहां पर जो सामान्य व्यवस्था की जानी चाहिये थी वह व्यवस्थायें क्यों नहीं की गयीं। सिर्फ 12 मिनट में सब कुछ जलकर खाक हो गया। आग अगर किसी एक कोने पर लगी होती तो तीन बड़े पंडाल 12 मिनट में जल नहीं सकते थे। धटना के कारणों में कहीं कुछ और भी है। वहां पर फायर ब्रिगेड आया लेकिन उनकी गाड़ी में पानी नहीं था। बिजली चली गयी इसलिए जो सर्किट हाऊस में ट्यूब वेल बना था वह भी बन्द हो गया। जो फायर हाईड्रेंट था उसमें भी पानी नहीं था। मान्यवर उस दिन को जो मन्जर था, समूचे शहर में सवा छ बजे से लेके रात 10 बजे तक सिवाय एक्चुलेंस की गूंज के अलावा शहर की नीरवता को तोड़ने वाली कोई चीज नहीं थी। यह जो घटना हुयी है उसके लिये एक व्यक्ति जिम्मेदार है। जिलाधिकारी ने उद्घाटन किया था अगर भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक-ठीक हो जाता जो दो घण्टे बाद उनको पारितोषिक वितरण करना था और रात 10 बजे उसका समापन भी उनको करना था। तो कम से कम उनको तो यह दिखवा लेना चाहिए था कि उद्घाटन, पारितोषिक वितरण और समापन हम करने जा रहे हैं, उसमें जो प्रशासनिक जिम्मेदारी या जो आवश्यक व्यवस्थायें होनी हैं वह हुयी हैं कि नहीं ? जब वहां उद्घाटन करने गये थे और वहां पर एक दरवाजा निकलने का और एक दरवाजा आने का है, इस दरवाजे से सारी भीड़ कैसे निकल सकती है उसको देखना चाहिए था। इस घटना के बाद जब जनरेटर आ गया और रोशनी की व्यवस्था हो गयी तब अचानक जे0सी0बी0 मंगा कर उस जगह पर चला दिया गया और अब जो उस जे0सी0बी0 के प्रमाण हैं, वहां का प्रशासन पत्रकारों को प्रभावित करके कोशिश कर रहा है कि कैसेट सी0डी0 में केवल जे0सी0बी0 चलती हुयी चली जाय।

मेरे पास वी0सी0डी0 है जिसमें जे0सी0बी0 चलती हुयी और मलबे को हटाती हुयी दिखायी दे रही है। उसमें यह दृश्य भी है कि जब लोग जलकर बिल्कुल सालिड हो गये थे एक के ऊपर 8-10 लाशें पड़ी थीं। वहां पर एक-एक एम्बुलेंस में 8-8 लोगों को ले जाया गया। उसमें अगर कोई जिन्दा गया तो उसके इलाज की व्यवस्था शुरू हुयी और जो जिन्दा नहीं जा पाया उसको मोर्चरी की तरफ ले जाया गया। एक-एक एम्बुलेंस में 8-8 लोगों को डालकर ले जाया गया, मान्यवर, ऐसी परिस्थिति वहां पर थी। बुलडोजर आखिर क्यों चलाया गया। जनता यह जानना चाहती है कि बुलडोजर चलाने की आवश्यकता क्या थी ? जिस समय बुलडोजर चलाया गया उस समय धुवां नहीं था। उस समय इतना पानी डाला जा चुका था कि वहां पर कोई चीज नहीं थी। जिस जगह पर बुलडोजर चलाया गया वहां पर जो मलवा बचा था वह 6-8 इंच से ज्यादा मोटा नहीं था। 6-7 इंच से मोटाई नहीं था। वहां

इतना मलवा नहीं था कि शव को ढूंढने के लिए बुलडोजर चलाने की आवश्यकता होती। मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं न ही ऐसे मौके पर आरोप लगाने की आवश्यकता है लेकिन बुलडोजर चलाने का मकसद न तो प्रशासन बता पाया और न ही हम जैसे कार्यकर्ता की समझ में आया। जहां तक मिसिंग की बात है पहले दिन तो डी0आई0जी0 ने कहा कि इतने मृतक हो गए। पहले दिन के बारे में कहा जा सकता है कि मृतकों की संख्या के बारे में अनुमान नहीं होगा आज के दिन तो पता है 58 मृतक और 3 मिसिंग हैं। इसके अलावा 22 लोगों का मेरठ के अस्पताल में इलाज चल रहा है 26 लोगों का गाजियाबाद, नोयडा और दिल्ली के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। आज के दिन यह स्थिति है। मैं दो तीन प्रश्न पूछना चाहता हूं। इस घटना के बाद रात को बुलडोजर चलाने की आवश्यकता क्या थी मेरा कहना यह है कि तथ्यों को छिपाने के लिए, कमियों को जांच में पकड़ा न जाय इसलिए बुलडोजर चलाया गया। दूसरी बात मुझे यह कहनी है वहां पर सेना बुलाई गई थी। सेना के लोग ट्रक में आ गए थे लेकिन सेना के लोगों को काम नहीं करने दिया गया और सेना वापस चली गई।

मैं आपके माध्यम से सदन के माध्यम से मेरठ प्रशासन का जवाब चाहता हूं कि आखिर सेना क्यों बुलाई गई थी और अगर बुलाई गई थी तो उसका उपयोग क्यों नहीं किया गया ? वापस क्यों चली गई और जगह पर घटना होती है तो अधिकारी निलम्बित होते हैं इसमें अधिकारियों को क्लीन चिट मिली मात्र स्थानान्तरण हुआ। इस घटना के बाद व्यवस्थाओं में अधिकारियों की पूर्ण असफलता थी मैं असफलता इसलिए कहूंगा क्योंकि 48 घण्टे बाद तक प्रशासन के द्वारा घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं दी गई कि किस तरह से घटना हुई कितने लोग घायल हुए और कितने लोग मरे। 48 घण्टे बाद भी प्रशासन बदहवासी और किंकर्तव्यविमूढ़ता की स्थिति में रहा। घटनाएं होती हैं लेकिन प्रशासनिक अधिकारी जनसहयोग से पूरी क्षमता के साथ समस्या से निपटते है लेकिन वहां पर घटना के बाद .प्रशासनिक अधिकारी पूरी तरह से बदहवास थे। मण्डलायुक्त बाहर थे वह छुट्टी पर थे लेकिन घटना के बाद वह पंजाब से घटना स्थल पर पहुंच गए लेकिन जिलाधिकारी रेस्क्यू आपरेशन से अलग ही रहे। रात के 10 बजे वह ए0डी0एम0 के साथ तनहा थे घटना स्थल पर हाय तौबा मची हुई थी। ऐसे समय में जबकि जनता के बीच हाय तौबा मची हुई थी। जिलाधिकारी को घटनास्थल पर होना चाहिए थे। जब मैं डी0एम0 के आवास पहुंचा तो वह कैम्प कार्यालय ADM City के साथ बैठे थे मैंने उनसे कहा कि परमीशन की पत्रावली कहां है तो वह पत्रावली दिखाने के लिए तैयार नहीं थे जब मैंने उनसे जोर दिया तो तीन कागज उनके पास निकले एक प्रार्थना-पत्र 29 तारीख का 30 तारीख की एस0पी0 सिटी की रिपोर्ट और एक परमीशन जारी होने का पत्र उनके पास कोई नोट शीट नहीं थी तो जिलाधिकारी घटना के बाद रिस्क्यू आपरेशन में क्यों नहीं शामिल थे और रात के 10 बजे अकेले क्या कर रहे थे ? तीसरे जब जिलाधिकारी ने परमीशन दी उद्घाटन किया तब उन्होंने वहां पर व्यवस्थाएं क्यों नहीं देखी। जे0सी0बी0 मशीन क्यों चलाई गई इस बात का भी जवाब चाहिए। इस घटना की जांच पहले सी0डी0ओ0 को दी गई तो मैंने कहा कि जिलाधिकारी के कंडक्ट की जांच सी0डी0ओ0 कैसे कर सकता है। बाद में मण्डलायुक्त को जांच दी गई। स्वयं मण्डलायुक्त ने जांच शुरू कर दी। मण्डलायुक्त ने ए0डी0एम0 से कहा कि यह हिस्सा आप जांच करें और यह हिस्सा आप जांच कर लें। मुख्य मंत्री जी भी वहां मौके पर गये और वहां जाकर देखा था और देखने के बाद माननीय

मुख्य मंत्री जी ने सारी चिकित्सा व्यवस्था का खर्च उठाने की घोषणा की थी। मुझे यह कहने में संकोच नहीं है कि पूरा चिकित्सा व्यय उन्होंने उठाया उत्तर प्रदेश के अस्पताल में तो इलाज हुआ है पी0जी0आई0 के रेट पर दिल्ली के अपोलो हास्पिटल में जो इलाज हुआ है एम्स के रेट पर उसका भुगतान किया है। सरकार ने चिकित्सा का सम्पूर्ण व्यय भार उठाया है इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं लेकिन एम्स और पी0जी0आई0 के रेट पर नर्सिंग होम वाले इलाज नहीं करेंगे। इस पर थोड़ा विचार कर लें तो अच्छा होगा। शुरू-शुरू में तो यह स्थिति थी कि नर्सिंग होम वाले लाश नहीं दे रहे थे वो तो कुछ स्थानीय लोगों के सहयोग से काम हो सका। अगर इलाज के लिये 10 हजार रुपये नहीं दे पा रहे थे तो उनको अपने यहां लेने से मना कर दे रहे थे। जिला प्रशासन के सहयोग से येन-केन प्रकारेण मरीज रोके गये। सरकार ने बाद में व्यवस्था की। मुझे दो तीन बातें और कहनी है एक तो यह कि जो मृतक है उनको दो लाख रुपये सरकार ने दिये हैं इस सम्बन्ध में मेरा अनुरोध है, मेरा आग्रह है कि कम से कम इसको 5 लाख रुपये किया जाय क्योंकि यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है किसी ने की नहीं है, किसी के बस की नहीं है। अचानक घटी घटना है। इसलिये मेरा निवेदन है कि इसके बारे में सरकार को सम्वेदनशील होते हुए जहां आपने दो लाख रुपये देने की घोषणा की है उस पर विचार करके उसको दो के स्थान पर 5 लाख रुपये कर दें। यह घटना क्यों घटी ? कैसे घटी ? किसकी गलती है, उसके लिये जो व्यवस्था होनी चाहिए थी क्यों नहीं हुई इस सबकी जांच के लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि आपने न्यायिक जांच की घोषणा की थी। इसकी क्या स्थिति है : इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता लेकिन जो अखबारों में आ रहा है, जो हमको समाचार-पत्र के माध्यम से पता चला है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश जो वर्तमान में है से करवायेंगे क्योंकि आपका ही कहना था कि सेवानिवृत्त से कराने में लम्बा समय लग जाता है। लेकिन समाचार-पत्रों में जो मैंने पढ़ा है, मैं नहीं जानता कि क्या कारण है, लेकिन सुना है कि माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश ने जांच करने में असमर्थता व्यक्त कर दी है।

मान्यवर, ऐसा कोई विधिक कारण नहीं है कि दोबारा उनसे अनुरोध नहीं किया जा सकता। आप एक बार फिर से उन्हें आग्रहपूर्वक मना नहीं कर सकते। यह माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा है, मंत्रि-परिषद् का निर्णय है। इसलिये मान्यवर, मेरा आपसे कृपापूर्वक अनुरोध है कि इतनी बड़ी त्रासदी हुई है। भविष्य में इस तरह की घटना फिर से न हो इस दृष्टिकोण से देखते हुए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश से इसकी जांच करने के लिये आग्रह किया जाना चाहिए। अगर उनके माध्यम से यह जांच नहीं हो पाती है तो मेरा आपसे कहना है कि मण्डलायुक्त की जांच से कोई निष्कर्ष निकलने वाला नहीं है क्योंकि उसमें न तो एम्बुलेन्स वालों को बुलाया जायेगा, न डाक्टरों को बुलाया जायेगा न ही मौके पर मौजूद जनता के लोगों को बुलाया जायेगा, न मौके पर उपस्थित अधिकारियों और कर्मचारियों को बुलाकर उनका साक्ष्य लिया जायेगा। केवल प्रशासन के अधिकारियों का साक्ष्य लेकर एक निष्कर्ष निकाल दिया जायेगा तो उससे वहां जनता को न्याय नहीं मिलेगा। मण्डलायुक्त की जांच से दोषियों को बचाने का प्रयास ही होगा। इसलिये मैं आपसे कृपापूर्वक मांग करता हूं कि हर हालत में न्यायिक जांच होनी चाहिए। अगर न्यायिक जांच किसी तरह से सम्भव न हो तो इसकी सी0बी0आई0 से जांच करा लें कि वहां पर सेना क्यों बुलाई गई, सेना क्यों वापस चली गई ? मान्यवर, वहां पर तीन लोग अभी भी मिसिंग हैं एक मालती तोंयल, रामा प्रेमानन्द गुप्ता और

आदेश यादव। इनके बारे में कहीं कोई सूचना नहीं मिल रही है। इसके अलावा एक शव अनआईडेंटिफाई अभी तक मोर्चरी में रखा हुआ है।

मान्यवर, या तो उन तीन शवों में से इनमें से किसी का हो या इन तीन के अतिरिक्त चौथा कोई मृतक है, यह दो सवाल अभी यक्ष प्रश्न के रूप में खड़े हैं। मैं एक-दो बातें और कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा क्योंकि और भी हमारे साथी बोलेंगे। मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं कि मिसिंग पर्सन को ढूंढने के लिए एक बात बार-बार कही जा रही है कि प्रशासन उसको नहीं कर रहा है। मैं इस बात का बराबर आग्रह कर रहा हूं कि जो वहां पर स्टाल लगे हुए थे, यह सही है कि मिसिंग पर्सन की सूचना आनी चाहिए और हमारी भी जिम्मेदारी है।

मान्यवर, वहां जो स्टाल लगे थे और उन पर काम करने के लिए जो लड़के-लड़कियां रखी गयी थी, उन स्टाल मालिकों से पता करके कि वह कौन थे और उनके क्या पते हैं और फिर उनका वेरीफिकेशन कराकर इस बात का पता कि जाए कि उनमें से कोई गायब तो नहीं है। साथ ही साथ भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों इसके लिए सरकार को कोई निश्चित तौर पर मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाने चाहिए और साथ ही साथ इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अब जो स्थिति हो गयी है, किसी को अपने घर पर सुन्दर काण्ड का पाठ कराना है, छत पर यदि लाइड स्पीकर लगाकर पाठ शुरू किया तो थाने की पुलिस उसके घर पहुंच जा रही है और कह रही है कि आप यज्ञ कर रहे हैं, पहले फायर से सुरक्षा की व्यवस्था करें। पहले चार बाल्टी पानी और बालू भर कर रखें। तो मान्यवर, आयोजन की श्रेणी का भी निर्धारण हो जिससे इस प्रकार की घटना न हो। मान्यवर, 48 घण्टे तक प्रशासन ने घटना का कोई अधिकृत ब्यौरा नहीं दिया। मान्यवर, मेरी मांग है कि 5 लाख रुपये मृतक के परिवार को दिए जायें, अधिकारियों का निलम्बन और उनके विरुद्ध न्यायिक जांच और यदि व न हो तो सी0बी0आई0 की जांच करायी जाए। इस दुखद घटना पर आपने चर्चा करने का अवसर दिया। मैं इसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष-

नियम-52 की चर्चा में जो माननीय सदस्य प्रारम्भ करते हैं फिर शासन की तरफ से कुछ उत्तर आता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, सबकी पहले सुन लें।

* श्री प्रमोद कुमार-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने एक त्रासदी, एक दुखद घटना पर मुझे अपने विचार रखने का अवसर दिया। मैं सबसे पहले इस दुर्घटना में जो लोग मारे गए हैं, उनके प्रति श्रद्धा-सुमन अर्पित करता हूं और जो परिवार इससे प्रभावित हुए हैं, मैं उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। मान्यवर, हम विस्तार से नहीं कहना चाहते हैं, जैसा बाजपेयी जी ने कहा, जो स्थानीय विधायक हैं, सारे तथ्यों से अवगत हैं, उन्होंने विस्तार में बात कही है और जो प्रश्न उठाये हैं, वह महत्वपूर्ण हैं, उसका उत्तर सरकार को देना चाहिए। ऐसी दुर्घटना दोबारा न हो, यही मेरा उद्देश्य है और इसीलिए मैं बोलने के

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लिए खड़ा हुआ हूं, क्योंकि जुडीशियल जांच का आदेश हो गया है, इसलिए मेरिट पर बोलना उचित नहीं होगा, मैं जांच को प्रभावित नहीं करना चाहता। केवल मैं अपनी संवेदना व्यक्त करना चाहता हूं। मान्यवर, जो दुर्घटना हुई है, मैं एक-दो बातें कहूंगा, इसके परमीशन की जो बात है, अनुमति की जो बात है, उसमें कहीं न कहीं तो कमी थी। शायद, आज दुनिया एक मार्केट की तरह बन गई है और प्रतिस्पर्धा के चक्कर में ज्यादा से ज्यादा माल बेंचने के लिए हम कुछ समझौते कर रहे हैं जो सुरक्षा मानकों के विरुद्ध हैं जैसा मैंने सुना कि वहां पर सब कुछ सेन्थेटिक था। नीचे जो कार्पेट थी वह सेन्थेटिक की थी और ऊपर जो लगाया गया था वह भी सेन्थेटिक था। उसे ठंडा रखने के लिए एयर कन्डीशन लगाये गये थे तो उसमें गेट भी ज्यादा नहीं लगाये गये थे ताकि कूलिंग ज्यादा से ज्यादा हो। अगर यह न होता तो शायद इतनी संख्या मृतकों की न होती। मान्यवर, सिन्थेटिक चूंकि था वह आग लगने से जलता नहीं है बल्कि पिघल सा जाता है। भविष्य में इन बातों पर सरकार विशेष ध्यान दे कि यह जो सिन्थेटिक है इनका उपयोग कम से कम किया जाये। यदि वह कपड़ा या टेन्ट होता तो कुछ लोगों को बच निकलने का समय मिल जाता। एक बात पर और ध्यान दिया जाये कि अन्दर कितने लोग थे और उनके निकलने के कितने दरवाजे थे। मान्यवर, एक जाने का दरवाजा था और एक आने का दरवाजा था। अगर अन्दर 150-200 लोग थे तो यह सम्भव ही नहीं था कि वह इसमें से बाहर निकल सकें। मान्यवर, परमीशन देने वालों ने दो भूलें की जिसके लिए उन्हें माफ नहीं किया जा सकता। एक तो सिन्थेटिक कवर और दूसरा सिन्थेटिक मैटी। एक प्रकार से मौत का कफन तैयार कर दिया गया था। जो बच गये वह भगवान के भरोसे बच गये। एक बात जो शायद इधर और उधर दोनों तरफ के लोगों को बड़ी पीड़ादायक लगी होगी कि वहां पर जे0सी0बी0 मशीन, बुल्डोजर क्यों चला। इस बात को साफ किया जाना चाहिए। इस बात का आभास ऐसे किया जा रहा है जैसे लाशों की संख्या छिपाने या सबूत मिटाने के लिये ऐसा किया गया हो। इससे लोगों का मन कांप गया। इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं ऐसी ही घटना हरियाणा, तमिलनाडु में भी हुई और दुर्भाग्य से हमारे उत्तर प्रदेश में भी हुयी। वहां पर एक वर्ग काम कर रहा था उसकी भी मैं आलोचना करना चाहूंगा। इतनी बड़ी त्रासदी हुई और पचासों लाशें पड़ी हुई थीं और वहां पर कुछ लोग इस पर भी राजनीति कर रहे थे। कम से कम ऐसे समय पर दलों को राजनीति से ऊपर उठकर विचार करना चाहिए तथा ऐसे समय में स्थिति को बिगाड़ना नहीं चाहिए।

मान्यवर, इससे वहां पर राहत कार्य में बाधा पहुंची। मान्यवर, वहां पर घायलों को पूरी चिकित्सा मिली इसके लिए मैं सरकार को बधाई देना चाहता हूं। प्रिंट मीडिया में दिखाया गया कि कहीं-कहीं पर सुविधा नहीं मिली, इसकी भी जांच होनी चाहिए। मान्यवर, कल भी बात आई थी कि अलीगढ़ में मारे गये लोगों को 5 लाख रुपये और मेरठ में मारे गये लोगों के आश्रितों को 2 लाख रुपये मुआवजा दिया गया। मान्यवर, मुआवजे में भेदभाव नहीं होना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि इसकी घोषणा होनी चाहिए कि मेरठ में मारे गये लोगों के परिजनों को भी 2 लाख के बजाय 5 लाख रुपये की धनराशि दी जाएगी। अगर नहीं दिया जाएगा तो यह संदेश जाएगा कि वहां पर भेदभाव रखा गया। दूसरी बात मैं मिसिंग परसन के बारे में कहना चाहता हूं कि मेरठ में एक महिला के शव पर दो परिवारों ने दावा किया। उसका नाम शायद माधुरी था।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

वन्दना नाम था।

श्री प्रमोद कुमार-

आप वहीं के हैं इसलिए आपकी जानकारी सही होगी। मैं आपकी बात मान लेता हूं। मान्यवर, उस महिला के शव को लेने के लिए दो परिवार दावे कर रहे थे और पता लगा कि तीसरे परिवार ने उस पर दावा करके उसका शव अपने कब्जे में लेकर उसका दाह संस्कार कर दिया और मुआवजा राशि ले ली। मान्यवर, इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात और क्या हो सकती है। यह बहुत ही घृणित कृत्य है। इसकी जितनी भी निन्दा की जाये कम है। मैं समझता हूं कि ऐसे परिस्थितियों में हम सब मानवीय आधार पर, दलों के गठबन्धन को तोड़कर इसको करना चाहिए। एक बात अन्त में और कहना चाहूंगा कि जो मिसिंग टीम की बात की जा रही है इसके लिए सरकार से अनुरोध करूंगा कि स्पेशल टीम बना दी जाय। वह तब तक और काम न करें जब तक इसकी पूरी जानकारी प्राप्त कर लें। क्योंकि सामन्यतया उनके पास कई काम होते हैं तो वह लोगों से दरयाफ्त करे, लोगों से बात करे। इससे ज्यादा और कुछ नहीं कहना चाहता हूं। सिर्फ इतना जरूर कहूंगा कि ईश्वर न करे कि इस तरह की त्रासदी हो इसके लिए हमें प्रिकाशन करने होंगे, दिशा निर्देश देने होंगे, जिम्मेदारी निर्धारित करनी होगी जिसने परमीशन दी थी। मैं तो यह कहूंगा कि मौत का लावा घर तैयार किया गया था जिसमें लोग को भेज दिया गया मरे। जो जीवित बचे वह अपनी किस्मत से बच गये। नहीं तो इन्होंने उनकी मौत के वारन्ट पर दस्तखत कर दिया था।

श्री अध्यक्ष-

यह चर्चा एक घण्टे की थी। इसे 6.45 पर समाप्त होना है और इसमें अभी माननीय मंत्री जी को भी बोलना है। उनको भी पन्द्रह मिनट का समय लगेगा इसलिए आप दो मिनट में अपनी बात कहें। कम से कम समय में अपनी बात कहें। साढ़े छ बजे मैं माननीय मंत्री जी को बुला लूंगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया। माननीय बाजपेयी जी ने काफी डिटेल्स में घटनाक्रम का वर्णन किया है मैं उससे अपने को जोड़ता हूं। मान्यवर, शाहजहांपुर से इस घटना का सम्बन्ध यह है कि श्री रमेश तायल जी, जो इसमें मृतक हैं और श्रीमती मालती तायल, जो मिसिंग थीं, वह उनकी पत्नी थीं। उनकी बेटी शाहजहांपुर में ब्याही हैं और उनके दामाद हमारा मित्र है। मान्यवर, जैसा कि बताया गया कि 10 अप्रैल को साढ़े पांच बजे दुर्घटना हुई। यह परिवार श्री रमेश तायल, श्रीमती मालती तायल अपने पुत्र नरेश तायल उनकी पत्नी जया तायल दो बेटे के साथ इस कन्ज्यूमर मेले को देखने गयीं। और जैसा कि होता है कि एक ऐज ग्रूप के लोग एक साथ हो जाते हैं वही हुआ। यह लोग एक कम्पाउण्ड में घूम रहे थे और यह परिवार श्री नरेश तायल और उनकी पत्नी और दो बच्चे अलग होकर गेट के पास आ गये और श्री रमेश तायल व उनकी पत्नी श्रीमती मालती तायल जिनकी उम्र क्रमशः 76 व 72 वर्ष की थी यह दोनों अलग थे। जैसे ही साढ़े पांच बजे आग लगी नरेश जी ने कहा एक गार्ड से कि देखो वह चिंगारी निकल रही है। गार्ड ने कहा कि यह देखने का काम हमारा नहीं है जिसका काम है वह देखेगा और देखते ही देखते पूरा पंडाल स्वाहा हो गया। इसमें श्री रमेश तायल जी की लाश रात में 10/11 को मौरचरी में

रखी मिली और श्रीमती मालती तायल की लाश नहीं मिली। उन्होंने जहां-जहां संभावना थी वह खोजा लेकिन नहीं मिली। फिर जे0सी0बी0 चलवा दिया गया। मैं तो यह क़हता हूं कि पूरी तरह से सबूतों को नष्ट करने के लिए जे0सी0बी0 चलवा दिया गया। जिसने यह काम किया है वह क्लीयर कट 302 का मुल्जिम है। मान्यवर, परिवार का एक व्यक्ति यदि मर जाता है और उसकी लाश मिल जाती है तो संतुष्टि होती है। जो सभी को भुगतना है तो एक संतोष हो जाता, श्रीमन् रमेश तायल की तो लाश मिल गई, लेकिन उसके बच्चे अभी तक अपने आंसू नहीं पोंछ पाये। उस परिवार के लिए किसी भी वक्त जब इस घटना की बात होती है तो उनके आंसू टपक पड़ते हैं, और उनकी बेटी हमारे शाहजहांपुर में है श्रीमती कानन सिंघल, उनकी माता का शव आज तक नहीं मिला, कैसे क्या हुआ ? कहां गया ? कुछ नहीं पता। तमाम तरीके की इन्क्वारीज एल0आई0यू0, लोकल पुलिस की, स्पेशल इन्टेलीजेन्स की और जितनी टीम्स वहां पर बनी थी सारे के सारे लोगों से जांच पड़ताल कर ली गयी और हर तरीके से इस बात की पुष्टि हो गई और 11 तारीख को उन्होंने, इससे सम्बन्धित एक एफ0आई0आर0 भी सम्बन्धित थाने सिविल लाइन्स में दर्ज करा दी, कि इस-इस प्रकार की घटना में हमारे पति-पत्नी साथ में थे, पति की लाश मिल गई, लेकिन मालती तायल की लाश नहीं मिली, इस सम्बन्ध में बहुत आवश्यक है कि पहले उनको ढूंढा जाना, मान्यवर, तीन लोग इसमें मिसिंग हैं, श्रीमती मालती तायल के साथ-साथ श्री रामानन्द गुप्ता और आदेश यादव, इसके सम्बन्ध में अखबार में कुछ समाचार छपा भी है कि शायद इन दोनों का भी समाधान हो रहा है। एक सुझाव अभी आपके समक्ष आया, स्पेशल टीम इसके लिए गठित होनी चाहिए कि उनको ढूंढ़ कर निकाले, किसी भी स्थिति में उनको पता किया जाय कि क्या हुआ ? कैसे क्या हुआ ? चूंकि 72 साल की ओल्ड ऐज की महिला हैं।

मान्यवर, वह भाग सकती नहीं, बहुत-बहुत धीरे-धीरे चलने की स्थिति में थी इसलिए वहां से बाहर जाने की किसी प्रकार की कोई सम्भावना नहीं है, प्वाइण्ट वन परसेण्ट भी मान्यवर, सम्भावना नहीं है, इसलिए निश्चित तौर से वह वहीं पर जल गई और वह मर गई और जिस प्रकार से जे0सी0बी0 चलाया गया, उसी में कहीं उनका पूरा का पूरा शव, जैसा कि चैनल में भी दिखाया गया कि किस प्रकार से अधजले शव, कुछ इस प्रकार से तुरन्त का जला हुआ शव भी दिखाया गया था मान्यवर, हमने हालांकि समाचार पत्रों का संज्ञान नहीं लेते हैं, लेकिन 1990 का कलकत्ता हाईकोर्ट का जजमेण्ट है, कि जिसमें इस प्रकार की गेदरिंग के लिए हाल में कम से कम पांच गेट जरूर होना चाहिए कि पांच गेट वहां पर बनाये जायें और यदि पांच गेट वहां पर नहीं होते हैं तो उन्हें अनुमति नहीं दी जा सकती, लेकिन चूंकि मान्यवर, बात पुरानी है 1990 का फैसला है, किस प्रकार से कैसे लागू हो यह तो प्रशासनिक लोग करेंगे, सरकार करेगी, लेकिन आवश्यकता मान्यवर, जिसके ऊपर मैं बल देने जा रहा हूं वह यह है कि जब कभी भी किसी भी सार्वजनिक कार्यक्रम की इस प्रकार से अनुमति दी जाय तो उसमें इस बात का आंकलन जरूर होना चाहिए कि उसमें नम्बर आफ विजिटर्स के लिये आने और जाने के लिये व्यवस्था जरूर होनी चाहिये। मान्यवर और इस सम्बन्ध में हो सकता है कि कोई शासनादेश जारी किया गया हो चूंकि यह घटना 10 अप्रैल की है, लेकिन सरकार को गम्भीरता से विचार करना चाहिए कई प्रान्तों में इस प्रकार की घटना हुई हमारे प्रदेश में भी घटना हुई तो भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो, इसलिए व्यापक रूप से इस के ऊपर चर्चा करके मंत्रिमण्डल

की चर्चा हो, एक कमेटी कोई अलग से बनी हो, उसमें चर्चा हो और इन सारे बिन्दुओं पर जिसमें बिजली विभाग भी हो, अग्निशमन भी हो तमाम तरीके के जो सम्बन्धित विभाग हैं अनुमति देने से पहले अगर वह स्यूज गैदरिंग का किसी प्रकार का कार्यक्रम है तो उन तमाम विभागों से जब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र या सहमति प्रमाण पत्र उनका न प्राप्त हो जाय तब तक किसी भी हालत में उसको अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।

अगर उसमें ज्यादा गेट होते तो शायद यह स्थिति नहीं होती और हो सकता है गर्मी का मौसम न होता तो ए0सी0 की आवश्यकता न होती तो भी मान्यवर, यह स्थिति नहीं होती तो इस घटना से तमाम प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन उन 58 परिवारों को हम और आप और यह पूरा समाज उनके प्रति जवाबदेह है कि आखिरकार यह सब हो गया और वह जिलाधिकारी जिनकी परमीशन से जिनकी मौन सहमति से, मूक सहमति से उनको अनुमति भी दे दी गई, वह ए0डी0एम0 सिटी जिनके लिखित पर, जिनके दस्तखतों से उनको अनुमति दे दी गई आज तक मान्यवर, कोई भी कार्यवाही नहीं हुई तो दोनों तरह की कार्यवाही होनी चाहिए। शार्ट टर्म कार्यवाही के तहत हम तुरन्त जब किसी व्यक्ति के खिलाफ एफ0आई0आर0 करते हैं तो कहते हैं कि उसको गिरफ्तार करें ताकि जब जमानत कराये, लीगल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ हो। आज तक मान्यवर, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न होना मान्यवर, बहुत से सवाल खड़ा करते हैं, इसलिए व्यापक रूप से एक कमेटी बन कर इसके ऊपर विचार होना चाहिए। अनुमति के सम्बन्ध में और भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो इसके प्रिकाशनरी मेजर्स हमको इस्तेमाल करना चाहिए। उसके सम्बन्ध में एक व्यापक शासनादेश जारी होना चाहिए। मान्यवर, उस सम्बन्ध में व्यापक शासनादेश जारी होने चाहिए और फिर से अपनी बात पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि मालती तायल जी को किसी भी स्थिति में ढूंढ कर निकाला जाना चाहिए और जो 5 लाख रुपया मुआवजा देने की बात है उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि अलीगढ़ में हम इतना देंगे और दूसरी जगह इतना देंगे। मेरठ में जिस प्रकार से निर्दोष लोग मरे हैं आपने उनको 2 लाख रुपया मुआवजा देने की बात कही है वह कम है। इसे 5 लाख किया जाये। मान्यवर, सरकार ने सदाशयता दिखायी है और उनके इलाज में उदारता बरती गयी है। उसके लिए मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं पुनः 5 लाख रुपया मुआवजा देने की बात पर बल देता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मेरठ के विक्टोरिया पार्क में हुए अग्नि काण्ड में जिन लोगों की मौतें हुई हैं पहले तो मैं उन सभी लोगों के प्रति बहुजन समाज पार्टी की ओर से संवेदना व्यक्त करता हूं और श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। साथ ही साथ मान्यवर, बाजपेयी जी ने बड़ी विस्तार से सब बातें रख दी है मैं उसकी विस्तृता के विषय में नहीं जाना चाहता हूं। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं यह एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है और इसकी जो पृष्ठिभूमि है उसके अनुसार 29 तारीख को ब्राण्ड इण्डिया मेले के संचालन हेतु अनुमति पत्र दिया जाता है और उसी दिन ए0डी0एम0, ए0डी0एम0 सिटी को कागज देते हैं और उसी दिन वे उसे इंसपेक्टर कोतवाली को देते हैं और अगले दिन वे अपनी आख्या के साथ कि यह सुरक्षा व्यवस्था स्वयं करेंगे और पण्डाल की जगह पर टीनशेड की व्यवस्था करेंगे। उसे एस0पी0 सिटी के पास प्रस्तुत करते हैं और 31 तारीख को इसकी अनुमति पत्र मिल जाता है। मान्यवर, जिलाधिकारी महोदय स्वयं इसका उद्घाटन करते हैं और समापन भी उन्हें ही करना

था लेकिन दुर्भाग्य से 10 अप्रैल को ये घटना हो गयी जिसमें सरकारी सूत्रों के अनुसार मौत 58 लोगों की हुई है लेकिन जो वहां लोग मौजूद थे उनके अनुसार 100 से ज्यादा लोग मरे हैं और 250 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। मैं मान्यवर, इन तथ्यों को इसलिए यहां पर रख रहा हूं कि हम राजनीतिक लोग किसी कार्यक्रम के लिए जब परमीशन मांगते हैं तो हफ्तों की दौड़ भाग के बाद कहीं जाकर परमीशन मिलती है और इस मामले में इतनी जल्दी सारे मामले का निस्तारण होता है और ऐसा लगता है कि जिला प्रशासन की विशेष कृपा रही। मान्यवर, अगर जिला प्रशासन की विशेष कृपा नहीं थी और यह अग्नि काण्ड हो गया तो यह प्राकृतिक आपदा थी ? यह दुःखद हादसा था तो इसमें जे0सी0डी0 मशीनों को चलाने की आवश्यकता क्यों पड़ी। मान्यवर, घटना स्थल पर तो जो सैकड़ों मौतें हुई हैं या तो उन लाशों को गायब किया गया है या कहीं न कहीं दफना दिया गया या कहीं न कहीं नदी में फेंक दिया गया है। क्योंकि आग कहीं भी लगती है वहां पानी की व्यवस्था की जाती है यह सारी व्यवस्था के अलावा इन मशीनों को चलाने की आवश्यकता वहां पर समझ में नहीं आती है। यह बहुत ही विचारणीय विषय है और सरकार को इसे गम्भीरता से लेना चाहिए अगर उसमें ज्यादा गेट होते तो शायद यह स्थिति नहीं होती और हो सकता है गर्मी का मौसम न होता तो ए0सी0 की आवश्यकता न होती तो भी मान्यवर, यह स्थिति नहीं होती तो इस घटना से तमाम प्रश्न खड़े होते हैं, लेकिन उन 58 परिवारों को हम और आप और यह पूरा समाज उनके प्रति जवाबदेह है कि आखिरकार यह सब हो गया और वह जिलाधिकारी जिनकी परमीशन से जिनको मौन सहमति से, मूक सहमति से उनको सहमति भी दे दी गई, वह ए0डी0एम0 सिटी जिनके लिखित पर, जिनके दस्तखतों से उनको अनुमति दे दी गई आज तक मान्यवर कोई भी कार्यवाही नहीं हुई। तो दोनों तरह की कार्यवाही होनी चाहिये। शार्टटर्म कार्यवाही के तहत हम तुरन्त जब किसी व्यक्ति के खिलाफ एफ0आई0आर0 करते हैं तो कहते हैं कि उनको गिरफ्तार करें ताकि जब जमानत करायें, लीगल प्रोसीडिंग्स उसके खिलाफ हो। आज तक मान्यवर, उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही न होना मान्यवर, बहुत से सवाल खड़ा करते हैं, इसलिये व्यापक रूप से एक कमेटी बनकर इसके ऊपर विचार होना चाहिये अनुमति के सम्बन्ध में और भविष्य में इस प्रकार की घटना न हो इसके प्रिकाशनरी मेजर्स हमको इस्तेमाल करना चाहिये, उसके सम्बन्ध में एक व्यापक शासनादेश जारी होना चाहिये।

मान्यवर, उस सम्बन्ध में व्यापक शासनादेश जारी होने चाहिये और फिर से अपनी बात पर बल देते हुए यह कहना चाहता हूं कि मालती तायल जी को किसी भी स्थिति में ढूंढ कर निकाला जाना चाहिये और जो 5 लाख रुपया मुआबजा देने की बात है उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिये। कि अलीगढ़ में हम इतना देंगे और दूसरी जगह इतना देंगे। मेरठ में जिस प्रकार से निर्दोष लोग मरे हैं आपने उनको 2 लाख रुपया मुआबजा देने की बातकही है वह कम है। इसे 5 लाख किया जाये। मान्यवर, सरकार ने सदाशयता दिखाई हैऔर उनके इलाज में उदारता बरती गई है। उसके लिये मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। मैं पुनः 5 लाख रुपया मुआवजा देने की बात पर बल देता हूं।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं। मान्यवर, यह जो लालन पाल तोमर, आशीष गुप्ता और सिद्धार्थ पर आईपीसी की जिन धाराओं में इनके खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हुआ है उसी परिधि में अनुमति देने वाले अधिकारी इसलिये आने चाहिये क्योंकि उनकी अदूरदर्शिता के परिणामस्वरूप यह भीषण हादसा हुआ है। यदि अग्निशमन की व्यवस्था सही मायने में उसकी पुष्टि कर

ली गई होती, अग्निशमन विभाग का अनुमति प्रमाण-पत्र ले लिया गया होता और टीन शेड की व्यवस्था की जा रही है इसकी भी व्यवस्था किया होता, इंस्पेक्टर कोतवाली ने जो आख्या दी थी उसके मुताबिक पंडाल की व्यवस्था हुई या नहीं पूरे पंडाल में सिंथेटिक का प्रयोग किया जाना और कुल मिलाकर एक ही निकलने का दरवाजा होता, 20 हजार वर्गफिट में पंडाल बना तो जाहिर है कि हजारों लोग रहे होंगे और उनके निकलने का एक ही दरवाजा तो स्वाभाविक है कि अग्निकाण्ड में भीषण दुर्घटना हुई होगी। भीषण अग्निकाण्ड में सिंथेटिक जल जलकर गिरने लगा होगा तो उसमें सैकड़ों लोग मौत के गाल में समाकर कालकवलित हुए होंगे इससे इंकार नहीं किया जा सकता। इसलिये मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार को इसको बहुत गंभीरता से लेना चाहिये ताकि इसकी पुनरावृत्ति न हो। इसलिये जो भी दोषी हैं उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जानी चाहिये। अधिकारियों की भूमिका की भी जांच की जानी चाहिये कहां तक वह दोषी हैं इसको भी सुनिश्चित किया जाना चाहिये। साथ ही साथ जैसा कि माननीय वाजपेयी जी ने मांग किया कि न्यायिक जांच हो, मुआवजा 5 लाख रुपया दिया जाय और साथ ही साथ जिसको खोया हुआ बताया जा रहा है, गायब हुआ बताया जा रहा है, मेरी मान्यता है कि वह गायब नहीं हुए हैं बल्कि वह सब कालकवलित हुए हैं, मौत के गाल में समाये हुए हैं। इसलिए उनको भी चिन्हित किया जाय और यदि वह गायब होते इतना लम्बा अर्सा हो गया वह मिल गये होते वापस आ गये होते, मेरठ इतना बड़ा शहर नहीं है, लखनऊ से बड़ा शहर नहीं है वह वापस आ गये होते। इसलिए उनको भी मृतक के परिवारों को जो धनराशि क्षतिपूर्ति के रूप में दी गयी है वह उनको भी दी जानी चाहिए। इसलिए मैं केवल इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि यह बहुत ही संवेदनशील मामला है मानवीयता से जुड़ा हुआ है। यद्यपि सरकार ने इसमें बढ़चढ़कर मानवीयता के आधार पर कार्य करने की कोशिश की है लेकिन उसके बावजूद कुछ चन्द पहलू है कि जिसमें कार्यवाही करने की आवश्यकता है। इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि इस पर कठोर कार्यवाही दोषी लोगों के खिलाफ की जाय और जो बाजपेयी जी ने मांग किया है चूंकि वह उसी जिले के रहने वाले हैं, मैं उससे अपने को सम्बद्ध करते हुए अपनी बात पर बल देता हूं।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, माननीय डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने जो सूचना दी थी नियम-52 के अन्तर्गत जिस महत्वपूर्ण और गम्भीर विषय पर आज सदन में चर्चा हो रही है अपने आप में वह प्रकरण इतना गम्भीर है और इतना दुखद है। इसमें तर्क वितर्क की बहुत स्थिति नहीं है श्रीमन्। ऐसा हादसा और ऐसे हादसे के जो भी कारण रहे हों, उनको एक राजनैतिक तरीके से आरोप-प्रत्यारोप की तरह से न लेकर, बल्कि इस हादसे को एक सम्यक् दृष्टि से देखने की आवश्यकता है। क्योंकि इस हादसे में जो लोग मारे गये, जो लोग घायल हुये, जो परिवार उजड़े, जो परिस्थितियां इसके आगे-पीछे उत्पन्न हुयी, वह अपने आप में बिल्कुल दहला देने वाली परिस्थितियां हैं। कल्पनातीत है लाक्षागृह किताबों में पढ़ना एक दूसरी बात है, लाक्षागृह का नाटक देखना एक दूसरी बात है और साक्षात एक लाक्षागृह सामने उपस्थित हो जाय और उसमें इतनी बड़ी दुर्घटना हो जाय। मैं समझता हूं कि आने वाले बहुत सालों में इस हादसे को शायद लोग नहीं भूल पायेंगे और मैं आज कहना चाहता हूं इस चर्चा के अवसर पर, कि सरकार में बैठे हुये लोग और हम सभी सामाजिक सरोकार से जुड़े हुये लोग, इनके जीवन में फिर

कभी इस तरह का हादसा न आ सके, और इसके लिये पूरी गम्भीरता से हम इस हादसे को याद रख सकें ऐसी एक आवश्यकता होगी। कि जब भी कोई चूक होनी हो, तो हमको मेरठ हादसे से सबक लेने की बार-बार आवश्यकता पड़ती रहे। इतनी गम्भीर घटना हुयी है। मैं विपक्ष के उन साथियों को, जिन्होंने चर्चा में भाग लेते हुये बहुत गम्भीर बातों को रखा है, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सरकार ने इससे निपटने के जो प्रयास किये, इस हादसे के बाद सरकार की जो दृष्टि रही है, विशेषतः राहत पहुंचाने के मामले में, उनके इलाज के मामले में क्योंकि न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि यह चर्चायें आती हैं और पूरी तरह से अब तो, सूचना इतनी तेजी से दूसरी तरफ चली जाती है कि ज्ञात होता है कि हिन्दुस्तान में कोई दूसरा उदाहरण नहीं है। कि प्राइवेट चिकित्सालयों में इतनी बड़ी मेडिकल बिल किसी सरकार ने दिया हो, इसके लिये डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने धन्यवाद भी दिया, मैं सरकार की तरफ से उनका आभार व्यक्त करता हूं। मौर्य जी की दृष्टि के बारे में मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा। इस घटना को बीते हुये डेढ़ माह होने को आसपास आये और यह तयशुदा बात हो गयी कि 3 लोगों से ज्यादा मिसिंग लोग नहीं हैं। उसके बाद भी जो जेहनियत है, उसमें यह बात उभरना कि सैकड़ों लोग हो गये होंगे शायद लाशों को गायब कर दिया गया होगा, इस सोच से उबरने की आवश्यकता है, मैं यह कहना चाहता हूं। आवश्यकता इस बात की है कि जहां कमी है, उसकी ओर इंगित करें, मिलजुलकर, और जो अच्छाई है, उसको प्रोत्साहित करें। उसको रिकगनाइज करें। कम से कम उसको मान्यता देनी पड़ेगी। कि अगर कोई उद्यमया प्रयत्न हुआ है, तो उसको भी हाईलाइटेड होना चाहिये। ताकि किसी चूक के सवाल पर अपने उत्तरदायित्व से किसी को पीछे हटने की स्थिति नहीं रहे।

मान्यवर, जहां तक आपने 3-4 बिन्दुओं की ओर विशेष रूप से उल्लेख किया है। जिनका ध्यान रखा जाना चाहिये था, सरकार इसको स्वीकार भी करती है और उसकी जिम्मेदारियों पर लीपापोती करने का प्रश्न नहीं उठता। इतना गम्भीर हादसा श्रीमन् नहीं हुआ होता अगर यह सारे नार्म्स पूरे किये गये होते। इतना ज्वलनशील परिवेश उसका बनाया गया। उसमें ऐसी-ऐसी वस्तुओं का प्रयोग हुआ है जो अत्यधिक ज्वलनशील थीं, उसमें समुचित रूप से दरवाजे इतने नहीं बनाये गये कि ऐसा कोई हादसा हो जाय, तो निकलकर लोग भाग सकें ऐसी सम्भावना रहती है और इसको देखना चाहिये। तो यह बिन्दु है जांच का और प्रशासनिक लापरवाही का भी एक बिन्दु है। कि अगर उसमें कोई कोढ़ है ऐसा, जिसमें प्रशासनिक लापरवाही किसी बिन्दु पर हुयी हो, तो उसकी जांच भी, जो रिफरेंस हैं, उसका बिन्दु हैं, उसकी जांच होगी और जैसा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी ने कहा किसी की भी मांग से पहले माननीय मुख्य मंत्री जी जो स्वयं मौके पर गये और जो वहां की हृद्रयविदारक स्थिति थी उसमें जो कुछ अधिकतम किया जा सकता था श्रीमन्, वह सरकार ने न करने का काम किया, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को समझते हुये, किसी राजनैतिक कारण से नहीं, मौर्य जी या किसी अन्य की मांग के कारण नहीं अपनी जिम्मेदारी को महसूस करते हुये, कि जब इतनी बड़ी दुर्घटना हुयी है तो हम साधारण ढंग से इसकी जांच करवा देंगे, तो यह बात नहीं हो पायेगी, इसलिए माननीय उच्च न्यायालय के सिटिंग जज से जांच कराने की बात है, ताकि समयबद्ध भी हो सके और सरकार अपने उत्तरदायित्व में कोताही नहीं कर रही है और यह सच बात है कि जे0सी0बी0 के इस्तेमाल की क्या आवश्यकता पड़ी, हम उसको जस्टीफाई नहीं कर रहे हैं, सरकार उसको जस्टीफाई नहीं करना चाहती

है, हम उसका औचित्य सिद्ध नहीं करना चाहते हैं कि जे0सी0बी0 ले जाना आवश्यक और उचित था लेकिन फिर दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि उस समय एक संशय और भ्रम की स्थिति पैदा हुई कि कहीं लाशों को गायब किया जा रहा है, आप प्रशासन पर आरोप लगा रहे हैं कि हम लाशों को गायब कर रहे हैं, इससे उत्तेजना का माहौल बनता है। में आभार प्रकट करता हूं डा0 बाजपेयी जी का, जिन्होंने इस बात को स्वीकार किया है कि अब वह परिस्थितियां नहीं हैं, यह आरोप नहीं लगाना चाहते लेकिन फिर भी यह सवाल है कि जे0सी0बी0 का इस्तेमाल क्यों, यह जांच का बिन्दु है। जे0सी0बी0 का इस्तेमाल हुआ तो अनुचित हुआ। यह प्रथमदृष्टया लगता है कि जे0सी0बी0 का इस्तेमाल अनुचित है। जांच होगी सब कुछ सामने आ जाएगा, लीपापोती करने का हमारा मतलब नहीं है। दो-तीन बिन्दु उठाये गये, सेना क्यों बुलायी गयी, इस पर टिप्पणी का आवश्यकता नहीं है क्योंकि जब आग नियन्त्रित हो गई, घायलों को अस्पतालों में पहुंचाने का काम हो गया, मृतकों के पोस्टमार्टम का इन्तजाम हो गया, एक मैदान में आग लगी थी और आग आगे नहीं फैल रही थी तो सेना को बुलाने का औचित्य क्या है। सेना क्यों बुलाई गई, इसकी जांच की आवश्यकता है, क्यों नहीं इस्तेमाल की गई इसकी जांच की कोई आवश्यकता नहीं है बल्कि जांच का विषय यह है कि सेना क्यों बुलाई गई और इसकी जांच होनी चाहिए। इसके अतिरिक्त जिलाधिकारी अगर वहां नहीं थे तो यह भी जांच में आ जाएगा और सारी बातें जांच में सामने आ जायेंगी।

मैं दो बातें कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा। डा0 बाजपेयी जी ने उच्च न्यायालय के निर्देश के बारे में बताया है, उच्च न्यायालय ने इसे रिफ्यूज नहीं किया उन्होंने विवेचना का काम पुलिस को करने के लिए आदेशित किया है और उसमें जो लखन लाल, आशीश गुप्ता और सिद्धार्थ मनोहर, इन तीनों लोगों की गिरफ्तारी हुई, जेल भेजे गये। वहां पर पर्याप्त धन की उपलब्धता सरकार ने किया है। एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि हम सब लोगों की यह जिम्मेदारी है कि यदि कहीं पर कोई जनाक्रोश हो तो उसमें हीरो बनने की कोशिश न की जाए बल्कि जनाक्रोश को जैसे भी हो शान्त करने का प्रयास किया जाए। लेकिन कुछ लोग जनाक्रोश को बढ़ाने का ही काम करते हैं और वह जनता से ज्यादा आक्रोशित हो जाते हैं, वह कहते हैं कि तुमने तो केवल छाती पीटी, हमने तो अपने सर फोड़ डाले। भगवान न करे कि ऐसी कोई दुर्घटना हो, ऐसा कोई हादसा हो, लेकिन ऐसे अवसरों पर जनाक्रोश को कम करने की आवश्यकता है और यह हमारी सभी की जिम्मेदारी भी है। जो भी आवश्यकता थी, सरकार ने उसे पूरा किया है, आंकड़े बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते हैं और आपने बताया भी है कि 58 मृतकों की संख्या है, मृतक जावेद और पूजा श्रीवास्तव को उनके कार्य के लिए, जिस काम को करने में वह स्वयं नहीं बचे, उन्हें शौर्य पुरस्कार देने के लिए संस्तुति की गई है। मैं आशा करता हूं कि जब इसकी जांच की जायेगी तो सारे बिन्दुओं का खुलासा हो जाएगा, प्रशासन को सारे निर्देश दे दिये गये हैं और जैसाकि आपने स्वयं कहा है कि चार बाल्टी पानी रखें, बालू रखें। मिसिंग के बारे में जो आपने चिन्ता जाहिर की है, वह पूरी गम्भीरता से जितनी जल्दी हो सकेगा इसका निराकरण करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

इसको टाइम बाउण्ड कर दीजिए।

श्री अम्बिका चौधरी-

हम इसको टाइम बाउण्ड नहीं कर सकते, सिविल डेथ की बात कर रहे हैं तो प्रिजम्पशन ऑफ डेथ 7 साल का होता है। प्रिजम्शन की नौबत न आये। हम आपसे भी बात करेंगे। जो उस हादसे में मर गये हैं या मिसिंग है तो क्या कानूनी तरीका अख्तियार किया जा सकता है, अगर मृत है तो राहत देने का काम निश्चित रूप से किया जायेगा। आपकी जितनी चिन्तायें हैं उससे अपने को सम्बद्ध करता हूं और जो मृतक परिवार हैं उनके प्रति आपने संवेदना व्यक्त की, मैं भी उनके प्रति श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और संकल्प दोहराता हूं कि आप सबका सहयोग चाहिए। सरकार की जो जिम्मेदारी है उससे मुकरता नहीं हूं, हम कभी भी इस तरह का हादसा नहीं होने देंगे और दोषी को कठोरतम दण्ड देंगे और प्रशासन में है तो उसको बचाने की कोशिश नहीं करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, एक मिनट मौन रहकर श्रद्धांजलि देने का शोक प्रस्ताव उन मृतकों के बारे में आना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यह परम्परा नहीं है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि फायर ब्रिगेड के एक कर्मचारी विजयपाल सिंह की ने बड़ी बहादुरी के साथ अपने कर्तव्य का निर्वहन किया और गम्भीर रूप से जख्मी हो गया था बाद में दिल्ली के एक अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गयी। यह ठीक है कि वह सरकारी सेवा में था और यह उसके दायित्व मे था कि वह उस काम को करे। उसकी अपने दायित्व की पूर्ति करते हुए मृत्यु हुई है। जिस प्रकार जावेद और पूजा के लिए सरकार ने तय किया है, भले ही सरकारी कर्मचारी है लेकिन एक नजीर कायम की है, एक छोटा कर्मचारी था, नौजवान था इसलिए उसके लिए भी विशेष अनुदान और शौर्य पुरस्कार की संस्तुति सरकार करे, ऐसी मेरी विनम्रतापूर्वक आग्रह है। दूसरी बात जानना चाहता हूं कि हाईकोर्ट की जांच पर आपने बताया कि मुख्य न्यायाधीश ने पुलिस जांच को प्रचलित रखने के लिए कहा है। पुलिस को तो जांच करनी थी इन्हें दूसरी प्रकार की जांच करनी है। न्यायिक जांच के लिए न्यायाधीश कब तक नियुक्त हो जायेंगे और उनका टर्म्स आफ रिफरेन्स कब तक जारी हो जायेगा। तीसरे यह जानना चाहता हूं कि पुलिस की जांच की मॉनीटरिंग करने के लिए यदि सरकार सहमत हो तो डिस्ट्रिक्ट जज उसकी मॉनीटरिंग करते रहें खासतौर से आयोजकों के विरुद्ध जो जांच चल रही है।

(श्री सुखदेव राजभर के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 बाजपेयी जी का पहले उत्तर आ जाये।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, चौधरी साहब बहुत काबिल हैं, वह हमारा और बाजपेयी जी का एक साथ उत्तर दे देंगे। मान्यवर, जब मेरठ में दुःखद घटना घटी तो यह कहा गया कि अन्य महानगरों में जो इस तरह

की दुकानें चलायी जा रही हैं उन्हें बन्द कर दिया जायेगा। हिन्दुस्तान में व्यक्ति की मृत्यु के बाद वह महान विभूति हो जाता है उसके पहले लोग गाली देते हैं। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि अन्य महानगरों में जो पूंजीपतियों की दुकानें हैं इण्टरनेशनल कम्पनियों को बुलाकर उत्तर प्रदेश में दुकानें खोल रहे हैं उनको रोक दिया गया है या उनको क्या कंडीशन दी गयी है ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, डा0 बाजपेयी जी ने जो तिथि पूछी है वह तिथि बताना सरकार के लिए सम्भव नहीं है इसलिए कि कब वह भेजेंगे यह उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर निर्भर करता है। सरकार ने आग्रह कर दिया है, जितनी जल्दी हो सके किसी माननीय न्यायाधीश को इसके लिये नियुक्त कर दें। एक जो विजय पाल की बात आपने कही है, माननीय मुख्य मंत्री जी उदारतापूर्वक ऐसे मामलों में अधिक से अधिक सहायता वह स्वयं देने की बात करते हैं। आपने संज्ञान में बात डाल दी है, मेरे पास अभी तत्काल सूचना नहीं है कि क्या-क्या सहायता दी गयी है उस परिवार को, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूं माननीय सदन को कि अधिकतम सहायता जो उसके परिवार के आश्रितों के लिये किया जा सकता है वह सरकार करेगी। शौर्य पुरस्कार के लिये भी रिकमेंड किया जाना चाहिये, शौर्य पुरस्कार के लिए अवश्य रिकमेंड करेंगे क्योंकि उसने ऐसा काम किया है। एक बात जो माननीय सुखदेव राजभर जी ने कही है इस घटना के बाद और पहले से भी निर्देश हैं कि ऐसे जो टेम्परेरी पण्डाल लगें, बाजार लगें, प्रदर्शनी लगे तो उसमें क्या इन्तजाम किया जाय, लेकिन उसको मजबूती से पूरे प्रदेश में सभी शहरों में जहां ऐसे आयोजन होते हैं उसमें जो अग्निशमन विभाग की अनापत्ति है और इन सारी चीजों के लिये जो नार्म्स हैं उनके पालन करने के निर्देश दे दिये गये हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, डिस्ट्रिक मैजिस्ट्रेट या ए0डी0एम0 को सरकार ने दोषी माना है या नहीं माना है, जिन्होंने इसकी अनुमति दी ?

श्री अम्बिका चौधरी-

अगर सरकार स्वयं दोषी-निर्दोश तय कर दे तो फिर जांच की क्या आवश्यकता है। एक ओर कहते हैं कि फैसला दे दीजिए इन्क्वायरी की क्या आवश्यकता है, इन्क्वायरी बाद में कराइये, यह कोई बात नहीं हुयी, इट इज रांग। मैं आपके इस भ्रम का निवारण कर रहा हूं कि अगर दोषी और निर्दोश हम ही तय कर देंगे तो उच्च न्यायालय क्या करेगा और जांच किस बात की होगी

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी जिसने अनुमति दी क्या उसको दोषी मानते हैं ? 58 लोग अनुमति देने की वजह से मारे गये। उसका दोष क्यों नहीं माना गया। जांच तो व्यापक परिप्रेक्ष्य में उनकी होनी चाहिए जो मुद्दे हिडेन हैं। जे0सी0बी0 क्यों आया आदि लेकिन जिसने अनुमति दी अगर उसको दोषी नहीं माना जाता तो यह सरकार की निष्पक्षता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। डी0 एम0 और ए0 डी0 एम0 जिन्होंने अनुमति दी, उनको दोषी क्यों नहीं माना गया ?

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, जो प्रश्न है उसका उत्तर तो होता ही नहीं इसलिये उत्तर देने की कोई आवश्यकता नहीं है और इस मन स्थिति में मैं ऐसा मानता हूं कि सचमुच में इतने भाव विह्वल हैं, खन्ना साहब

कदाचित इतने दुखी हैं, इस सदमे में कि वह ठीक से अपना प्रश्न नहीं रख पा रहे हैं इस लिये भ्रम की स्थिति है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय बाजपेयी जी मद 18 ले लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

18 कल के लिये कर लें।

श्री अध्यक्ष-

इसमें बड़ी दिक्कत होगी। 18 ले लें इसमें आप ही बोलेंगे और ज्यादा लोग बोलने वाले नहीं हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैंने निवेदन किया था मृतकों का मुआवजा 5 लाख करने के लिए, यह ठीक है कि माननीय मंत्री जी के लिये इस वक्त कहना सम्भव नहीं है लेकिन मेरा आग्रह है कि सदन की इस भावना से मा0 मुख्य मंत्री जी को अवगत करा दें और मा0 मुख्य मंत्री जी कल बोलेंगे जो उचित समझेंगे तो इस सम्बन्ध में व्यवस्था करेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, होना तो यह चाहिए था कि कमिश्नर के द्वारा एक रिपोर्ट थाने में दर्ज करायी जाती और डी0 एम0 और ए0 डी0 एम0 दोनों को जिम्मेदार ठहराते हुये जेल भेजा जाना चाहिए था। यह सरकार को करना चाहिये था।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैंने शोक संवेदना प्रस्ताव की बात कही है।

श्री अध्यक्ष-

वह, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जब प्रस्ताव लाते हैं तब होता है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मान्यवर, तमिलनाडु में जो लोग मरे थे उनके लिये इसी सदन में एक मिनट मौन धारण किया गया था। यह व्यवस्था हो सकती है।

उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जन सुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी द्वारा नियम-52 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चर्चा

श्री अध्यक्ष-

पहले मद संख्या-18 ले लें।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

उत्तर प्रदेश के नगर निगमों द्वारा जनसुविधाओं को उपलब्ध कराने हेतु मार्ग-दर्शक सिद्धान्त बनाये जाने के सम्बन्ध में पिछले सत्र से चर्चा जारी है।

---

† दिनांक 29 मार्च, 2006 की कार्यवाही से।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, बिजली पर चर्चा पहले करा लें।

श्री अध्यक्ष-

केवल वाजपेयी जी बोलेंगे और सरकार उत्तर दे देगी। 10 मिनट में हो जाएगा। कल समय नहीं मिलेगा।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मा0 अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश नगर निकाय अधिनियम 1959 और 74 वें संविधान संशोधन की 12वीं अनुसूची इन तीनों पर अपने को केन्द्रित रखते हुए मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। नगर निकाय अधिनियम की धारा 114, 115 में डिस्क्रेटरी और आब्लीगेटरी परिस्थितियों का वर्णन है। मान्यवर, नगरों के क्षेत्रफल और जनसंख्या में लगातार वृद्धि हो रही है उसके कारण वर्तमान में जो मूलभूत सुविधाएं हैं उसकी जो आवश्यकताएं हैं उसके अनुपात में जो संसाधन मुहैया हो रहे हैं वह ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। जो संसाधन हैं उनका प्रयोग भी बिचौलियों के माध्यम से एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा है। कारण संविधान के 74 वें अनुच्छेद की धारा 243 ब, भ को आप देखें तो हमें पता लगेगा कि कर्तव्य और दायित्व स्थानीय निकायों के माध्यम से जनता के प्रति हैं उनकी पूर्ति हम कहां तक कर पा रहे हैं। इसमें 41 कार्य उत्तर प्रदेश नगर निकाय अधिनियम, 1959 धारा 114 में दायित्वों को बताया गया है इसमें 41 कार्यों का समावेश है। अधिनियम की धारा 115 में 43 कार्य हैं। यह जो कार्य है इनके हिसाब से नगर निगम के पास इतने संसाधन नहीं है। नगरीय क्षेत्रों की अवस्थापना सुविधाओं के विकास के सम्बन्ध में भारत सरकार ने चिन्ता व्यक्त करके तीन चार प्रकार की योजनायें सारे देश में लागू की है इसमें उत्तर प्रदेश भी है। पहली योजना अर्बन रिफार्म इन्सेंटिव इसमें भारत सरकार ने कुछ अपेक्षा की थी। सीलिंग एक्ट का निरसन, स्टैम्प ड्यूटी से प्राप्त धनराशि का समयबद्ध बटवारा करना, किराया नियंत्रण कानून में संशोधन करना और प्रापर्टी के अनुबन्ध की पद्धति का कम्प्यूटराइजेशन करना, सम्पत्ति कर में सुधार करना, यूजर चार्जेज और लेवी के सम्बन्ध में वित्तीय अनियमितता और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए लेखा सिस्टम में डबल इन्ट्री सिस्टम को लागू करना। जे0एन0यू0आर0एम0 के अन्तर्गत पेयजल, सफाई, सीवर, पर्यावरण, शौचालय, कमजोर वर्गों के लिए आवास योजना तथा शहरी आवास। यू0आई0एस0एस0डी0एम0 इमसें 80 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार देगी 20 प्रतिशत में 10 प्रतिशत राज्य सरकार और 10 प्रतिशत नगर विकास का शेयर है। आई0एच0एस0डी0पी0 में 80 प्रतिशत भारत सरकार का शेयर और 20 प्रतिशत राज्य का। एक तरफ तो स्थानीय निकाय स्वायत्तशासी और सबल बने इसकी चिन्ता करके राज्य वित्त आयोग का गठन। राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट 4 वर्ष पूर्व आ चुकी है। पिछली सरकार ने राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट पर कैबिनेट की सब कमेटी बनाई थी। कैबिनेट की सब कमेटी की रिपोर्ट आ गई उसके बाद तब तक सरकार चली गई।

इस सरकार से इस चर्चा के माध्यम से आग्रह करना चाहता हूं कि राज्य वित्त आयोग की रिपोर्ट जो तत्कालीन सब कमेटी से विचार करके निर्णय लिया था सरकार उससे सहमत है तो निर्णय करे और सहमत नहीं है तो अपनी सब कमेटी बनाकर उसकी राज्य वित्त आयोग के माध्यम से जो संसाधन मिलने हैं जो प्रथम वित्त आयोग से मिल रहे हैं कम मिल रहे हैं अधिक मिल सकें इसकी

व्यवस्था सरकार यथाशीघ्र करे। एक तो इस चर्चा के पीछे उद्देश्य यह था कि भारत सरकार से पैसा आता था उसका सही उपयोग हो सके। आदर्श जनपद योजना के नाम से जो पैसा योजना विभाग स्वीकृत करता है माननीय मुख्य मंत्री जी स्वीकृत करते हैं उनमें वहां से स्वीकृति जारी होती है और तब वह काम कराये जाते हैं अगर यह पैसा जैसा नगर विकास विभाग को आता था वैसा आ जाता तो शायद हम स्थानीय नगर निकायों, नगर पालिकाओं, नगर पंचायतों को आवश्यकता के अनुसार और वहां से आई मांग के अनुसार पैसा मिल जाता मान्यवर। आज की तारीख में मुझे कहने में संकोच नहीं है कि 39 जनपद इस वर्ष आदर्श जनपद योजना में लिये गये हैं मात्र 5-6 जनपद ऐसे हैं जो नये चयनित हुए हैं। बाकी जनपद पिछले 2-3 सालों से लगातार चले आ रहे हैं। यह मेरा कहना नहीं है कि जिन जनपदों में कमी है जिन जनपदों में आवश्यकता है वहां आवश्यकता के अनुरूप उसकी पूर्ति नहीं की जानी चाहिए। लेकिन उस पूर्ति करने के प्रयास में अन्य जनपदों का जो वर्तमान इनफ्रास्ट्रक्चर है या वर्तमान जो आधार भूत सुविधाएं हैं वह बिल्कुल ध्वस्त न हो जायं कि बाद में रिपेयर करने के लायक भी न बचे। इसलिए कम से कम जीवनदायिनी के रूप में उनको पैसा दिया जाना चाहिए। ऐसा मेरा आग्रह था। इसी प्रकार से रिवाल्विंग फण्ड का जो पैसा है, सूडा से डूडा के लिये जाने वाला पैसा है उनका सारा काम जिस समान अनुपात में होना चाहिए वैसे नहीं हो रहा है। इस चर्चा के माध्यम से सरकार के ध्यान में यह बात लाते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि आवश्यकता के अनुरूप नगरीय क्षेत्रों में पैसा मिले। हां जैसी आवश्यकता हो उनके अनुरूप वहां वैसे पैसा दिया जाय। लेकिन जहां पर है वहां पर उनके मेन्टीनेन्स के रूप में कम से कम उन नगरीय इकाइयों को पैसा मिलता रहे।

राज्य स्तर पर इसमें जहां सुधार की आवश्यकता थी वहां पर नहीं हो रही है, उनके अनुश्रवण की निरन्तर आवश्यकता है। मैं केवल विस्तार के भय से इस बात को नहीं कहना चाह रहा हूं लेकिन राज्य स्तर पर जो प्रस्तावित सुधार थे वह मैंने आपके सामने बताये कि 74वें संविधान संशोधन में विकेन्द्रीयकरण को प्रोत्साहन देना, मकान मालिक किरायेदारों के हितों को दृष्टिगत रखने के लिये किराया कानून में सुधार करना, मकान बिजली का रेशनालाइजेशन, नगरीय सुविधाओं की नियामक व्यवस्था, पब्लिक डिस्क्लोजर लॉ को लागू करना, इन सबकी तरफ हमारा प्रयास बराबर होना चाहिए था लेकिन नहीं हो रहा है। पांच वर्षों में नगरीय विकास द्वारा प्रदान की जा रही सुविधाओं के सापेक्ष उनके अनुरक्षण और रख-रखाव के लिये जो मूलभूत सुविधाएं प्रदान किये जाने की बजट में व्यवस्था है। शहरों में रहने वाले गरीबों को मिलने वाली आवास सुविधा यह सब और जो ई-गवर्नेस के बारे में कोई व्यवस्था नहीं हुई है। इसके साथ-साथ स्थानीय निकायों के बारे में मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं कि भवनों के निर्माण और भूखण्डों के विकास को इसमें लाने के लिये अनुमोदन की प्रक्रिया और निगमों में संशोधन होना चाहिए और इन सबमें जो जनहित की योजनाओं के बारे में भारत सरकार ने सुझाव दिया है उनको इसमें शामिल करना चाहिए। अन्त में मान्यवर, आज चर्चा जिस स्टेज में है कम समय है।

श्री अध्यक्ष-

एक घण्टे का समय है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मैं तैयार हूं चर्चा करने के लिये। मेरा निवेदन कुल मिलाकर यह करने का है कि इस चर्चा के माध्यम से सरकार से मैं इतना कहना चाहता हूं कि जो भी

संसाधन हैं उन संसाधन का समान अनुपातिक बटवारा आवश्यकता के अनुसार बटवारा होगा अवस्थापना वर्तमान की अवस्थापना सुविधा के अनुसार बंटवारा होगा तो उचित होगा और इसके लिये चाहे वह भारत सरकार से आया हुआ ढाई सौ करोड़ का पैसा हो, आदर्श जनपद योजना का पैसा हो चाहे डूडा का पैसा हो, चाहे रिवाल्विंग फण्ड का पैसा हो, चाहे द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिशें जो सरकार के विचाराधीन है उनको यथाशीघ्र लागू करके और उसमें जो संस्तुति की गई है स्थानीय निकाय को शासन के फण्ड से पैसा देने का इसको लागू करके इनको स्वावलम्बी बनाया जाना चाहिए। यदि स्वावलम्बी बनायेंगे तो 74वें संविधान संशोधन की जो मंशा है वह पूरी होगी। इस निवेदन के साथ मैं अपनी चर्चा का विराम देता हूं और उत्तर आने के बाद यदि जरूरी होगा तो पूछ लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, जो नगरीय क्षेत्र में जन सुविधाओं के बारे में माननीय बाजपेयी जी ने चर्चा प्रारम्भ की है उससे अपने आप को सम्बद्ध करता हूं और इसमें तीन छोटे-छोटे सुझाव मुझे देना है। पहला नगरों में मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी नहीं है और जो सफाई कर्मचारी है, वह केवल अधिकांश नगरों में है, कम से कम शाहजहांपुर की मुझे जानकारी है, वहां केवल एक मीटिंग में वह काम करते हैं, सात से नौ-साढ़े नौ बजे तक। एक तो मानक के अनुसार सफाई कर्मचारी रखे जायें और दूसरा वह दोनों मीटिंग में काम करें और तीसरा नालों की सफाई के सम्बन्ध में परमानेंट रजिस्टर बने और रिकार्ड रहे कि कब तली तक नाले की सफाई हुई है। पैसा जाता है लेकिन उसका पूरा उपयोग नहीं हो पाता है। कई बार मैं शासन के संज्ञान में यह बात लाया हूं। लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ है। एक बात और कहना चाहता हूं डूडा में विधायकों की सहभागिता जरूर होनी चाहिए। वहां कार्यों के चयन करने की जो प्रक्रिया है, उसमें विधायक का न होना दुर्भाग्यपूर्ण है। यहां तक जो सभासद है वह भी उसमें नहीं है। कम से कम विधायक तो अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं। उसमें नगरीय क्षेत्रों के जो विधायक हैं जिस प्रकार ब्लाक और जिला पंचायतों में विधायक सदस्य होते हैं, उसी प्रकार डूडा जो नगरीय सुविधाओं की सबसे बड़ी एजेन्सी है उसमें विधायकों का समावेश जरूर होना चाहिए। इन्हीं बातों पर बल देते हुए मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, माननीय बाजपेयी जी ने जो चर्चा प्रारम्भ की है, मैं उसके सम्बन्ध में कुछ बातें कहना चाहता हूं। अभी उत्तर प्रदेश के 7 शहरों को जवाहर लाल नेहरू नेशनल रिनुअलमिशन अर्बन में शामिल किया गया है, इनमें लखनऊ, कानपुर, बनारस, इलाहाबाद, मेरठ, आगरा और मथुरा शामिल है। केन्द्र सरकार की यह बहुत अच्छी स्कीम है और इसमें राज्य सरकारों को पैसा दिया जायेगा। राज्य सरकारों के माध्यम से पैसा इन शहरों में खर्च किया जायेगा। इसको लाने में माननीय नगर विकास मंत्री आजम खां और स्वयं मैंने भी इसमें अहम् भूमिका अदा की है, उनके साथ दिल्ली भी गया। इसके लिए मैं बता देना चाहता हूं कि इसके माध्यम से इन सातों शहरों का पूरा कायाकल्प होने जा रहा है। इसमें केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के सरकार के ऊपर भी कुछ दायित्व सौंपे हैं जिसमें ई-गवर्नेंस, टैक्सेसन पर पुनः विचार करना, हाउस टैक्सेज को बढ़ाना और कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसमें उत्तर प्रदेश सरकार को रुचि लेनी पड़ेगी और यह सारा खर्च नगरमहापालिकाओं और नगर पालिका परिषद् के द्वारा होगा। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि उन नगरमहापालिकाओं और

नगर पालिका परिषदों में सक्षम अधिकारियों को पोस्ट किया जाए जो इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण परियोजना के काम को सही रूप में अंजाम दे सकें।

मान्यवर, भारत वर्ष में किसी राज्य को इतना एलाटमेन्ट नहीं मिला है, जितना यू0 पी0 को मिला है। किसी भी राज्य में दो या तीन शहर आए हैं। मान्यवर, यह गम्भीर चिन्तन का विषय है और इस लाभप्रद योजना से उ0 प्र0 सरकार ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सकें इसके लिए मेरी स्वयं आपसे करबद्ध प्रार्थना है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से, माननीय श्री शिवपाल सिंह यादव जी से और माननीय नगर विकास मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि इन 7 शहरों में नगर पालिका और नगर पालिका परिषदों में आने वाले वर्षों में अच्छे अधिकारी भेजे जायें जिससे आपकी सरकार की छवि अच्छी हो। धनराशि ठीक से सही काम में लग सके और इन शहरों का कायाकल्प हो सके। मैं इन 7 शहरों के चयन के लिए माननीय सोनिया गांधी जी को बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के इन 7 शहरों के चयन के लिए महत्वपूर्ण रोल अदा किया और मथुरा को शामिल करने में भरपूर रोल अदा किया। इसके साथ ही मैं प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी को भी बधाई देना चाहता हूं।

*राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

अध्यक्ष जी, डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी, श्री सुरेश कुमार खन्ना जी और माथुर जी ने जो विचार व्यक्त किये और इस सम्बन्ध में जो सुझाव दिये हैं और सुझाव भी कदाचित सुविचारित ढंग से नहीं दिए गये हैं। मान्यवर, 74वें संविधान संशोधन की मंशा यह थी कि स्थानीय निकायों को इतना सुदृढ़ बनाया जा सके कि वह सरकार पर आश्रित न रहे और न वह अनुदान पर चले और उन्हें अपने कर्मचारियों की तनखा निकालने में कोई दिक्कत न हो। दुनिया के अनेक कामनवेल्थ देशों में जो व्यवस्था है उसमें फेडरल सिस्टम आफ गवर्नमेंट एडाप्ट करते हैं। मान्यवर, आपकी उपस्थिति में भी कई डेलीगेशन आए हैं और हमने लोकल बाडीज पर विचार-विमर्श किया है तो हम सोचने पर बाध्य भी हुए हैं। मान्यवर, म्यूनिसिपल कार्पोरेशन के आय के स्रोत सीमित हैं और अगर उनकी आय नहीं होगी तो उनकी निर्भरता सरकार पर बनी रहेगी। इसी को ध्यान में रखते हुए 74 वें संशोधन में 12वीं अनुसूची में नागर निकायों के लिए जो अधिकार नीयत किये गये और उसकी स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए जो प्राविधान किया गया वह इसी बात को ध्यान में रखकर किया गया कि हमें इन नागर निकायों को समर्थ बनाना है और उन्हें याचियों की श्रेणी में खड़ा नहीं रखना है। इस दिशा पर सरकार ने जो प्रयत्न किये हैं, जो हमारे संसाधन हैं और उन संसाधनों के द्वारा हमारी सरकार ने अपना काम आगे बढ़ाया है और सबके सहयोग से किया है। केन्द्र की योजनाएं ऐसी हैं जहां हमारा एम0ओ0यू0 के साथ हस्ताक्षरित हो चुका है और उसमें अंशदान करना था, कहीं योजना में अस्सी प्रतिशत के विरुद्ध दस प्रतिशत निकाय इकाई को और दस प्रतिशत राज्य सरकार को होगा, बाकी जो दस प्रतिशत नगर निकायों का, जो बैंक गारन्टी देनी है, राज्य सरकार ने जिम्मेदारी को पूरा किया है। जो राज्य सरकार स्तर के सुधार हैं, जिसमें चौहत्तरवां संशोधन के अन्तर्गत विकेन्द्रीकरण को प्रोत्साहन दिया जाना, नगरीय भूमि सीमा रोपण को समाप्त करना, मकान मालिक किरायेदार के रिश्तों को संतुलित रखते हुए किराया नियंत्रण कानून में सुधार, स्टैम्प ड्यूटी का मामला, नगरीय सुविधाओं के लिए नियामक आयोग की स्थापना, इत्यादि इसके अलावा जो नगरीय निकायों को उनके स्तर पर कार्य

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

होना, इसको कहने में बहुत ज्यादा समय लगेगा। इस दिशा में चाहे कम्प्यूटराइजेशन का सवाल हो उस पर पूरी तरह से कदम उठाये गये हैं और उसका परिणाम भी देखने को मिला है। कम्प्यूटरराइजेशन के साथ-साथ हम उसकी वित्तीय और आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए मानव संसाधन विकास के लिए राज्य सरकार ने न केवल योजना में शामिल किया बल्कि बजट में प्राविधान करके उसमें भरपूर प्राविधान किया और जो रिवाल्विंग फण्ड की बात हो रही थी, जैसा कि डा0 बाजपेयी जी ने उठाया, तो मैं आलोचना के लिए नहीं कहना चाहता हूं, चर्चा के लिए कहना चाहता हूं और मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि प्रदेश के चाहे छोटी नागर निकाय की इकाई जो नगर पंचायतें हों, कोई नगर पंचायत इस प्रदेश में बाकी नहीं हैं। सभी को रिवाल्विंग फण्ड का पैसा दिया गया है।

हमने अनुभव किया है कि इससे पहले बड़े-बड़े नगर निगमों को और उसमें भी सबको नहीं कुछ हो चिन्हित करके पैसा दिया जाता था, अब कितना विकास हुआ कितना नहीं हो सका मैं इसकी आलोचना में नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जब तक विकेन्द्रीयकरण नहीं होगा और जब तक आवश्यकतानुसार ठीक ढंग से वितरण नहीं होगा तब तक यह अवधारणा पूरी नहीं की जा सकती है और जो चिन्ता है नागर निकाय को सुदृढ़ करने की वह पूरी नहीं हो पायेगी। जब तक हम आवश्यकतानुसार सबको सही अनुपात में न दे सकते तब तक जनता को सुविधा पहुंचायी नहीं जा सकती। हमने सभी को रिवाल्विंग फण्ड दिया है और उसकी समीक्षा की और इसके लिए सरक्यूलर जारी किया और उनसे आग्रह किया कि इसकी समीक्षा हो जो पैसा आप खर्च कर रहे हैं। जो 18 बिन्दु हैं उसके अनुसार खर्चा हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं और उन 18 बिन्दुओं में जो प्राथमिकता जिस नगर पंचायत की है, नगर निकाय की है उसके अनुसार अपनी जिम्मेदारी को पूरा किया है और त्वरित विकास योजना, आदर्श विकास योजना में जो प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, वह किसी स्तर के, चाहे वह जनपद स्तर के हो या किसी स्तर के हों, योजना विभाग इन योजनाओं को देख रहा है। जहां भी इन योजनाओं को स्वीकृत किया जाने का काम है, माननीय मुख्य मंत्री जी इसको कृपापूर्वक देख रहे हैं और जितने भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं पूरी तरह से इस सरकार ने उस पर काम किया है। फिर मैं कहना चाहूंगा कि यद्यपि कई सवाल इसमें उठनें लगेंगे, अभी सफाई की बात की बात आपने की खन्ना जी ने, मैं सफाई की बात इसमें अलग से कहूं कि इन सारी चीजों के लिए सफाई के लिए कैसे मलविर्सजन के लिए क्या किया जाय, कहां कन्सूलेटर्स लगाये जायें कैसे हम सीवरेज सिस्टम में सीवरेज पम्पिंग स्टेशन बनायें क्या करें, ये सारी चीजें इसमें शामिल हैं, इसलिए सुबह झाड़ू लगे या शाम को झाड़ू लगे, मेरा खयाल है यह तो स्थानीय स्तर पर हो जायेगा, जहां आप नगरपालिका देखते हैं वहां हो जाय और सरकार को इतना दखल देने की हर जगह जरूरत नहीं है। मैं तो यह मानता हूं कि आश्यकतानुसार अगर कहीं एक बार में काम चलता हो तो एक बार ड्यूटी आवर्स ले लिये जाये, अगर तीन बार में काम चलता हो तो तीन बार ड्यूटी आवर्स ले लिये जाये, लेकिन यह सारे अधिकार उनको लोकल लेविल पर होने चाहिए और हैं उनको और उनका कैसे अनुपालन हो सके इसके लिए हर बात में राज्य सरकार को हमको आपको सबको रोज-रोज उसमें दखलंदाजी भी नहीं करनी चाहिए अन्यथा बार-बार की दखलंदाजी से उनके कार्यप्रणाली पर और उनके अपने सम्मान पर प्रभाव पड़ता है हम उनको समर्थ और सक्षम बनायें, उनकी जो मदद कर सकते हैं वह करें, यह सारी चीजें हो जायेंगी, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है डूडा की भागीदारी की जो बात है डूडा में भागीदारी मान्यवर,

जो उसकी गाइड लाईन है, उसके अनुरूप भागीदारी हो रही है, उसकी गाइड लाइन हम यहां तय नहीं करते, कि हम अपनी गाइड लाइन बना करके करें जो केन्द्र सरकार द्वारा चलने वाली, खन्ना साहब हमारे मित्र हैं लेकिन जब वह हमें देखते हैं तो बस वह हमारी मोहब्बत याद रखते हैं बाकी अपने सारे बिन्दु भूल जाते हैं इसीलिए वह दूसरी बातें कहने लगते हैं।

श्री अध्यक्ष-

यह खन्ना साहब की मोहब्बत खतरनाक हो सकती है।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन् खतरनाक हो नहीं सकती है, खतरनाक है। श्रीमन् खन्ना जी ने उस दिन भी मना किया था कि इनको भेद बताइगा मत और मैं अपनी मित्रता को महत्वपूर्ण मानता हूं, बताऊंगा भी नहीं। मान्यवर, इसलिए हम लोग यह बात नहीं बतायेंगे, किन्तु बताना चाहता हूं कि हम लोग विद्वान होकर अपने-अपने बिन्दु छोड़ देते हैं मैं सिर्फ यह निवेदन करना चाहता हूं आज आपने महत्वपूर्ण चर्चा उठाई, इस चर्चा के माध्यम से जिन बिन्दुओं पर आप सरकार को सचेत करना चाहते हैं, सरकार पूरी तरह से उस पर सजग और सचेत है आपके सहयोग की आकांक्षी है और हम सब लोग मिलजुल करके जो 74वें संविधान संशोधन की भावना है उसके अनुरूप अपने नगरीय क्षेत्रों को ज्यादा समर्थ बना सके ऐसा आह्वान भी करता हूं और आपको आश्वस्त भी करता हूं, धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय मंत्री जी के अभियान का हम स्वागत करते हैं कि उसको सशक्त और सबल बनायेंगे, मान्यवर एक बात का उत्तर आप और दे दें कि 74वें संविधान संशोधन में जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समितियों के गठन का प्राविधान किया गया और उसके अनुसार मान्यवर, आज तक मान्यवर तीन साल से विराजमान हैं, तो जिला नियोजन और अनुश्रवण समिति 74वें संशोधन के अनुरूप क्यों नहीं बनाई गई, यह बता दें ?

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, आज की चर्चा का विषय देख लें और उनका प्रश्न देख लें हमको उस पर भी कोई आपत्ति नहीं है। मान्यवर, मैं उत्तर दे सकता हूं लेकिन मैं पुनः कहूंगा कि आप आज की चर्चा का विषय देख लें।

श्रीमन्, 74वें संविधान संशोधन के 12वीं अनुसूची में जो 18 बिन्दु हैं, वह आपको याद होंगे, लेकिन आज कहेंगे तो मैं पढ़ दूंगा, लेकिन आज जो दूसरी बात पूछ रहे हैं नगर विकास विभाग का बजट मैं आज नहीं प्रस्तुत कर रहा हूं कि नगर विकास के बजट में आप जो भी सवाल पूछें, आपके प्रश्नों का उत्तर दूंगा, लेकिन मेरा और आप दोनों का उपहास होता है जब हम विषय से हट करके बात करते हैं, इसलिए मैं इस प्रश्न का उत्तर बाद में आपको बता दूंगा मान्यवर, और मैं यह कहना चाहता हूं कि इस सार्थक चर्चा को सार्थक दिशा में जाना चाहिए, धन्यवाद।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

माननीय अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो चर्चा का उत्तर दिया उसमें से केवल एक विषय के बारे में उत्तर जानना चाहता हूं मंत्री जी ने कहा कि जो भी त्वरित आर्थिक विकास में प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, नियोजन उसमें जरूर कुछ न कुछ धनराशि दिया है मेरे मेरठ महानगर

के 20 लाख रुपया का नाले की शेपिंग पत्रावली का 75 नि0/05 नियोजन का है एक पैसा भी अभी तक नहीं मिल पाया, 30 लाख रुपया का खन्दक के पुल के निर्माण का है पत्रावली नि0 355(1) 06 एक पैसा भी अभी तक नहीं मिल पाया है मान्यवर, और एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या जिस पर माननीय मुख्य मंत्री जी ने मौखिक तौर पर मुझसे कह भी दिया था और अपने अधिकारियों को जो डे अफसर थे उनको लिखवा भी दिया था, लेकिन अभी तक निर्णय नहीं हो पाया, एक करोड़ 68 लाख रुपये की पत्रावली सं0 42 अ0वि0यो0/05 है, मेरठ महानगर के मार्ग प्रकाश का फेस वायर हुआ है। 18 लाख रुपये तिमाही बिजली का अतिरिक्त बिल जा रहा है अगर यह एक करोड़ 68 लाख रुपये खर्च कर देंगे तो दिन में यह लाईट जलनी बन्द हो जायेंगी तो ऊर्जा की बचत होगी और सही सोडियम लैम्प और उनकी चोक, उनकी घण्टों की आयु होती है यह कोई ऐसा नहीं है कि निर्धारित है कि इतने घण्टे ही यह जलेगी। अगर वह केवल रात में जलेगी तो ऊर्जा की खपत कम होगी और चोक और बल्ब की आयु दुगनी हो जायेगी उसी से अनुरक्षण कीमत घटेगी। माननीय मंत्री जी ने बताया कि जितने भी प्रस्ताव त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत नियोजन विभाग से प्राप्त हुए हैं उसमें माननीय मुख्य मंत्री जी की स्वीकृति प्राप्त करके यथासम्भव सबका दिया गया है तो मान्यवर, उसी यथासम्भव में मेरठ महानगर की तीन पत्रावली 20 लाख रुपये की नाला शेपिंग की, 30 लाख रुपये की खन्दक पुल की तथा 1 करोड़ 68 लाख रुपये की मार्ग प्रकाश के फेसवायर की पत्रावली हैं। इनकी स्वीकृति माननीय मुख्य मंत्री से बात करके जारी करा दे और पिछले वर्ष भी और इस वर्ष भी मेरठ को आदर्श जनपद योजना के अन्तर्गत चयनित करने का प्रस्ताव दिया था यह मेरा दुर्भाग्य है कि उस पर स्वीकृति प्राप्त नहीं हो पाई है उस पर पुनर्विचार करा दें। यह मैं सदन के माध्यम से आग्रह करता हूं।

श्री अम्बिका चौधरी-

श्रीमन्, जितना डा0 बाजपेयी ने आग्रह किया है उसका दिखवा लेंगे। अगर वह जिन योजनाओं में बाकी मेरठ का जितना पैसा दिया गया है उनका जिक्र कर लिये होते तो आसानी से तुलना भी समझ में आ जाती। विकास की मांग करना किसी भी जनप्रतिनिधि का पहला कर्तव्य है और उस कर्तव्य का पालन जहां कहीं से होता है यह सरकार उसका स्वागत करती है। और आपने यह मांग रखी है हम आश्वस्त करते हैं कि इसको दिखवा लेंगे।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हर विधान सभा में कभी नियम 301 में कभी नियम 51 में जरूर उठाया और कभी एक रुपया भी नहीं मिला नाले की सफाई के लिए। 2003 से लगातार तीन साल से प्रयास कर रहा हूं नियम 51 और 301 अगर आप देख लेंगे तो 5 नाले हमारे यहां बहुत ओवरफ्लो करते हैं। बरसात का मौसम है विचार माननीय मंत्री जी कर लें।

श्री अध्यक्ष-

यह नगर विकास का बजट नहीं है।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से पूंछना चाहता हूं कि जवाहर लाल नेशनल अरबन रूरल मिशन के माध्यम से 105 अरब रुपये 5 से लेकर 7 वर्षों के बीच में उत्तर प्रदेश के 7 नगरों में खर्च

होने जा रहे हैं क्या उसके लिए प्रदेश सरकार निदेशालय अलग से बनायेगी। इसमें निदेशालय अलग से बन जाय तो ठीक रहेगा नहीं तो यह खिलवाड़ होकर रह जायेगी इतनी बड़ी परियोजना।

श्री अम्बिका चौधरी-

माथुर साहब को धन्यवाद कि उन्होंने इसका जिक्र किया और मथुरा सबसे पहले उसमें है और सारी चीजें प्राथमिकता पर उसमें हो रही है इसके लिए भी बधाई। अलग डायरेक्टरेट बनाने की आवश्यकता नहीं है।

प्रदेश में भीषण विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' तथा श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दी गयी सूचना पर एक चर्चा

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी साढ़े सात बजे गये हैं और एक घण्टे की कुल चर्चा है और बिजली महत्वपूर्ण विषय है इसमें न केवल दो बल्कि अधिकांश माननीय सदस्य हिस्सा लेना चाहेंगे। इसलिए बहुत संक्षेप में अपना प्रस्ताव रखें, चर्चा प्रारम्भ करें जिससे अधिकांश माननीय सदस्य इसमें हिस्सा ले सकें, जो भी लेना चाहें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने प्रदेश में भीषण बिजली कटौती जैसी महत्वपूर्ण सूचना पर चर्चा करने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

मान्यवर, आज पूरे प्रदेश में बिजली की जो बड़े पैमाने पर कटौती हो रही है उससे पूरे प्रदेश की व्यवस्था चरमरा गयी है। शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्र इससे बुरी तरह से प्रभावित हैं और पूरे प्रदेश में इस भीषण बिजली कटौती के फलस्वरूप छात्र भी प्रभावित हैं और छात्राएं भी प्रभावित हैं और व्यवसाय भी प्रभावित है। किसान भी प्रभावित है। और जन सामान्य भी प्रभावित है। मान्यवर, पता लगा कि परीक्षाएं हैं तो बिजली नहीं। इस स्थिति में छात्रों को परीक्षा देने के लिए जाना पड़ता है और व्यवसायिक उपक्रम भी बिजली की कटौती के कारण सुचारु रूप से नहीं चल पा रहे हैं और सबसे ज्यादा मार मान्यवर इसकी किसानों पर पड़ती है। क्योंकि प्रदेश के किसानों को उनकी फसलों के अनुरूप नहरों से पानी उपलब्ध नहीं हो पाता है तो वह अपने ट्यूबवेल का सहारा लेता है और ट्यूबवेल ज्यादातर किसान बिजली से चलवाते हैं। बिजली कटौती के नाते किसान अपने ट्यूबवेल का संचालन नहीं कर पाते हैं जिससे बड़े पैमाने पर किसानों की खेती प्रभावित होती है। मान्यवर, इस पर बहुत ही गम्भीरता से सरकार को चिन्तन करने की आवश्यकता है क्योंकि इस समस्या को लेकर के जगह-जगह पर धरना प्रदर्शन आन्दोलन भी होने प्रारम्भ हुए हैं।

मान्यवर, अभी-अभी हाल में कानपुर में और साथ ही साथ प्रदेश के अन्य बड़े शहरों में, वाराणसी में, इलाहाबाद में आये दिन इस प्रकार से सड़क जाम, धरना प्रदर्शन और आन्दोलन के सहारे लोग अपना आक्रोश जाहिर करते हैं। मान्यवर, यह एक स्वाभाविक प्रक्रिया बन गयी है क्योंकि सही मायने में बिजली कटौती सरकार की मजबूरी हो गयी है। क्योंकि मांग के अनुरूप हमारे पास बिजली उपलब्ध नहीं है। आज उत्तर प्रदेश में बिजली की आवश्यकता 7000 मेगावाट से लेकर के 7200 मेगावाट की पहुंच चुकी है जबकि मान्यवर, हम अपने प्रदेश में लगे हुए बिजली संयन्त्रों से 2200-2300 मेगावाट ही बिजली पैदा कर पाते हैं। केन्द्रीय सेक्टर से जो उत्तर प्रदेश के हिस्से में

बिजली आती है वह मान्यवर, 2410 मेगावाट है, बिजली की इस बढ़ती हुई मांग को प्रदेश सरकार ने इधर लगभग 450 मेगावाट अतिरिक्त बिजली लाकर काम चलाने का कार्य किया है। कुल मिला करके मान्यवर, इस तरीके से हमारे पास बिजली की उपलब्धता 4124 मेगावाट है। मान्यवर, कुल मिला करके जो हम अतिरिक्त बिजली लाते हैं इसको भी शामिल करने के बाद हमारे पास बिजली की कमी लगभग 2 हजार मेगावाट की है। मांग ज्यादा है और बिजली की उपलब्धता कम है। तो स्वाभाविक है कि कटौती का सहारा लेना ही पड़ेगा। इसलिए मान्यवर, आज यह प्रदेश की गम्भीर समस्या बन गयी है और ऐसी समस्या जो प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ी है, उत्तर प्रदेश की 17 करोड़ आबादी सीधे इससे प्रभावित होती है इसलिए मान्यवर, कटौती की स्थिति न हो, इसलिए बिजली की उपलब्धता के लिये प्रयास किया जाना चाहिए। जिसके विषय में सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ आज बड़े से बड़े शहर में भी 8-8, 10-10, 12-12 घण्टे तक बिजली की कटौतियां हो रही हैं। यहां तक कि ग्रामीण क्षेत्रों में यह स्थिति है कि इधर मुझे अपने भी गांव जाने का मौका मिला, 10-15 दिन पहले, मैं वहां दो दिन रुका, 24 घण्टे में मुश्किल से 3-4 घण्टे बिजली आई होगी। इसलिए मान्यवर, मैं यह कह रहा हूं अब शहर की बात कर लें, कल मैं यहां से गया, आज की तैयारी से सोचा, पढ़ूंगा, गोमतीनगर में साढ़े 9 बजे बिजली गयी और रात में पौने दो बजे आई। तो इससे पढ़ाई-लिखाई भी प्रभावित होती है, छात्र-छात्राओं की पढ़ाई भी प्रभावित होती है, बच्चों को भी इसका खामियाजा उठाना पड़ रहा है और उत्तर प्रदेश का जो जनसामान्य इससे प्रभावित है, वह सबसे बड़ी समस्या है। साथ ही साथ किसान इससे बुरी तरह से प्रभावित है।

मान्यवर, केवल एक समस्या होती कि केवल बिजली की ही कमी होती तो भी शायद इतने बड़े पैमाने पर कटौती न करना पड़ती। सरकार कभी रोना रोती है कि फीक्वेंसी कम है, कभी पुराने ग्रिड की बात कहती है। कभी तकनीकी गड़बड़ियों का सहारा लेती है कि फलां मशीन ठप्प हो गयी, फलां जगह बिजली उत्पादन रुक गया है। मान्यवर, एक तो हमारे पास बिजली ही कम उपलब्ध है और पुराने ग्रिड होने के नाते, फ्रीक्वेंसी ठीक से न दे पाने के नाते हम सप्लाई भी नहीं कर पाते हैं। तकनीकी गड़बड़ियां कभी-कभी अलग से हो जाती हैं और विषम परिस्थितियां बन जाती हैं। मान्यवर, इसके साथ ही साथ बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी भी होती है। इस तरह सरकार की तरफ से आज तक कोई प्रभावी योजना नहीं बन पाई है। जो बिल अदा करता है, वही कटौती का शिकार भी होता है लेकिन जो बिजली चोर है, वह बड़े पैमाने पर बिजली चोरी करता है। अगर सरकार इस पर कोई प्रभावी योजना तैयार करे तो हम समझते हैं कि उपभोक्ता को ज्यादा से ज्यादा बिजली दी जा सकती है और जो लम्बे अरसे तक बिजली कटौती करनी पड़ रही है, उसमें कमी की जा सकती है। मान्यवर, इसके साथ ही साथ हम केन्द्र सरकार से बिजली मांगते हैं, ले सकते हैं, लेकिन वहां उधार नहीं चलता। देने के लिए हमारी जो वसूली की व्यवस्था है, यानि वसूली भी प्रभावी नहीं हो पाती और चोरी को भी हम रोक नहीं पाते, जिससे आये दिन समस्यायें पैदा होती हैं।

मान्यवर, बिजली का जो कुप्रबन्धन है, वह जगजाहिर है क्योंकि एक किसान अपना ट्यूबवेल चलाने के लिए अगर लाइन का कनेक्शन लेना चाहे तो साल भर बड़ी मशक्कत करने के बाद हो सकता है कि उसको कनेक्शन मिल जाए, यह कु-प्रबन्धन है। इसी कुप्रबन्धन के चलते उचित तरीके से

वसूली भी नहीं हो पाती है, इसी कु-प्रबन्धन के चलते रख-रखाव भी ठीक से नहीं हो पाता है। अभी-अभी केन्द्र सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया है कि बिजली जो दा जाना हे, उससे ज्यादा बिजली आप लेते हैं और एक लााख रूपए का जुर्माना भी उन्होंने फिक्स किया है।

मैं कह देना चाहता हूं कि चूंकि समाजवादी पार्टी की सरकार कांग्रेस की दया पर बनी हुई है तो जब कांग्रेस इनको सपोर्ट कर रही है तो बिजली देने में इनको सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। यही कारण है कि प्रमोद कुमार जी यहां से गायब हो गये हैं, वह जानते थे कि समाजवादी पार्टी के लोग कांग्रेस पर बोझा डाल देंगे और जवाबदेही कांग्रेस की हो जाएगी और इस समय की भूमिका निभाने के लिए सारा भार चौधरी पर डाल दिया गया है। यह टीका-टिप्पणी का विषय नहीं है, यह जनसामान्य से जुड़ा हुआ मामला है, इसीलिए इसकी महत्ता को देखते हुए आपने चर्चा स्वीकार की है। हम सभी लोग जनता की समस्याओं के लिए यहां आये हैं और यह जनता की समस्या है, इसलिए सभी इससे जुड़े हुए है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि बड़ी गम्भीरता से इसका संज्ञान लेते हुए जो बड़े पैमाने पर बिजली की चोरी की जा रही है, उसे रोकने के उपाय किये जाने चाहिए, जिससे कि छात्र-छात्राओं की पढ़ाई में जो व्यवधान हो रहा है, वह न हो और उनकी पढ़ाई सुव्यस्थित तरीके से हो सके, व्यवसाइयों के जो उद्यम हैं वह भी बाधित न हो सकें। ट्यूबवेल भी संचालित हो सकें और साथ ही साथ जनसामान्य जो आज बिजली के लिए हाय-हाय कर रहा है, वह स्थिति भी न आये और प्रदेश में बड़े पेमाने पर जो स्थिति आ गई हे, कहां प्रदर्शन के रूप मे और कहां चक्काजाम के रूप में, ऐसी स्थिति भी न आये, इसलिए इस पर प्रभावी कार्यवाही करके इन समस्याओं का समाधान कराया जाए।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, मैंने नियम-56 में बिजली कटौती, पेयजल के संकट के संबंध में सूचना दी थी और आपने कृपापूर्वक अन्य मित्रों द्वारा दी गयी सूचना के साथ इसे शामिल करके एक घण्टे की चर्चा इस पर स्वीकृत कर दी, अच्छी बात है, इस पर सभी माननीय सदस्यों की बातें आ जायेगी। 11 तारीख को माननीय मुख्य मंत्री जी से इस विषय पर भेंट करने के लिए मैं गया था, मेरी उनसे बात हुई, मैंने उनसे कहा कि मैं उत्तर प्रदेश से संबंधित बिजली के आंकड़े ले करके नहीं आया हूं। इस समय मैं केवल बनारस जिला और बनारस का नगर ही देख रहा हूं, यही हमारे सामने है, इसी को ले करके मैं आपके पास आया हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उत्तर में कहा कि 15 दिन में स्थिति में सुधार आ जाएगा। यहां पर सत्तापक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्य बैठे हैं, मैं नहीं समझ पा रहा हूं कि जब से सरकार बनी है, तब से बिजली उत्पादन में कोई बढ़ोत्तरी तो हुई नहीं है। 15 दिन में क्या बढ़ोत्तरी हो जायेगी यह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। जब से सरकार बनी बिजली चोरी में कोई कमी आयी नहीं, 15 दिन में कौन सी चोरी दूर हो जायेगी ? लाइन-लांस बढ़ता चला जा रहा है, उसमें कोई कमी आयी नहीं है तो फिर 15 दिन में क्या होगा ? यह मैं एक आलोचना की दृष्टि से नहीं कह रहा हूं, मैं यह इसलिए कहना चाहता हूं कि जब तक ऐसे आश्वासन देना बंद नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं सकता। बिजली विभाग में लाखों की संख्या में तैनाती हैं उसमें कोई उत्साह नहीं पैदा हो रहा है। वह सारा ढीला-ढाला चल रहा है, न उत्पादन बढ़ रहा है, न लाइन लांस कम हो रही है, न चोरी बंद हो रही है, सारे विभाग को जिस तरह से मजबूती के साथ लग जाना चाहिए वैसा दिख

नहीं रहा है। मैं चाहूंगा मा0 अम्बिका चौधरी साहब इस बात का नोटिस ले कि सारे विभाग को युद्धस्तर पर काम करने के लिए जुटा दिया जाए तभी जाकर कोई स्थिति पैदा हो सकती है। जैसाकि मैंने पहले ही कहा कि पूरे प्रदेश की चर्चा नहीं कर रहा हूं। हम और श्यामदेव राय चौधरी साहब दो विधायक बनारस से आये हैं, कुछ मैं बनारस के लिए निवेदन कर रहा हूं, कुछ उनके लिए छोड़ दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

वह तो रोज बिजली के लिए लड़ते ही रहते हैं, आज आप पूरी बात कह लीजिए।

श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी'-

मान्यवर, बनारस जिले की खेती बरबाद हो गयी, पूरी शाक-सब्जी का इलाका चौपट हो गया, शाक-भाजी पेदा करने वाले अब मिट्टी और ईटा ढ़ोने का काम कर रहे हैं। खेती जिनकी अच्छी थी वे सब्जी बेंच लेते थे और अपना पेट पाल लेते थे वह अब मजदूरी और नौकरी का सहारा लेकर घूम रहे है। बिजली की कटौती के कारण पूरी खेती बरबाद हो गयी है। शाक-सब्जी बेचने वालों की हालत खराब है। बुनकरी का सबसे बड़ा काम बनारस का है, वह बन्द हो गया है, वह भी मिट्टी ढ़ोने रिक्शा चलाने इन्हीं सब कामों में लग गये हैं। कल-कारखाने बन्द हो गये हैं, लोग जुगाड़ लगा रहे हैं कि हरियाणा चलो, हिमाचल चलो, यह हालत हो गयी है। अभी मा0 स्वामी नाथ मौर्य जी ने कहा कि बच्चे पढ़ नहीं पाते हैं। मैंने गार्जियनों को कहते सुना है कि चलो लड़के का एड़मीशन वहां करा दें जहां बिजली मिल रही है, पढ़ने के लिए मिल रहा है। मैंने सोचा था कि रात को कुछ पढ़ेंगे क्योंकि बड़ी देर तक मिलने वालों की भीड़ रही और जब सब चले गये तो बिजली चली गयी। रात के 2.00 बजे आ गयी होगी। मैं तो सो रहा था सुबह 6.00 बजे देखा तो बिजली आ गयी थी। मेरे कहने का मतलब यह है कि बिजली जीवन के सभी क्षेत्र को सुधार सकती है तो जीवन के सभी क्षेत्रों को बरबाद भी कर डाली है। दो साल में यह स्थिति पैदा हुई है। अब स्थिति इतनी खराब हो गयी है। (सत्तापक्ष के सदस्यों द्वारा कुछ टोका-टाकी करने पर) आप पीछे की बात को लेकर उत्साहित हैं। पीछे का पीछे बीत गया, जो सामने है उसकी बात करिए। मान लीजिए मेरे साथी करतबदार नहीं थे लेकिन आप हमें अपना करतब तो दिखाइए, आपको अवसर मिला है, खजाना मिला है, शासन प्रशासन मिला है। मैं एक बात कहूंगा कि जल ही जीवन है, श्री चौधरी साहब बनारस में जो स्थिति है, आप पड़ोसी हैं जिस दिन सर्किट हाऊस में पानी संकट आता है उस दिन आपकी समझ में आता है, आज सर्किट हाऊस में पानी का संकट है। बिजली मिले तभी जो ट्यूबवेल लगे हैं वह चल पाते हैं, आज यह स्थिति है कि जो ओवर हेड टैंक हैं वह भर ही नहीं पाते है वह एक चौथाई या एक तिहाई भर पाते हैं कि बिजली चली जाती है इस करण से पानी की सप्लाई नहीं हो रही है और चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है। जितने कुयें थे वह सूख गये हैं जो हैण्डपम्प लगे थे उनको 60 फिट गहराई तक जाने का निर्देश था लेकिन पानी का स्तर 80 फिट तक पहुंच गया है। मैं निवेदन करूंगा कि बनारस का बेल्ट जो आगरे तक का है वह ऐसा है जिसका पानी बहुत नीचे रहता है इसलिए कम से कम 80 फिट तक पम्प को गाड़ने की बात करनी चाहिए। स्थिति यहां तक चली गयी है, अभी चर्चा में यह बात आयी थी कि धरना और प्रर्दशन हो रहे हैं, बनारस के बारे में कहना चाहता हूं कि वहां धरना प्रदर्शन नहीं बल्कि जुत्थम-जुत्था हो रही है। पानी के लिए वहां के निवासी सड़कों पर मारपीट कर रहे है।, हाथापायी कर

रहे हैं। अधिकारियों का घेराव और तालाबन्दी हो रही है। जनता और अधिकारी दोनों की तरफ से एफ0 आई0 आर0 दर्ज हो रही है। अब बिजली विभाग के अधिकारी भी एफ0 आई0 आर0 करें और जनता भी एफ0 आई0 आर0 करे तो इससे शासन समझ जाये कि जहां जनता प्रशासन के बाच में जुत्थम-जुत्था, मारामारी, घेराव होगा तो वह दिन दूर नहीं जब शान्ति व्यवस्था दूभर हो जायेगी और अराजकता फैल जायेगी। यह बहुत गम्भीर स्थिति है। इसको सुधारने के लिये मुख्य मंत्री जी का 15 दिन का आश्वासन मैंने रख लिया है मन में अच्छी तरह से कल आयेगें और बोलेगें कि 15 दिन में स्थिति कैसे सुधार जायेगी, जिससे जुत्थम-जुत्था, मारामारी न होने पाये। मैं निवेदन करूंगा कि एक ट्यूबवेल फुलवरिया में स्वीकृत हुआ था और पिछली सरकार में खम्भा गड़ा था लेकिन फुलवरिया के ट्यूबवेल का उर्जीकरण नहीं हो पा रहा है और पाइप लाइन नहीं बिछा रहे हैं कृपा करके इसको करवा दीजिए। मिनी ट्यूबवेल लगने की बात है। प्रस्ताव आया है महामना नगर कालोनी करौदी, शिवरतनपुर, बजरडीहा लल्लापुरा, सन्तरघुवर नगर इन पांच जगहों के लिए प्रस्ताव आये हैं मिनी ट्यूबवेल लगाने के लिए, आप इनकी व्यवस्था करायें। मान्यवर, लाल बत्ती हो गयी है मैं कहना चाहता हूं कि बड़ी कठिन परिस्थिति है। एक बिजली पानी का संकट ही किसी भी सरकार की हालत खराब कर सकता है और गांव से लेकर शहर तक लोग इस समस्या से तबाह हैं। इसलिये जल्दी सरकार सतर्क हो और इसमें सुधार कराये।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं । मैं इस बात से सहमत हूं कि बिजली में भारी कटौती हो रही है और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है परन्तु हमें यह उम्मीद है कि सक्षम मंत्री के नेतृत्व में ऊर्जा विभाग कन्ट्रोल में आयेगा जैसे पी0 डब्लू0 डी0 विभाग कन्ट्रोल में आया है। मै। आग्रह करना चाहता हूं कि जो भ्रष्ट इंजीनियर हैं, डी0 जी0 एम0 हैं और हाइएस्ट लेवेल के जो करप्ट आफिसर हैं, तत्काल उनको सस्पेंड करें, उनके विरुद्ध एक्शन लें। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि डिमान्ड और सप्लाई में डेफिसिट है। लेकिन जो लाइन लासेज कहते है वह बिजली की भारी मात्रा में चोरी है, उसको रोकने के लिए जहां समाज दोषी है वह अधिकारी भी दोषी हैं। जो मीटर रीडर्स हैं वह जिले लेबिल पर 25-25 साल से लगे हुए हैं, उनका काम मीटरों को पीछे करना है उनका स्थानान्तरण अन्यत्र किया जाये वह उद्योगों में लगे हुए मीटरों को पीछे कराते हैं घरों में लगे हुए मीटरों को पीछे कराते हैं और उनसे बिलों में नेगोशिएट करते हैं। मान्यवर, एक बात और कहना चाहता हूं कि बिजली के बिल बनाने में बड़ी हेरा-फेरी होती है। 50-50 हजार के बिल बना दिये जाते हैं फिर नेगोशिएट करके उनको कम किया जाता है और पैसा लिया जाता है। उपभोक्ता पैसा कहां से दे जब एक-एक लाख रूपए का बिल भेज दिया जायेगा और गरीब किसानों की बिजली कट जाएगी। हमसे किसी ने कहा कि हमारे गांव का ट्रांसफार्मर फुंक गया है तो हमने शिकायत की हमसे कहा गया कि पहले बिल जमा कराइए हमने कहा कि पहले प्रोपोगण्डा करिए जिससे जो लोग बिजली का बिल देना चाहते है वह तो जमा कर सकें। ताज ट्रिपेजियम जोन एरिया में स्मोक इमेटिंग उद्योगों पर प्रतिबन्ध लगाया गया है। ताज ट्रिपेजियम जोन के आस-पास कुछ जिलों को बिद्युत कटौती से मुक्त रखा गया है लेकिन वहां पर चार-चार घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती है। हमें उत्पादन को बढ़ाना होगा।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री प्रदीप माथुर-

हमारे यहां ए0पी0डी0आर0पी0 के कार्यों में घपले व बिजली न आने पर जी0एम0 के खिलाफ महिलाओं ने प्रदर्शन किया उसके सिंदूर भरा व उसको चूड़ियां पहनाई गईं उसने तमाम महिलाओं के खिलाफ एफ0 आई0आर0 दर्ज करा दी है इससे महिलाएं परेशान हैं उन मुकदमों को वापस लिया जाय।

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मथुरा वृंदावन में तो वैसे ही श्रृंगार का रिवाज है।

श्री प्रदीप माथुर-

इसीलिये जो अनुरोध है। हमारे यहां एक सहायक अभियन्ता एस0पी0 चतुर्वेदी वहां पर 32 सालों से जमे हुए हैं उनको वहां से हटाया जाय। इसके अलावा विधायकों को गांवों के विद्युतीकरण के लिये 10-10 गांव दिये गये थे तो हमारे यहां सब गांव सेचुरेट हो गये हैं लेकिन गांवों का विस्तारीकरण हुआ है लेकिन पूरे गांव में विद्युतीकरण नहीं है अतः विस्तारीकरण के लिये पैसा खर्च किया जाय वरना हमारे यहां नये गांव नहीं हैं अतः हम पैसा कहां उपयोग करेंगे। हमें उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में हमारे सक्षम मंत्री विद्युत व्यवस्था में जरूर सुधार करेंगे। भाजपा और बसपा ने तो बरबाद कर दिया।

श्री सुखेदव राजभर-

अध्यक्ष महोदय, हमारे सभी सम्मानित सदस्यों की बिजली जैसी ज्वलन्त सूचना पर आपने चर्चा स्वीकार की इसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं। आप इस चर्चा में इतने लोगों को समायोजित कर रहे हैं इसके लिये भी धन्यवाद देता हूं। अध्यक्ष जी आज विद्युत कटौती और आपूर्ति की समस्या से चाहे किसान हो, व्यापारी हो कोई हो हर एक व्यक्ति परेशान है। इसके कारण ला एण्ड आर्डर की भी समस्या पैदा होती है। विद्युत समस्या पर प्रदर्शन करने वाले कई लोगों के खिलाफ एफ0आई0आर0 भी दर्ज हुई है एक एक्जीक्यूटिव इंजीनियर ने 50 लाख रुपये के नुकसान की एफ0आई0आर0 दर्ज कराई है। आज अगर रहीम दास जी होते तो रहिमन पानी राखिए बिन पानी सब सून के स्थान पर रहिमन बिजली राखिए बिन बिजली सब सून लिखे होते। पिछली सरकारों ने क्या किया इस सम्बन्ध में जब राजस्व मंत्री जी जवाब देंगे तो कहीं न कहीं इंगित जरूर कर देंगे। लेकिन आपको भी दो साल हो गये हैं जब आपने शपथ ग्रहण की थी तो पहला वायदा था कि 24 घंटे बिजली देंगे। उससे घटकर 12 घंटे आई, 14 घंटे आई, 8 घंटे आई और अब यह इस समय ढाई और डेढ़ घंटा रह गई है।

मान्यवर, हम लोग गांव में रहने वाले हैं इस बार तो बिजली की कटौती के चलते किसानों की मड़ाई का कार्य प्रभावित हुआ है। कहीं बरसात हो गई, तूफान आ गया। मान्यवर, मैं इतना कहना चाहता हूं कि ऊर्जा मंत्री जी बैठे हैं वे केवल यह बहाना न लें कि पिछली सरकारों के समय में इतनी कटौती होती रही है। हम दादरी में विद्युत स्टेशन लगवा रहे हैं। हमारी सरकार ने पारीछा में विद्युत उत्पादन के लिये केन्द्र बनाया था और वहां पर उत्पादन भी शुरू हो गया। मैं माननीय मंत्री जी से

जानना चाहता हूं कि आपने जो यह रोस्टिंग सिस्टम बना रखा है बिजली कटौती का उसमें कुछ संशोधन कर लें। जिस समय आप बिजली दे रहे हैं उस समय उसका कोई उपयोग नहीं है। हम लोग रात को सोते हैं तो बिजली आती है और सुबह जब हम उठते हैं तो चली जाती है। अगर आप इस सिस्टम को थोड़ा परिवर्तन कर लें कि शाम को जब मार्केटिंग का टाइम होता है,बच्चों के पढ़ने का समय होता है 7-8 बजे उस समय बिजली दी जानी चाहिए। आप भोर में बिजली देते हैं और शाम को बिजली की कटौती होती है। मान लिया जाय कि आपका 6 हजार मेगावाट का उत्पादन है और मांग भी 6 हजार की है तो हम यह नहीं कह रहे हैं कि आप अतिरिक्त बिजली कहां से देंगे लेकिन जो भी आप देते हैं उसकी एक सही रोस्टिंग व्यवस्था करके दीजिये। आपके उत्पादन के बारे में नहीं कह रहे हैं लेकिन जो उसका वितरण है वह सही तरीके से होना चाहिए। इसके लिये सबसे दोषी आपके इन्जीनियर्स हैं। आप आनपारा सी में जाकर देखिये वहां पर थोड़ा सा रिपेयर का सवाल है, थोड़ा सा रिपेयर करके सुधार हो सकता है लेकिन आपके लोग काम नहीं करना चाहते हैं। आनपारा सी में जापानी एजेन्सी काम करने के लिये तैयार थी लेकिन आपके लोग नेतागिरी करके काम नहीं करने देना चाहते हैं। अगर कहीं से कोई दबाव पड़े तो मंत्री जी आप कल ही पेपर में पढ़ लीजिये कि ग्रिड फेल हो गया। आप देखिये कि गांव में आपके एस0डी0ओ0, जे0ई0 वगैरह का यह हाल है कि यदि हम विधायक लोग भी कुछ शिकायत करते हैं तो पता चला कि पूरी लाइन जल गयी, ट्रांसफार्मर जल गया और बैठिये 15 दिन बगैर बिजली की। गांव वाले यदि उसको बनवाने के लिये कहते हैं तो उनसे कहा जाता है कि पैसा लेकर आओ। थोड़ सा माइन्यूट सुधार करने की आवश्यकता है कि आपके यहां यह जो डिस-मैनेजमेंट है उसकी वजह से देहातों में बहुत परेशानी हो रही है। आपके जे0 ई0 से लेकर लाइन मैन के हाथ में सारी ताकत है कि वह एक मिनट में बिजली की सप्लाई बन्द कर देते हैं। मेरा कहना है कि आपके विद्युत उत्पादन का जो भी सिस्टम हो, विद्युत वितरण का जो भी सिस्टम हो मैं दो चीजों की ओर आपका ध्यान इंगित करना चाहता हूं जो कि व्यवहारिक रूप से परेशानी है । एक तो आप अपने इस रोस्टिंग सिस्टम को सुधारें इसमें थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आप पांच घंटे की जगह तीन घंटे बिजली दें लेकिन समय से दें ताकि मार्केटिंग का समय हो तो लोग उसका सदुपयोग कर सकें, विद्यार्थियों के पढ़ने का समय हो उस समय बिजली दें तो वे पढ़ सकें। माननीय ऊर्जा मंत्री जी से अनुरोध है कि अपने अधिकारियों/कर्मचारियों को भी थोड़ा आप देखें कि वे किस प्रकार से कार्य करते हैं क्योंकि उन्हीं के चलते इस तरह से रोज धरना प्रदर्शन आदि हो रहा है। इसलिये आपको अपने अधिकारियों पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है। इस पर माननीय मंत्री जी गम्भीरता से विचार कर लें।

*श्री राम इकबाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने बिजली जैसी महत्वपूर्ण समस्या पर मुझे चर्चा करने का अवसर दिया, मैं इसके लिये आपका आभारी हूं।

श्री अध्यक्ष-

3 मिनट में अपने क्षेत्र की बात कह लें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री राम इकबाल सिंह-

अध्यक्ष जी, तीन से पांच आप ही बना सकते हैं। मान्यवर, मैं आपका इतना आदर करता हूं। मैं क्षेत्र की भी बात कहूंगा और जिले की भी कहूंगा। आप सब जानते हैं, हमारे देश और हमारे प्रदेश के जितने भी नागरिक हैं, उनकी बलिया के प्रति बहुत श्रद्धा रही है और इस प्रदेश में अनेकों जिले ऐसे हैं जहां 20, 22 और 24 घंटे विद्युत की सप्लाई हो रही है। असंतुलित विद्युत सप्लाई इस प्रदेश में हो रही है। हमारे बगल में ही मऊ में 20 घण्टे बिजली मिलती है, 24 घण्टे बिजली मिलने वाले जिले भी हैं। हम बलिया के लोगों का क्या दोष है कि हमें 24 घंटे बिजली नहीं मिल रही है। नारद राय जी को तो मिलनी चाहिए।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, अभी बात हो रही थी कि राजस्व की वसूली कम हो रही है, बलिया से राजस्व मंत्री जी भी हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

23 प्रतिशत पिछली बार से ज्यादा वसूली हुई है।

श्री राम इकबाल सिंह-

मान्यवर, मिश्र जी को हमसे तुलना नहीं करनी चाहिए। जयप्रकाश जी के नाम पर 25 लाख की लागत का आडीटोरियम भी बन रहा है तो क्या जयप्रकाश जी के जिले का ध्यान नहीं है ? हमारे यहां 17 सब-स्टेशन हैं जिनको 5 जूनियर इंजीनियर चला रहे हैं। किसी भी सब-स्टेशन पर जूनियर इंजीनियर नहीं रहते हैं। मेरे क्षेत्र नगरा, सलेमपुर, जाम, चिलकहर आदि जो हैं वहां एक भी जूनियर इंजीनियर नहीं रहता है, न दिन में रहता है और न रात में रहता है। जब कोई ट्रांसफार्मर जल जाता है तो किसानों को उसे बलिया ले जाना पड़ता है और उस पर दो-ढाई हजार रुपये खर्च हो जाता है। मान्यवर, हमारे यहां बलसरा, नराव आदि में 25-30 साल पुराने लकड़ी के खम्भे लगे हुए हैं, एक बार यदि वह टूट गया तो किसान दौड़ता रहता है। तो कोई ऐसी योजना बनायी जानी चाहिए ताकि जो लकड़ी के खम्भे हैं उनके जो तार हैं वह युद्ध स्तर पर बदल दिये जायें। मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि वह 14 घण्टे बिजली देंगे लेकिन बिजली मिल नहीं रही है। आज दुनिया कितनी प्रगति कर रही है। हम कहते हैं कि 6 प्रतिशत ग्रोथ रेट है, लोग गुजरात जा रहे हैं, जहां ग्रोथ रेट 15 प्रतिशत है जो जर्मनी और जापान के बराबर है। आज बेरोजगारी भत्ता देना पड़ रहा है, यदि बिजली रहती तो लोग गांवों में भी कोई छोटा-मोटा रोजगार कर सकते थे। आज हम इस दुनिया में कैसे मुकाबला कर सकते हैं, जहां बिजली है, लड़के कम्प्यूटर से पढ़ रहे हैं, यदि कम्प्यूटर दे भी देंगे तो वह कैसे चलेगा, कहां से चलेगा ? हम इस 82 प्रतिशत गांव की आबादी को कैसे ऊपर उठा पायेंगे। यदि गांव में शिक्षा की व्यवस्था नहीं होगी, कम्प्यूटर एजूकेशन नहीं होगी तो हम दुनिया में कैसे मुकाबला कर सकते हैं। मान्यवर, मैं 13 दिन धरने पर रहा, आप एक फोन ही कर लेते। बिजली के मुद्दे पर मैं 18 अप्रैल से 30 अप्रैल तक धरने पर बैठा रहा लेकिन 2-3 घण्टे ही बिजली आती है। मान्यवर, पानी की कमी के कारण गेहूं पतला हो गया, नहर और ट्यूबवेल चलते तो गेहूं मोटा होता, गेहूं का वजन घट गया। मान्यवर, चिलकहर विधान सभा क्षेत्र को शारदा नहर से पानी मिलता है। मान्यवर, वह एक दिन भी नहीं चली है। मान्यवर, 3-4 घण्टे बिजली आ रही है। श्री नारद राय जी के विधान सभा क्षेत्र में भी

कम बिजली आ रही है। लोग मोबाइल पर फोन करते हैं और अपने बच्चों का रोना सुनाते हैं और कहते हैं कि हम दफ्ती डुलाकर इन्हें सुलाते हैं कि कल हमें काम करना है। रात में एक बजे बिजली आती है। इससे क्या बच्चे पढ़ेंगे, क्या व्यापारी व्यापार करेगा। मान्यवर, आज बिजली मूल समस्या है। माननीय लोक निर्माण मंत्री जी ने सड़क के क्षेत्र में कुछ अच्छा काम किया है लेकिन आप सबका काम बिजली के बिना सब बेकार है। मान्यवर, रिहन्द डेम रोज भर रहा है। 10 हजार टन राख वहां रोज निकलती है और उसका शीतलीकरण करके 8-8 इकाइयां हैं उसमें ले आते हैं। डेम की दीवार टूटने की पोजीशन में है। उसके लिये पैसे की आवश्यकता है। जिस दिन डेम टूट गया तो उस दिन पटना तक डूब जायेगा। रोज अखबार में आता है कि आज यह अमुक इकाई बन्द हो गयी। अगर हम बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बचायेंगे तो इससे बड़ा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता है। हम आपसे अनुरोध करते हैं कि मेरे जिले बलिया को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति की जाये। अगर आप ऐसा करेंगे तब यह संदेश जायेगा कि श्री मुलायम सिंह यादव जी ने असली समाजवादियों के जिले को कुछ दिया है। मान्यवर, वह श्री जनेश्वर जी, श्री चन्द्रशेखर जी और श्री जय प्रकाश जी का जिला है। इसलिये मैं पुनः एक बार बलिया को 24 घंटे बिजली दिये जाने की मांग करता हूं।

श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास 'डमडम महराज'-

मान्यवर, आपने मुझे चर्चा में बोलने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, झांसी का तापमान 47-48 डिग्री पर चल रहा है।

एक सदस्य-

मान्यवर, आज टी0वी0 में बताया गया है कि झांसी में तापमान 31-32 डिग्री है 35 डिग्री से ज्यादा पूरे प्रदेश में कहीं नहीं है।

श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास 'डमडम महराज'-

मान्यवर, आज छात्रों के पढ़ने के लिये बिजली नहीं मिल रही है। उद्योग बरबाद होने की स्थिति में हैं, किसान के लिये बिजली न मिलने से सिंचाई व्यवस्था ध्वस्त हो रही है। मान्यवर, झांसी में 5-7 घण्टे भी बिजली नहीं मिल रही है और जो मिल रही है वह कभी रात में एक बजे आती है तो कभी 2 बजे आती है और सुबह 5-6 बजे तक चली जाती है। मान्यवर, मेरा अनुरोध है कि इटावा और मैनपुरी में चौबीस घंटे बिजली मिल रही है और हमारे यहां तीन-चार घंटे ही बिजली मिल पा रही है।

(कुछ सदस्यों के बोलने से व्यवधान)

आप लोग नये सदस्यों को नहीं बोलने देते हैं, कृपया बोलने दें। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि क्या कारण है कि समान रूप से बिजली नहीं दी जा रही है, किन परिस्थितियों में अलग-अलग क्षेत्रों में अलग-अलग डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है ? झांसी में चौबीस घंटे बिजली नहीं मिल पा रही है। अगर चौबीस घंटे नहीं दे पा रहे हैं तो सोलह घंटे जो आपने कहा है वह दे दें, लेकिन समय से दें। दस बजे दिन से शाम के पांच बजे तक दें या फिर रात में दस बजे से पांच बजे तक दें, सायं 6 बजे से सुबह 8 बजे, उससे समस्या का समाधान हो सकता है। मैं मानता हूं कि बिजली समान रूप से नहीं दे पा रहे हैं। जो मांग है वह लगभग साढ़े सात हजार मेगावाट की है और आप लगभग दो हजार दो सौ मेगावाट ही दे पा रहे हैं। केन्द्र सरकार भी आपको बिजली नहीं दे रही है। लेकिन जो हमारी इकाइयां

हैं उनका हम अनुरक्षण कर सकते हैं। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम है उसे हम इक्वेल कर सकते हैं। जो हमारी इकाइयां चालू देर से हो रही हैं जैसे रिहन्द डेम का 200 मेगावाट का है, विष्णु प्रयाग का 100 मेगावाट का है उसे हम जल्दी से जल्दी चालू कर दें। एक अनुरोध मैं आपसे करना चाहूंगा कि हमारे यहां 220 के0वी0ए0 का सब स्टेशन स्वीकृत हो चुका है और समरद्धा में, जमीन आवंटित हो गयी है लेकिन काम चल नहीं पा रहा है। दूसरा बिजली की समस्या निरन्तर चल रही है क्योंकि इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेन्ट भी हो रहा है इसलिये आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि एक चार सौ के0वी0ए0 का बना दिया जाय जिससे वहां की समस्या लम्बे समय के लिये समाप्त हो जाय। मान्यवर, 21 करोड़ का ईपीडीआरपी योजना का जो कार्य था वह नौ महीने में पूरा होना था। जयपुर की जीनस कम्पनी द्वारा वह कार्य का शुभारम्भ किया गया लेकिन बारह महीने बीत गये हैं और उसके वजूद भी उस कम्पनी ने अभी कार्य सही ढंग से नहीं किया है। यदि वह शुरू हो जाता है तो कम से कम जो पुराने तार हैं, बदल जायेंगे, जो ट्रांसफार्मर हैं उनकी क्षमता में वृद्धि हो जायेगी। इससे जो लाइन लास की प्राब्लम है, जो लो वोल्टेज का प्राब्लम है, जो बिजली कटती है उससे निजात मिल सकती है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको करवा दें।

*श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, आपने मुझे बिजली की चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। यह बात सही है कि बिजली उत्पादन कम है और बिजली की मांग ज्यादा है। करीब सात हजार मेगावाट की मांग है और दो हजार मेगावाट मिल रही है। यह सरकार जो कि केन्द्र में सरकार का समर्थन कर रही है उससे आग्रह करने के बावजूद बिजली पर्याप्त मात्रा में उससे नहीं पा रही है। ऐसी सरकार का प्रदेश के मुखिया समर्थन कर रहे हैं, यह सोचने का काम सरकार का है। मान्यवर, बिजली प्राथमिक आवश्यकता है विकास के लिये, जनजीवन के लिये, पढ़ाई-लिखाई के लिये और किसानों के लिये। यह मौलिक आवश्यकता है इसलिये यह रोना नहीं लिया जाना चाहिए कि बिजली का उत्पादन कम हो रहा है। यह सरकार अपने को कल्याणकारी सरकार कहती है।

श्री अध्यक्ष-

अपने क्षेत्र की समस्या कहें।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, वही कह रहा हूं। यह सरकार अपने को कल्याणकारी होने का दावा करती है। जब यह सरकार सत्तारूढ़ हुई थी तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने सबसे पहले जो प्राथमिकता गिनायी थी उसमें बिजली की बात थी। आपने यह कहा था कि अभी तो हम चौदह घंटे बिजली देंगे लेकिन दो साल बाद हम चौबीस घंटे बिजली देंगे। आज दो साल हो गये हैं चौबीस घंटे तो छोड़ो चौदह घंटे बिजली नहीं मिल रही हैं इस समय दो तीन घंटे बिजली आ रही है। मान्यवर, आज बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पहुंच पा रही है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करें।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह-

मान्यवर, अभी एक मिनट में बोल कर अपनी बात समाप्त कर रहा हूं, मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूं, हमारे यहां समाचार-पत्रों में यह बात छपती है और लोगों के संज्ञान में भी यह बात है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में, मैं मानता हूं आप इस परम्परा का हवाला दे सकते हैं कि माननीय मुख्य मंत्री जी के निर्वाचन क्षेत्र में परम्परा रही है कि 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाय, माननीय बिजली मंत्री के भी क्षेत्र में 24 घण्टे निर्बाध बिजली की आपूर्ति की जाय लेकिन गाजीपुर और मऊ में बिजली की सप्लाई 22 घंटे से 24 घंटे हो रही है वही जौनपुर, बनारस में बिजली की इतनी आपूर्ति नहीं हो रही है, यह समाचार पत्रों में छपता है वहां के लोग बताते हैं, इससे जो वहां के जनप्रतिनिधि हैं, जौनपुर के हैं, बनारस के हैं, बलिया के हैं उनके खिलाफ भारी जनाक्रोश रहता है कि गाजीपुर के जनप्रतिनिधि वहां के विधायक बड़े सक्षम हैं और वह चाहते हैं तो अपने जिले में बिजली ज्यादा ले लेते हैं और मऊ के विधायक काफी सक्षम हैं और जैसा चाहते हैं बिजली की सप्लाई वैसी आती है और जौनपुर में क्यों नहीं होती, मेरी तो कम बेइज्जती होती है, मेरे ऊपर तो कम दबाव पड़ता है लेकिन उधर बैठे हुए जो जौनपुर के विधायक हैं उनके ऊपर जनता का भारी रोष है। हमारे जौनपुर में नगर में एक सब-स्टेशन बहुत दिनों से स्वीकृत था, भारतीय जनता पार्टी के समय में हम लोगों ने पैसा दिलवा करके उस सब-स्टेशन को बनवा दिया लेकिन तीन साल गुजर गये मामूली दीवानी के विवाद में एक व्यक्ति ने स्टे लेकर उसको ऊर्जीकृत होने से और वहां से बिजली की आपूर्ति बाधित कर रखा है और सरकार हमारे वहां के कलेक्टर बड़े सक्षम हैं लेकिन इस छोटी सी जो न्यायिक अड़चन है उसको दूर नहीं कर पा रहे हैं, जिससे नगर में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, मान्यवर, हमारे यहां बिजली 12-01 बजे आ रही है, हमारे जौनुपर में जिससे पानी की आपूर्ति नहीं हो पाती है, पूरा नगर त्राहि-त्राहि कर रहा है, मान्यवर, रात में दो बजे कलेक्टर ने कह रखा है नगर पालिका के कर्मचारियों को रात में दो बजे बिजली आती है।

श्री अध्यक्ष-

अब आप खत्म करें, माननीय भारतेन्द्र जी, आप अपनी बात कहें।

(श्री सुरेन्द्र प्रताप सिंह और श्री कुंवर भारतेन्द्र सिंह दोनों लोग अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी-अपनी बात कहने लगे जिससे व्यवधान उत्पन्न हो गया)

(व्यवधान के मध्य)

*कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

मान्यवर, आपने बिजली जैसे महत्वपूर्ण विषय पर मुझे बोलने का मौका दिया इसके लिये मैं आपका आभारी हूं, आपको धन्यवाद, मैं केवल अपने क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा, बिजनौर जिले में मान्यवर, गेहूं काट कर गन्ना बोया जाता है इस समय सिंचाई की अति आवश्यकता है, वर्षा हुई नहीं है। मान्यवर, जैसा मैंने बताया सिंचाई का केवल एक ही साधन है वह है बिजली, मान्यवर, अनेकों आन्दोलन हो रहे हैं, मैं बात दोहराना नहीं चाहता हूं, चक्का जाम, रेल रोको, अधिकारियों को घेरो, जे0ई0 को घेरा ए0सी0 साहब ने आकर डबल ग्रुप की घोषणा की हमारे यहां अगले तीन दिन तक

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बाला वाली फीडर पर बिजली नहीं आई मान्यवर, मैं उनसे जाकर मिला उन्होंने कहा आप एम0डी0 साहब मेरठ से बात करो, मैं मेरठ भागा वहां जाकर पता लगा जो एम0डी0 साहब मेरठ में हैं वह चुनाव में लगे हुए हैं, ऐसे महत्वपूर्ण समय में मान्यवर, वह वहां उपलब्ध नहीं हैं अपने आफिस में, वहां से पता लगा कि लखनऊ आये हुए हैं, मैं लखनऊ आया और एम0 डी0 साहब से मिला। मैं तारीफ करना चाहूंगा इस सरकार की कि कम से कम अधिकारी भी मंत्री भी बहुत ही कार्यकुशलता से मिलते हैं, पूरी बात सुनते हैं, मान्यवर, मैं तारीफ करना चाहूंगा इस सरकार के मंत्री तथा अधिकारी बड़ी कुशलता से मिलते हैं और पूरी बात सुनते हैं और आश्वासन भी देते हैं। इस महत्वपूर्ण समय में अगर आप बिजनौर में अगले 15 दिन तक बिजली दे दें तो बड़ी समस्या किसानों की निपट जायेगी। मान्यवर, बिजनौर जिले में बहुत ही छोटे-छोटे 400 साल पुराने कस्बे हैं जैसे किरतपुर, मंडावर आदि। वहां छोटी-छोटी गलियां हैं और बहुत घनी आबादी है। इस समय बिजली न होने के कारण बिजली, हवा, पानी तीनों चीजें वहां बंद हैं। आपसे अनुरोध है कि बिजनौर जिले में आप बिजली दिलवाने का कष्ट करें। धन्यवाद।

श्री रिजवान अहमद खां-

माननीय अध्यक्ष जी, बिजली की पोजीशन तो बहुत खराब है ही हमारे यहां।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जो समय आपने तय किया था उसको बढ़ाये बिना चर्चा जारी है। सम्भवतः यह सवा सात बजे शुरू हुई थी।

श्री अध्यक्ष-

7-30 बजे यह चर्चा शुरू हुई थी अभी जब 8-30 बज जायेगा तब समय बढ़ाया जायेगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, माननीय ऊर्जा मंत्री जी को 8.00 बजे जाना था लेकिन आपके आदेशानुसार रुक गये वे 8-30 बजे चले जायेंगे।

श्री सुखदेव राजभर-

मान्यवर, बिजली कटौती तो आप कर रहे हैं समय में कटौती न करें।

श्री रिजवान अहमद खां-

मान्यवर, बिजली की हमारे यहां कमी है और पूरे सूबे में कमी है और पूरी कमी है और वह कमी, सरकार के लगता है कब्जे से बाहर है लेकिन इसमें एक निवेदन है कि जो मांग व कमी है उसको पूरा करें।

विद्युत कटौती विषयक चर्चा पर समय बढ़ाने का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मैं यह प्रस्ताव रख रहा हूं कि इस चर्चा के लिये उतना समय और बढ़ाया जाये जितनी देर तक मंत्री जी अपना जवाब दे सकें। सदन इससे सहमत है ?

राजस्व मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, हम लोग सहमत हैं।

(सदन द्वारा सहमति व्यक्त की गयी)

प्रदेश में भीषण विद्युत कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध ने श्री स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री हरिश्चन्द्र श्रीवास्तव 'हरीश जी' तथा श्री प्रमोद कुमार आदि द्वारा दी गयी सूचना पर चर्चा (क्रमागत)

श्री अध्यक्ष-

रिजवान अहमद खां साहब आप लिख कर दे दीजिएगा हम आपकी सब बातों का जवाब दिलवा देंगे। अब माननीय ऊर्जा मंत्री जी जवाब देने का कष्ट करें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आखिर जब आप समय बढ़ा ही रहे हैं तो हमारे कुछ सदस्यों को एक-एक मिनट का समय दे दें।

श्री अध्यक्ष-

देखिए नाम देने से कुछ होता है जो समय निर्धारित था उसी में सबको बोलना था। अब आपके 20 आदमी बोलने थे तो आप उसी हिसाब से समय बांट लेते। अब कोई सदस्य 8-8 मिनट बोलेगा तो काम कैसे चलेगा ? अगर सब लोग संक्षिप्त बोलते तो काम हो जाता। श्यामदेव राय चौधरी जी आप कृपया बैठ जायें। रंगनाथ मिश्र जी, आप भी बैठ जायें। आप लोग लिख करके दे दीजिए मैं इसे कार्यवाही में जुड़वा दूंगा। अगर मंत्री जी के उत्तर के बाद चौधरी जी कोई आवश्यकता होगी तो आप स्पष्टीकरण पूछ लीजिएगा।

*ऊर्जा एवं लोक निर्माण मंत्री (श्री शिवपाल सिंह यादव)-

मान्यवर, बिजली का संकट केवल उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे उत्तर भारत में है और पूरे उत्तर भारत में बिजली की कमी है। मांग ज्यादा है और बिजली की उपलब्धता कम है। यह संकट क्यों पैदा हुआ अभी इस विषय में मौर्या जी ने और सुखदेव राजभर जी ने काफी कहा है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उपलब्धता को बढ़ाया नहीं। आज की तारीख में आप पता कर लीजिएगा अभी 2500 मेगावाट हमारी उपलब्धता है। वैसे तो हमारा प्रयास है कि इसमें आपका भी सहयोग है। कल भी हमारी आपकी बात हुई है मीटिंग करनी है, प्रमोद कुमार जी भी प्रयास में हैं, सहयोग दे रहे हैं। वैसे तो मैंने प्रयास किया है केन्द्रीय ऊर्जा मंत्री जी से एक दिन टाइम, फिर भी टाइम लिया है 19 तारीख को ऊर्जा के लिए ऊर्जा मंत्री से भी बात करेंगे लेकिन इसके बावजूद भी वैसे हमारा प्रयास है ग्रामीण क्षेत्र में 14 घण्टे बिजली देने का और तहसील स्तर पर 15 घण्टे और जनपद स्तर नगर में 16 घण्टे और मण्डल स्तर नगर पर 18 घण्टे और महानगर में 20 घण्टे और बुन्देलखण्ड में 16 घण्टे और औद्योगिक जो पोरसन क्षेत्र है उसमें 24 घंटे यह हमारा प्रयास है और तेजी के साथ है और जो अभी मौर्या जी कह रहे थे हमारे यहां 2 घंटे, एक घंटे, सुखदेव जी भी कह रहे थे, वैसे तो इस अप्रैल के महीने में कहीं-कहीं तो 20 घंटे ज्यादातर जिलों में दी है अप्रैल के महीने में लेकिन ज्यादातर जिलों में 8 घंटे, ग्रामीण क्षेत्र में 8 घंटे से कम नहीं दी है, तहसील क्षेत्र में 8 घंटे से कम नहीं, जनपद स्तर नगर में 14 घंटे, मंडल स्तर नगर में 16 घंटे और महानगर में 20 घंटे और बुन्देलखण्ड में 11 घंटे, औद्योगिक पोरसन में 22 घंटे बिजली जब बहुत कम थी, आप लोगों का

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सहयोग भी है, जबकि सहयोग होना चाहिए था, उत्तर प्रदेश को सहयोग होना चाहिए था। जबकि केन्द्रीय इकाई रिहन्द जिससे 500 मेगावाट बिजली पैदा होती है, सिगरौली से 500 मेगावाट, टांडा से 4 से 110 मेगावाट दादरी थर्मल 210, नरौरा पावर स्टेशन 210 कुल 1540 मेगावाट यह केन्द्रीय इकाई है। यह सभी इकाई डाउन हैं। इसमें हमारे उत्तर प्रदेश का अंश 580 मेगावाट बिजली मिलना चाहिए था वहां पर बिल्कुल बिजली नहीं मिली।

इसके बावजूद भी मैं पूछना चाहता हूं 95 के बाद से उत्तर प्रदेश में एक भी इकाई क्यों नहीं लगी, किसने यह गलती की है। अनपरा सी लगनी चाहिए थी अनपरा सी क्यों नहीं लगी 95 में, अगर 95 में अनपरा सी लग गयी होती तो शायद स्थिति और होती। हमारा थर्मल पावर टांडा किसने बेचा, थर्मल पावर ऊंचाहार किसने बेचा और बेचने की वजह क्यों हुई ? आज हमें बिजली भी नहीं मिल रही है, एक भी मेगावाट नहीं मिल रही है प्रयास करने के बाद भी। आज हम 25 करोड़ रुपये की बिजली रोज खरीद रहे हैं और यहां तक 7 रुपये यूनिट इतनी मंहगी बिजली खरीदकर उत्तर प्रदेश को दिये हैं इसके बावजूद भी हमारा प्रयास है कि हमारे उत्तर प्रदेश की स्थिति और अच्छी होगी। अभी इसी महीने में हमारी बिजली की स्थिति ठीक होगी। पारीछा-3, 200 मेगावाट मई के अंत में बिजली हमको मिलेगी। पारीछा-4, में हमारे प्रयास से सितम्बर तक 200 मेगावाट बिजली हमको मिलेगी। विष्णु प्रयाग इकाई से मई के अन्त तक 88 मेगावाट, विष्णु प्रयाग इकाई-2 से 88 और इकाई-3 से 88 मेगावाट अगस्त तक, इकाई-4 88 मेगावाट सितम्बर तक। यह उत्तर प्रदेश सरकार की सभी इकाइयां हैं इससे हमें इतनी बिजली मिलेगी और टिहरी केन्द्र इकाई से जून अन्त तक 88 मेगावाट, इकाई-2 88 मेगावाट जुलाई तक, इकाई-3 88 मेगावाट अगस्त में मिल जायेगी और इकाई-4 88 मेगावाट सितम्बर तक। इस प्रकार हमें 1124 मेगावाट इस वर्ष बिजली प्राप्त हो जायेगी। बिजली की चिन्ता मत करिये। यह व्यवस्था आपकी देन है जिसे हमको ठीक करना पड़ रहा है। चोरी किसने सिखाई, मेरे समय में तो चोरी बढ़ी नहीं, मैंने चोरी को रोका है। सख्ती के साथ रोका है और रोकेंगे। तमाम एफ0आई0आर0 तक की है, हमने सस्पेंड भी किये हैं। आपको पता है, हमने बनारस का जनरल मैनेजर, गाजीपुर में तुरन्त मौके पर सस्पेंड किया। ऐसे आगरा में एफ0आई0आर0 भी हो गयी है, फिरोजाबाद में कार्यवाही भी की है आप बताइये आपने अपने शासन में कितनी चोरी पकड़ी थी और कितने जेल भेजे थे और कितनी एफ0आई0आर0 करायी थी, कितने लोग सस्पेंड किये थे, आपने तो वहीं से खराब किया।

इसलिए हम आपको विश्वास दिलाते हैं, हमारा प्रयास है कि हम पूरे उत्तर प्रदेश को बिजली देंगे जो मैंने कहा, उसके अनुसार बिजली देंगे। लेकिन अड़ंगे हैं, कुछ कुप्रचार है, उसकी मुझे चिन्ता नहीं, सड़कों के मामले में मैंने जैसा किया, बिजली के मामले में भी हम देंगे लेकिन इसके साथ-साथ जो सही बोलेगा और सही बोला है, उसकी तो हम बिजली आज ही बढ़ा देंगे, जो झूठ बोला है उसकी हम नहीं बढ़ायेंगे, उनको झूट नहीं बोलना चाहिए। (एक सदस्य की ओर देखकर) आप तो वरीयता पर रहेंगे। जहां तक बनारस की बात है, बनारस की हालत थोड़ा ठीक है, पहले से बेहतर है। बहुत ठीक है। मैं आदरणीय श्यामदेव राय जी से पूछना चाह रहा हूं कि आपको सोने के लिए चाहिए या जगने के लिए चाहिए। लोग जागने के लिए मांगते हैं, कुछ लोग सोने के लिए मांगते हैं। मुझको आप बता देंगे कि किसलिए चाहिए तो हम बिजली का प्रबन्ध करेंगे। इसलिए अध्यक्ष जी आपका भी प्रयास है,

हमारा भी प्रयास है, नई यूनिट का हमारा प्रयास है और उन कारणों पर भी जाना पड़ेगा, जिनकी वजह से नई यूनिट हमारे उत्तर प्रदेश में नहीं आयी। कुछ रोड़े भी हैं, उन रोड़ों को भी दूर करने का हमारा प्रयास होगा। हमारी सरकार ऐसा प्रयास करने जा रही है कि विद्युत के मामले में हमारा उत्तर प्रदेश आत्मनिर्भर हो, और हमें किसी के ऊपर निर्भर न रहना पड़े यही हमारा प्रयास है।

श्री धर्मपाल सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी से एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने 29 अगस्त, 2003 को कुछ घोषणायें की थीं, उन घोषणाओं में बिजली की प्राथमिकता थी। उन्होंने कहा था कि उत्तर प्रदेश को हम बिजली 16 घण्टे देंगे। क्या मुख्य मंत्री जी की घोषणा के अनुसार माननीय विद्युत मंत्री जी 16 घण्टे इस प्रदेश को बिजली देंगे। दूसरा जहां बिजली का अभाव बताया गया, इस समय कुछ निजी फैक्ट्रियां बिजली बना रही हैं तो क्या आप निजी फैक्ट्रियों से आप बिजली खरीदेंगे ? इसमें इफ्को, आंवला सरकार को बिजली देने को तैयार है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, एक कालीन बेल्ट है।

श्री शिवपाल सिंह यादव-

भदोही का ध्यान रखा जायेगा।

श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास 'डमडम महाराज'-

हमारे यहां 220 मेगावाट का सब-स्टेशन बन रहा है, वह स्वीकार हो चुका है, उसको कब तक चालू करायेंगे ?

श्री शिवपाल सिंह यादव-

आपको तो दिल बड़ा करना चाहिए। आप कहते हैं कि इटावा मैनपुरी के बराबर दो तो इटावा मैनपुरी को तो मिलेगी 24 घण्टे। आपको भी दिल बड़ा करना चाहिए।

*श्री श्यामदेव राय चौधरी-

मान्यवर, बनारस की रात्रिकालीन कटौती बन्द करा दीजिए। माननीय शिवपाल जी, मेरा आपसे निवेदन है मुझे मौका मिलता तो जो कुछ मिला है, उसके लिए मैं धन्यवाद भी देता और कुछ मांग भी रखता। लेकिन मुझे बोलने का अवसर नहीं मिला। मेरा एक नम्र निवेदन है मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से पहले भी निवेदन कर चुका हूं। उन्होंने पूरा भी किया था, इधर बीच में रात्रिकालीन कटौती जो हो रही है, वह बहुत कष्टकारी है। उसको कृपा करके आप बन्द करा दें।

कुंवर भारतेन्द्र सिंह-

हमारे यहां इधर बारिश नहीं हुई है, इसलिए अगले 15 दिन तक कटौती रुकवा दें।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बिजली कटौती से उत्पन्न समस्याएं थीं, इन गम्भीर विषयों की ओर मैंने आपका ध्यान आकृष्ट किया, अपेक्षा किया कि

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

आप उन पर अंकुश लगाएंगे, प्रदेश को विद्युत आपूर्ति अबाध रूप से देने का काम करेंगे। लेकिन सरकार ने गम्भीर जवाब न दे करके यह कह दिया, बसपा की ओर इशारा किया, मैं केवल इतना कह देना चाहता हूं कि बहुजन समाज पार्टी ने साढ़े चार महीना, छः महीना, पन्द्रह महीने में बिजली आपूर्ति जितनी घोषित की थी, निरन्तर अपने शासनकाल में देने का काम किया है। लेकिन यह सरकार बिजली और पानी नहीं दे पा रही है, इसलिए मैं अपनी पार्टी के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन करता हूं।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने दल के सदस्यों के साथ सदन से बहिर्गमन कर गये।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 के अन्तर्गत कुल 53 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद प्रतापगढ़ के पट्टी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत स्थित विकास खण्डों के ग्रामों में संक्रमित पेयजल से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। दूसरी सूचना श्री भरत सिंह की बलिया के सुरेमनपुर रेलवे स्टेशन को जोड़ने वाली सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। तीसरी सूचना श्री रंगनाथ मिश्र की जनपद भदोही स्थित ज्ञानपुर तथा औराई में अग्निशमन केन्द्र पर गाड़ी व कर्मचारी न होने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। चौथी सूचना श्री दद्दू प्रसाद की जनपद चित्रकूट के थाना मऊ में श्री बच्ची लाल प्रधान के साथ मारपीट करने वाले अभियुक्तों की गिरफ्तारी न किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। पांचवीं सूचना श्री सुरेश कुमार खन्ना की शाहजहांपुर की पूवांया चीनी मिल द्वारा कर्मचारियों को विगत तीन वर्षों से उनके बकायों का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। छठी सूचना श्री राकेश सचान की कानपुर नगर स्थित श्री रमाकान्त त्रिपाठी, अवर अभियन्ता की मृत्यु से सम्बन्धित हत्यारों का पर्दाफाश न किये जाने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। सातवीं सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी की मेरठ नगर निगम में नियमित नगरायुक्त एवं विकास प्राधिकरण में उपाध्यक्ष का पद स्थापित न होने के सम्बन्ध में है, वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। आठवीं सूचना श्री अरुणवीर सिंह की सिंचाई विभाग के अन्तर्गत आशुलिपिकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। नवीं सूचना श्री सोवरन सिंह यादव की प्रदेश के स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी के आश्रितों को पदोन्नति में आरक्षण का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुई। दसवीं सूचना डॉ0 रमेश चन्द बिन्द की जनपद मिर्जापुर के ग्राम सिद्धी का विद्युतीकरण हेतु चयन के बाद भी विद्युतीकरण न किये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। ग्यारहवीं सूचना डॉ0 धर्मसिंह सैनी की सहारनपुर के सरसवां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत लोक निर्माण विभाग की सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। बारहवीं सूचना श्री सुन्दर लाल की हरदोई के थाना अतरौली के श्री सी0एल0 दीक्षित, एडवोकेट के प्रकरण की जांच सी0बी0सी0आई0डी0, लखनऊ सेक्टर से हटाकर अन्य सेक्टर से कराये जाने के सम्बन्ध में है, केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुयी। तेरहवीं सूचना डॉ0 राधामोहन दास अग्रवाल की परिवहन विभाग में वैधानिक टोकेन प्रणाली के स्थान पर अवैधानिक इन्ट्री प्रणाली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। चौदहवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की नोएडा

प्राधिकरण द्वारा एक्सप्रेस सिटी के नाम से प्राइवेट बिल्डर्स को बाजार दर से कम दर पर भूमि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। पन्द्रहवीं सूचना श्री नरेन्द्र शिशौदिया की गाजियाबाद के थाना धौलाना स्थित मोमिन खां के खेत में दो सौ गायों की अवैध रूप से हत्या किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। सोलहवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की अम्बेडकर नगर के सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूल के विद्यालयों के अवकाश प्राप्त शिक्षकों का जी0पी0एफ0 का भुगतान न किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। सत्रहवीं सूचना श्री नदन गोपाल वर्मा की फतेहपुर के जहानाबाद क्षेत्रान्तर्गत सिंचाई पम्प कैनालों को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। अट्ठारहवीं सूचना श्री प्रमोद कुमार की रायबरेली, प्रतापगढ़ एवं जौनपुर में लोगों द्वारा सई नदी का जहरीला पानी पीने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। उन्नीसवीं सूचना श्री महेश नारायण सिंह की इलाहाबाद के गनेशीपुर कछार में बैरगिया नाले पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। बीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह 'मुन्ना' की संस्कृत विद्यालयों के शिक्षकों के चयन एवं प्रोन्नति में हो रहे विलम्ब के कारण उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। इक्कीसवीं सूचना श्री ओम प्रकाश पाण्डेय की सुल्तानपुर कूड़ेभार रोड स्थित रेलवे क्रासिंग पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। बाइसवीं सूचना श्री सतीश महाना की एच0बी0टी0आई0, कानपुर में सहायक आचार्य के पद पर फर्जी प्रमाण-पत्र के आधार पर नियुक्ति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी।

दिनांक 18 मई, 2006 को नियम-300, 301, 51 व नियम-56 की सूचनाओं को न लिये जाने के सम्बन्ध में सूचना

श्री अध्यक्ष-

कल नियम-300, 301, 51 व नियम-56 की कोई भी सूचना नहीं ली जायेगी।

नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं (क्रमागत)

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, चूंकि कल अंतिम दिन होगा और कोई सूचना नहीं ली जायेगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि नियम-51 में आज जितनी सूचनायें हैं, वह सब स्वीकार करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

तेइसवीं सूचना श्री नवाब सिंह नागर की नोयडा प्राधिकरण द्वारा सम्पत्तियों पर लीज रेण्ट की एकमुश्त योजना समाप्त कर दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। चौबीसवीं सूचना श्री राजेश कुमार की जनपद खीरी की तहसील गोला अन्तर्गत चकबंदी अधिकारियों द्वारा किये जा रहे अनियमितता के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। पच्चीसवीं सूचना श्री मुंशीलाल गौतम की जनपद बुलन्दशहर स्थित शिकारपुर नगरपालिका के लोगों का वोटर लिस्ट में नाम न शामिल किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। छब्बीसवीं सूचना श्री राम करन आर्य की जनपद गाजीपुर के ग्राम सभा तियरा में गलत तरीके से पट्टा किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण

हेतु स्वीकृत हुयी। सत्ताइसवीं सूचना श्री महेन्द्र कुमार सिंह "झीन बाबू" की जनपद बलिया स्थित बिल्थरा रोड में असामाजिक तत्वों द्वारा चकरोड भूमि पर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। अट्ठाइसवीं सूचना श्री कल्यान सिंह दोहरे की कानपुर स्थित गांगूपुर से पिहानी मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। उन्तीसवीं सूचना श्रीमती विद्या चौधरी की जनपद आजमगढ़ की ठेकमा विकास खण्ड के लोगों का नया राशन कार्ड न बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। तीसवीं सूचना श्री राम नरेश यादव की प्रदेश के बुनकरों को भुखमरी से बचाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। इकतीसवीं सूचना श्री घूरा राम की मुख्य सचिव द्वारा जारी शासनादेश संख्या 611/का0-1/2005, दिनांक 9 जुलाई, 2005 के आदेशों का उल्लंघन करने एवं मनमाने ढंग से कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। बत्तीसवां सूचना श्री श्यामदेव राय चौधरी की वाराणसी तहसील द्वारा कन्या विद्या धन के लाभार्थियों को आय का प्रमाण-पत्र देने में कर्मियों द्वारा उत्पीड़न किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। तैंतीसवीं सूचना श्री आलम बदी की जनपद आजमगढ़ स्थित दत्तासेर के समीप 333 के0वी0ए0 का विद्युत सब-स्टेशन के निर्माण कार्य में विलम्ब के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। चौंतीसवीं सूचना श्री बृजेन्द्र कुमार व्यास "डमडम महाराज" की विधायक श्री रतनलाल अहिरवार एवं उनके परिवार के लोगों के साथ पुलिस द्वारा की जा रही उत्पीड़न के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। पैंतीसवीं सूचना श्री अनिल कुमार मौर्य की जनपद-मिर्जापुर के सूखा प्रभावित इलाके में हैण्ड पम्प न लगाये जाने एवं दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। छत्तीसवीं सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की जनपद रायबरेली के डलमऊ क्षेत्रान्तर्गत ककोरम स्थित क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। सैंतीसवीं सूचना श्री किशन लाल बघेल की उत्तर प्रदेश सहकारी एवं शीत गृह संघ लि0 लखनऊ में लिपिक के पद पर दैनिक वेतन भोगी श्री मुरारी लाल को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। अड़तीसवीं सूचना श्रीमती राजरानी रावत की बाराबंकी की सरसवां मार्ग पर शारदा नहर पर क्षतिग्रस्त पुल का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। उन्तालीसवीं सूचना श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल की मेरठ मेडिकल कालेज की क्षतिग्रस्त सीवर लाइन को ठीक कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। चालीसवीं सूचना श्रीमती सत्तो देवी की जनपद सहारनपुर स्थित विधान सभा क्षेत्र नांगल की क्षतिग्रस्त सड़कों का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। इकतालीसवीं सूचना श्री बाबूलाल कुशवाहा की बहराइच-बांदा राजमार्ग स्थित उसरा नाला पर बने सेतु पर पथकर वसूली से मुक्त करने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। बयालीसवीं सूचना श्री विश्राम सिंह यादव की सण्डीला बांगरमऊ मार्ग स्थित सई नदी पर बने पक्के पुल पर टोल टैक्स की वसूली समाप्त किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। तैंतालीसवीं सूचना श्री दीनानाथ कुशवाहा की जनपद देवरिया में छोटी गण्डक पर बने पुल तक सम्पर्क मार्ग न बनने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। चौवालीसवीं सूचना डा0 सुशील चौधरी की जनपद सहारनपुर की गन्ना समिति एवं चीनी मिल ननोता-सरसवां में कृषक

सदस्यों का दुर्घटना बीमा पुनः पूर्व की भांति जनहित में लागू किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। पैंतालीसवीं सूचना श्री काशीराम की शाहाबाद हरदोई को बिलारी से विद्युत आपूर्ति किये जाने एवं अधूरी लाइन को शीघ्र पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। छियालीसवीं सूचना श्री रिजवान अहमद खां की जनपद मुरादाबाद में कतिपय ग्रामों में विद्युत उपकेन्द्र स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। सैंतालीसवीं सूचना डा0 अरुण कुमार मेहरोत्रा की मोरंग ढोने वाले ट्रकों से ध्वस्त कालपी जनपद-जालौन सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। अड़तालीसवीं सूचना श्री राम इकबाल सिंह की जनपद बलिया के चिलकहर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। उन्चासवीं सूचना श्री प्रागी लाल अहिरवार की जनपद-झांसी के थाना लहपुरा पुलिस की मिली भगत से सरकारी इमारती शीशम आदि के पेड़ों की अवैध कटान को रोके जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुई। पचासवीं सूचना श्री अब्दुल मन्नान की जनपद रायबरेली में कतिपय थानाध्यक्ष एवं कर्मियों द्वारा निर्दोषों को परेशान किये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। इक्यावनवीं सूचना श्री शब्बीर की संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, लखनऊ में कार्यरत दैनिक/नियत वेतन कर्मचारियों को भविष्य निधि का लाभ दिये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। बावनवीं सूचना श्री मोहम्मद आकिल उर्फ मुन्ना मियां की जनपद मुरादाबाद की दमदमा नदी पर टूटे पुल लिन्टर की स्लैब डलवाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी। तिरपनवीं सूचना श्री सदल प्रसाद की बैनामें में विधिमान्यकरण हेतु शुल्क जमा करने की समय सीमा बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत हुयी।

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे पुनः मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन रात्रि 8 बजकर 46 मिनट पर अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)।

लखनऊ :
दिनांक 17 मई, 2006

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
प्रमुख सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

(देखिये मा0 अध्यक्ष के आदेश पृष्ठ 155-157 पर।)

मा0 अध्यक्ष के निर्देशानुसार माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा में आज दिनांक 17 मई, 2006 को समयावधि पूर्ण हो जाने के कारण जो माननीय सदस्य चर्चा में भाग नहीं ले सके तथा जिन्होंने अपने लिखित सुझाव प्रस्तुत किये हैं वे संलग्न हैं।

श्री हरि प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष, मेरे क्षेत्र सदर जनपद प्रतापगढ़ निम्नलिखित कार्यों का कराया जाना नितान्त आवश्यक है इसे विधान सभा की कार्यवाही में सम्मिलित करते हुए कार्यों को करवाने का कष्ट करें।

वर्ष 2002-03 में सदर विधान सभा क्षेत्र में पूर्वांचल (राज्यांश) द्वारा स्वीकृत अधूरे कार्यों को पूर्ण करवाने का कष्ट करें।

ग्राम सभा औवार तथा संसारपुर में बकुलाही नदी पर पुल का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है, विद्युत आपूर्ति नगरीय क्षेत्र में 16 घण्टे तथा ग्रामीण क्षेत्र में 14 घण्टे विद्युत आपूर्ति कराया जाना सुनिश्चित करें। ब्लाक मान्धाता में पेयजल की समस्या को दूर करवाने के लिए पेयजल की व्यवस्था करवाने का कष्ट करें।

श्री लाल बहादुर यादव-

माननीय अध्यक्ष जी आपने माननीय महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मा0 श्री राम करन आर्य जी द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की सरकार में आम जनता के लिए जाति, धर्म व मजहब से ऊपर उठकर समाज को हर जाति-बिरादरी व धर्म-मजहब के लोगों के लिए जो कार्य किया है, उसकी मैं घोर प्रशंसा करता हूं तथा धन्यवाद देता हूं। समाज का चाहे किसान हो, चाहे गरीब हो, चाहे मजदूर हो, नौजवान हो, छात्र हो, अधिवक्ता हो, शिक्षक हो, चाहे व्यापारी हो सबके लिए सरकार ने कार्य किया है, जिसकी प्रशंसा गांव के खेत खलिहान से लेकर शहर के गली कूचे मुहल्ले तथा चट्टी-चौराहे तक हो रही है। इसके लिए मैं एक बार पुनः मैं सरकार को बधाई देता हूं तथा धन्यवाद देता हूं।

मान्यवर, मैं अपने क्षेत्र की कुछ समस्या रखना चाहता हूं। मेरे क्षेत्र में जल भराव की विशेष समस्या है, जिला प्रशासन द्वारा प्रस्ताव शासन में प्रस्तुत किया गया है, परन्तु प्रमुख सचिव, ग्राम्य विकास द्वारा लापरवाही की जा रही है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि जिला प्रशासन द्वारा प्रस्तुत जल निकासी हेतु नालों तथा माइनरों की खोदाई को प्रस्तुत प्रस्ताव पर जी0ओ0 जारी कर दिया जाय, जिससे मौजूदा समय जो खोदाई का है, कार्य कराया जा सके।

मेरे क्षेत्र में आवागमन की विशेष समस्या है। मेरे द्वारा जिला प्रशासन द्वारा सड़कों तथा पुलों के निर्माण हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। प्रशासन द्वारा प्राक्कलन भी बनवाया जा चुका है, मा0 मुख्य मंत्री जी तथा मा0 लोक निर्माण मंत्री जी द्वारा घोषणायें की जा चुकी हैं, मैं आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रस्तुत प्रस्ताव पर धन उपलब्ध कराया जाय।

मेरे क्षेत्र के मध्य सई नदी बहती है। नदी का तटवर्ती इलाका होने के कारण पेयजल का विशेष संकट हो जाता है। मौजूदा समय में जल स्तर नीचे चला जाने की वजह से क्षेत्र में हाहाकार

मचा है, कृपया आपके माध्यम से मेरा विनम्र अनुरोध है कि पेयजल की समस्या के निस्तारण हेतु पांच सौ इण्डिया मार्का दो हैण्डपम्प प्रदान कराई जाय।

मेरे विधान सभा के सई नदी पर सोनहिता से वोइनवा घाट पर पुल का निर्माण जनहित में नितान्त आवश्यक है। प्राक्कलन शासन में प्रस्तुत है। कृपया धन अवमुक्त हेतु मेरी आपके माध्यम से प्रार्थना है।

सुजानगंज से बरईपार मार्ग में सोनहिता नाले का पुल विगत आठ वर्षों से टूटा है। प्राक्कलन शासन में प्रस्तुत है। कृपया आपके माध्यम से अनुरोध है कि धन अवमुक्त किया जाय।

मेरे विधान सभा गड़वारा के सम्पूर्ण क्षेत्र में जो विद्युत व्यवस्था विगत पचीसों वर्ष पहले की हुई है, काफी जर्जर हो चुकी है। कृपया निरीक्षण कराकर जर्जर तार जो हमेशा दुर्घटना के प्रतीक बने हैं को बदलवाने तथा ठीक कराने की कृपा की जाय। अन्त में प्रस्तुत प्रस्ताव का समर्थन करते हुए आपका धन्यवाद एवं आभार व्यक्त करता हूं।

श्री जगदीश सोनकर-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय राज्यपाल के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया। मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं मा0 श्री राम करन आर्य जी के द्वारा प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार सभी जाति, धर्म, गरीब व कमजोर लोगों व किसान मजदूर को ऊपर उठाने के लिए कार्य कर रही है। इसके लिए भी पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं। मान्यवर, मेरे विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्यायें हैं जो आपके समक्ष रख रहा हूं।

खेतासराय में गुजरा ताल जो लगभग 200 एकड़ में फैला है और लगभग 10 गांव उस तालाव का पानी सही ढंग से निकालने से गांवों में 12 महीनें उनके खेत जलमग्न रहते हैं। सिंचाई विभाग द्वारा सर्वे होकर उसका स्टीमेट बनाकर शासन में आ चुका है उसमें कार्यवाही कराकर नालों की सफाई हो सके और ग्राम गैरवाह मानपुर में एक अदद पुल जो लगभग 20 गांवों के मार्गों में पुल न होने से परेशानियों का सामना करना पड़ता है व एल0बी0 रोड से चम्पा नगर की सड़क पूर्णरूप से क्षतिग्रस्त हो गई है उसका निर्माण कराया जाय।

इटौरी बाजार से मनिया होते हुए राजेपर तक कच्चा मार्ग है उस पर पक्की सड़क का बनना जरूरी है। एकडला नाले से रहूपुर में पुल व जंगीपुर में पुल नहर पर होना जरूरी है। ग्राम भरौली सोंथी शाहगंज से रफीपुर होते हुए पोरई कला तक कच्ची सड़क है उस पर पक्की सड़क होना अति आवश्यक है। कृपया इन सभी कार्यों को आपके माध्यम से आदेशित करने की कृपा करें।

श्री शचीन्द्र नाथ त्रिपाठी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर माननीय राम करन आर्य द्वारा लाये गवे धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करते हुए सरकार की लोकोपकारी एवं जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रसंशा करता हूं। चिकित्सीय, शैक्षणिक, यातायातीय एवं गड्ढ़ामुक्त सड़कों की व्यवस्था जन सामान्य लोक लाभान्वित हो रहे हैं, बेहतर होता लुम्बनी-दुद्धी मार्ग जो शाहगंज से मड़ियाहूं तक वाइडेनिंग का कार्य हो गया है मेरे विधान सभा क्षेत्र जमालपुर से सन्त रविदासनगर बार्डर तक है प्रस्तावित है वाइडेनिंग हेतु उस पर भी पैसा दिलाया जाय।

बाबतपुर-जमालपुर स्टेट हाईवे है उसे चौड़ी करवा करके जनाकांच्छा की पूर्ति की जाय। चूंकि मेरा क्षेत्र बुनकरों एवं पशु पालकों का है। दूधिया दूर तक दूध ले जाता है। एक "मिल्क कलेक्शन

सेन्टर'' कायम किया जाय। अन्त में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

श्री रिजवान अहमद खां-

महामहिम राज्यपाल के भाषण में संशोधन प्रस्ताव पर चर्चा में भाग लेते हुए निवेदन है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में मौजूदा निम्न कार्यों की पूर्ति होना अत्यन्त आवश्यक है।

क्योंकि सरकार ने लघु उद्योग और अनुसूचित और ग्रामीण में जीवन बसर करने पर बहुत कम ध्यान दिया है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में ग्राम मौढ़ा तथा ब्लाक छजलैट में गांगन नदी पर रपटा पुल बनना अति आवश्यक है। सिरसा ग्राम से मथाना ग्राम को कसला नदी पार करके एक किलोमीटर सड़क बनना अनिवार्य है। खाण्डसारी इकाई पर टैक्स कम्पाउण्ड जनपद में भिजवाने का कष्ट करें।

निवेदन यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र तो क्या बिजली की सभी क्षेत्रों में कमी है, परन्तु मेरा अनुरोध है कि कम से कम निजी ट्यूबवेल हेतु कम से कम तीन पोल लाइन नार्मल स्कीम में कनेक्शन जारी करने की कृपा करें। जो कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र हेतु पचास अन्यथा सौ कनेक्शन देने के आदेश जारी कराने का कष्ट करें। मांग स्वीकार करने का कष्ट करें।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

पी0एस0यू0पी0-156 विधान सभा (263)-23-8-06--813 (कम्प्यूटर)।